

प्रमुख वैदिक यज्ञों के विधिविधान में
याज्ञवल्क्य के योगदान का
समालोचनात्मक अध्ययन
‘अनिनगमी’

लेखक :

डॉ० आशाराम त्रिपाठी

प्रकाशक

आशुतोष

श्री-११०२, ओ० सी० आर० कामलेश्वर,
विधानसभा मार्ग,
लखनऊ-२२६००९

प्रकाशक
आशुतोष,
श्री-१९०२ ओ. सी. आर., काम्पलेक्स,
विधान सभा मार्ग,
लखनऊ-२६००१

लेखक :
डॉ० आशाराम विपाठी

प्रथम संस्करण : १९८८

मूल्य : १२५ रु० मात्र

कापीराइट :
सर्वाधिकार लेखकाधीन

मुद्रक :
गुप्ता भाटो प्रिन्टर्स
६७, शिवाजी मार्ग
लखनऊ

समर्पण

जिनका सम्पूर्ण जीवन ही धड़ था,
जिनका जीवन सदा परोपकार में हो चीता,
जिनका सम्पूर्ण जीवन सत्य के लिए ही समर्पित था,
जिनका आशीर्वाद हमारा पाठेय बना,
उन्हीं प्रातः स्मरणीय, शशःकाय
प्रभु प्राप्य पिताजी
५३० पं० विष्वनाथ प्रसाद क्रिपाठी
लखं
प्रेम, संह तथा कला को प्रतिशूर्ण माँ
श्रीमती कविलासी देवी
को

आशाराम क्रिपाठी

आशीर्वचन

एक मिथ्या अवधारणा लोगों के मन में घर कर गयी है कि कर्मकाण्ड निरर्थक होता है और यज्ञसंस्था कर्मकाण्डप्रधान होने के कारण ही नष्ट हो गयी। दोनों बातें गलत हैं, कर्मकाण्ड वस्तुतः विश्व को और विश्व के अंगोंपरांग को समझने का और प्रत्येक जीव के भीतर के विश्व के अंगोंपरांग को समझने, उनके बीच के अन्तः सम्बन्ध को समझने का एक चौखटा है [फ्रेम है]। यज्ञ का प्रत्येक अनुष्ठान सृष्टि की क्रिया है, प्रत्येक अनुष्ठान समष्टि की क्रिया है, पूरे समाज की ओर से पूरे समाज के लिए आत्मसमर्पण का ही व्यापार है। पाव, वेदी, देवता प्रक्रिया सब मन्त्र से प्राणवत्ता पाते हैं।

डॉ० आशाराम विपाठी ने इसी दृष्टि को सामने रखते हुए प्राचीन वैदिक यज्ञ-संस्था की भीमांसा प्रस्तुत की है और इस भीमांसा में लेणेन्हेये सम्मेष प्रस्तुत किये हैं। वस्तुतः व्यास की तरह याज्ञवल्य सत्य के साक्षात्कार की एक यज्ञ परम्परा है जैसा कि उन्होंने प्रतिपादित किया है। यज्ञसंस्था भरी नहीं, वह उपासना में अन्तर्भृत हो गयी। यज्ञवेदी ही मन्दिर का आकार कर गयी और यज्ञव्यापार ही योड़शोपचार पूजन में रूपान्तरित हुए, पर भाव वही रहा, विश्व-दृष्टि वही रही। सबको देखना, सब होकर देखना, सबको सबकी ओर से आहुत करता जिससे सम्पूर्ण सत्य का साक्षात्कार हो, यज्ञ प्रयोजन कभी भारतीय कर्मकाण्ड से तिरोहित नहीं हुआ।

भारतीय अनुष्ठान के सौन्दर्य को परखने के लिए यज्ञसंस्था का संगोपरांग विवेचन बहुत आवश्यक है।

श्री विपाठी ने यह काम बड़े मनोविद्योग से किया है। इन्हें आशीर्वाद देता हूँ, अयमारम्भः शुभाय।

डॉ० विद्यानिबास मिश्र,
कुलपति, काशी विद्यापीठ,
वाराणसी

पुरावाक्

वैदिक वाङ्मय की पृष्ठभूमि के विकास में वैदिक यज्ञों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पुराणकाल में यज्ञ से ही सब वैदों की उत्पत्ति का सकेत मिलता है—

‘तस्माद्यजात्यर्थवृद्धतः ऋचः सामानि जशिरे ।

सन्दर्भसि जशिरे तस्माद्यजुस्तस्माद्यायत ॥’ (शु० य० स० ३१७)

ब्राह्मणकाल में याज्ञिक-विधियों की जटिलताओं की बढ़ि के फलस्वरूप अनेक क्षम्यदाय चल पड़े। इन विधियों का प्रतिपादन भीमासासूत्रों में संविस्तार प्राप्त होता है। यज्ञों के सम्पादन की सुविधा के लिए ही कल्पसूत्रों (श्रीतसूत्र, गृह्यसूत्र तथा धर्मसूत्र) की रचना हुई। श्रीतसूत्रों में वैदिकयज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन तथा गृह्यसूत्रों में स्मार्त अथवा गृह्य यज्ञों का प्रतिपादन किया गया है। आद्यग्रन्थकाल में यज्ञ ही सब कुछ था। यज्ञभूमि से उठे हुए धूम्र से बातावरण सुगन्धित रहा करता था। यज्ञ-सम्पादनकाल के अवधार में भी याज्ञिक आचार्य परस्पर प्रश्नोत्तर से अनेक शकाओं का समाधान किया करते थे। शनैः शनैः यज्ञ-विधि-विद्यान में एक आचार्य के मत अन्य आचार्यों के मतों से विभाग होते थे जिसके परिणामस्वरूप अनेक सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ।

अहं विद्यास विद्या जाता है कि वैदिक यज्ञविद्यात के दो उद्देश्य होते हैं— प्रथम व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति तथा द्वितीय समाज की उन्नति। यह केवल यज्ञमान एवं अन्तिमों के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रबद्धता और सुधार में सहायकमात्र ही नहीं, अविनु भासामाजिक व्यष्टिता एवं उन्नति के एक सशक्त साधन के रूप में सिद्ध होता है। वैदिक आण्डे के इतिहास में एक समय या जब यज्ञ सम्पूर्ण सम्बन्धाय के यामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का एकमात्र केन्द्र हो गया था। वस्तुतः वैदिक वाङ्मय के क्रिया-कलाए का प्रायः प्रत्येक ध्नेय इससे अत्यधिक प्रभावित था। वैदिक यज्ञ-विज्ञान वैदिक साहित्य में एक प्रधान भाग का प्रमुख लक्ष्य बन गया था। पश्चपि धार्मिक ग्रन्थों के अनुपार कुछ विशेष सामाजिक स्तर में सम्बन्धित व्यक्ति ही यज्ञ के अधिकारी थे किन्तु यज्ञ के यथार्थ सम्पादन में समाज के सभी स्तर के व्यक्ति इससे किसी न किसी रूप में बच्छ थे। फलतः वैदिक सम्प्रदाय का प्रत्येक उत्तरदायी निर्माता किसी यज्ञ परि पूर्णि में अविभागत

कथि लेना था। यज की यह पूर्ति सामाजिक अवधारणा के उन्नयन में बहुत ही सहायक सिद्ध हुई। अतः वैदिक यज का महत्व प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्राविन के रूप में था, यह अत्युक्ति नहीं।

हम ऐसा समझते हैं कि वैदिक-यज्ञ के विधि विधान ने ही औपनिषदिक दर्शन के विकासार्थ आवश्यक पृष्ठभूमि देयार की। अतः वैदिक वाङ्मय, वैदिक धर्म-दर्शन, एवं संस्कृति को ठीक-ठीक समझने के लिए और इनका मूल्यांकन करने के लिए वैदिक यज्ञ-संस्था का अध्ययन अपरिहार्य है। वैदिक-विधि-विधान का अध्ययन प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के दृष्टिकोण से ही आवश्यक नहीं अपितु इसका अध्ययन व्यापक मानव शास्त्र के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है क्योंकि वैदिक यज्ञ के अन्तर्गत निहित सिद्धान्त मानव-विचार के विकास में एक विशेष अवस्था का द्योतक है।

हमारी भारतीय सांस्कृतिक परम्परा यज्ञमयी और अग्निगमी है। अग्नि का विशेष महत्व है और हो भी क्यों न, दाह्य और अस्तर्जनन में अग्निदेव ही तो हैं जो विविध रूपों में विश्वकर्मण करते आ रहे हैं। कोई भी कायं विना अग्नि के सम्पन्न हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी न किसी रूप में अग्निदेव अवश्य वत्सान होगे भने ही हम उनका प्रत्यक्ष दर्शन न कर पाएं। मानवकर्मण के स्तर जिए जाने वाले यज्ञ भी विना अग्नि के सम्पन्न हो ही नहीं सकते।

गुरुवर्य प्रो० लेदेश्चन्द्र चट्टोपाध्याय और प्रो० सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी की अगाध वैदिक ज्ञानराशि से मैं बहुत लाभान्वित हुआ। दोनों गुरुओं ने मुझे नयी दृष्टि दी इस अग्निगमी संस्कृति को समझने के लिए, वैदिक यज्ञपरम्परा को समझने के लिए।

उन्हीं गुरुओं के ज्ञान की एक किरण मान है— ‘अग्निगमी’ जो आपके सामने है।

आशाराम त्रिपाती

विषयानुक्रमणिका

प्रथम अध्याय

(वाज्ञासनेय याज्ञवल्क्य : इष्वाकितत्व एवं कृतित्व)

(पृष्ठ १-२३)

वाज्ञासनेय याज्ञवल्क्य का परिचय (पृष्ठ १), याज्ञवल्क्य का वंश तथा उनका परिवार (पृष्ठ २), याज्ञवल्क्य से सम्बद्ध अन्य व्यक्ति (पृष्ठ ५), याज्ञवल्क्य की शिला-दीक्षा (पृष्ठ ५) याज्ञवल्क्य आभ्यारी अनेक अवितु तथा उनके अनेक प्रथा (पृष्ठ ८), याज्ञवल्क्य के नाम से प्रसिद्ध कृतियों का संक्षिप्त विवरण (पृष्ठ १२), याज्ञवल्क्य के नाम से प्रसिद्ध अन्य प्रथा (पृष्ठ २०), याज्ञवल्क्य का समय (पृष्ठ २१), याज्ञवल्क्य के जीवन का अन्तिम घाग (पृष्ठ २३)।

द्वितीय अध्याय

(वैदिक यज्ञों का सामान्य परिचय-पात्र, द्रव्य, वज्ञासम्पादक पुरुषों के साथ)

(पृष्ठ २४-४५)

यज्ञ शब्द की मूल्यांश और उसका अर्थ (पृष्ठ २४), यज्ञ शब्द के पर्याय तथा उनके अभीष्ट अर्थ (पृष्ठ २५), याग और होम में अन्तर (पृष्ठ २५), यज्ञ-प्रव्य की परिभासा (पृष्ठ २५), यज्ञ द्रव्यों का विभाजन (पृष्ठ २६), आहूति द्रव्य, होम द्रव्य (पृष्ठ २६), याग द्रव्य (पृष्ठ २७), अहंकारी द्रव्य (पृष्ठ ३७), वक्षिणा द्रव्य (पृष्ठ ३८), यज्ञ में प्रयुक्त वाकों एवं उपकरणों का सामान्य परिचय (पृष्ठ ३८), इवियोंगों में प्रयुक्त पात्र एवं उपकरण (पृष्ठ ३८), सोमयज्ञ में प्रयुक्त होमे वाले पात्र एवं उपकरण (पृष्ठ ४६), यज्ञसम्पादक पुरुष (पृष्ठ ४०), यज्ञों का स्वरूप निरूपण (पृष्ठ ४१), यज्ञों की संख्या के विषय में प्रथम मत (पृष्ठ ५१) द्वितीय मत (पृष्ठ ५१), तृतीय मत (पृष्ठ ५१), चतुर्थ मत के अनुसार यज्ञ की द्वचीय संस्थाएं (पृष्ठ ५१), अष्टपाद यज्ञ-संस्थार (पृष्ठ ५२), सप्तहविषयक संस्था (पृष्ठ ५२), सप्तमीम-संस्था तथा अन्य सोमपात्र (पृष्ठ ५२), यज्ञों का अनुष्ठान-क्रम (पृष्ठ ५५)।

तृतीय अध्याय

(याज्ञवल्क्य के मतभेद के स्थल)

(पृष्ठ ८६-१०६)

(१) द्रव्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ८६), (१) क-१-उदिभजों से प्राप्त होमद्रव्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ८६), (१) क-२-जरायुजों से प्राप्त होमद्रव्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ८६), (१) ख-उदिभजों से प्राप्त यज्ञ-द्रव्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ८७), (१) ग-उदिभजों तथा जरायुजों में पशुओं की जीवितावस्था से प्राप्त होने वाले द्रव्यों में मतभेद (पृष्ठ ८०), घ-दक्षिणा द्रव्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ८२), (२) देवता विषयक मतभेद (पृष्ठ ८४), (२) क-अन्तरिक्षीय देवता विषयक मतभेद (पृष्ठ १४), (२) ख-भावात्मक देवता विषयक मतभेद (पृष्ठ ८४), (२) ग-भावात्मक देवता विषयक मतभेद (पृष्ठ ८५), (२) घ-देवता सामान्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ८५), (३) मन्त्र विषयक मतभेद (पृष्ठ ८६), (३) क-शुक्लयजुवेद सहिता में प्राप्त होने वाले यन्त्रों के विषय में मतभेद (पृष्ठ ८६), (३) क-१-मन्त्र पाठभेद विषयक मतभेद (पृष्ठ ८६), (३) क-२ मन्त्रचरण विषयक मतभेद (पृष्ठ ८६), (३) क-३ यन्त्रों के आधिक्य के विषय में मतभेद (पृष्ठ १०५), (३) क-४ स्थानान्तरण विषयक मतभेद (पृष्ठ १०८), (३) क-५ विशिष्ट कर्म में विशिष्ट मन्त्र की आवश्यकता विषयक मतभेद (पृष्ठ १०८), (३) ख-शुक्लयजुवेद सहिता में अप्राप्य मन्त्र विषयक मतभेद (पृष्ठ ११०), (३) ख-१ पाठभेद विषयक मतभेद (पृष्ठ ११०), (३) ख-२ मन्त्र-चरण विषयक मतभेद (पृष्ठ १११), (३) ख-३ पाठाधिक्य विषयक मतभेद (पृष्ठ ११६), (३) ख-४ स्थानान्तरण विषयक मतभेद (पृष्ठ ११७), (३) ख-५ विशिष्ट कर्म में मन्त्र की आवश्यकता विषयक मतभेद (पृष्ठ ११८), (४) विधिविषयक मन्त्रधर्म (पृष्ठ ११९), (४) क-समय विषयक मतभेद (पृष्ठ ११९), (४) क-१ हृविर्यं त समय विषयक मतभेद (पृष्ठ ११६), (४) क-२ सोमयागीय समय विषयक मतभेद (पृष्ठ १२५), (४) ख-स्थान विषयक मतभेद (पृष्ठ १३३), (४) ग-दिशा विषयक मतभेद (पृष्ठ १४०), (४) घ-परिमाण एव आकार विषयक मतभेद (पृष्ठ १४६), (४) ङ-संख्या विषयक मतभेद (पृष्ठ १५४), (४) च-पात्र विषयक मतभेद (पृष्ठ १६०), (४) छ-यज्ञ सम्पादक पुहुण विषयक मतभेद (पृष्ठ १६२), (४) ज-नियम विषयक मतभेद (पृष्ठ १६३), (४) झ-अशानानशन विषयक मतभेद (पृष्ठ १६५), (४) झ-गमतागमन विषयक मतभेद (पृष्ठ १६८), (४) ठ-होम विषयक मतभेद (पृष्ठ १६६), (४) ठ-उपघान विषयक मतभेद (पृष्ठ १७१) ४ क्रम विषयक मतभेद पृष्ठ १३१

(३) उपस्थान विषयक मतभद्र (पृष्ठ १७३), (४) त-प्रायशिर्वात्-विद्यान विषयक मतभद्र (पृष्ठ १७४), (५) थ-विविध मतभद्र (पृष्ठ १७५)।

चतुर्थ अध्याय

(याज्ञवल्क्य की वैज्ञानिक दृष्टि)

(पृष्ठ १८०-२१०)

(१) यज्ञ की मर्त्यांश ममृद्धि वर वल (पृष्ठ १६०), (२) औचित्य का ध्यान (पृष्ठ १६३), (३) अनौचित्य का ध्यान (पृष्ठ १६८), (४) बुद्धि का अवलम्बन (पृष्ठ २००), (५) व्यावहारिकता (पृष्ठ २०२), (६) यज्ञ-विधि में संकेत (पृष्ठ २०६), (७) सर्वमंगल की दृष्टि (पृष्ठ २०८)

पंचम अध्याय

(याज्ञवल्क्य: व्यक्तित्व की समग्रता)

(पृष्ठ २११-२२८)

(१) याज्ञवल्क्य: सकल याज्ञिक (पृष्ठ २११), (२) याज्ञवल्क्य: यज्ञ के विराट् रूप के द्रष्टा (पृष्ठ २१६), (३) याज्ञवल्क्य: ब्रह्मवेत्ता (पृष्ठ २१८), (४) याज्ञवल्क्य: समाजवेत्ता (पृष्ठ २२२), (५) याज्ञवल्क्य: अद्वितीय जिज्ञासु (पृष्ठ २२३),

वाजसनेय याज्ञवल्क्य

(व्यक्तित्व एवं कृतित्व)

महर्षि याज्ञवल्क्य के विषय में शतपथब्राह्मण एवं शाङ्क्षायन आरण्यक आदि प्रन्थों में कुछ आख्यानों के साथ संबाद मिलते हैं। उनके भर्तों के साथ-साथ प्रायः उनका नामोलेख दुआ है। पुराणों में उनसे सम्बन्धित अनेक कथाएँ हैं। उनके विषय में जो जानकारी प्राप्त है उसका उपरोक्त प्रस्तुत अध्याय में किया जा रहा है। अध्ययन के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि याज्ञवल्क्य एक गोकृ का भी नाम है। विश्वामित्र तथा वसिष्ठ दोनों वंशों में यह नाम मिलता है। उनका विश्वामित्र गोविय होना मत्स्यपुराण, (१५७।४), वायुपुराण (८१।८८) तथा ब्रह्मण्ड पुराण (६७।७०) से सिद्ध है। मत्स्यपुराण (१५६।६) से वसिष्ठ-गोविय होना सिद्ध होता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्यगोत्र में उत्पन्न कोई भी व्यक्तिन् याज्ञवल्क्य कहा जा सकता है। जहाँ हमारे सामने कई याज्ञवल्क्य आते हैं वहाँ उनके साथ-साथ उनका का भी उल्लेख मिलता है। सम्भवतः उनक भी वैश अथवा मिथिला के राजाओं की उपाधि थी। अब हमें याज्ञवल्क्य और उनके सम्बन्ध में विचार करता है। साथ ही साथ यह भी देखता है कि शुक्लयजुर्वेद महिता, शतपथब्राह्मण, याज्ञवल्क्यस्मृति, याज्ञवल्क्यगिता, योगियाज्ञवल्क्यम् (जो योगयाज्ञवल्क्यम् और योगियाज्ञवल्क्य गीता नाम से भी प्रमिळ है) भी क्या एक ही याज्ञवल्क्य के ग्रन्थ हैं या विभिन्न याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित हैं?

सर्वप्रथम याज्ञवल्क्य के विषय में परम्परा द्वारा जो प्रकाश पड़ता है उसका मक्षिण्य विवरण देकर अभीष्ट याज्ञवल्क्य के विषय में निवेश किया जाना उचित होगा। उनके सम्बन्ध में जो कुछ सामग्री मिलती है, उसमें विशेष अन्तर नहीं है। उनके पिता के नाम में अन्तर उचित पड़ता है किन्तु उनकी धर्मपत्नियों के विषय में नहीं।

याज्ञवल्क्य का जन्मस्थान

भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में सौराष्ट्र नाम का एक विस्तीर्ण प्रान्त था। उसका एक भाग अनंत नाम से विल्यात था जिसकी राजधानी श्री चमत्कारपुर, चमत्कारपुर, बृहन्मर, आनन्दपुर, आनन्दपुर और वर्द्धमानपुर आदि नामों से प्रसिद्ध है। इसी के समीप याज्ञवल्क्य का आश्रम रहा होगा। इसकी पुष्टि स्कन्द-पुराण (६।१२।३।१,२) से भी होती है—

‘थाऽन्योऽपि च तत्पास्ति याज्ञवल्क्यसमुद्भवः ।
आश्रमो लोकविल्यातो मूर्खाणामपि तिद्विदः ॥१॥
यत् तप्त्वा तपस्तीर्णं याज्ञवल्क्येन धीमता ।
संप्राप्ता निखिला वेदा गुणाऽप्यहतारच ये ॥२॥

अनेक विद्वान् याज्ञवल्क्य का जन्मस्थान मिथिला मानते हैं। श्रीधर शर्मा शास्त्री ‘वारे’ का विचार है कि याज्ञवल्क्य जब जनक के गुह (देशिक) बते तब वे मिथिला गये। याज्ञवल्क्य के मिथिला में जाने का प्रमाण स्कन्दपुराण में भी मिलता है। याज्ञवल्क्य जब अपने गुह शाकल्य द्वारा वेदरहित बना दिये गये तब उन्होंने सूर्य की उपासना की और उन्हें प्रसन्न कर उनसे चारों वेदों का अध्ययन किया। इससे आकृष्ट होकर जनक ने याज्ञवल्क्य को अपने यहाँ बुलाया। (स्क०पू०ना०खं ६।१२।३।१३७) ओल्डेनवर्ग तथा अन्य विद्वानों ने यह स्वीकर किया है कि याज्ञवल्क्य विदेह के रहने वाले थे किन्तु जनक द्वारा इन्हें संरक्षण प्राप्त करने की कथा के अतिरिक्त उद्दालक और कुरुक्षेत्र के सम्बन्ध भी इनका सम्बन्ध पाया जाना इस तथ्य को संदिग्ध बना देता है। एर्लिंग महोदय भी याज्ञवल्क्य को विदेहवासी होने में सन्देह करते हैं—

‘In XI, 6.2, 1 Janaka is represented as meeting, apparently for the first time, with Svetaketu Aruneya, Somasushma Satyayagni and Yagnavalkya, while they were travelling. Probably we are to understand by this that these divines had then come from the west to visit the Videha Country.’

शतपथब्राह्मण में पितृमेध के प्रकरण में समाधि निर्माण के प्रसंग में जहाँ वस्त्र रखकर उस पर मृतक की अस्थियाँ रखी जाने, अन्तर न किये जाने के विषय में भीमांसा की गयी है वहाँ पर याज्ञवल्क्य ने देवों और अमुरों का उदाहरण देकर बताया है कि जो देवी प्रजा है वह वस्त्र से अन्तर नहीं करती अर्थात् वस्त्र से

रहित समाधि की रचना करती है किन्तु जो असुर स्वभाव के प्राच्य एवं अस्य जन हैं वे अन्तर रखकर चमू और वस्त्रादि को नीचे रखते हैं तथा उस पर अस्थि रखकर समाधि की रचना करते हैं। (शत० ब्रा० १३।८।२१) इसके अनुसार वे मिथिला से सम्बन्धित नहीं प्रतीत होते हैं। यह भी नहीं है कि शतपथब्राह्मण में 'असुर' शब्द अच्छे अर्थ में प्रयुक्त हो जैसा कि ऋग्वेद में इन्द्र, वरुण आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर इसका वही अर्थ है जिससे आज जनसाधारण भी भली आंति परिचत है। यदि वे मिथिला के निवासी होते तो प्राच्यों को 'असुर' शब्द से कदाचित् ही सम्बोधित करते।

अन्म-काल

श्रीधर शर्मी शास्त्री 'वारे' के मतानुसार याज्ञवल्क्य की जन्म-तिथि श्रावण शुक्ल चतुर्दशीविष्णुपूर्णिमा है, जिसका उल्लेख उन्होंने माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण के उपोद्घात पृ० २६ में किया है—

'अस्य जन्मवासरः केषाङ्गिचन्पते ज्येष्ठशुक्लदशमी, केषाङ्गिचन्पते कार्तिक-शुक्लनवमी, केषाङ्गिचन्पते फाटगुतशुक्लपञ्चमी इमाः सर्वस्तिथयो यथार्थप्रमाण-विधुरा इति कृत्वा न सर्वसम्मताः। अस्यन्पते तु श्रावणशुक्लचतुर्दशीविष्णुपूर्णिमायां मध्याह्ने याज्ञवल्क्याय वेदाः सूर्योण दत्ताः। अतः सा तिथिरेवोत्सवादौ समादर्णीयेति।'

याज्ञवल्क्य का वंश तथा उनका परिवार

वंश

याज्ञवल्क्य का नाम वसिष्ठ तथा विश्वामित्र गोत्रों में पढ़ा गया है जिसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है।

याज्ञवल्क्य के पिता के अनेक नाम

याज्ञवल्क्य के पिता के अनेक नाम मिलते हैं। वायुपुराण (६१।२१), ब्रह्माण्ड पुराण (पू० भा० ३।४।२४) तथा विष्णु पुराण (३।४।३) के अनुसार इनके पिता ब्रह्मरात् थे। श्रीमद्भागवत (१२।६।४) में इन्हें 'देवरातसुतः' कहा गया है जिससे प्रतीत होता है कि याज्ञवल्क्य देवरात के पुत्र थे। कुछ विद्वानों का मत है कि शुनःशेष देवरात गायत्रिपुत्र विश्वामित्र के कृत्रिम पुत्र थे। शुनःशेष की कथा हरिष्वन्द्र के नरमेधयन में प्रसिद्ध है। (ग० ब्रा० ३।१३) ध्यान देने योग्य बात मह है कि देवरात भी गोत्र का नाम है। (म० यु० १६।७।४) अतः

केवल एक ही देवरात रहे हों यह भी नहीं कहा जा सकता। कति शुनःशेष के पुत्र थे, शुनःपुत्र कति के पुत्र थे। चारायण या देवरात इन्हीं शुनःपुत्र की सन्तान थे। यही चारायणदेवरात, ब्रह्मरात, यज्ञवल्क्य, वाजसनि आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध थे। काष्ठवसंहिता के भाष्य के उपक्रम में यायण ने यह लिखा है कि याज्ञवल्क्य का नाम 'वाजसनेय' था। उन्होंने इस नाम का कारण भी दिया है—

४५

'वाज इत्यन्नस्य नामधेयं, अन्नं दे वाज इति श्रुतेः। वाजस्य सनिदीनं यस्य
महर्पैरस्ति सोऽयं वाजसनिस्तस्य पुत्रो वाजसनेय इति तस्य याज्ञवल्क्यस्य
नामधेयम्।'

बृहदारण्यक उपनिषद् के भाष्य में शंकराचार्य ने उनका नाम याज्ञवल्क्य बताया है। कृष्णसूरिकृत् वेदनिरूपण में याज्ञवल्क्य को 'यज्ञवल्क्य ब्रह्मरात्' का पुत्र निरूपित किया गया है। शतपथब्राह्मण (१४.३१.४३) में याज्ञवल्क्य को वाजसनेय कहा गया है। महाभारत शान्तिपर्व (३१५१४) के अनुसार देवरात याज्ञवल्क्य के पिता थे। कहीं-कहीं याज्ञवल्क्य को ब्रह्मा का पुत्र भी कहा गया है—

'यज्ञवल्को ब्रह्मा इति पौराणिकाः। तदपत्थं याज्ञवल्क्यः।'

पाणिनीय गण ४। १११०५

वायुपुराण (६०४२) के 'ब्रह्मणोऽग्रात्समुत्पन्नः' उद्धरण से भी यही सिद्ध होता है किन्तु यह अतिशयोक्ति प्रतीत होती है।

याज्ञवल्क्य की माता

इनकी माता का नाम 'सुनन्दा' था।

बहन

कंकारी (स्क० पु० ना० ख० ६।१७४।६) अथवा कंसारिका (स्क० पु० ना० ख० ६।१७४।६) याज्ञवल्क्य की बहन थी।

पत्नियाँ

बृहदारण्यक उपनिषद् (२।४।१) में मैत्रेयीकात्याण के अस्तर्गत कात्यायनी और मैत्रेयी दो पत्नियों का नामोल्लेख हुआ है। स्कन्दपुराण (ना० ख० १३।१।२-३) में भी इनका उल्लेख मिलता है। उक्त पुराण में एक पत्नी का नाम 'मैत्रेयी' तथा दूसरी का नाम 'कल्याणी' बताया गया है। कल्याणी 'कात्यायनी'

नाम से भी प्रसिद्ध थी। कुछ विद्वान् कात्यायनी को ही 'गार्गी' मानते हैं किन्तु यह कथत तथ्यपूर्ण नहीं प्रतीत होता क्योंकि गार्गी वाचवनवी का नाम बृहदारण्यक उपनिषद् (३।६।१, ३।८।१) में याज्ञवल्क्य की एक समकालिक और प्रतिद्वन्द्वी विदुषी के रूप में आया है, उनकी धर्मपत्नी के रूप में नहीं। 'कात्यायनी' को 'गार्गी' कहा जाता या ऐसा उल्लेख भी प्रामाणिक ग्रन्थों में नहीं मिलता।

याज्ञवल्क्य के पुत्र-पौत्र

कात्यायनी के गर्भ से उत्पन्न 'कात्यायन' (स्क० पु० १३।०।७।१) नाम का इनका एक पुत्र था जिसे 'पारस्कर' भी कहते थे। 'पिपलाद' नाम का भी एक पुत्र था जिसने बाद में अथर्ववेद का प्रचार किया। 'वरहचि' याज्ञवल्क्य के पीत थे।

महाभारत शान्ति पर्व (३।२।३।१७) के अनुमार याज्ञवल्क्य के सौ शिष्य थे।

याज्ञवल्क्य से सम्बन्ध अन्य व्यक्तित्व

महाभारत शान्ति पर्व (३।७।८।१६) के अनुमार व्यास के एक प्रिय शिष्य सुप्रसिद्ध चरकाचार्य वैशम्यायन इन्हीं याज्ञवल्क्य के मासा थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार वैशम्यायन याज्ञवल्क्य के नाता थे जिसका स्पष्टीकरण अधोरोत्तिवित पंक्तियों से हो जाता है—

'ततः स्वभातामहान्महाभुतेर्वृद्धाद्वैशम्यायनाद्युत्तुवैदमधीतवान्।'
(शत० ब्रा० उपाद्यात पृ० २६)

यह मत भ्रामक प्रतीत होता है क्योंकि अन्य अनेक ग्रन्थों में वैशम्यायन को याज्ञवल्क्य का मासा ही बताया गया है।

याज्ञवल्क्य की शिष्या-दीक्षा

याज्ञवल्क्य के पिता ने यथाकाल उपनयन संस्कार कर याज्ञवल्क्य को विद्याध्ययन के लिए वर्धमानपुरा में रहने वाले कृष्णवेदीय शाकन शाखा के प्रवर्तक विदर्घ शाकल्य युरु के पास रखा। वहाँ याज्ञवल्क्य ने गुरु से गम्पुर्धं ऋग्वेद का अध्ययन किया। एक बार आनन्देश्वर राजा सुश्रिय चातुर्मीस्य के लिए वहाँ आये। राजा ने शाकल्य से पौरीहित्य कर्म करने के लिए कहा। शाकल्य प्रतिदिन एक-एक शिष्य को राजा के यहाँ कर्म कराने के लिए भेजते थे। वे शिष्य भी उन शान्तिक-पौष्टिक कर्मों को विधिवत् सम्पन्न कर, दक्षिणा ले जाकर गुरु को देदिया करते थे। गुरु ने याज्ञवल्क्य को राजा के यहाँ जाकर इस्त कराने का आदेश

दिया। याज्ञवल्क्य राजा को तीर्थक्षित (मन्त्राधार) देने के लिए गये। राजा के बाज्ञवल्क्य से कहा—‘मैंने अभी स्नान नहीं किया है अतः आप मन्त्राधार अग्न-आला के स्तम्भ पर रख दें।’ (स्क० पु० ना० ख० २७८/४०) राजा के उस कथन से कृद्ध होकर याज्ञवल्क्य ने तीर्थक्षित को उकत स्तम्भ पर केंक दिया और दक्षिणा लिये बिना ही गुड़ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। इछर जिस स्तम्भ पर तीर्थक्षित फेंका गया था वह पते, फूल और फल से युक्त हरा-भरा वृक्ष बन गया। (स्क० पु० ना० ख० २७८/४३) यह दृश्य देखकर राजा को पश्चात्ताप हुआ। दूसरे दिन ‘कल ही वाले शिष्य को भेजिए’ ऐसा सन्देश राजा ने शाकल्य के पास भेजा। अनुसार शाकल्य ने याज्ञवल्क्य को पुनः राजा के यहाँ जाने के लिए आदेश दिया किन्तु ‘राजा ने मेरा अपमान किया है, मैं वहाँ न जाऊंगा’ ऐसा कहकर याज्ञवल्क्य ने राजा के यहाँ जाने में असमर्थता व्यक्त की। (स्क० पु० २७८/४३) अन्त में गुरु ने उद्घालक आरुणि को राजा के यहाँ भेजा। (स्क० पु० ना० ख० २७८/६१) कायं की समाप्ति के अनन्तर राजा ने तीर्थक्षित को पहले दिन की आँति दूसरे स्तम्भ पर छोड़ने के लिए उद्घालक से कहा। उद्घालक आरुणि ने वैसा ही किया किन्तु स्तम्भ पूर्ववत् ही रहा। उसमें न तो फूल ही आया और न फल ही। राजा ने शाकल्य के आश्रम में जाकर उनसे प्रथम शिष्य को अपने यहाँ भेजने के लिए प्रार्थना की। गुरु ने पुनः याज्ञवल्क्य को आजर-पालनार्थ कहा। याज्ञवल्क्य ने ऐसी आज्ञा न देने के लिए गुरु से निवेदन किया। ‘तुम मेरी आज्ञा भग कर रहे हो युक्ते ऐसा शिष्य नहीं चाहिए।’ (स्क० पु० ना० ख० २७८/६६) शाकल्य के इस कथन पर याज्ञवल्क्य ने भी कहा—‘गुरु का मैं त्याग कर दूंगा किन्तु अपोष आज्ञा का पालन नहीं करूँगा।’ इस पर गुरु शाकल्य ने कहा—‘ऐसा उद्घाष्ट शिष्य मुझे नहीं चाहिए। तुम मेरे द्वारा पढ़ाये गये वेद को त्याग दो।’ लृतिका मुण्डकन्याय’ से जल अभिमन्त्रित कर याज्ञवल्क्य को वेद त्याग के लिए दिया गया। याज्ञवल्क्य भी ‘बान्ति धर्मं’ से विद्या का त्याग कर वहाँ से चल दिये। इस घटना के बाद विद्या से रहित होकर याज्ञवल्क्य ने विद्वामित्र के हृद में स्नान किया और द्वादश आदित्यों धाता, मित्र, अर्यमा, शक, वृश्ण, साम्ब, भग, विवस्वान्, पूर्णा, सविता, त्वष्टा तथा विष्णु की स्थापना कर सूर्य को प्रसन्न किया तथा उनसे चारों देवों का अध्ययन किया। (स्क० पु० ना० ख० ६१/२७८/६१-६२) ‘वैशम्पायन याज्ञवल्क्य के गुरु थे।’ ऐसा उल्लेख उक्त पुराण में नहीं मिलता किन्तु ब्रह्माण्डपुराण, विष्णुपुराण और श्रीमद्भागवत के अनुसार इस घटना के बाद याज्ञवल्क्य अपने भासा वैशम्पायन के पास गये जिनसे उन्होंने आदि यजुर्वेद निगद सीखा परन्तु वहाँ भी वेद सीखने के बाद गुरु से कलह हुआ जो इस प्रकार है—

‘आद्य यजुर्वेद के प्रवर्तक वैशम्पायन उस समय प्रभास क्षेत्र में रहते थे । वहाँ पर उन्होंने याज्ञवल्क्य को यजुर्वेद पढ़ाया । एक बार सुमेह दर्वत पर कृषियों की सभा हुई । पहले से ही यह संकेत किया गया था कि जो भी सभासद सत्र दिन के अन्तर्गत सभा में उपस्थित न होगा उसे ब्रह्महत्या का दोष लगेगा । वैशम्पायन भी उस सभा में बुलाए गए थे । वे अपने पिता का श्राद्ध-कर्म सम्पन्न करके शोधता से बहौं जाने के लिए बाहर निकल ही रहे थे कि उनका पैर बहन के सोए हुए पुत्र पर पड़ गया और वह मर गया । बालक के आकस्मिक निधन के कारण बालहत्या तथा समय पर सभा में न पहुँचने के कारण वैशिक ब्रह्महत्या थे दो पातक वैशम्पायन को लगे ।

ब्राह्मणों के निर्देशानुसार वैशम्पायन ने ब्रह्महत्यानाशक प्रायशिच्छत किया । (ब्रह्मा० प० ३३।३४-३५) घर आकर सब शिष्यों को एकत्र कर वैशम्पायन ने उनसे अपनी ब्रह्महत्या एवं बालहत्या के निवारणार्थं प्रायशिच्छत करने का आदेश दिया । याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा— ‘आप चिन्ता न करें, इन अल्प सामर्थ्य वाले शिष्यों से ये प्रायशिच्छत चरण च्या होंगे, मैं अकेना ही सब कर दूँगा ।’ इस पर वैशम्पायन ने कुछ होकर कहा— ‘इस तरह अपमान करने वाले शिष्य से मेरा कोई प्रयोगन नहीं, मुझसे जो भी अहम्यन किया है, उसे स्वाग दो ।’ यह मुनते ही याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया— ‘मैंने इन शिष्यों का अपमान करने के लिए नहीं अपितु आप में भक्ति-भाव के कारण ऐसा कह दिया फिर भी यदि आपने मेरे कथन का अभिप्राय अन्वया प्रहच्छ किया है तो मुझे भी आपके द्वारा प्राप्त वेद-ज्ञान की भावशयकता नहीं ।’ ऐसा कहकर पहले किसी गये कृत्येवं यजुर्वेद का भी गज-पान पद्धति से त्याग कर वहाँ से निकल पड़े ।

स्कन्द पुराण के अनुसार याकत्य से कलह दोने पर याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना की और उनसे बारों बेदों का अद्ययन किया । उस घटना का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है—

‘याज्ञवल्क्य की उपासना से प्रसन्न होकर सूर्य ने मनुष्य रूप में प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा । तत्काल ही याज्ञवल्क्य ने निवेदन किया— यदि आप मुझे वर देते हैं तो अपना शिष्य बनाइये और वेदपाठ की शिक्षा दीजिए ।’ (स्क० प० १० ना० ख० २७।।१०१) सूर्य ने याज्ञवल्क्य से कहा— ‘मुझे समस्त लोकों को प्रकाशित करने के लिए मेरु को प्रदक्षिणा करनी पड़ती है गैरि तुम्हें वेद कैसे पढ़ा लकता हूँ ? अच्छा, जब तुम चाहते हो हो तो अत्यन्त लघु रूप में मेरे

‘य के मुख्य अश्व के कान में प्रतिष्ठित होकर अध्ययन करो।’ (स्क० पु० ना० ख० २७८।१०२-१०५) वहाँ उन्होंने चतुर्वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। तदुपरात्त गुरु से दक्षिणा मांगने की कहा (स्क० पु० ना० स० २७८।१०५-१०६) आदित्य ने दक्षिणा रूप में अपने मूरक्तों एवं सामों का प्रचार करने के लिए आदेश दिया। (स्क० पु० ना० ख० २७८।१०६-१०९) तदमन्तर पाञ्चवल्क्य पुन चमत्कारपुर आये और शाकत्य से भी गुरुदक्षिणा मांगने को कहा। शाकत्य ने दक्षिणा स्वरूप आदित्य द्वारा प्राप्त वेदरहस्य का उद्घाटन करने के लिए आदेश दिया। याज्ञवल्क्य ने वैसा ही किया और शाकत्य ने उसे शिष्य रूप में सुना। (स्क० पु० ना० ख० २७८।११६-१२०)

‘श्रीमद्भागवत (१२।६।६७-७२) के अनुसार जब वैशम्पायन से गुरु-शिष्य का सम्बन्ध विस्तृद हो गया तब याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना की। सूर्य ने उनकी स्तुति स्वीकार कर अश्व का रूप धारण कर अवातयाम यजुर्ओं की शिक्षा दी। (१२।६।७३) विष्णुपुराण (३।५।१६-२५) में भी सूर्य के प्रति याज्ञवल्क्य-कृत स्तुति मविस्तर वर्णित है। सूर्य ने अश्वरूप में याज्ञवल्क्य को उन यजुर्ओं की शिक्षा दी जो याज्ञवल्क्य के पूर्व शुरु को नहीं ज्ञात थे। (३।५।२८) जिन ब्राह्मणों ने उन यजुर्ओं का अध्ययन किया वे सब ‘बाजिन’ कहलाये क्योंकि सूर्य ने ब्राह्मिरूप में याज्ञवल्क्य को उपदेश दिया था। विष्णुपुराण और वायुपुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य ने ही अश्व का रूप धारण किया था। अतः वह वेद और उनके शिष्य ‘बाजिन’ कहलाये। (वि० पु० ३।५।२८), (वायुपुराण १।६।१)

दो गुरुओं के साथ संबंध हो जाने से मानव गुरुओं के साथ निवाहि न हो सकने की सम्भावना से याज्ञवल्क्य किसी देव गुरु के अन्वेषणार्थ निकल पड़े और उन्होंने आदित्य से वेदाध्ययन किया। इस पर एक शंका होती है कि क्या सूर्य शब्द में आकाश में प्रकाशमान सूर्य अभिप्रेत है अथवा आदित्यावतार कश्यप पुत्र ‘आदित्य’? अन्तःसाक्ष्य के आधार पर ऐसा विदित होता है कि याज्ञवल्क्य बाजसनेय के पहले भी यजुर्वेद की आदित्य और भार्गिरस दो शख्सों प्रबलित थीं। (शत० ब्रा० ४।४।५।१६) अधोलिखित उद्धरण में उक्त विवार का प्रतिपादन हो जाता है-

“आदित्यानीमानि शुबलानि यजूषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते।”
इस उद्धरण के प्रसंग में शतपथब्राह्मण का अनुवाद करके हुए एक स्थान पर प्र०० वेवर के ‘इण्डिश स्तूदियन’ का संकेत करते हुए यूलियस एगलिंग (शत० ब्रा० ४।४।५।१६ पू० ३५३ टि० २) ने लिखा है कि वाजसनेय अश्वर्यु आदित्य यजूषि

के यजुष् पढ़ते थे। इसने यह आधार होता है कि इनके सम्भवतः कोई मात्र गुरु ही थे जिनका नाम आदित्य अथवा भास्कर रहा होगा। बहिः साक्ष्य (स्क० पु० ना० ख० २७८।६१) के आधार पर उद्वालकआरणि याज्ञवल्क्य के सहपाठी थे किन्तु अन्तःसाक्ष्य (शत०बा० १४।६।४।३३) के आधार पर वे याज्ञवल्क्य के गुरु थे तथा आसुरि याज्ञवल्क्य के शिष्य थे। काण्ड और माध्यन्दिन ग्रन्थका की दोनों प्रतियों में उक्त परम्परा समान ही है। उद्वालक आरणि ते अपने शिष्य वाज्ञसनेय याज्ञवल्क्य को मन्त्रकर्त्ता ब्राह्मण के प्रसंग में बताया है कि मन्त्र के प्रभाव से स्थान में भी शाखाएँ आ सकती हैं। (ब० उ० ६।३।१६) वाज्ञसनेय याज्ञवल्क्य के शिष्य मधुपैद्यर्थ थे उनके शिष्य चृडभागविति, चृडभागविति के शिष्य जानकिरायस्थूण तथा इनके शिष्य सत्यकाभजाकाल थे। (ब० उ० ६।३।१६) वृद्धारण्यक उपनिषद् (६।४।३३) में उद्वालक को याज्ञवल्क्य का गुरु बताया गया है। याज्ञवल्क्य ने आरो बेटों का अध्ययन किया था। इसकी पुष्टि स्कन्द महापुराण ना० ख० २७८), आत्मपुराण (७।३८-४०) से हो जाती है। इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि बहिः साक्ष्य के आधार पर याज्ञवल्क्य के तीन गुरु थे, शाक्त्य, वैष्णवायन और आदित्य किन्तु अन्तःसाक्ष्य के आधार पर उनके एक ही गुरु थे उद्वालक आरणि।

बृद्धारण्यक उपनिषद् के अन्तर्गत मन्त्र प्रकरण में जहाँ उद्वालक आरणि द्वारा याज्ञवल्क्य को मन्त्र के प्रभाव से शुष्क स्थानु को हरा कर देने की शिक्षा दी जाती है, वहाँ स्वाभाविक रूप से यह शक्ता उत्पन्न होती है कि स्कन्द पुराण (ना० ख० २७८।६१) में उल्लिखित उद्वालक आरणि यदि वही थे तो वे आनन्देश्वर के यहाँ काष्ठस्तम्भ को याज्ञवल्क्य की तरह यो न हरा-भरा कर सके ?

याज्ञवल्क्य नामधारी अनेक व्यक्ति तथा उनके अनेक प्रन्थ

'याज्ञवल्क्य' शब्द का भी नाम है जिसका निर्देश पहले ही किया जा चुका है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य गोपिय अनेक व्यक्ति याज्ञवल्क्य कहे जा सकते हैं। आर० सी० मजूमदार (V. A. p. 327) तथा एफ० ई० पार्जिटर (A. H. T.) जैसे प्रसिद्ध विद्वानों का भी यही भत है।

महाभारत में अनेक स्थलों पर याज्ञवल्क्य का उल्लेख अनेक प्राचीन पुरुषों के साथ हुआ है जैसा कि अधोलिखित उद्घरणों से स्पष्ट हो जाता है—

'च्छाण्डवदाहू से ब्रह्मकर मध्य नामक विष्यात असुर जब युधिष्ठिर का दिव्य-सम्भा-भवन बना चुका तब प्रवेशोत्सव के समय अनेक ऋषि और राजा इन्द्रप्रस्थ

में आये जिसमें तितिर, नामनामन तथा रोमहृषण प्रमुख हैं। (म०भा० सभापर्व १५) युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय व्यास पुरोहितों को ले आये। उस यज्ञ में द्वैशायन ब्रह्मा, सुसामा उद्गाता, याज्ञवल्क्य अर्चवर्यु तथा ध्रीम्य सहित पैल होता थे। (म० भा० सभापर्व ३६।३३-३५) युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के अन्त में अवधृथ स्नान हो जाने के अनन्तर याज्ञवल्क्य और कपिल इत्यादि की पूजा का वर्णन है। (म० भा० सभापर्व ७२) युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में भी ऋषि याज्ञवल्क्य उपस्थित थे। युधिष्ठिर को राज्य करते हुए जब छत्तीस वर्ष बीत गये (म० भा० महाप्रस्थानिक पर्व १) और उन्होंने वृष्ण्यन्धक कुल का नाश सुन लिया तब उन्होंने परीक्षित को सिंहासन देकर प्रस्थान का निष्चय किया। उनके प्रस्थान के अवसर पर द्वैशायन, लारद, मार्कण्डेय, भारद्वाज तथा याज्ञवल्क्य उपस्थित थे। युधिष्ठिर के बाद साठ वर्ष पर्यन्त परीक्षित का राज्य रहा। परीक्षित के पश्चात् जनमेजय और उनके पुत्र शतानीक ने ८० वर्ष तक राज्य किया। विष्णुपुराण (४।२।३-४) के अनुसार शतानीक ने याज्ञवल्क्य से वेद पढ़ा था। श्री भगवतदत्त वी० ए० (वै० वा० ३० वा० १० वात्यूम् १, पृ० १५८) ने उनके सभाभवन प्रवेश के अवसर से लेकर शतानीक के समय तक उद्भूत याज्ञवल्क्य को एक मानकर उनकी आयु हो सौ उनसालिस वर्ष से भी अधिक मानी है। उक्त कथाएँ पर विचार कर लेना उचित होगा। यद्यपि याज्ञवल्क्य एक योगी थे तथापि इननी दीर्घायु होना शंकास्पद है। वस्तुतः लेखक ने यह जनने का प्रयास ही नहीं किया कि याज्ञवल्क्य भी भारद्वाज, वसिष्ठ, विश्वामित्र की तरह एक गोत्र का नाम है। इननी लम्बी आयु के विषय में यदि शंका हो तो अनुचित नहीं।

यद्यपि अथर्ववेद (१७।१।२७) तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।१।१५।३) में मनुष्य की आयु सहस्र वर्ष बतायी गयी है किन्तु सहस्र का अर्थ अधिक भी होता है। शतपथब्राह्मण (१०।२।६।८) में सौ वर्ष तथा इससे भी अधिक (शत।ब्रा० १।६।३।१९) आयु होने का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण (२।१७) भी सौ वर्ष की ही आयु की पुष्टि करता है। सम्भवतः याज्ञवल्क्य की आयु ही सौ उनसालिस वर्ष तक की न रही होगी क्योंकि वही याज्ञवल्क्य यदि परीक्षित के समय तक जीवित रहे होते तो शतपथब्राह्मण में पाण्डवों के पीढ़ परीक्षित का उल्लेख अवश्य होता। युधिष्ठिर का भी नामोल्लेख शतपथब्राह्मण में नहीं मिलता। युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ अथवा अश्वमेधयज्ञ का कोई भी संकेत नहीं प्राप्त होता। हाँ, पारिक्षित जनमेजय तथा शतानीक का उल्लेख मिलता है किन्तु अनेक परीक्षित, अनेक जनमेजय तथा अनेक शतानीक भी हुए हैं। शतपथब्राह्मण (१३।४।१-२) में अश्वमेध के प्रसंग में जिन जनमेजय का वर्णन हुआ है वह

अभिमन्यु के पौत्र जनमेजय नहीं अपितु परीक्षित तृतीय के पुत्र थे जिन्हे ब्रह्महत्या का दोष लगा था। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके अपने को पापमुक्त घिया था। शतपथब्राह्मण (१३।५।४।१-२) तथा महाभारत (शान्ति पर्व।१४६) उल्लिखित जनमेजय एक ही हैं जिनके यज्ञ का सम्पादन इन्द्रोत देवाधि शौनक ने किया था। सी० वी० वैद्य ने अभिमन्यु के पौत्र को ही जनमेजय कहा है। उनका कहना है कि अन्य जनमेजय जिनका वर्णन मिलता है वे परीक्षित नहीं थे अर्थात् परीक्षित के पुत्र नहीं थे। सी० वी० वैद्य जी की यह धारणा आमक प्रतीत होती है क्योंकि जनमेजय भी परीक्षित का ही पुत्र था। यह ध्यान देने योग्य है कि जनमेजय अभिमन्यु के पौत्र को ब्रह्महत्या नहीं लगी थी किन्तु शतपथब्राह्मण में जिन जनमेजय का उल्लेख हुआ है उन्हें ब्रह्महत्या का दोष लगा था। यह बात अवश्य है कि जनमेजय के भाइयों का जो उल्लेख प्राप्त होता है उससे यह विद्वित होता है कि वे अभिमन्यु के पौत्र जनमेजय के भाई थे या ही सकता है कि वही नाम जनमेजय के भाइयों के भी रहे हों।

शतपथब्राह्मण (१३।५।४।१-२) में जनमेजय के यज्ञ-सम्पादक इन्द्रोत देवाधि शौनक का तथा ऐतरेय ब्राह्मण में इन्द्रोत देवाधि शौनक के स्थान पर तुरः-कावयेय (ऐ० ब्रा० ८।२१) का नामोल्लेख हुआ है। इन दोनों उल्लेखों से भ्रम उत्पन्न होता है किन्तु इस विरोध का परिहार राखालदास बनर्जी (P. H. A. I.) ने बड़े अच्छे ढंग से कर दिया है। उनका मत है कि पारीक्षित जनमेजय ने दो अश्वमेधयज्ञ किए थे। एक यज्ञ के सम्पादक इन्द्रोत देवाधि शौनक तथा दूसरे के तुरःकावयेय थे। महाभारत में जो वर्णन हुआ है वह भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को मुनाया गया। वह किसी भी प्रकार अभिमन्यु के पौत्र के विषय में नहीं हो सकता। शतपथब्राह्मण में अश्वमेध के ही प्रकरण में शतानीक के प्रसंग में जो गाथा गाधी गयी है वह जनमेजय के पुत्र शतानीक के विषय में नहीं अपितु शतुजित् के पुत्र शतानीक के विषय में है।

हमें सम्भवनः तीन याजवल्क्य मानने पड़े गे किन्तु कठिनाई तो यह है कि उनके पिता का, उनके अन्य सम्बन्धियों का वही उल्लेख पुराणों में मिलता है। यदि कई याजवल्क्य मान निये जायं तो प्रश्न उठता है कि व्या भव के साथ वही यटमा घटी थी जो एक के साथ घटी थी? यदि स्कन्दपुराण में वर्णित याजवल्क्य को दूसरा (क्योंकि अस्तपुराण में वर्णित याजवल्क्य का वैश्यपायन से कम ह नहीं हुआ था) तो भी

शाकल्य का गुहत्व सब में अविकल रूप से बतमान है। एक दूसरी महत्त्वपूर्ण शका वहाँ होती है जहा बुद्धारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य को उदालक का शिष्य बताया गया है। स्कन्दपुराण के अनुसार याज्ञवल्क्य और उदालक सहपाठी थे इमनिए वे गुरु और शिष्य कैसे बने? इसके समाधान में यह कहा जा सकता है कि उदालक भी सम्भवः याज्ञवल्क्य की तरह कई रहे होंगे अथवा जिस प्रकार शाकल्य ने सूर्य से वेद-ज्ञान प्राप्त करने वाले याज्ञवल्क्य का शिष्यत्व स्वीकार विद्या वा उसी प्रकार याज्ञवल्क्य ने उदालक आरुणि से ग्रन्थ का प्रभाव मीड़ा था। विष्णुपुराण (४।४।१०६, १०७), वायुपुराण (८३।१६०) में योगीश्वर याज्ञवल्क्य को जैमिनि का शिष्य बताया गया है। याज्ञवल्क्य अनेक मानने पड़ेगे अन्यथा शुक्लयजुर्वेद संहिता, शतपथब्राह्मण, याज्ञवल्क्यसमृति, याज्ञवल्क्यशिक्षा, योगयाज्ञवल्क्यगीता आदि सब ग्रन्थों के रचयिता एक ही याज्ञवल्क्य नहीं प्रनीत हैं।

सम्भवतः तीन याज्ञवल्क्य

अधिक सम्भव यह है कि याज्ञवल्क्य कम से कम तीन तो रहे ही होंगे जिनमें प्रथम याज्ञवल्क्य शुक्लयजुर्वेद के द्रष्टा या संकलयिता, द्वितीय याज्ञवल्क्य शतपथब्राह्मण के रचयिता और तृतीय याज्ञवल्क्य समृति, गीता और शिक्षा आदि ग्रन्थों के प्रणेता थे। यद्यपि महाभारत शान्ति पद्म (३२३।१६-१७) के अनुसार शुक्लयजुर्वेद और शतपथब्राह्मण के रचयिता एक ही याज्ञवल्क्य थे किन्तु ऐसा मान लेने पर कालक्रम में विरोध उत्पन्न हो जाता है क्योंकि संहिताओं के निर्माण के लम्बे यमय के बाद ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रणयन हुआ। उचित भी यही है कि शुक्लयजुर्वेद के द्रष्टा याज्ञवल्क्य को उसके भाष्यकार के रूप में शतपथब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य के साथ सम्बद्ध न किया जाय। हमें परम्परागत शतपथब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य ही अभिप्रेत हैं। यों तो उनके विषय में कुल निश्चित रूप से ही नहीं कहा जा सकता किन्तु उनके मतभेद के स्थलों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि वे स्वतन्त्र विचार के थे। शतपथब्राह्मण के रचयिता याज्ञवल्क्य को शुक्लयजुर्वेद संहिता के द्रष्टा याज्ञवल्क्य से अलग मानने का कारण यह है कि शुक्लयजुर्वेद संहिता में जिन अनेक बातों का उल्लेख नहीं हुआ है, वह शतपथब्राह्मण में विशेष रूप से प्रतिपादित है।

याज्ञवल्क्य के नाम से प्रसिद्ध कृतियों का संक्षिप्त विवरण

याज्ञवल्क्य वाजसनेय के नाम से प्रसिद्ध कृतियों में शुक्लयजुर्वेद संहिता तथा शतपथब्राह्मण हैं। इसकी पुष्टि अन्तःसाक्ष्य (बृ० उ० द३।४।५३) और बहिः-

साद्य (मा० भा० ३२४।६-१७) दोनों से हाती है। नहानारत (ज्ञानि पद
३२३।१६, १७) में इमका उल्लेख हुआ है कि याज्ञवल्क्य ने जनक से स्वयं बताया
कि 'मैंने भूर्य से शुक्लयजुष् प्राप्त किया तथा सम्पूर्ण शतपथ की भी रचना
की और सब शिष्यों ने मुझसे इसका अध्ययन किया। यह बात मेरे मामा
(वैशम्पायन) और उनके शिष्यों को अच्छी नहीं लगी।' मामा वैशम्पायन कृष्ण
या चरक यजुषों के प्रवचनकर्ता थे अतः शुक्लयजुषों का प्रचार उन्हें अच्छा नहीं
लगता था।

ब्रह्मसम्प्रदायी आद्ययजुर्वेद या निगदाल्य यजुर्वेद के समस्त अड्डवृद्धिओं में
वैशम्पायन के शिष्य याज्ञवल्क्य ही सर्वाधिक महत्वशाली सिद्ध हुए। यहा उक्त
यजुर्वेद का संक्षिप्त विवेचक प्रस्तुत करना अपेक्षित है—

भगवान् व्यास ने होता, अध्यवर्यु, उद्गाता तथा ब्रह्मा इन चारों ऋत्विजों
को अपना-अपना कार्य यथोचित तथा मरलता से करने के दृष्टिकोण से तत्त्वकर्म-
प्रधान चार संहिताओं का प्रणयन किया। ब्रह्मसम्प्रदायी यजुर्वेद इन्हीं में से एक
है जो भन्त एवं यज्ञविधानोपयोगी गद्यांशों से निर्मित है। मत्स्यपुराण के अनुसार
त्रितायुग में यही एकमात्र वेद था। इसकी मत्ता के कारण उस युग में तदाधारित
यज्ञ-कर्मों की प्रधानता थी। हुरिश्चन्द्र का पुत्र-लाभ के लिए किया गया यज्ञ तथा
अन्य कई यज्ञ इसके प्रभाण स्वरूप हैं।

अथर्ववेद भी यज्ञ-प्रधान है किन्तु उसमें वर्णित कर्मों का 'यज्ञ' यह नाम
अधिक उपयुक्त नहीं प्रतीत होता क्योंकि वे यज्ञ केवल यजमान द्वारा सम्पादित
हो सकते हैं। वे यज्ञ साधारणतः गृहस्त्रोबत मात्र हैं। 'यज्ञ' शब्द वस्तुतः होता,
अध्यवर्यु उद्गाता और ब्रह्मा आदि ऋत्विजों के साथ एक बड़े कर्म से सम्बद्ध है।
इस प्रकार यज्ञ का विवेचक एकमात्र यही आद्ययजुर्वेद ही था।

भगवान् व्यास ने इस संहिता को रचकर वैशम्पायन को सिखाया।
वैशम्पायन ने पाठभेदादि से इसके सत्ताईम भेद किये। उनका अध्यापन शिष्य-
प्रशिष्यों में होता रहा। वैशम्पायन ने सत्ताईम शाखाओं में से एक शाखा अपने
भाजे तथा शिष्य याज्ञवल्क्य को मिखायी। महाभारत में यह उल्लेख निलंता है
कि युधिष्ठिर के अश्वमेध और राजसूय दोनों यज्ञों में पैल तथा याज्ञवल्क्य ने
ऋत्विज का कार्य सम्पन्न किया था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उस समय
तक याज्ञवल्क्य का गुरु से संवर्ष, वेद-त्याग एवं दूसरे वेद की प्राप्ति आदि घटनाएँ
अघटित ही थीं। ये घटनाएँ सम्भवतः उस समय के बाद ही घटित हुईं।

महाभारत शास्ति पव (३२३।२।१६) के अनुसार आदित्य से वेद प्राप्त करने पश्चात् यज्ञवल्क्य न शुक्लयजुवेद का प्रणापन किया तथा बहुत ही कौशल एवं द्विमता से अष्टव्यु वर्ग के उपकारारथ शतपथब्राह्मण की स्वता की । फलतः ब्रह्म सम्प्रदायी अथवा प्रजापति से प्राप्त ब्राह्मण मिथित यजुर्वेद संहिता की अपेक्षा उक्त वेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थ से अष्टव्युओं को यज-सम्पादन में अधिक सुविधा होने वाली । इसीलिए वे नवीन संहिता और ब्राह्मण अधिक लोकोपकारक सिद्ध हुए तथा ब्रह्मसम्प्रदायी वेद परिष्ठे पड़ गया । इस महस्वपूर्ण कार्य से यज्ञवल्क्य एक महान् पश्चस्वी सिद्ध हुए ।

(क) शुक्लयजुवेद संहिता

यजुर्वेद का संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है । 'यजुष्' शब्द का अर्थ पूजा और यज्ञ भी है । यज्ञ को भी यजुष् कहा जाता है । ऋग्वेद का ऋत्विज होता पुरोनु-वाक्या (आहृति कर्म की अवतरणिका के रूप में पढ़ी जाने वाली ऋचा०) को पढ़कर विशिष्ट देवता का आह्वान करता है और यजुर्वेद का ऋत्विज अष्टव्यु यज्ञ अथवा याग का विशिष्ट सम्पादन करता है । अतः यजुर्वेद में कर्मकाण्ड का प्राधार्य है । विभिन्न यज्ञों में अष्टव्यु के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले जो वावश्यक मंत्र हैं (और जिन विशेष नियमों का यालन अष्टव्यु की करना पड़ता है) उनको सम्पृष्टि का नाम यजुर्वेदसंहिता है । भन्तव द्वारा सम्पन्न अमुक क्रिया के बाद अमुक क्रिया सम्पन्न कर विभिन्न यज्ञानुष्ठान किये जाते हैं, इनका विद्यान शुक्लयजुर्वेद में स्पष्ट रूप से किया गया है । इसके विभिन्न अध्यायों में विविध यज्ञ-क्रियाओं के मन्त्र संगृहीत हैं । यज्ञ में अष्टव्यु इस वेद का उपयोग करता है अतः इसे अष्टव्युवेद भी कहते हैं ।

(क) १-कृष्णयजुर्वेद तथा शुक्लयजुर्वेद

यजुर्वेद के दो सम्प्रदाय हैं—एक ब्रह्म सम्प्रदाय तथा दूसरा आदित्य सम्प्रदाय । शतपथब्राह्मण (१४।६।५।३३) के अनुसार आदित्य यजुष् शुक्ल यजुष् के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा यज्ञवल्क्य द्वारा आज्ञायात हैं । अतः आदित्य सम्प्रदाय का प्रतिनिधि शुक्लयजुर्वेद तथा ब्रह्मसम्प्रदाय का प्रतिनिधि कृष्णयजुर्वेद है । यज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित होने के कारण वाजसनेयिसहिता शुक्लयजुर्वेद के नाम से प्रचलित है । एक सिद्धान्त यह भी है कि 'शुक्लयजुर्वेद नामकरण इसलिए है कि अन्तभाग से ब्रह्मणभाग अलग है ।' इस सिद्धान्त को वेदर (I. L. p. 103, 104) एग्निंग (S. B. E. vol XII,) तथा मैकड़ालन आदि विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है । विश्ववन्धु न तो 'कृष्ण' का काला तथा न तो 'शुक्ल' का श्वेत ही अर्थ

रते हैं (व० सा० प० २३) सायण में एग्निंग तथा वेवर वादि विद्वानों से हमत्र प्रतीत होते हैं।

(क) २-शुक्लयजुर्वेद संहिता के दो संस्करण

शुक्लयजुर्वेदसंहिता के काण्ड तथा मार्ग्यन्दिन दो परस्पर मिलते-जुलते संस्करण आज उपलब्ध हैं।

(क) ३-शुक्लयजुर्वेद संहिता का विषय-विवेचन

शुक्लयजुर्वेदसंहिता में चारोंस अध्याय हैं।

यजुर्वेद के प्रथम पच्चीस अध्यायों में महासत्रों के प्रसंग में पढ़े जाने वाले मन्त्रों का संग्रह है। प्रथम दो अध्यायों में दर्शयाग तथा पूर्णमासयाग का विधान है जिनमें पिण्डपितृभज वरक आहुनिदा देने का वर्णन है। तीसरे अध्याय में अग्नि-होत्र, अग्न्याधान तथा चातुर्मास्य यज्ञों के लिए उपयोगी मन्त्रों का विवरण है। चौथे अध्याय से लेकर आठवें अध्याय तक अर्थात् पाँच अध्यायों में सोमवर्ज तथा सोम से सम्बद्ध पशुयज का वर्णन है। नवे तथा दसवें अध्याय में एकाह (एक दिन तक चलने वाला) यज्ञ में वाजपेय और राजसूय यज्ञों का उल्लेख है। राजसूय में जग्याद्वा का नाट्य, धूक्रोडा, अस्त्र-क्रीडा आदि से सम्बन्धित मन्त्रों का विधान है। इसके अनन्तर यारहवें अध्याय से लेकर अठारहवें अध्याय तक अग्निचयन सम्बन्धी विविध मन्त्रों तथा मंत्रांशों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह अग्निचयन वर्षे भर निरन्तर चलना रहता था। अग्निचयन के प्रत्येक अग का, प्रत्येक रहस्य का वर्णन व्रात्याणग्रन्थों में विस्तार से मिलता है। सोलहवें अध्याय में शतहृदिय होम का प्रसंग है जिसमें रुद्र की कल्पना का अच्छे ढंग से सांगीपांग विवेचन मिलता है। यह 'रुद्राध्याय' बहुत ही प्रसिद्ध है। अठारहवें अध्याय में 'वसोधारा' सम्बन्धी मन्त्र निर्दिष्ट हैं। उत्तीर्ण से इक्कीस तक तीन अध्यायों में सौंकामणी यज्ञ का वर्णन है। इस यज्ञ के दो भेद हैं—एक में सुरा का प्रचार होता है तथा दूसरे में शोभ का। आईस से लेकर पच्चीस तक चार अध्यायों में प्राचीन चक्रवर्तियों के श्रिय यज्ञ अश्वमेघ का वर्णन है। छब्दीस से लेकर उत्तीर्णवे अध्याय तक का भाग गिरले आध्यायों की परिपूतिमात्र है। तीसवें अध्याय में पुरुषमेघ यज्ञ में आहुतिरूप विविध पशुओं की गणना है। इक्कीसवें अध्याय में पुरुषमूकत है जिसमें ऋग्वेद की ओपेका अन्त में छः मन्त्र अधिक उपलब्ध होते हैं। बत्तीसवें से लेकर चौतीसवें तक तीन अध्यायों में सर्वयोध्यज के मत्त्व उल्लिखित हैं। बत्तीसवें अध्याय के आरम्भ में हिरण्यगर्भ मूकत के कुछ मन्त्र संगृहीत हैं। अध्याय चौतीस के प्रथम छः मन्त्रों का संग्रह

शिवसकल्पानिषद् न म से प्रसिद्ध हैं। पैतीसवें अध्याय में अन्त्येष्टि कम से सम्बन्धित मन्त्र है। छत्तीसवें से लेकर उभतालिसवें अध्याय तक प्रवर्भयाग से सम्बन्धित कुछ मन्त्र हैं। चालीसवाँ अध्याय 'ईशोपनिषद्' या 'ईशावास्योपनिषद्' नाम से विख्यात है।

(क) ४-शुक्लयजुर्वेद की शाखाएँ

आदित्यसम्प्रदायगत शुक्लयजुर्वेद की पन्द्रह शाखाओं में केवल दो शाखाएँ ही आज उपलब्ध हैं। वे हैं—काण्ड और माध्यनिदन। माध्यनिदन के अन्तर्गत बारह तथा काण्ड के अन्तर्गत तीन का उल्लेख मिलता है।

योगीश्वर याजवल्क्य



१	२
माध्यनिदन समाम्नाय	काण्ड समाम्नाय
१—जावालाः	१—कण्वाः
२—बौद्धेयाः	२—पौष्ट्रवत्साः
३—माध्यनिदनाः	३—वैत्येयाः
४—शारेयाः	
५—तायायनीयाः	
६—कषोलाः	
७—आवटिकाः	
८—परमावटिकाः	
९—पाराशराः	
१०—गालवाः	
११—कात्यायनाः	
१२—वैज्ञापाः	

(ख) शतपथब्राह्मण

(ख) १—ब्राह्मण शब्द का निर्वचन

ब्रह्म एवं वेद का एक ही अर्थ है। यज्ञ की क्रिया, वस्तु और तत्त्व आदि का निरूपण करने वाला प्रवचन ही ब्राह्मण है। शतपथब्राह्मण (७।१।१।५) में एक स्थान पर मन्त्र को ब्रह्म बताया गया है। उदाहरण—स्वरूप पवित्र (दोकुशा) करण के प्रसंग में 'पवित्रे स्थो वैष्णव्यो' (शु० य० स० १/१२) इस मन्त्र को लेकर 'यज्ञो वै विष्णुर्यज्ञिये स्थः' इत्येवेतदाह' (शत० ब्रा० १।१।३।१) यह उस

मन्त्र का प्रवचन या ब्राह्मण ह मृदुभास्कर न तात्परय साहृता (१५१) के

भाष्य में निखि है कि

‘ब्राह्मण नाम वाचस्पतिं भास्त्रं च व्याघ्रवानप्रस्त्रं’

वाचस्पति मिथि के अनुसार—

‘नैरुक्तयं यस्य मन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम् ।
प्रनिष्ठातं विधिश्चैव ब्राह्मण तदिहोच्यते ॥’

जैमिनि आचार्य ने पूर्वभीमांगामूल (२।१।७।२२-३३) में ‘तच्चोदकेषु मन्त्राभ्या शेषे ब्राह्मणशब्दः’ इस नरह ब्राह्मण पद का निर्वचन किया है। विश्ववधु के अनुसार मन्त्र और यज्ञ-कर्म दोनों के व्याख्यान करने के कारण बृहण अर्थात् विस्तारयुक्त गद्ययुक्त प्रवचनों को ‘ब्राह्मण कहते हैं।

(ख) २—अभीष्ट ब्राह्मण शब्द ग्रन्थवाची है

‘ब्राह्मण’ शब्द से ब्राह्मण ग्रन्थ के अवयव तथा उन अवयवों के समुदाय का भी बोध होता है जिस प्रकार ‘वेद’ शब्द से ग्रन्थ का बोध होता है उसी प्रकार यह ब्राह्मण शब्द भी उन ब्राह्मणों का प्रतिपादक होने के कारण ग्रन्थवाची है। ग्रन्थवाचक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुसक लिंग में तथा जातिवाचक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग पुर्णिलग में होता है। जैसा कि मेदिनीकोश में निर्दिष्ट है। ‘ब्राह्मण ब्रह्मसघाते वेदभागे नपुसकम्’ इसका अर्थ यह है कि जिस वेदभाग में मन्त्रों को स्पष्ट किया जाता है अथवा उनकी व्याख्या की जाती है उस वेदभाग के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग नपुसक लिंग में होता है। ऐतरेय ब्राह्मण (६।२२,८।२) के ‘दुरोहणम् रोहति तस्योक्तं ब्राह्मणम्।’ ‘यद्गौरवीत तस्योक्तं ब्राह्मणम्’ तथा शतपथब्राह्मण (४।६।१२।२०) के ‘यद्वाकोवाक्यं ब्राह्मणं तदेवैतत्नाप्नुवन्ति’ इस कथन से ब्राह्मण शब्द नपुसक लिंग में प्रयुक्त किया गया दीख पड़ता है।

इसका प्रयोग पुर्णिलग में भी देखा जाता है। विष्णुधर्मोत्तर (३।७) में—

‘मन्त्राः स्मराद्याणाः प्रोक्तास्तदर्थं ब्राह्मण स्मृतम् ।
कल्पना च तथा कल्पाः कल्पश्च ब्राह्मणस्तथा ॥’

दोनों लिंगों में प्रयोग दिखायी पड़ता है। महाभारत उद्योगपर्व (अध्याय १६) में इसका प्रयोग पुर्णिलग में देखा जा सकता है—

‘य इमं ब्राह्मणाः प्रोक्ताः मन्त्राः वै प्रोक्षणे गवाम् ।
एते प्रमाण भवत उत्ताहो नेति वासव ॥’

यद्यपि इस प्रकार से ब्राह्मण शब्द का दोनों लिंगों में प्रयोग मिलता है किन्तु इसका प्रयोग प्रायः नपुंसक लिंग में देखा जाता है। इसका कारण यह है कि 'ब्राह्मण' पुर्लिङ शब्द के द्वारा कहे जाने पर 'ब्राह्मण' शब्द जातिवाची है अथवा ग्रन्थवाची इस विषय में सन्देह होता है। सन्देह हीने पर प्रकरण के विविधत अर्थ को जाना जा सकता है। अर्थ के शीघ्र स्पष्ट हो जाने के उद्देश्य में जातिवाचक 'ब्राह्मण' शब्द को पुर्लिङ में तथा ग्रन्थवाची ब्रह्मणशब्द को नपुंसक लिंग में कहा जाने लगा। इस प्रकार की व्यवस्था से ऐसी झड़ि हो गयी।

(३) ३—शतपथब्राह्मण के नाम की धर्मार्थता

इस ब्राह्मण ग्रन्थ की 'शतपथ' संज्ञा इसलिए है कि इसमें सौ अध्याय मा सौ व्याख्यान हैं। शतपथ की व्युत्पत्ति इस प्रकार है—

'शतं पन्थानो भागी नामाध्याया यस्य तच्छतपथंम्'

यद्यपि काण्ड शतपथब्राह्मण में एक सौ चार अध्याय हैं तथापि 'छविन्-न्याय' में उसे भी 'शतपथ' कहते हैं। इस 'शतपथ' के 'पचदश पथ,' 'षष्ठिरथ' तथा 'अशीतिपथ' आदि अवान्तर विभेद भी हैं। प्रथम और द्वितीय काण्ड में पन्द्रह अध्याय हैं जिनमें हविर्यज्ञ का प्रतिपादन है अतः इस प्रकरण की 'पंचदश' संज्ञा उचित है। प्रथम काण्ड हविर्यज्ञ काण्ड से लेकर संविति नाम के नवे काण्ड तक साठ अध्याय, तृतीय काण्ड से लेकर नवे तक आध्वरिक दूसरे नाम वाले सौमिक-याजिक सभी का निरूपण किया गया है। इस प्रकरण ग्रन्थ की 'षष्ठिपथ' संज्ञा भी उचित है। प्रथम काण्ड से लेकर बारहवें काण्ड के छः अध्याय तक अस्मी अध्याय हैं। 'अग्निरहस्य' नाम वाले दहवें काण्ड से लेकर 'मध्यम' संज्ञा वाले बारहवें काण्ड के छठे अध्याय तक उत्तरक्रतु का वर्णन निरूपित किया गया है। अतः इस प्रकरण की 'अशीतिपथ' यह संज्ञा भी उचित ही है। शेष अध्यायों में सौत्रामणी और अश्वमेघ आदि यागों का निरूपण किया गया है। इसे ब्रह्मविद्या भी कहते हैं। इस प्रकार अवशिष्ट भाग को लेकर प्रारम्भ से अन्त तक गणना करने पर समस्त ग्रन्थ की 'शतपथ' संज्ञा सर्वथा उचित है। शतपथब्राह्मण वैदिक वाङ्मय में ऋग्वेद के बाद द्वितीय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका उल्लेख मैत्रिकामल ने बड़े ही सुरदर ढंग से किया है।

(४) ४—शतपथ ब्राह्मण के माध्यन्दिन और काष्ठ दो प्रमुख संस्करण

माध्यन्दिन शतपथ में प्रथम काण्ड से नवे काण्ड तक पिण्ड पितृयज्ञ को छोड़कर प्रायः माध्यन्दिनसंहिता के अनुसार ही विपर्यों का प्रतिपादन हुआ है। माध्यन्दिनसंहिता में पिण्ड पितृयज्ञ का विवेचन दर्शपूर्णमासयज्ञों के विवेचन के

बाद हुआ है किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ में तो आधान के बाद ही। इसमें से चौदहवें काण्ड तक संहिता के क्रम से ही विषयक्रम भी है। काण्ड और माध्यन्दिनसंहिता के प्रारम्भ में दर्शपूर्णमासियज्ञों का प्रतिपादन हुआ है। माध्यन्दिन शतपथ का प्रारम्भ दर्शपूर्णमास से होता है किन्तु काण्ड शतपथ का प्रारम्भ आधान से होता है। माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण और काण्डशतपथब्रह्मण में प्रथम और द्वितीय काण्डों में ही भेद है। माध्यन्दिन में प्रथमकाण्ड काण्ड में द्वितीय काण्ड है तथा काण्ड का प्रथम काण्ड माध्यन्दिन का द्वितीय काण्ड है। अन्यत्र तो कहीं-कहीं ही विषय-क्रम भिन्न है। माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण में चौदह काण्ड हैं जब कि काण्डशतपथ ब्राह्मण में सदह काण्ड।

(छ) ५—माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण

माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण में चौदह काण्ड, सीं भृत्याय, चार सीं अड्डतीस ब्राह्मण तथा सात हजार छ. सीं बौद्धीम कण्ठिकाएँ हैं। प्रथम काण्ड में पूर्णमास और दर्श इष्टियों का प्रतिपादन किया गया है। द्वितीय काण्ड में आधान, पुनराधान, अग्निहोत्र, उपस्थान, प्रचत्स्यदुपस्थान, आगतोपस्थान, पिण्डपितृयज्ञ, आपयण, दाक्षायण तथा चातुर्मास्य आदि यज्ञों का विवेचन भीमांसापूर्वक किया गया है। तृतीय काण्ड में दीक्षाभिषेकपर्यन्त सोमयाग का वर्णन है। चतुर्थकाण्ड में सोमयाग के तीनों (प्रातः, माध्यन्दिन तथा सायं) मनों के अन्तर्गत किये जाने वाले कर्मों का, घोड़शी आदि सोमसंस्का, द्वादशशाह्याग, विरावहीन दक्षिणा तथा सत्वधर्म का प्रतिपादन हुआ। पचावें काण्ड में वाजपेययाग तथा राजसूययाग का वर्णन किया गया है। छठे काण्ड में उषासम्भरण, विष्णुक्रम का तथा सातवें काण्ड में चयनयाग, शार्हपत्यचयन, अग्निक्षेपसंस्कार, दर्भस्तम्बादि के द्वारा करने तक के कार्यों का विवेचन हुआ है। आठवें काण्ड में प्राणभृत् आदि इष्टिकाओं के स्थापन का विवेचन है। नवें काण्ड में शत्रुहन्दियहोम, घिर्ण्यचयन, पुनर्जिति; तथा चित्पुरस्थान का वर्णन है। दसवें काण्ड में चितियम्पत्ति, चयनयागस्तुति, चित्यपक्षपुच्छिविचार, चित्याग्निवेदिका परिमाण, उसकी सम्पत्ति, चयनकाल, चित्याग्नि के छन्दों का अवयवरूप, यजुषमती और लोकमृणा आदि इष्टिकाओं की संस्था उपनियद्ग्रहण से अग्नि की उपासना, सन भी सृष्टि, लोकादि रूप से अग्नि की उपासना, अग्नि का सर्वतोमुख्यत्व, सम्प्रदायप्रवर्तक शृणिवंश आदि का प्रतिपादन हुआ है। ग्यारहवें काण्ड आधानकाल, दर्शपूर्णमास तथा दाक्षायणयज्ञों की अवधि, दाक्षायणयज्ञ, पथिकृदिलिट, अस्युदितेलिट दर्शपूर्णमासीय पदार्थों का अर्थवाद, अग्निहोत्रीय अर्थवाद, बहुमत्तारी के कर्तव्य, मित्रविन्देश्टि, हविःसमृद्धि, चातुर्मास्यार्थवाद, पञ्चमहायज्ञ, स्वाध्यायप्रशंसा, प्रायगिवत्, अशु और अदाभ्यग्रह, अध्यात्मविद्या, पशुबंधप्रशंसा, हविर्यज एवं सब विधियों का

लक्षण तथा घड़ोन्होम का वर्णन है। बारहवें काण्ड में सत्र में दीक्षाक्रम, सत्र, सद्वाचत, गत्तामयन, अग्निहोत्र प्रायशिचत्त मौतामणीयाग, मृतकाभिन्होत्र, मृतकदाह आदि निरूपित हैं। तेरहवें काण्ड में अश्वमेध, तदगत-प्रायशिचत्त, पुरुष-सेध, सर्वमेध, विनृमेध का विवरण है। चौदहवें काण्ड में प्रवर्ग्यकर्म, धर्म महारीर, प्रवर्ग्योत्साहन, प्रवर्ग्यकर्तृक नियम, ब्रह्मविद्या, संथ, वंश आदि का प्रतिपादन हुआ है।

(ख) ६—काण्ड शतपथब्राह्मण का विषय

काण्ड शतपथब्राह्मण में सत्रह काण्ड, एक सौ चार अध्याय, चार सौ पैंचाम ब्राह्मण तथा ४३: हजार आठ सौ ४३: कण्ठिकाएँ हैं। पहले काण्ड में आधान-पुनराधान, अग्निहोत्र, आग्रहण, पिण्डपितृयज्ञ, दाक्षायण्यज्ञ, उपस्थान तथा चातुर्मस्तियाग का विवेचन है। दूसरे काण्ड में पूर्णमास तथा दर्शयागों का प्रतिपादन किया गया है जिसका विवेचन माध्यन्दिन शतपथब्राह्मण के प्रथमकाण्ड में हुआ है। तीसरे काण्ड में अग्निहोत्रीय अर्थवाद तथा दर्शपूर्णमासीय अर्थवाद विवेचित हैं। चतुर्थकाण्ड में सोमयागदीक्षा का वर्णन है। पंचमकाण्ड में सोमयाग, सवनव्रयगतकर्म, योडशीप्रभूतसोमसंस्था, द्वादशाह्याग, त्रिरात्रहीनदक्षिणा, चतुर्स्त्रिंशद्वेष, मत्वधर्म का विवरण किया गया है। छठे काण्ड में वाजपेयग्राग का, सातवें काण्ड में राजमूर्याग, आठवें में उखासम्भरण का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। नवें काण्ड से लेकर बारहवें काण्ड तक चथनयाग प्रतिपादित है। तेरहवें काण्ड में आधानकाल, पथिकृत इष्टि प्रश्नाजात्युजाजमन्त्रण, शंखुवाक्, पञ्ची-सयाज, ब्रह्मचर्य, दर्शपूर्णमासशेष तथा पशुबन्ध का प्रतिपादन हुआ है। चौदहवें काण्ड में दीक्षाक्रम, पृष्ठ्याभिष्पलवादि, सौत्रामणीयाग, अग्निहोत्र-प्रायशिचत्त, मृतकाभिन्होत्र आदि का वर्णन हुआ है। पन्द्रहवें काण्ड में अश्वमेध का, सोन्हवें काण्ड में सांपोर्पण पवर्यकर्म का एवं सत्रहवें काण्ड में ब्रह्मविद्या का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

(छ) याज्ञवल्क्य के नाम से प्रसिद्ध अन्य ग्रन्थ

शुक्लधर्मदस्तिहिता और शतपथब्राह्मण के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य के नाम से तीन अन्य ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं—

(क) याज्ञवल्क्यस्मृति

(ख) याज्ञवल्क्यशिक्षा

(ग) योगियाज्ञवल्क्य या योगियाज्ञवल्क्य यीता ऋथवा योगयाज्ञवल्क्यम्,

(क) याज्ञवल्क्य समृद्धि—इसमें तीन अध्याय हैं। प्रथम अध्याय आचार-ध्याय, द्वितीय अवहारा ध्याय एवं तृतीय प्रायशिच्छाध्याय के नाम से प्रसिद्ध हैं।

(ख) याज्ञवल्क्य शिला—इस प्रकार में अध्ययन-विधि, हस्तचालन-विधि, स्वरसहितान्विधि, वर्णप्रकरण आदि का प्रतिपादन किया गया है।

(ग) योगियाज्ञवल्क्य—प्रस्तुत गीता में द्वादश अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में परिचयात्मक प्राचीक प्रवृत्ति, दिवीय में नियम, तृतीय में आचर, चतुर्थ में नाड़ी, क्रन्ड, वायु और उनके कार्य, पञ्चम में नाड़ी की शुद्धि, पठ में प्राणायाम और उनके प्रकार, सप्तम में प्रत्याहार और उनके प्रकार, अष्टम में धारणा और उनके प्रकार, नवम में ध्यान और उनके प्रकार, दशम में चमाधि, एकादश में धोग, अन्य मुदियों का प्रस्ताव, इस योग द्वारा संक्षेप करते के लिए याज्ञवल्क्य से मार्गी भी प्रारंभ तथा द्वादश अध्याय में गुलशिला और उपसहारतमक वाक्यों का प्रतिपादन किया गया है।

(द) याज्ञवल्क्य का समय

(क) बहिःसाध्य

याज्ञवल्क्य के भवय का निधारण उनकी क्रमियों के समय-निपत्तीरण से भरनापूर्वक किया जा सकता है। ए० ए० मैकडालन अपनी पुस्तक (H. S. L.) में ब्राह्मणकाल को ईसापूर्व ८०० ई० से ८० पू० ५०० तक माना है। ए० ५०० ई० पूर्व नित्यनंद के किसी भी अंग को ईसापूर्व ५०० के बाद का नहीं स्वीकार करते जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है कि—

“We shall probably have to date the beginning of this development about 2100 or 2500 B. C. and the end of it between 750 and 500 B. C.”

इन मर्तों के अधार पर यह कहा जा सकता है कि शतपथब्राह्मण का रचनाकाल ईसापूर्व मानवी शताब्दी के पश्चात् नहीं हो सकता।

ग्रन० ई० पाजिटर ने (A. I. H. T. p. 332) याज्ञवल्क्य का समय जैमिनीय द्राघ्यण के अनुभार ईसापूर्व आठवीं शताब्दी का पूर्वांड माना है। इसके पश्चात् वे विवरते हैं कि वैदिक गुरुओं की मृत्यु के याज्ञवल्क्य का समय कम से कम सौ वर्ष और पहले जाता है अर्थात् उनका समय ईसापूर्व नवीं शताब्दी का पूर्वांड माना जा सकता है। इनके बत से शतपथब्राह्मण का रचनाकाल नवीं शताब्दी के पश्चात् का नहीं हो सकता। प्र० सरस्वती प्रसाद चतुर्वेदी के एक

सेख (Paninis vocabulary its bearing on the date) से यह विधिवत बिदित हो जाता है कि पाणिनि का भाषा ब्राह्मण थो वी भाषा थी शतपथ ब्राह्मण का रचनाकाल पाणिनिकाल से बाब का नहीं हो सकता, चतुर्वेदी जी के लेख से यह भी प्रकट है कि पाणिनि का समय ६०० ईसापूर्व माना जा सकता है जैसा कि अधोलिखित उद्धरण से स्पष्ट है—

'If Panini's language belongs, as indicated above, to the Pre Mahabharata period, we will have shift back the date of Panini to a period earlier than the 9th century B. c., as accepted by C. V. Vaidya.'

इस प्रकार भी याज्ञवल्क्य का समय ईसापूर्व' दसवीं, ग्यारहवीं शताब्दी निश्चित होता है। सी० बी० गैट्स ने अपने एक निबन्ध में यह स्पष्ट कर दिया है कि दधिरी ने शतपथब्राह्मण का रचनाकाल 'ईसापूर्व' चौबीसवीं शताब्दी स्वीकार किया है तथा उन्होंने ही अपनी पुस्तक (H. S. L. Sect. II. p. 15) में शतपथब्राह्मण का रचनाकाल 'ईसापूर्व' ३००० से ईसापूर्व २५०० माना है। उनका यह भी मत है कि शतपथब्राह्मण की रचना महाभारत युद्ध होने के बाद हुई। वे महाभारत युद्ध को ३१०२ वर्ष 'ईसापूर्व' स्वीकार करते हैं। अतः वही समय याज्ञवल्क्य का भी माना जा सकता है। एम० विष्टरनित्ज ने भी महाभारत युद्ध की इसी तिथि का निर्देश किया है। (H. I. L. Vol. I. p. 473-74)

(ख) अन्तःसाक्ष्य

याज्ञवल्क्य वाज्ञतनेय के साथ कई ऋषि तथा राजा सम्बद्ध हैं। उनके विषय में कुछ निर्देश कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। याज्ञवल्क्य के साथ प्राय जनक भी उल्लिखित रहते हैं। अस्तु सर्वप्रथम जनक के विषय में विवेचन प्रस्तुत करना उचित है। राय चौधरी ने अपने इतिहास की (P. H. I.) में यह मिछ किया है कि यह जनक सीता के पिता थे किन्तु उनकी यह धारणा आपक-सी प्रतीत होती है क्योंकि उस प्रकार स्वीकार करने पर परम्परा का निर्वहि नहीं हो पाता। मजूमदार ने राय चौधरी के मत का खण्डन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। सुशील गुप्त ने (A. I.) इन्हीं जनक को सीता का पिता कहा है। प्रो० पी० टी० श्रीनिवास आयंगर (A. H. I.) के मसानुसार शतपथब्राह्मण में उद्भूत जनक महाजनक थे जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रन्थों में हुआ है। मजूमदार, पुश्लकर आदि विद्वानों ने जनक को उग्रसेन बताया है किन्तु गंशावली में यह नाम नहीं आता। (V A., p. 327) महाभारत में (शा० पूर्व ३०८) करातजनक तथा देवराति जनक (म० भा० शा० प०।३१५) का उल्लेख मिलता है। महाभारत के 'भो भो'

राजन् जनकाना वरिष्ठ' (३।१३।३।१६) तथा वायुपुराण (८।९।२२) के 'चांशो-जनकानाम्' कथनों से यह निष्ठार्थ निकाला जा सकता है कि भित्रिला का कोई भी राजा जनक नाम से अभिहित किया जाता रहा हीगा। शतपथब्राह्मण में एक स्थल पर जनक का याजवल्य, श्वेतकेतु आदि ब्राह्मणों के साथ उल्लेख मिलता है अतः श्वेतकेतु आष्टेय, सीमशुष्पम सात्प्रथमि, तथा याजवल्य जनक के सम-कालिक प्रतीत होते हैं। शतपथब्राह्मण में दी गयी एक गुरु-शिष्य परम्परा से भी इसी मत की पुष्टि होती है। उक्त गुरु-शिष्य परम्परा में क्रमशः उद्वालक, चाजसनेय याजवल्य, मधुरुपैड़्र, चूडभागवित्ति, जानकिरायस्थूण, सत्यकाम जाबाल आते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद् (२।१) में एक राजा अजातशत्रु का उल्लेख हुआ है। यह अजातशत्रु काशी का राजा अजात शत्रु था, बोद्ध सरहित्य में वर्णित मगध का राजा अजातशत्रु नहीं।

शतपथब्राह्मण में चरकों, चरकाचार्यों एवं चरकाच्छव्यों का नाम कई बार उद्धृत हुआ है त्रितके मतों का खण्डन कर याजवल्य ने अपने मतों को प्रतिष्ठापित किया है। चरकाचार्यों का उद्धृत होता इसका सकेन करता है कि शतपथब्राह्मण की रचना महाभारत युद्ध के पश्चात् ही हुई होगी वयोंकि वैशम्पायन से याजवल्य का भनमुटाव महाभारत युद्ध के बाद ही हुआ। शतपथब्राह्मण (२।१।२।२) के एक उद्धरण 'कृतिकास्वादवीति। एता ह वे प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते। सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिशस्यवन्ने।' के आधार पर शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने (भारतीय ज्योतिष पृ० १८०-१८१) ज्योतिष की सहायता से शतपथब्राह्मण के प्राचीन अंशों का रचनाकाल शकपूर्व ३००० वर्ष निश्चित किया है।

महाभारत युद्ध का समय ईसापूर्व ३१०२ वर्ष सम्भवतः निश्चित ही है। उसके पश्चात् शतपथब्राह्मण की रचना हुई। अतः याजवल्य का समय ३००० वर्ष ईसापूर्व से २५०० वर्ष ईसापूर्व मानने को कोई अपर्याप्ति नहीं होनी चाहिए।

(९) याजवल्य के जीवन का अन्तिम भाग

याजवल्य ने बृहदारण्य में प्रवर्जया ले ली।

द्वितीय अध्याय

वैदिक यज्ञों का सामान्य परिचय

(पात्र, द्रव्य तथा यज्ञसम्पादक पुरुषों के साथ)

(१) यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति और उसका अर्थ

यज्ञ शब्द 'यज्' धारु तथा नड़ प्रत्यय से निष्ठात्म है। यज् धारु का प्रयोग पूजा या आराधना तथा हवन करने के अर्थ में होता है। जिस विधान में देवताओं को हविष् दी जाती है अथवा जिसमें देवताओं की पूजा होती है उसे यज्ञ शब्द से अभिहित किया जाता है। अगरेजी में यज्ञ को Sacrifice कहते हैं। ई० ओ० जेम्स (E. O. James) ने बताया है कि Sacrifice शब्द को लैटिन भाषा में Sacrifice-um कहते हैं जो कि लैटिन Sacer जिसका अर्थ अंगेड़ी में holy (नथा संस्कृत में पवित्र होता है) तथा Lætīn facere जिसे अंगेड़ी में to make (संस्कृत में अनुष्ठान) कहते हैं, से मिलकर बना है। यह Sacrificium शब्द उस विधान का शोध करता है जो कि किसी वस्तु के व्युत हो जाने पर अथवा उसके नष्ट हो जाने पर किया जाता है और जिसका उद्देश्य देवी शक्ति के साधन तथा उसको प्राप्त करने वाले अर्थात् माधक के बीच सम्बन्ध स्थापित करना है।

'शतपथब्र' द्वारा में यज्ञ शब्द की व्युत्पत्ति बहन ही अच्छे ढंग से दी दीई है जिसका अर्थ यह होता है कि उत्पन्न होने के कारण सोम की यज्ञ कहते हैं।

‘अथ थस्माद्यज्ञो नाम । थूनस्ति वा एनमेतदभिषुष्वन्ति तद्यदेन तन्वते लदेन जनथन्ति स तायमानो जायते स यज्ञायते तस्माद्यज्ञो यज्ञो ह वै नामैनद्यद्यन्त इति ।’

द्रव्य, देवता और त्याग इत तीनों से यज्ञ शब्द का अर्थ पूरा होता है। अर्थात् किसी द्रव्य को जब किसी देवता के उद्देश्य से त्याग किया जाता है तो उसे त्याग कहते हैं।

(२) यज्ञ शब्द के पर्याय तथा उनके अनुष्ठान अर्थ

शब्दवर, नम्ब, क्रतु, इष्टि, सबन, याग, आदि अनेक शब्द यज्ञ के पर्याय हैं।

(अ) जहाँ वर्ष भर यज्ञ कर्म चलता है, वहाँ पर राष्ट्रवर शब्द का प्रयोग होता है, जैसे चातुर्मिस्य इष्टि शब्दवर, सौम्य-शब्दवर, तथा चदन याग अष्टवर।

(ब) जहाँ ग्रहों का प्रचार होता है वहाँ मख शब्द का प्रयोग होता है जैसे ग्रह याग।

(c) यज्ञों के अंगभूत छोटे अधिवा वडे कर्मों को क्रतु कहते हैं। शतपथब्राह्मण के अनुसार जो मन से कामना की जाती है, कि 'ऐसा ही याग, अमुक वस्तु येरी हो जाय, यह कार्य करना चाहिए' वह क्रतु है।

(घ) यज्ञ का छोटा रूप इष्टि है। यज्ञ में सोलह पुरोहितों की आवश्यकता पड़ती है किन्तु इष्टि यज्ञान, यज्ञान पत्नी तथा चार कृतिवज्जों (होता, अध्वर्यु उद्गाता, अहो) से ही सम्पन्न हो जाती है। यदि और भी छोटी इष्टि हुई तो एक कृतिवज्ज् तथा यज्ञान और यज्ञान पत्नी से ही सम्पन्न हो सकती है। किन्तु किन्हीं इष्टियों में कृतिवज्जों की आवश्यकता पड़ती ही नहीं, यज्ञान अपनी पत्नी के साथ इष्टि को सम्पन्न कर लेता है।

(इ) ग्रहयाग में सोमरस की आहूति दी जाती है, उसे सोमयज्ञ या सबन कहते हैं।

(ब) किसी देवता के लिए दृश्य का त्याग ही याग है।

(३) याग और होम में अन्तर

'यजति' शब्द का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ उसका अर्थ याग होता है। 'जुहोनि' शब्द से होम का वोश होता है।

पुरोड्युवाक्या और पात्र्या से सुझत, छड़े होकर जो होम होता है वह यज्ञ के अन्तर्गत वाला है। होम या हवन में बैठकर हविष् प्रक्षेपण होता है। याग में 'दोषह' कह कर अग्नि में हविष् डालना चाहिए तथा होम में 'स्वाहा' के बाद।


(४) यज्ञ-दृश्य की परिभाषा

दृश्य, विष्ण, विष्ण आदि पूज्य परोक्ष देवताओं की आहूतियों के रूप में तथा ग्रह्या, अध्वर्यु आदि सभी प्रत्यक्ष देवताओं की दक्षिणा के रूप में या पूजा के लिए

जिस सामग्री का उपयोग होता है अथवा धन्नाटि कर्म के समय जिस वस्तु का अग्नि में प्रक्षेपण किया जाता हो, इस प्रकार उद्भिज्जों, अंडजों, जरायुजों, दैव तथा धातुओं से प्राप्त वस्तुओं को द्रव्य कह सकते हैं।

(१) यज्ञ द्रव्यों का विभाजन

यज्ञ द्रव्यों का विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है :-



(क) आहुति द्रव्य

शतपथ ब्राह्मण में आहुति को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है सोमाहुति जिसका प्रयोग सोम यज्ञ में होता है तथा दूसरी है आज्याहुति जो हविर्यज्ञ तथा पशुयज्ञ में प्रयुक्त होती है। एक के साथ सोमद्रव्य है तथा दूसरों के साथ आज्यद्रव्य है।

(ख) होमद्रव्य

१—उद्भिज्जों से प्राप्त—यथा गू, तैल, चावल, ओदन, सोमरत, माष (उड्ड) उद्भिज्जों से प्राप्त होने वाले द्रव्य हैं।

२—जरायुजों से प्राप्त दूध तथि धा मास वरयुजों से प्राप्त हाले चाले दृश्य हैं यही हाम के दस मुख्य द्रव्य वताय एय हैं जिनका अग्निहोत्र से प्रदान किया जाता है किन्तु इन द्रव्यों में दूध, चावल तथा यवागू इन्हीं तीन मुख्य द्रव्यों का अधिक प्रयोग होता है।

(ग) यागद्रव्य

मुविधा के लिए यागद्रव्यों को पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:-

१—उद्दिभजों से प्राप्त यागद्रव्य २—अगडजों से प्राप्त यागद्रव्य, ३—जरायुजों से प्राप्त याग द्रव्य, ४—देव प्राप्त याग द्रव्य, ५—धातुओं से प्राप्त यागद्रव्य।

१—उद्दिभजों से प्राप्त यागद्रव्य

इस प्रकार के द्रव्य के अन्तर्गत पुरोडाश, चह, अपूर, यवागू, पृथुका, धाना, लाजा या परिवाप, सकतच, करम्भ, करम्ब, सोम, सभिध, वहि, करीर, छर्जूर, कृष्णला, किशुक आदि प्रमुख हैं।

१—पुरोडाश

देवता विशेष या सामान्य के लिये (ब्रौहि) और वच के पिष्ट का पिण्ड बनाकर मदन्ती जल से सान कर कूर्म के आकार की बनायी गयी याजिक रोटिका को पुरोडाश कहते हैं। शतपथब्राह्मण में इसकी शोचक व्युत्पत्ति दी गयी है।

‘सः (कूमर्हपेणाच्छः पुरोडाशः) वा एस्यः (मनुप्येभ्यः) तत्पुरोडाशयत् । य एस्यो यज्ञं प्रारोचयत्समात्पुरोडाशः पुरोडाशो ह वै नाभीतचत्पुरोडाश इति ।’

ऐतरेयब्राह्मण में भी इसी प्रकार की व्युत्पत्ति की गयी है।

‘पुरो वा एतान्देवा अक्षत यत्पुरोडाशस्तपुरोडाशात् पुरोडाशस्तम् ।’

पुरोडाश की कुलना पशु से दी जाती है। पहले पुरोडाश के स्थान पर पशु का आलम्भन किया जाता था। इसके प्रमाण के लिए शतपथब्राह्मण में पुरोडाश के विषय में एक आल्प्यान मिलता है।

पहले देवों ने पुरुष-पशु का आलम्भन किया, उस आलम्भ पशु का मेष भाग और अश्व में प्रविष्ट हो गया, उन्होंने अश्व का आलम्भन किया। उस आलम्भ पशु का मेष भाग कर गो में प्रवेश कर गया, उन्होंने गो का आलम्भन किया, उस आलम्भ पशु का मेष भाग कर अवि (मेष) में प्रविष्ट हो गया, उन्होंने अवि का

भी आलम्भन किया, उस आलंध पशु का मेघ भागकर अज (बकरे) में प्रवेश कर गया, अज का आलम्भन करने पर उसका भी मेघ भागकर इस पृथी में प्रविष्ट हो गया। उसको उन्होंने खोद कर प्राप्त किया जो कि ब्रह्मि (चावल) तथा यथ (जौ) के रूप में गाज प्राप्त होता है। पशु पाँच वस्तुओं से निभित होता है और यह पुरोडाश भी पाँच वस्तुओं से बनता है, इसकी तुलना पशुओं से की जाती है। ब्रह्मि और यथ के प्रिष्ट पशु के बोम हैं, प्रिष्ट को सानों के लिए जल का डालना पशु का चर्म है। सानों पर पशु का दर्तन नहीं है, मास भी इसी प्रकार सबरा हुआ होता है। पुरोडाश की अथष्ण (पात्र) किया सम्बन्ध होने पर पशु की अस्थियों का निर्भाण होता है। पकाये जाने पर पुरोडाश में काठिन्य आ जाता है और पशु की अस्थियाँ भी कठिन होती हैं। पुरोडाश का अभिभारण करना (घी से चूपड़ना) पशु की भजा है। इसीलिए कहा गया है कि 'पाइक्सः पशु'।

ये पुरोडाश एक कथाल से लेकर द्वादश कपालों पर पकाये जाते हैं। वैश्वदेवयाग में द्वात्रापृथ्वी के लिए एककपाल पर पकाया गया पुरोडाश दिया जाता है। रत्नयाग में अछिन्नों के लिए दो कपालों पर पकाया गया पुरोडाश दिया जाता है। त्रिष्युक्तादि याग में विष्णु के लिए त्रिकपाल पुरोडाश का विधान है। सोम के लिए चतुष्कपाल पुरोडाश दिया जाता है। मिनृवज्र में पितरों के लिए या सोम के लिए छः कपालों पर पकाया गया पुरोडाश दिया जाता है। रत्नयाग में भक्त देवताओं के लिए सप्तकपाल पुरोडाश देने का विधान है। दर्शपूर्णमास याग में अग्निदेवता के लिए अष्टाकपालपुरोडाश दिया जाता है। मित्रविन्दा इष्टि में त्रष्णा और वरुण के लिए दशकपालपुरोडाश प्रदान किया जाता है। पूर्णमास-याग में अग्नीषोभीय एकादशकपालपुरोडाश का विधान है। रत्नयाग तथा मित्रविन्दा इष्टि में इन्द्र को एकादशकपालपुरोडाश दिया जाता है। दर्शयाग में इन्द्र तथा अग्नि देवता के लिए द्वादशकपालपुरोडाश तथा दीक्षिण्या और मित्रविन्दा इष्टियों में सविता के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश देने का विधान है।

पुरोडाश का परिमाण

कुछ आचार्यों के मतानुसार पुरोडाश का आकार घोड़े के टाप के बराबर होना चाहिए जबकि शतपथब्राह्मण में याजवल्क्य ने इसके आकार के विषय में किसी विशेष आकार के निर्धारण वा विरोध करते हुए अस्ता भत प्रस्तुत किया है कि 'जितना मन से बड़ा न मालूम रहे उतना बड़ा आकार पुरोडाश का होना चाहिए।'

विशेष ध्यान देने की वात यह है कि अन्य इष्टियों में विभिन्न देवताओं को

फिर नान बाले प्रशंसा शब्द से आज हुए हों चाहिए पर व्याख्यकेष्ट में इन द्वारा के निए निये जाने वाले पुराणाशब्दी में राज हुए नहीं हान चाहिए।

२—चरण

गाहुगत्य आयतन के अंगारों पर प्रवाये गये चावलों को चरण कहते हैं। यदि उन चावलों को दूध में पकाया जाना है तो उसे प्रसिद्ध कहते हैं। यह श्यामाक, नीवार, गवेशु ना अथवा औं से भी बनाया जाता है। शतपथ ब्राह्मण में इसे देवताओं का अम लहा गया है तथा आंदन(भात) को ही चरण कहा गया है। प्राशित-हरण के प्रसंग में अदलनक पूषा को पिण्डपण्डुल का चरण दिया जाता है। वैश्वदेव याम में सोम के लिए चरण का विधान है। दीक्षणीया इष्टि में सोम वनस्पति के लिए श्यामाक के बने चरण का विधान है। बृहस्पतिवरह के लिए नीवार का बना चरण दिया जाता है और इन्द्र ज्येष्ठ के लिए हायनों के चरण का, इद पशुपति के लिए गावेशुक चरण का, मित्र सत्य के लिए लास्व के चरण का, वरुण धर्मपति के लिए शतपथ चरण का विधान किया गया है। रत्नशारण में अदित्य को चरण दिया जाता है। मित्रविन्दा इष्टि में सोम, मित्र, बृहस्पति, पूषा, और सरस्वत् के लिए चरण का विधान किया गया है। आप्रयण इष्टि में विश्वदेवों के लिए कुछ आचार्य प्राचीनान्न से बने चरण को देते हैं। याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करके नवान्न में बने चरण को ही देते का विधान करते हैं।

३—भूपूर्ण

भी से मिथित मीठी रोटी को ही अपूर्प कहते हैं। यह चावल या औं की बनी होती है। पुनरावान के ममय अपूर्प यह नाथा ब्रीहि से भी बनाया जाता है।

४—यवागू

पिण्ड द्रव्य को यवागू कहते हैं। कुछ अचार्यों के मनानुसार अत्यन्त द्रव्य का से पकाये गये चावल ही यवागू है। अर्तस्वामी के मत से दूध ही यवागू है। कर्कितायं के मत से और को ही यवागू कहते हैं।

मुण्डास्तिता में यवागू की परिभाषा इस प्रकार दी गयी है :

'मिक्तैर्विश्वितो प्राणः वेया विक्षेपस्मन्तिता ।
विनेषीवहुनिकथास्याद्याकागूविरलद्रव्या ॥'

उसी धंश में यह भी निर्दिष्ट है कि यवागू कुछ चावलों से युक्त होती है।

तंत्रितीय सहिता में जलिल (वन्य तिल) नवा शब्दीयुक्त (धान्य विशेष) के प्रयोग
से होम करने का विधान है।

५—पृथुका

चिपिटाश को ही पृथुका कहते हैं। बोलचाल की भाषा में 'च्वूडा' तथा
मराठी भाषा में इसे 'फोहा' कहते हैं।

६—धाना:

इन्हें नक्षत्रों का रूप बताया गया है। भूने हुए जौ को ही धाना: कहते
कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे 'बहुरी' कहा जा सकता है। भूनी निकासने
के बाद जब जौ को भूना जाता है तो उन भूने हुए जौ को धाना: कहते हैं।
चातुमस्त्य में साकर्मेश के प्रशंसा में पितर-सोमवन्त, पितर ब्रह्मिषद् के लिए अन्य
द्रव्यों के साथ 'धाना:' भी दिये जाते हैं। अन्वाहर्यपवन में दक्षिणामिन में पितर-
ब्रह्मिषद् के लिए धाना: को आश्रा पीसते हैं और आधा बिना पीस कर ही पकाते
हैं। हरी (दो धोड़ों) तथा अधिकनीकुपार के लिए इनको दिया जाता था।

७—लाजा:

इन्हें परिवाप भी कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में 'लाई' कह
सकते हैं। भूने हुए चावलों को ही लाजा: कहते हैं। भारती देवता के लिए इनका
विधान किया गया है।

८—सत्तूः (सत्तू)

भूने हुए जौ के पिण्ड अथवा चावल के पिण्ड को सत्तू कहते हैं। शतरुद्रिय-
होम में गवेशुका के सत्तू का होम किया जाता है। सौतामणी याग में चावल के
सत्तू तथा जौ के सत्तू का आहवनीयामिन में हवन करने का विधान है।

९—करम्ब

सत्तू में जब दही मिलाया जाता है तब उसे करम्ब कहते हैं। अदत्तक होने
के कारण पूषा के लिए इसका विधान किया गया है।

१०—करम्ब

आण्यमिश्रित सत्तू को करम्ब कहा जाता है।

११—मंथ

जिस गाय का बछड़ा मर गया हो, दूसरे बछड़े के द्वारा दूध दूह कर उस
दूध में सत्तू डाल कर जिस द्रव्य का सपादन होता है वह मंथ है।

व हृषणश्च यो मे साम विषयक अनेऽप्राप्त्यान मिलते हैं, उदाहरण के लिए शास्त्री ने येन (वाजपेयी) का रूप ध्यारण कर द्युलोक से सोम का आहरण किया। सोम लता विशेष है जिसकी उपलब्धि पर्वतो पर होती थी। शतपथ-द्राघिमण (३।४।३।१३) में यह उल्लेख मिलता है कि पर्वत और चट्ठानों पर एक बनस्पति डगती है जिसे अशाना (उशाना या कहीं-कहीं दुधाना) कहते हैं, उसे अनुत्तिवज्ज्ञ ले धाते हैं और निचोड़ते हैं। इससे सोमहृषि तैयार की जाती थी जिसका प्रयोग सोम योग में होता था। इसका महसूल इसमें विदित होता है कि झगड़े का समस्त नवम मण्डल तथा अन्य मण्डलों के छः छः सूक्त इसकी प्रशस्ति में समर्पित हैं। बाट ने अफगान के अगूर को ही वास्तविक सोम भाना है और राइस के विचार से यन्त्र का तात्पर्य ही सकता है जब कि मैक्समूलर और राजेन्द्र लाल मिश्र ने यह मत व्यक्त किया है कि इसकारत एक प्रकार की 'यव-सुरा' के 'एक तत्त्व' के रूप में प्रयुक्त होता था अर्थात् सोम पौधा होप (*Humulus lupulus*) का ही एक प्रकार होता था। हिलेब्राण्ड का विचार है कि होप अथवा अगूर में से कोई भी सोम नहीं। उनका यह भी कहना है कि उसकी अब पहचान ही नहीं की जा सकती। यून सोम-पौधा निश्चिन रूप से अवेस्ता के 'हओम' के समान था। उस पौधे के लिए, जिसमें केरमान और यंजद के पारसी 'हृष-रस निकालते थे और जिसे वह अवेस्ता के 'हओम' के साथ समीकृत करते हैं। सोम निचोड़न के पहले वर्णनों जाना था। इसे पत्वर्णों पर या उलूखल में रखकर कूटा जाना था। अधिक रस प्राप्त करने के लिए पौधे को कभी-कभी जल में भिगो दिया जाता था। परिणाम करने के लिए चलनी पर रखकर दबाया जाता था। इसके पश्चात् इन्हें और बायु देवता के लिए अभिधित शुक्र युचि सोम प्रयुक्त होता था। सोम को दूध के साम भिशित करने के कारण 'यवाशिर', तथा दधि के साथ 'इष्याशिर' और अम्र के साथ भिशित करने के कारण 'यवाशिर' कहते थे। इन भिशिरों को विभिन्न वास्तविक नामों से अवक्त किया गया है, जैसे अत्क, वस्त वथवा वास्तु, अभिधी, छन, श्री, रस, प्रयस् और नमस्। इन तरह मिश्रित होने पर सोम के तीव्र शास्त्राणि को 'तीव्र' विशेषण द्वारा व्यक्त किया गया है, जैसे अत्क, वस्त वथवा वास्तु, अभिधी, छन, श्री, रस, प्रयस् और नमस्। कुछ दशाओं में सम्भवा तीव्र के माध्य मधु भी भिश्रित किया जाता था। मिश्रण के लिए 'कोशमधुवृक्तु' वा प्रयोग किया गया है।

अदेव्यना के दो दार की अपेक्षा यहाँ भीम को एक दिन में तीन बार निचोड़ा जाना था। मठशाकारि के विचोड़ने के कृतम को अम् तेवे साध, मध्याह्न के कृत को इन्द्र के साध और प्रातः कालिक कृत्य को अप्ति त्रिमिति संस्कार द्वारा विचोड़ किया गया है किन्तु वस्त्राणि द्वारा ऐसा प्रकट होता है कि 'इनमें अत्क' वेष्टों का भी भाव



होता था। वाजकीय पेय के विपरीत सौम कभी प्रचलित पेय था, ऐसा नहीं प्रतीत होता। सौम को उत्तम हवि तथा देवों की हवि कहा भया है। इसके प्रयोग महायज्ञ में होता था।

१३—मदिरा (सुरा)

यह एक प्रकार का भादक पेय है जो अन्न को सड़ा कर उसके पिण्ठ से तैयार किया जाता था। सौत्रामणी इष्टि में सुरा का भी प्रयोग होता था।

१४—फलीकरण (भूसी)

धान से चावल को निकालने के लिए उलूखन में धान को रखकर मुसल से काढ़ते हैं। उस कष्ठनक्रिया से जो भूसी निकलती है उस फलीकरण कहते हैं। शूर्प से जब भूसी को चावल से अलग करते हैं, इस क्रिया को भी फलीकरण कहते हैं। यहाँ पहले कहा हुआ अर्थ ही अभीष्ट है। फलीकरणद्रव्य यज्ञ में राक्षसों को श्रदान किया जाता था।

१५—समिध

अग्नि को प्रज्ज्वलित करने के लिए बाहु के नाप की पलाश वृक्ष अथवा किसी भी यज्ञीय वृक्ष की लड़कियों को समिध कहा जाता है। शतपथब्राह्मण में पंचमहायज्ञ के प्रकरण में बताया गया है कि कुछ भी न रहने पर अग्नि में समिध आनकर 'देवयज्ञ' सम्पन्न किया जा सकता है।

१६—बहिर (कुश)

इनका प्रयोग वेदी को ढकने के लिए होता था। यज्ञ में भाग पाने वाले देवता आकर इन पर बैठते थे। दर्शपूर्ण मास के अन्त में वहि होम भी होता था।

१७—करीर

इनका उपयोग कारीरी (काम्येष्टि) में मिलता है। इन्हें सौम्य बताया गया है।

१८—घर्जूर

इनका भी प्रयोग कारीरी इष्टि में मिलता है।

१९—कृष्णला

इन्हें गुंजा या घुंघची कहते हैं। इनका प्रयोग अतियज्ञ में होता था। मृत्यु से भयभीत व्यक्ति के लिए शतकृष्णला इष्टि का विद्वान् है।

(२) अण्डबों से प्राप्त यागद्रव्य

१—मधु

मधु औषधियों तथा बनस्पतियों का परम रस है। सोमरस की मादा में वृद्धि के लिए मधु का मिश्रण तैयार किया जाता था। इसके मिश्रण को 'कोशभधुपचुल' कहा गया है।

(३) अरामुजों से प्राप्त यागद्रव्य

जीवित पशुओं से तथा पशुओं को मारकर जो वस्तुएँ प्राप्त की जाती हैं, जिनका उपयोग देवताओं के लिए किया जाता था वे यागद्रव्य के अन्तर्गत आती हैं।

पशुओं की जीवित अवस्था से प्राप्त होने वाले द्रव्यों में दूध, दधि, साक्षात्य, आज्ञा, पूर्णदात्य, तातूतपत्राज्ञ, आमिका वा पश्यता नथा वाजिन हैं।

१—पय (दूध)

दूध दूध का प्राप्त है। 'पीड़् पान' धारु मे 'पीयते इनि पयः' से पय का अर्थ दूध अभीष्ट है। प्रायः इसका उपयोग अग्निहोत्र में होता है। शुतार्भीरीय वर्वं में वायुदेवता के लिए नथा सूर्य देवता के लिए इसका विधान है। नवतांषासा (रात्रि और उषा देवता) के लिए श्वेत ब्रह्मे वाली काली गाय के दूध की आहुति दी जानी चाहिए। मृतक के लिए उस गाय के दूध की आहुति दी जानी चाहिए। यिसका बछड़ा नहीं है और दूसरा बछड़ा ने आवर उससे दूध प्राप्त विया जाता है। अग्निहोत्र के प्रसरण में आचार्यी में इस विषय में मतभेद है कि दूध को किननी देव तक पकाया जाय ? कुछ आचार्य बुद्ध-बुद्धे उठने के समय तक पकाने के लिए अपना मत प्रस्तुत करते हैं। याज्ञवल्क्य उस मत का निषेध करते हैं। इसका मत है कि केवल शोढ़ी देव अग्नि पर रखकर दूध का हवन करना चाहिए। दूध को देव तक नहीं पकाया जाहिए क्योंकि वह अग्नि का बींय है।

२—दधि (वही)

इसको व्युपत्ति ग्रन्थपत्राहृण में इस प्रकार दी गयी है :

'यद्यत्र वीद्विनोति भेति तस्माद्दधि'

इन्द्र के लिए बहला अनडुही (गाय) के दधि को प्रदान करने का विधान किया गया है। उरस्तती देवता के लिए भी इसका विधान है।

३-सान्नाय्य

द्वार म दही मिलाने से सान्नाय्य तैयार की जाती है। इसकी व्युत्पत्ति पठ्ठविंश ब्राह्मण में इस प्रकार दी गयी है-

'तमोषधिभ्यश्च वनस्पतिभ्यश्च गोभ्यश्च पशुभ्यश्च आदित्याच्च ब्रह्म च ब्राह्मणः सन्त्यन्ते तत्साक्षाय् प्रस्य सान्नाय्यत्वम् ।'

जिस यजमान ने सोमयाग कर लिया है, वह दर्शेष्ठि में इन्द्र के लिए सान्नाय्य (दूध और दधि का मिश्रण) दे। सान्नाय्य 'महेन्द्र को दी जाय या इन्द्र को?' इस विषय में मतभेद है।

तीतिरीयकों का मत है कि सान्नाय्य देते समय 'महेन्द्राय सान्नाय्यत्वम्' कहता चाहिए क्योंकि वृत्त को मारने के पूर्व तो इन्द्र थे, किन्तु वृत्त को मारन के पश्चात् इन्द्र महेन्द्र हो गये। आज भी एक राजा जब वह कोई विजय कर लेता है तब 'महाराज' कहा जाता है। इस मत के विरोध में याज्ञवल्य कहते हैं कि सान्नाय्य 'इन्द्र' कह कर ही देता चाहिए 'महेन्द्र' कहकर नहीं क्योंकि वृत्तहनन के पूर्व भी इन्द्र थे और वृत्तहनन के पश्चात् भी इन्द्र ही हैं।'

४-आज्य (घी)

वदिक भाषा में पिथले हुए घी को आज्य कहते हैं। सामान्यतः घी को ही आज्य शब्द से अभिहित किया जाता है। यागिक कर्मों के लिए आज्य गाय का ही होना चाहिए। यह देवताओं की सुरभि है। आज्य के स्थान में घी, तेल, दूध, दधि में से किसी का उपयोग किया जाय तो उसे भी आज्य शब्द से अभिहित किया जाता है। दो आज्य भाग अग्नि और सोम के लिए पौर्णमासशायग में प्रदान किये जाते हैं। याज्ञवल्य के कथनानुसार दोनों आज्यभाग यज्ञ की दो अँखें हैं।

५-पृष्ठदाय्य

संस्कार किये गये आज्य में जब दधि मिला दिया जाता है, उस दधिमिश्रित आज्य को पृष्ठदाज्य कहते हैं। शतपथब्राह्मण में एक स्थल पर दूध को ही पृष्ठदाज्य कहा गया है तथा पृष्ठदाज्य को प्राण बतलाया गया है। वस्तुतः पृष्ठदाज्य कोई द्रव्यान्तर नहीं है किन्तु आज्य में दधिविन्दु रूपी गुण का विधान किया जाता है। दोनों गुणों के कारण दधि की प्रणासा ही है। पशुयाग में भी 'स्वाहा देवा आज्यपात्' (श० थ० २१।४०) यही मन्त्र पढ़ा जाता है 'स्वाहा देवा आज्य पृष्ठदाज्यपात्' यह नहीं।

अथ पूर्णांज्य गहणाति (श० ब्रा० ३ च ४७) इस प्रकार एक बचन के अवण हाने स भा यही अथ अभाष्ट प्रतात हाता है।

६-तानूनप्त्रांज्य

यह भी संस्कारित आज्य विशेष ही है। ध्रुवा के आज्य से पांच बार तानूनप्त्र मन्त्रों से अष्टवर्षु आज्य को घ्रहण करता है। देखकर, सूधकर, उस भाल का जल से स्पर्श कराकर यज्ञशाला के उत्तर भाग में रखता है। वह आज्य तानूनप्त्र कहा जाता है।

७,८-आमिक्षा या पयस्या तथा वाजिन

आमिक्षा तथा दधि के लिए यज्ञ के पहले दिन सार्यकाल गाय को दुहकर उससे दही बनाते हैं। प्रान्तकाल दुहे गये दूध को गर्म करके उसमें दही मिलाया जाता है। इस तरह उस गर्म दूध में जो घनीभूत भाग होता है उसे आमिक्षा या पयस्या तथा जो जल रूप (तरल) भाग होता है उसे वाजिन कहते हैं। शतपथ-ब्राह्मण में पयस्या को योषा तथा वाजिन को रेतस् बताया गया है। पयस्या को मिल तथा वरण देवता के लिए देने का विधान है। चारुमस्तिथाग के अंतर्गत वैश्वदेव पर्व में विश्वेदेवों के लिये, वरणप्रधास पर्व में वरण और महत् देवता के लिए इसे देने का विधान है।

पशुओं का आलम्भन करके प्राप्त हविर्देव्यों में वण, मांस, वसा और रुधिर है।

विभिन्न देवताओं के लिए विभिन्न पशुओं का आलम्भन किया जाता था। विशेष देवता के लिए विशेष प्रकार का पशु, साथ ही साथ उनका वर्ण आदि भी देखा जाता था। उदाहरण स्वरूप इन्द्र के लिए बैल और मैसे का तथा रुद्रवान् अग्नि के लिए काली गर्दन वाले बकरे (अज) का विधान है। भस्त्रों के लिए चितकबरी गाय आ कोई चितकबरा पशु दिया जाता था। अश्विनों के लिए लाल बकरा दिया जाता था। मिल और वरण के लिए बाँझ गाय का आलम्भन होता था। प्रजापति के लिए कालापशु, तथा सरस्वत् देवता के लिए मैथ (भेड़) का विधान किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में सरस्वत् देवता के लिए गलस्तन से युक्त अवि के आलम्भन का संकेत मिलता है। इसी प्रकार अश्वमेधयाग के प्रसंग में अनेक पशुओं के नाम भिन्नये भये हैं। यह शंका हो सकती है कि पशुओं के आलम्भन में उनके वर्ण का क्या प्रयोजन हो सकता है? विभिन्न प्रयोजन के लिये पशुओं के विभिन्न वर्णों का भी औचित्य है जैसे

एस्त्रय के लिए इच्छुक व्यक्ति को दायु देवता के लिए श्वेत पशु (छाग) का आलम्भन करना चाहिए ।

जो यजमान अधिक पशु प्राप्त करना चाहता हो, उसे चितकबरे स्त्री-पशु का आलम्भन करना चाहिए । वृष्टि चाहने वाला यजमान प्रजापति के लिए काला पशु दे । वह पशु अनेक वर्णों का हो, साथ ही साथ सींगरहित भी हो ।

पशुओं की मृत अवस्था से प्राप्त धारणाव्य

१—दया

सम्पूर्ण उद्दर में व्याप्त शुक्लवर्ण, पोलिका के आकार की एक बिल्ली विशेष को वया कहते हैं । वया होम का पाण्डुक हविर्होमों में महत्वपूर्ण स्थान है । कुछ विद्वान् वया को भेद का ही पर्याय मानते हैं किन्तु पह धारणा भ्रामक प्रतीत होती है । भेद वया से भिन्न बस्तु है । शतपथब्राह्मण के एक उद्धरण से यह बात निश्चिय हो जायगी ।

‘अथ वपावद्वाहानीपोमाद्यां छागस्य वपाये भेदमोऽनुप्रूढिः’

अन्य ब्राह्मण गन्थों से भी इसी प्रकार के प्रमाण मिलते हैं ।

२—मास

पिशित, तरस, पलल, आमिष ये शब्द मांस के पर्याय हैं । पशुयाग में वया होम के अनन्तर देवताओं को मांस की आहुति दी जाती थी । शेष बचे हुए मांस का ऋत्विज भक्षण करते थे, इसका भी सकेत मिथुता है ।

३—वसा

पशु से प्राप्त होने वाले रस को वसा कहते हैं । भेद का स्निग्धभाग ‘वसा’ नाम से अभिहित किया जाता है । अमर सिंह ने वसा को वया और भेद का पर्याय घोषा है जो उचित प्रतीत नहीं होता । साधारणतया इस इसे चर्वी कह सकते हैं । बाजसनेयिसहिता के आध्य से महीधर ने युद्धमाल के स्नेह को ‘वसा’ कहा है । वह भी वया की तरह अहत्पूर्ण बस्तु है, जिसकी आहुति देवताओं को दी जाती थी ।

४—रघिर

लोहित या रघिर का अर्थ रक्त है । पशु के रघिर का उपयोग पशुयाग के अन्तर्गत स्विष्टहृदयाग के समय होता था । इसमें राक्षसों का भी भाग लगाया

ज ता रा एवं यह प्र जहा करोकरण राक्षसों को दिया जाता था पशुपति मे
— ह रवन दिया जाता था ।

(४) देवप्राप्तमाम इच्छा

जल

जल ओपधियों का रस है । मने हुए द्रव्यों में जल का प्रयोग होता है ।
शतपथब्राह्मण में अस्तित्वोक्त के प्रकरण में याजवल्क्य ने जनक को यह बताया है
कि यदि ओपधियों से प्राप्त हविर्विद्युत न रहे तो बनस्पतियों एवं अरण्य सम्बन्धी
वदायों के अभाव में जल का ही हवन करना चाहिए । ऐसमहायज्ञों में पितृथरा का
भहूवपूर्ण स्थान है जो जल से विश्वित् सम्पन्न किया जा सकता है ।

(५) धातुओं से प्राप्त यज्ञद्रव्य

हिरण्यसकल

स्तरण के टुकड़ों का द्रव्य रूप में प्रयोग यज्ञों में मिलता है । इसे आमतें
जहा गया है । हिरण्य शब्द की व्युत्पत्ति शतपथब्राह्मण में इस प्रकार दी गयी है—

‘हिरण्यम् तद्यजस्य प्रजापते: एतम्यां रम्याया तन्वां देवा अरमन्त तस्माद्दि-
र्मन्त हिरण्यं हृ वै तद्विरण्यमित्याचक्षते परोक्षम् ।

—शतपथब्राह्मण ७।४।१।१६

याग से सम्बन्धित वर्पर्युक्त द्रव्यों का हवन खड़े होकर किया जाता है ।

(६) अर्हणीय इच्छा

जिन द्रव्यों से पूज्यों का आदर-संस्कार किया जाता है, वे द्रव्य अर्हणीयद्रव्य
कहे जाते हैं । इनमें विष्टर (आसन), अच्यु, आचमनीय, मधुपर्क आदि हैं ।

(१) विष्टर—इससिन को ही विष्टर कहते हैं ।

(२) अच्यु—जल ही अच्यु है ।

(३) आचमनीय—आचमन के लिए जो जल दिया जाता है उसे आचमनीय
कहते हैं ।

(४) मधुपर्क—मधु से मुक्त दधि, दूध अथवा अन्न को मधुपर्क कहते हैं । मनू
के तीन प्रकार हैं और विकल्प से इन्हें भी ‘मधुपर्क’ कहते हैं । दधि-
मिश्रित सत्तू को ‘दधिमन्त्य’, मधुमिश्रित सत्तू को ‘मधुमन्त्र’, तथा
जलमिश्रित सत्तू को ‘उदमन्त्र’ कहते हैं ।

(३) दक्षिणा द्रव्य

शतपथब्राह्मण में दक्षिणा शब्द की व्युत्पत्ति अधोलिखित है :—

“तं (यज्ञं) देवा दक्षिणाभिरदक्षयस्तद्यदेनं (यज्ञं) दक्षिणाभिरदक्षयस्तस्माद्दक्षिणा नाम ।”

कौशीहकिब्राह्मण में भी इसी प्रकार की व्युत्पत्ति मिलती है ।

‘तद्यदक्षिणाभियंज दक्षयति तस्माद्दक्षिणा नाम’ ।

देवता दो प्रकार के होते हैं । एक देव तथा दूसरे मनुष्यदेव । यज्ञ सम्पादक ब्राह्मण ही मनुष्य देव हैं ।

देवों की दक्षिणा आहुतियों को देकर पूरी कर दी जाती है । मनुष्यदेवों को रूपयों, गायों, बैलों, अश्वों, रथों और वस्त्रों के रूप में दक्षिणा दी जाती है ।

बड़े यज्ञों में जिनमें सोलह ऋत्विजों के द्वारा यज्ञ सम्पादित होता है, उन ऋत्विजों को चार श्रेणी में रखा जा सकता है —

१—होता, अद्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा ।

२—प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, ब्राह्मणाच्छंसी ।

३—अच्छावाक्, सेष्टा, प्रतिहर्ता, अग्नीत् ।

४—ग्रावस्तोता, उन्नेता, मुब्रह्मण्य, पोता ।

उपर्युक्त चतुर्वर्गों में प्रथम वर्ग के ऋत्विजों को पूर्ण दक्षिणा दी जाती है । द्वितीय वर्ग के ऋत्विज प्रथम दक्षिणा की अपेक्षा अर्ध दक्षिणा प्राप्त करते हैं । तृतीय वर्ग के ऋत्विज प्रथम दक्षिणा का तृतीयाश तथा चतुर्थ वर्ग के ऋत्विज प्रथम दक्षिणा का चतुर्थांश प्राप्त करते हैं ।

(५) यज्ञ में प्रयुक्त पात्रों एवं उपकरणों का सामान्य परिचय

(क) हविर्यज्ञों में प्रयुक्त वात्र एवं उपकरण

हविर्यज्ञों में पत्थर, धानु, मृत्तिका, लकड़ी, मास, नरकुल, घास, चर्म के बने जिन पात्रों का उपयोग होता है उन्हें कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

१ मन्थतपात्र

२ स्त्रुक्पात्र

४ स्यानी पात्र

५ उपयोजनपात्र (मयुक्त पात्र)

६ मन्थनपात्र

अग्निमन्थनपात्र के अवयवों में अधरारणि, उत्तरारणि, देवयोनि, प्रमन्थ चात्र, उपमन्थ या ओविनी है।

अधरारणि-अग्निमन्थन के लिए नीचे रखी जाने वाली लकड़ी को अधरारणि कहते हैं। यह शमी वृक्ष के ऊपर उगे हुए पीपल की लकड़ी से बनी होती है। बीबीस अंगुल लम्बी, छः अंगुल चौड़ी, चार अंगुल मोटी (या ऊँची) होती है। इसके बीच में अपन मंथी जाती है, इसके मध्य भाग को 'देवयोनि' कहते हैं।

उत्तरारणि—(ऊपर रखी जाने वाली लकड़ी)—यह भी अधरारणि के नाप की होती है। उत्तरारणि में छोटे-छोटे टुकड़े लगे होते हैं। एक उत्तरारणि में कई प्रमन्थ होते हैं। प्रमन्थ चात्र में लगा होता है। चात्र अथवा मन्थ खदिरकाष्ठ का बना होता है जो द्वादश अंगुल लम्बा होता है। प्रमन्थ का अन्तिम भाग देवयोनि में रखा जाता है। ऊपर का भाग उपमन्थ जो कि उत्तरारणि में लगा होता है, अधरारणि के ऊपर बिलकुल समानान्तर होता है। उपमन्थ को ही 'ओविली' भी कहते हैं। यह खदिरकाष्ठ का बना होता है तथा द्वादश अंगुल लम्बा होता है। अग्निमन्थन के समय एक व्यक्ति उपमन्थ को हाथ से पकड़ता है, दूसरा मन्थ वो चुमाता है। जिसमें प्रमन्थ लगा होता है, उसको वह एक रस्मी की सहायता में चुमाता है जो (रस्मी) गाय की पुष्ट के बालों की या मन की बनी होती है। छिद्रों में से एक में मन्थ का ऊपरी भाग डाल दिया जाता है और दोनों किनारे दोनों हाथों से पकड़े जाते हैं।

(२) सूक् पात्र

सूक् पात्रों में (जिन्हें चम्भच कहा जा सकता है) सूब, ध्रुवा, जुहू, उपमन्थ तथा अग्निहोत्रहृष्णि है।

१—सूब—यह खदिरकाष्ठ का कभी-कभी उदुम्बर (शूलर) की लकड़ी का भी बनता है। लम्बाई एक अरत्ति अथवा एक बाहु के बराबर होती है। इसका मुख अंगुष्ठपर्वे के बृत्त के बराबर होता है। आज्य (धी) का स्वरूप करने के कारण इसकी सूब संज्ञा है।

२—शुद्धा—यह विकांकतकाष्ठनिर्मित होती है तथा जुहू के समान होती है। होमादि के लिए सूब के द्वारा अहण किये जाने वाले आज्ञ का आधार होती है। यज्ञ की समाप्ति तक बेदी पर एक स्थान पर स्थिर रहने के कारण इसे धुदा कहते हैं। पाणि के बराबर इसका मुख होता है तथा बाहु के बराबर एक ढंड लगा रहता है।

३—जुहू—यह पलाशकाष्ठ की बनी होती है। इसके द्वारा हवन किया जाता है इसलिए इसे 'हृथेऽन्या' इस व्युत्पत्ति से जुहू कहते हैं। इसका भी मुख पाणि के बराबर होता है तथा ढंड बाहु के बराबर।

४—उपभूत—यह अश्वत्थ (पीपल) के काष्ठ की बनती है। बाहु के बराबर दण्ड होता है। इसमुख के समान पाणि के बराबर इसका मुख होता है। यह जुहू के समीप रखी जाती और 'उपसमीपे—ध्रियते ध्रियते' इस व्युत्पत्ति से इस उपभूत कहते हैं।

५—अनिहोत्तद्यथी—यह चिकंकत काष्ठ की बनी हुई होती है। एक अर्द्धतिर अथवा एक बाहु के परिमाण वाली तथा इसमुखी होती है। जुहू के ही समान इसका भी आकार होता है।

(३) आयुष पात्र

इस वर्ग के पात्रों का नाम आयुष इसलिए रखा गया है कि ब्राह्मणग्रन्थ में अधिकतर पात्र विशेष प्रकार के आयुष कहे गये हैं। इस वर्ग में स्पृष्ट, कपाल, शूर्प, शम्या, क्लण्णजिन, उलूखल, मुसल, दृगद और उपल हैं।

१—स्पृष्ट—यह खदिर काष्ठ से बनता है। एक अर्द्धत या बाहु के नाप का, तीन प्रकार के आकार बाला होता है। चार अगुल छोड़ा जिसमें चार अंगुल पकड़ने का ढंड भी लगा होता है। यह बेदी के उद्दनन् में तथा खेड़ीचने के लिए प्रयुक्त होता है। यह लकड़ी की तलवार है जिसका अथ भाग तेज होता है। इसे बजा भी कहा गया है।

२—कपाल—मृतिकानिर्मित, ब्राह्मण या भविय अथवा वैष्णव के हाथ से बनाये गये तथा लोकिक अग्नि में पके हुए होते हैं। छोड़े के टाप के आकार बाल, दो अंगुल मोटे, पुरीडाश संकेने के लिए बनाये जाते हैं। ये कपाल संख्या में प्रायः ८ या ११ होते हैं, वृत्त रूप में रखे जाते हैं, ध्यास छः अगुल होता है।

३—शूर्प—यह बास अथवा नरकुल का बना होता है, तथा चमड़े से बंधा

होता है जिसका परिभाषण एक वरदिन होता है। यह ब्रीहि और यव के तुष-निरसन के लिए प्रयुक्त होता है।

४-शम्भा-यह खदिरकाष्ठ की बनी होती है। ३६ अंगुल लम्बी, एक ओर फोटी, दूषद के सिर को उठाने के लिए उसके नीचे रखी जाती है। यज्ञ कर्म के समय इससे दूषद और उपल को खटखटाते हैं।

५-कृष्णाजिन-कृष्णसारमृग का चर्म जो गर्वन सहित, सिर के शाग सहित तथा चारों पैरों के साथ होता है। यव और ब्रीहि के कंडन के समय उलूखल के नीचे रखा जाता है।

६-उलूखल-यह वरण, यज्ञाश या उद्घवर की लकड़ी से निर्मित होनी है जिसकी ऊँचाई द्वादश अंगुल होती है। ब्रीहि और यव की कूटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शतपथब्राह्मण में उलूखल छब्द की व्युत्पत्ति अज्ञानिकृत है—

(प्रजापतिरब्रह्मीत्) उरु में करदिति तस्मादुसकरमुरुकरं हर्वं तदुलूखल-
मित्याक्षते परोऽक्षम्।'

७-सुरल-यह खदिरकाष्ठ या वरण काष्ठ अथवा अन्य किसी यज्ञिय वृक्ष की लकड़ी का बना होता है। ३६ अंगुल लम्बा तथा उलूखल में ब्रीहि और यव के कंडनार्थ इसका उपयोग होता है।

८-दूषद-यह पत्थर की बनी होती है तथा इसका परिभाषण एक प्रादेश, एक वरदिन अथवा इच्छानुसार हो सकता है। इससे आवल और जी धो से जाते हैं।

९-उपल-पाषाण निर्मित होता है, पीसने के लिए इसका उपयोग होता है। उपल और उपर को एक नहीं कहा जा सकता। दूषद और उपल आवल को पीसने के काम आते हैं जब कि उपर और आवा सीम की कूटने के काम आते हैं।

(४) स्वास्थ्यस्थाली

१-आज्ज्यस्थाली-यह भी मृत्तिकान्तिर्मित अथवा धातुनिर्मित होती है जिसमें आज्ज्य रखा जाता है। इसका विस्तार द्वादश अंगुल तथा ऊँचाई एक प्रादेश अथवा विस्तार और ऊँचाई इच्छानुसार कर सकते हैं।

२-अर्द्धस्थाली-यह मिट्टी अथवा उद्घवर की लकड़ी की बनी होती है। यह आज्ज्यस्थाली की भाँति होती है। इसका मुख बढ़ा नहीं करना चाहिए।

३-अन्वाहायस्वासी-यह कैसे या तादे की बनी होती है। इसमें अन्वाहार औदन पकाया जाता है इसलिए इस कहर है विस्तार इच्छानुसार किया जा सकता है।

४-पिटोद्वपनी-इसमें पिट (पिसे हुए पदार्थ) रखे जाते हैं।

५-इडापाक्षी-कुछ आचार्यों के मतानुसार यह विकंक्त काष्ठ की बनी होती है तथा एक अरत्न के परिमाण वाली होती है। अन्य आचार्यों के मतानुसार पीपल के वृक्ष की लकड़ी से बनी होती है। द्वादश अंगुल के नाप वाली, छिद्र रट्टि, चार अंगुल चौड़ी तथा चार अंगुल लम्बे दण्ड से युक्त होती है। हवन की हुई हवि के शेष से काट कर पात्री पर जो भाग रखा जाता है उसे इडा कहते हैं। इडा का अधिकार होने के कारण इन पात्री को इडापाक्षी कहते हैं।

६, ७-यजमानपात्री तथा यजमानपत्नीपाक्षी-ये पात्रियाँ यजमान तथा उसकी पत्नी के लिए बनायी जाती हैं।

८-प्रणीतपात्र-यह पीपल अथवा वरणकाष्ठ का बना होता है। इनका परिमाण एक प्रादेश (साढ़े दस अंगुल) होता है। आठ अंगुल के बिल वाला तथा चार अंगुल के दण्ड से युक्त होता है। इसके द्वारा प्रणीता नाम वाले जल का आहरण किया जाता है इसलिए इसे प्रणीतपात्र कहते हैं।

९-प्रोक्षणीपात्र-विकंक्त काष्ठ का बना हुआ, एक हाथ लम्बा, हंसमुख, तथा चार अंगुल के बिल वाला होता है। पात्रों के प्रोक्षणार्थ इसमें जल रखा जाता है।

१०-फलीकरण पात्र-पीपल के काष्ठ का बना होता है, चावल तथा जी को कूटते समय निकलने वाली भूमी यज्ञपर्यन्त इसमें रखी जाती है क्योंकि याग के अनन्तर दक्षिणाग्नि में जुहू से प्रह्लण किये गये आज्य के साथ इसका होम होता है। राक्षसों का भाग भी इसी में होता है।

११-मदन्ती-यह धातु निर्मित होता है। भर्जनपात्री के अधिश्रयण के समय जो जल का पात्र रखा जाता है, उसमें रखा गया जल 'मदन्ती' कहा जाता है। भदन्ती जल जिस पात्र में संतप्त होता है, वह पात्र भी लक्षण से मदन्ती कहा जाता है।

(५) उपयोजनपात्र (संयुक्त पात्र)

इम वर्ग के अन्तर्गत प्राशितहरण, श्रूतावदान, मेक्षण, दर्वी, घृष्णि, उपवेष,

अधि कर्चं परिधि आत्मानिकट वेद पवित्र विद्युति प्रस्तर बहि यांक्य
इदम् तथा शाखा हैं।

१-प्राशित्वहरण-यह खदिरकाष्ठ या विकंकत काष्ठ से निर्मित होता है। प्रादेश परिमाण वाला, ऐनक या चमस अथवा गाय के कर्ण के आकार का होता है। चार अगुल दण्ड से युक्त होता है। हवन करने से शेष बचा हुआ हविभाग जो ब्रह्मा को दिया जाता है, वह प्राशित्व कहा जाता है। वह प्राशित्व इस पात्र से ले जाया जाता है इसलिए इसे प्राशित्वहरण कहते हैं।

२-शृतावदान-यह विकंकत काष्ठ निर्मित, एक प्रादेश लम्बा, मुख बड़ा तथा अंगुष्ठ के पर्व के बराबर आंगे तेज होता है। इसके द्वारा पकाया हुआ अन्न काटा जाता है इसलिए इसे शृतावदान कहते हैं।

३-मेक्षण एक मत से विकंकत काष्ठ का बना होता है तथा प्रादेश मात्र लम्बा होता है। दूसरे मत से पीपल के वृक्ष की लकड़ी का बना होता है तथा एक अरत्न लम्बा होता है। अग्रभाग चार अगुल चौकोर फलक से युक्त होता है। इसके मूल में दंड लगा होता है। भर्जनपात्रों में रखे गये पिण्ठ को मदन्ती जल से मिलाने में इसका उपयोग होता है। चरु पकाने के कारण इसे चरुमेक्षण कहते हैं।

४-दर्वी—यह वरणकाष्ठनिर्मित, एक अरत्न लम्बी तथा मेक्षण के सदृश होती है। ब्रह्मोदत्त (ब्राह्मणों को खिलाये जाने वाले भात) को निकालने के लिए इसका उपयोग होता है।

५-घृष्टि—यह भी मेक्षण के समान ही होता है। कपालोपधान के लिए गार्हपत्य से अगारों को निकालने में इसका उपयोग होता है।

६—उपवेष—इसके आकार के विषय में दो मत हैं—प्रथम मत के अनुसार पलाशकाष्ठनिर्मित, प्रादेश मात्र घृष्टि के आकार का होता है। बछड़ों को गायों से अलग करने के लिए जिस शाखा का प्रयोग किया जाता है उसके पत्तों को अलग करके उसी का उपवेष बनाया जाता है। द्वितीय मत के अनुसार खदिरकाष्ठ अथवा विकंकतकाष्ठ निर्मित तथा हाथ के आकार का होता है। सान्नाय्य के सस्कार के समय गार्हपत्य से अंगारों को उत्तर की ओर ले जाने के लिए इसका उपयोग होता है।

७—अधि—खदिर, विकंकत, वरण अथवा उदुम्बरकाष्ठ निर्मित होती है। यह एक अरत्न लम्बी, तीक्ष्ण मुख वाली होती है। इसका उपयोग वेदी के खोदने में होता है। इसके दोनों ओर से तथा एक ही ओर से भी ज्ञमीन खोदी जाती है।

८—कूर्च—यह कृगनिर्मित एक बाहु लम्बा मकर के आकार का पावों की सच्छ करने के लिए उपयुक्त होता है।

९—परिधि काष्ठ—बाहु की लम्बाई के पलाशकाष्ठों ती परिधि सज्जा होती है। इन्हें आहवनीय के पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर वेदी की प्रथम भेषजा के ऊपर रखा जाता है। तीन ओर से इष्टम काष्ठ तथा पूर्व की ओर से सूर्य की कल्पना करके परिधि मान लिया जाता है। इसी कारण इन इष्टम काष्ठों को परिधि कहते हैं।

१०—अन्तधनिकट—यह पीपल वृक्ष के विकंकतकाष्ठनिर्मित होता है। द्वादश अगुल अर्ध चन्द्राकार, कुछ उठे हुए सिर वाला होता है। गार्हपत्य में अष्वर्यु पत्नी मयाज सम्पन्न करता है। उस समय धहाँ पर दुलायी गयी देवपत्नियों को छिपाने के लिए इसे आहवनीय और गार्हपत्य आयतन के बीच रख दिया जाता है।

११—पवित्र—दर्भ को पवित्र कहते हैं। प्रादेशमान्न लम्बे, प्रोक्षण वर्म करने के कारण इनकी पवित्र संज्ञा है। इसमें दो दल होना आवश्यक है, दो इर्म होना आवश्यक नहीं है क्योंकि एक इर्म भी पवित्र संज्ञा होना है।

१२—वेद—दर्भ की एक मुष्टि को वेद कहते हैं। यह दोहरा करके एक प्रादेश के बराबर कर लिया जाता है। जो बछड़े के जानु के सदृश होता है। इसका अग्रभाग कटा होता है। समन्वयक वेदी के सम्मार्जन में प्रयुक्त होने के कारण इसे वेद कहते हैं।

१३—विधृति—पूर्णमास तथा दर्श में वेदी में दो दर्भ उत्तर की ओर अग्रभाग करके रखे जाते हैं, उन दोनों की विधृति सज्जा होती है।

१४—प्रस्तर—मन्थ से संस्कार किये गये एक मुष्टि दर्भ उपर्युक्त विधृतियों के ऊपर पूर्व की ओर अग्रभाग करके रखा जाता है और उस पर जुहु रखी जाती है। उस एक मुष्टि दर्भ को प्रस्तर कहते हैं।

१५—बहिः—वेदी पर फैलाने के लिए तीन मुष्टि दर्भ होते हैं जिन्हे बहिः कहते हैं। बहिः प्रस्तरण करके हविष्पत्र रखे जाते हैं। इस तरह वेद, पवित्र, विधृति, प्रस्तर तथा बहिः दर्भों की ही अवस्था विशेष हैं।

१६—योक्त्र—यह मूँज की भेषजा है जो तीन पतं वाली होती है। गज करते समय अष्वर्यु के द्वारा भेजा गया अग्नीत् मन्त्र पूर्वक यजमान पत्नी के कटि प्रदेश में बांधता है।

१९ इसमें इष्ट काष्ठों को दो तर्गों में विभाजित किया जा सकता है

१—परिधि—जिसका वर्णन किया जा सकता है।

२—समिधि—अष्टादश काष्ठों की समित् संजा होती है। दो काष्ठ आहवनीय और दो जाते हैं, एक अनुयायी के लिए होता है, पंचदश काष्ठों की सामिधेनी लकड़ियाँ होती हैं। ये लकड़ियाँ एक अंगुष्ठ के बशाबर मोटी होती हैं, छाल सहित, एक प्रादेश के परिमाप्र वाली, द्विशाखाहीन तथा पर्णरहित होती चाहिए। इस तरह तीन परिधियाँ तथा अष्टादश इन्धनार्थ लकड़ियाँ मिलकर इकीस हुईं।

३—शाखा—यजमान के व्रतोपायन करने पर अष्टवर्षु पूर्व, उत्तर अथवा ईशान दिशा को ओर जाकर पलाश अथवा शामी की, पूर्व की अथवा पश्चिम की या ईशानकोण की शाखा को कुलहाड़ी से गम्भरक काट कर विहार में ले आता है जिसे शाखा कहते हैं।

४—शक्ट—ब्रीहि और वब को से जाने के सिए इसका उपयोग किया जाता है। यह स्वर्दिर अथवा अन्य अस्त्रियकाष्ठनिर्भित होती है। इसके अधोलिखित भाग हैं—

१—अष्ट

२—ईषा—बगल में लगने वाले दो बांस

३—युग—जुआं

४—खळ—दो पहिये

५—युगकीलक या युगशम्या—जुआं में लगने वाली कीचें

६—अक्षशम्या—अक्ष में लगने वाली कीलें

७—प्रउग—ईषादधृ के मध्य का भाग प्रउग कहलाता है।

८—नीड—नीड वह भाग है जिसमें अन्न रहता है

९—कस्तम्भी—खदिर काष्ठ की दो लकड़ियाँ, एक खड़ी लकड़ी पर हूसरी सकड़ी बंधी होती है। शक्ट को खड़ा करने में इसका उपयोग होता है। दर्शपूर्णमास इष्टियों के अन्तर्मंत इसका उपयोग होता है।

(६) आसन

बहार का आसन विकंक्त काष्ठ से निर्मित, एक हाथ लम्बा तथा एक हाथ चौड़ा होता है। यजमान का आसन, पस्ती का आसन, अष्टवर्षु का आसन, होना का आसन, अभीन्न का आसन एक-एक अरतिन के परिमाण के होते हैं।

ब्रह्मवरण के लिए ब्रह्मा तथा यजमान के लिए दो आसन विहार के उत्तर में रखे जाते हैं।

ब्रह्मा तथा यजमान के कूटने के लिए आहवनीय के दक्षिण में दो आसन होते हैं।

अष्टवर्षु के लिए एक आसन गार्हपत्य के उत्तर में तथा एक आसन आहवनीय के उत्तर में रखा जाता है।

६—(छ) सोम यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पात्र एवं उपकरण
सोम यज्ञ में सहायक पात्रों को अधोनिर्दिष्ट वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :—

- १—अधिष्ठण सम्बन्धी एवं पूतसोम के रक्षकपात्र
- २—अग्निहरण सम्बन्धी पात्र
- ३—संस्कार तथा गणना सम्बन्धी पात्र
- ४—आसन
- ५—पशुबन्धनार्थ एवं पशुमारण आदि में सहायक उपकरण
- ६—चमस
- ७—ग्रह (प्याला)
- ८—आज्य धारण सम्बन्धी पात्र

(१) अधिष्ठण सम्बन्धी एवं पूतसोम के रक्षक पात्र

१—उपर—यह पात्र दृष्टि के आकार का होता है, केवल नाम में भेद है।
२—ग्रावा—यह ऊपर मुकीला होता है। इन दोनों का उपयोग सोम कूटने के लिए होता है।

३—अधिष्ठणफलक—यीम जब लता रूप में रहता है तब नसे पहले इन्हीं दोनों फलकों के बीच में रखकर सोम को दबाया जाता है। ये दोनों फलक उदुम्बर, काष्ठमंथ या पलाश की लकड़ी के बने होते हैं।

४—परिषेचनघट—ठतरवेदी पर छिड़के जाने वाला जल इसमें रखा जाता है।

४—एकघनाघट—इस घट में जो जल रहता है उससे सोम को बढ़ाया जाता है।

५—आधवनीघट—सोम रस को साफ करने के लिए इस घट में कूटे गये सोम को बिना छाने हुए ही डाल दिया जाता है। नीचे छिद्र के द्वारा सोम बुंद करके गिरता है और दूसरे घट में साफ सोम एकत्र होता है।

६—पूतमृत—इसमें तैयार किया हुआ सोमरस रखा जाता है।

८—बसतीबरीघट—इसका उपयोग बसतीबरी जल को रखने में किया जाता है।

(२) अग्निहरण सम्बन्धी पात्र

उखा-यह या तो वृत्ताकर होती है या वर्गाकार होती है तथा छंचाई एक प्रादेश होती है।

(३) संस्कार सथा गणना सम्बन्धी पात्र

१-दण्ड-(दीक्षादण्ड) दीक्षित (जिसका दीक्षा संस्कार हो चुका है) की रथा के लिए एक उदुम्बर का दण्ड होता है जो भूमि से दीक्षित पुरुष की दाढ़ी तक या उसके मुख तक लम्बा होता है।

२-विष्टुती—ये उदुम्बर वृक्ष की प्रादेश की नाम वाली कई लकड़ियाँ होती हैं जिनका उपयोग स्त्रीलों की गणना के लिए होता है। एक सौत्र का पाठ हो जाने पर बगल में एक लकड़ी की रख दिया जाता है जिससे स्त्रीलों की संख्या का ठीक-ठीक पता चल जाता है।

(४) आसन—(आसन्दी)

इनकी संख्या चार होती है। इनका उपयोग बैठने के लिए किया जाता है। ये छोटी-छोटी चारपाईयों की तरह होती हैं।

१—राजासन्दी—यह उदुम्बर की लकड़ी की बनी होती है। इस पर सोम रखा जाता है। इसके चारों पाये नाभि तक उँचे होते हैं। यह मूँज की रसी से चुनी इई होती है।

२—सम्माइसन्दी—इसका उपयोग महात्रीर पात्र के आसादनार्थे किया जाता है। मूँज की रसीयाँ एक ही ओर लगी होती हैं। इसके पाये बुटन तक ऊचे होते हैं।

३—राजासन्दी—यजमान इस पर बैठकर स्नान करता है। यह राजासन्दी के समान ही होती है। इसका उपयोग उच्चा के आसादनार्थ होता है।

४—उच्चासन्दी—यह आ तो मूँज से निर्मित होती है अथवा इसमें लकड़ी का तख्ता लगा होता है। राजासन्दी की तरह इसमें भी एक अस्ति आसन से कपर पाये उठे रहते हैं।

(५) पशुबन्धनार्थ एवं पशुमारण आदि में सहायक उपकरण

१—पूप—यह खदिर, पलाश या विल्व वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। इसमें यांत्रिक पशु बांधे जाते हैं। इसकी लम्बाई ३ या ४ अरस्ति होती है।

२—बपाथपणी—यह कार्ष्ण्य की लकड़ी की बनी होती है जिसमें प्रायः दो शूल होते हैं। पुणे भीमांसा विद्यालय में रखी मुझे बपाथपणी लिखूनकार है जिसमें सात शूल हैं। इन्हीं कीलों पर रखकर बण को भूनते हैं।

३—गाढ़ी (दो शफ)—ये उदुम्बर काठ के बने होते हैं। इनका उपयोग गमे महाबीर पात्र को पकड़ने तथा ले जाने के लिए किया जाता है।

(६) चमस

इन्हें 'चम्मच' कहा जा सकता है जो सख्ता में नगमण विद्योदश है।

१—ताजूनस्त्र चमस—यह वरणकाठनिमित, गङ्क प्रादेश के परिमाण का होता है जिसमें तीन अंगुल लम्बा दण्ड लग रहता है। यह ६ अंगुल लम्बी तथा ४ अंगुल गहरे भूंह वाला होता है।

२—होतूचमस—यह च्यथोध (वट वक्ष) की लकड़ी से बनता है। दण्ड में चक्र का चिन्ह रहता है।

३—ब्रह्म चमस—इसका दण्ड चौकोर होता है।

४—बद्धात् चमस—इसका दण्ड त्रिकोण होता है।

५—यजमान चमस—इस चमस का दण्ड चारों ओर छोड़ा होता है।

६—प्रशास्त्र चमस—इसका दण्ड नीचे कटा होता है। पुणे में रखे गये इस चमस का दण्ड कपर से नीचे की ओर झुका है।

७—ब्राह्मणाच्छंसी चमस—इसका दण्ड कपर कटा होता है।

८—पोतृ चमस—इसका दण्ड नीचे से कटा होता है।

९—नेष्टु चमस—इस चमस का दण्ड नीचे की ओर झुका होता है।

१०—अच्छावाक चमस—इसका दण्ड एक रसी से बैधा होता है।

११—आग्नीष्ठ चमस—इसका दण्ड बेलनाकार होता है।

१२—सदस्य चमस—इसका दण्ड ऊपर से नीचे मुड़ा होता है।

१३—वाजिन चमस—यह न्यग्रीथ अथवा रोहितक की लकड़ी से निर्मित होता है। इसका दण्ड होतृ चमस के दण्ड की ही भाँति होता है किन्तु चक्र के चिह्न ने चिह्नित नहीं होता है।

(७) प्रह

इनका प्रयोग सांस्कारिक में होता है।

१—उपांशु प्रह—यह विकंकत काष्ठ अथवा किसी भी वनिय दृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। एक प्रादेश लम्बा, मध्य भाग से नीचे की ओर पक्षी के चंचु की तरह बना रहता है। इसकी गहराई इच्छामुसार होती है।

२—अन्तर्याम प्रह—यह भी उपांशुप्रह की ही भाँति होता है।

३—ऐन्द्रवायव्य प्रह—इसके मुख के पास एक रशना लगा दी जाती है।

४—मैत्रावरुण प्रह—इसमें बकरी के दो चूचक लगा दिये जाते हैं।

५—आश्विन प्रह—यह द्विकोण होता है।

६—शुक्रप्रह—इसका भी आकार उपांशुप्रह की ही भाँति होता है।

७—प्रनिध प्रह—यह विकंकत की लकड़ी का बना होता है।

८—ऋतुप्रद्वयप्रह—यह पीपल की लकड़ी का बना होता है। इसके नीचे थज्व के टाप के आकार का काष्ठ लगा होता है। इसमें एक दूसरे के विपरीत दो चंचु लगे होते हैं।

९—प्रतिप्रस्थातृश्चतुपात्र गृह—यह भी ऋतुपात्र गृह के ही समान होता है।

१०—उषप्रह—

११—अतिग्राह्य प्रह— } उपर्युक्त गृह की भाँति ये दोनों गृह होते हैं।

१२—दधि प्रह—उदुम्बरकाष्ठनिर्मित तथा चौकोर होता है।

१३—अश्वद्वाय्य प्रह—यह दधिप्रह के समान होता है।

१४—आदित्य प्रह—इसका आकार अशुप्रह की तरह होता है।

१५—घोड़शौ प्रह—यह खदिरकाष्ठनिर्मित तथा चौकोर होता है।

महावीर पात्र—मूर्तिकानिर्मित, प्रादेशमात्र ऊंचा, आठ अंगुल चौड़ा, वीच में तीन या पाँच उभाइयों से युक्त होता है। किनारा ऊन्नत होता है तथा दूध की ओर गिराने के लिए इसमें एक चंचु लगी होती है। यह वायव्य ग्रह के अनुरूप ही होता है।

(९) यज्ञ-सम्पादक पुरुष

यज्ञ के सम्पादन में सहायक पुरुषों को तीन श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है :—

- (क) प्रधान पुरुष
- (ख) ऋत्विक् पुरुष
- (ग) अनृत्विक् पुरुष

(क) प्रधान पुरुष—इस श्रेणी के अन्तर्गत यजमान, यजमान पत्नी और पुरोधा आते हैं। किसी कारणवश यजमान की अनुपस्थिति में जो कार्य करना है उसे पुरोधा कहते हैं। अन्य ऋत्विजों के समान इसे भी दक्षिणा दी जानी है किर भी इसे ऋत्विजों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यजमान की उपस्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं होती।

(ख) ऋत्विक् पुरुष—वडे यज्ञों में इनकी संख्या सौनह होती है। मुख्य रूप से चार ही ऋत्विज होते हैं तथा चारों के तीन-तीन अन्य सहायक होते हैं। इस प्रकार उनकी संख्या सौनह हो जाती है। इन ऋत्विजों के अधोविवरण चार वर्ग हैं :—

१—होता,	अद्वयु,	उद्गाता,	ऋग्वा
(ऋग्वेदीय)	(यजुर्वेदीय)	(मामवेदीय)	(अथर्ववेदीय)
२—प्रशास्ता,	प्रतिप्रस्थाता,	प्रस्तोता,	ब्राह्मणाच्छासी
३—अन्धावाक्,	नेष्टा,	प्रतिहर्ता,	अरनीध
४—ग्रावस्तोता,	उत्तेता,	सुत्रद्वय,	पोता

(ग) अनृत्विक् पुरुष—ये वेदी के बाहर कार्य करने वाले होते हैं। इनमें सदस्य, सोम प्रवाक तथा परिकर्मी हैं। सदस्य को सभासत्, सभासनार, सम्म तथा सामाजिक कहते हैं।

यज्ञ के अन्य कर्मों को परिव्रम कहते हैं उन कर्मों के सम्पादनात्म परिकर्मी की नियुक्ति हाता है

(१०) यज्ञों का स्वरूप निरूपण

(यज्ञों की संख्या के विषय में भत्तभेद)

(क) प्रथम भत—(यज्ञ के पाँच प्रकार)

(१) कुछ याज्ञिक आचार्यों के मतानुसार यज्ञ पाँच प्रकार के होते हैं। ऐतरेयवाह्यण में उनका उल्लेख हुआ है। वे अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुबन्ध तथा सोम हैं।

(२) अन्य आचार्य जिनके मत से भी यज्ञ पाँच प्रकार के होते हैं किन्तु प्रथम मन के अनुसार परिगणित किये गये यज्ञों से भिन्न होते हैं वे उन पांचों यज्ञों को इस प्रकार बताते हैं—शिरोयज्ञ, अतियज्ञ, महायज्ञ, हविर्यज्ञ तथा पाकयज्ञ।

(ख) द्वितीय भत—(यज्ञ का एकत्व)

इस भत के अनुसार यज्ञ एक ही है। वही अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास आदि पाँच स्थानों में विभक्त है।

(ग) तृतीय भत—(यज्ञ के तीन प्रकार)

अन्य आचार्यों के विचार से इष्टि, पशु और सोम ये यज्ञ के तीन प्रकार हैं।

(घ) चतुर्थ भत—(यज्ञों की इक्कीस संस्थाएँ)

इस भत के अनुसार यज्ञों की इक्कीस संस्थाएँ हैं जिनमें सात पाकयज्ञ मंस्याएँ, सात हविर्यज्ञ संस्थाएँ और सात सोम संस्थाएँ हैं जिनका गोपथ व्राह्मण में विशेष उल्लेख हुआ है।

सात पाक यज्ञ संस्थाओं में साथं प्रातः होम, स्थानीपाक, आग्रयणेष्टि, बलि, पितृयज्ञ, अष्टका और पशुयज्ञ हैं।

सात हविर्यज्ञ मंस्याओं में अग्न्याधेय, अग्निहोत्र, पौर्णमास, भासावास्य, नवेष्टि, चातुर्मास्य, तथा पशुबन्ध हैं।

अन्य प्रकार से भी सात हविर्यज्ञ संस्थाएँ हैं जिनमें अग्न्याधेय, अग्निहोत्र,

दशरथमाम चालुर्धीय निरुद्धपशुव व आग्रयणष्ठि और सौत्रामणी इष्टि का परिगणन किया गया है।

मात्र सोभयज्ञ सस्थाओं में अभिष्टोम, अत्यभिष्टोम, उवध्य, पोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्तोर्यम हैं जिन्हें सुन्या भी कहते हैं।

(१) सप्तपाकयज्ञ संस्था

पाक यज्ञ, पाकसाध्य यज्ञ को कहते हैं। हविर्यज्ञ में पुरोडाश का अपाण होता है किन्तु पाकयज्ञ में चरु पकाया जाता है इसलिए इसे पाकयज्ञ कहते हैं। अथवा पाक का अर्थ स्वल्पकाश भी है, जोड़े श्रम से साध्य होने के कारण इन्हे अल्प कहते हैं। जो छोटे-छोटे यज्ञ होते हैं वे सब पाकयज्ञ के अन्तर्गत आते हैं। इन यज्ञों का सम्पादन एकानि के द्वारा होता है।

जिन यज्ञों में कुछ का सम्पादन हवन किये हुए तथा कुछ का सम्पादन बिना हवन किये हुए होता है, वे सब पाकयज्ञ के अन्तर्गत आते हैं। पाकयज्ञ को ही 'स्मार्तयज्ञ' भी कहते हैं क्योंकि स्मृतियों से इनका विचाद वर्णन निखता है। गृह्यसूत्रों में विशेषरूप से वर्णित होने के कारण अथवा गृह्यानि में सम्पादित होने के कारण इन्हें गृह्ययज्ञ भी कहते हैं।

पाकयज्ञों के प्रकार के विषय में अनेक मत हैं। वे इस भाँति हैं—

प्रथम मत

(अ) पाकयज्ञ के दो प्रकार होते हैं, स्थालीपाक तथा पशुपाक।

(आ) सतवर्गगृह्यसूत्र के अनुसार व्रतचर्या तथा आनि कर्म पाकयज्ञ के दो प्रकार हैं।

द्वितीय मत

आश्वलायन गृह्यसूत्र के अनुसार पाकयज्ञ के तीन प्रकार हैं १—हुत २—प्रहुत ३—व्रह्मणिहुत।

अग्नि में किये जाने वाले हुत, बिना अग्नि से सम्पादित प्रहुत जैसे वर्ति-हरण, व्रह्मण आदि। व्रह्मण भोजन व्रह्मणिहुत है, जैसे आतिथ्य, पार्वण, आङ आदि।

तृतीय मत

(क) पारस्करगृह्य सूत्र के अनुसार पाकयज्ञ चार प्रकार के होते हैं।

१ हन २ गहुत ३ प्रहुत और ४ प्राशित ।

होम ही हुत है। जिसमें होम और बलिहरण दोनों होते हैं वह प्रहुत है। ब्राह्मण को भोजन कराना प्राशित है। इनसे भिन्न जो कुछ होता है उसे अहुत कहते हैं।

(ख) शांखायनगृह्यमूल्क के अनुसार भी इन्हीं चार प्रकार के यज्ञों का प्रतिपादन किया गया है। हुत अभिहोत्र होम से, अहुत बलिकर्ण से, प्रहुत पितृकर्म से तथा प्राशित ब्राह्मण भोजन से सम्पादित होते हैं।

अतुर्थ मत

पाकयज्ञ सात प्रकार के होते हैं।

आ—गोपथब्राह्मण में सात प्रकार के पाक यज्ञों का विवरण मिलता है, जिनमें गौपासनहोम, स्थालीपाक, नवेष्टि, ब्रह्मि, पितृयज्ञ, अष्टका तथा दगुद्याग परिचित है।

आ—आपस्तम्ब के मतानुसार गौपासनहोम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, आसिश्चाढ़, सर्पब्रह्मि तथा ईशानब्रह्मि में सात पाकयज्ञ संस्थाएँ हैं।

इ—बौद्धायन गृह्यमूल्क के अनुसार मात्र पाकयज्ञ संस्थाओं में हुत, प्रहुत, अहुत, शूलग्रव, बलिहरण, प्रत्यवरोहण, तथा अष्टकाहोम हैं।

हुत—जिसमें हृवन होता है, जैसे विचाह तथा सीमातीन्यन।

प्रहुत—जहाँ हृवन करके बाद कुछ दिया भी जाता है वह प्रहुत है। जैसे जातकर्ण तथा चौतकर्म।

अहुत—जिसमें हृवन करके ऐकर से भी लिया जाता है उसे अहुत कहते हैं। जैसे उपनयन तथा समावर्तन धार्दि।

शूलग्रव—जिस कर्म में शूलपर गाय की बपा का शूलग्र (पाककर्म) सम्पादित होता है उसे शूलग्रव कहते हैं।

बलिहरण—जहाँ गृह देवताओं के लिए अज्ञ की विद्युर दिखा जाया है वह बलिहरण है।

प्रत्यवरोहण—ऋतु के बाद ऋतु में प्रवेश करना प्रत्यवरोहण है।

अष्टकाहोम—एक अष्टका में अश्रु को रख कर होम किया जाता है जिसे अष्टकाहोम कहते हैं।

ई—अन्य आचार्यों के मतानुसार सात पाकयज्ञ संस्थाओं में अष्टका पार्वण, श्राद्ध, आवशी, आग्रहायज्ञ, चैत्र्यम्, अश्वयुजी हैं।

उ—गौतमधर्मसूत्र के अनुसार औपासनहोम, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका सासिंशाद्, श्रवणा तथा शूलगव सात पाकयज्ञ संस्थाएँ हैं।

पाकयज्ञ, स्मारण्याग व्यथा शृह् यथाओं का विवेचन

१—ओपासनहोम

यह होम नित्य है। सायंकाल तथा प्रातःकाल दधिमिथित चावलों का हाथ से (अन्यथा त्वं से नहीं) सम्पन्न किये जाने वाले होम को औपासन होम कहते हैं। इस कर्म में सायंकाल अभिनप्रवान देवता होते हैं तथा प्रजापति गौण देवता। प्रातःकाल सूर्य प्रधान तथा प्रजापति गौण होते हैं। दोनों होमों का फल एक ही होता है। यदि एक बार होम कर लिया जाय और दूसरी बार न किया जाय तो उसका फल नहीं होता। सप्तनीक को ही इस आजीवन अनुष्ठेयहोम को करने का अधिकार है।

२—वैश्वदेव कर्म

विष्वेदेवों ने इस यज्ञ को सम्पन्न किया था इसलिए इसे वैश्वदेव कहते हैं। यह भी शृही के लिए नित्य है तथा इसका पाकयज्ञ में महर्षवपुर्ण स्थान है। इसे ही पञ्चमहायाग भी कहते हैं जिनमें दैवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ हैं। शतपथबाह्यण में प्रथम चार यज्ञों का संक्षिप्त विवेचन किया गया है किन्तु ब्रह्मयज्ञ सर्वास्तर वर्णित है। अन्य शाखाओं के अनुसार सायं एवं प्रातः इसके अनुष्ठान का विधान है किन्तु कात्यायन के मतानुसार प्रातःकाल ही इसका अनुष्ठान होना चाहिए।

३—पार्वण कर्म

यह भी नित्य कर्म है तथा प्रति अमावास्या को सम्पन्न किया जाता है। अमावास्या तथा पूर्णिमा दोनों को पर्व कहते हैं इसलिए इन्हीं पर्वों पर किये जाने वाले कर्म पार्वण कहे जाते हैं।

४—अष्टकाश्राद्ध

हेमन्त और शिशir से सम्बन्धित कृष्णपक्ष की अष्टमी में अपूर्ण तथा

शाक के द्वारा इद्र विश्वेदेव प्रज पति तथा यितरों के उद्दृश्य से सम्पन्न किये जान वाले कर्म का अष्टकाशास्त्र कहते हैं। आहिताग्नि (जिसने अग्नि का आश्राम कर लिया है) को इसका सम्पादन अवश्य करना चाहिए।

५—मासिश्राद्ध

प्रतिमास किया जाने वाला शास्त्र भासिश्राद्ध है।

६—अवणाकर्म

इसे ही मर्त्यवति भी कहते हैं। यह शावण की पूर्णिमा से लेकर मूर्गाहोर्षि की पूर्णिमा तक प्रतिदिन सप्तर्णे के लिए सम्पादित होने वाला वलिकर्म है।

७—शूलग्राम

इसे ईशानवति भी कहते हैं नथा यह कर्म भी गोद्रव्य से शुक्त कर्मविशेष है। इसका भी अब गोवध-निषेध होने के कारण अनुष्ठान नहीं होता। अन्य शास्त्रों के आचार्यों ने ईशान के लिए स्थानीयक का ध्यापण करके गाय के रूपान पर स्थानीयक का विधान किया है।

(२) सप्तहविश्वेदसंस्था

सप्तहविश्वेदसंस्था के असर्वत अन्याधेय (अग्नि का आधान) अग्निहोत्र, दक्षपूर्णमास, चातुर्मास्य, तिरुदपशुवन्ध, आग्रययेष्टि (नवाक्षेष्टि) तथा सौक्रामणी है।

१—अग्न्याधेय (शूति विद्वित अग्नि संस्कार)

विशिष्ट काल में, विशिष्ट शुक्र के द्वारा, विशिष्ट मन्त्रों से याहूपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीय अग्नियों की उत्तरति के लिए अग्नारों का निष्ठान ही अग्न्याधेय है।

आधान का समय

श्रीतस्त्रीों में अग्नियों के आधानार्थ विभिन्न समय निर्धारित हैं। वसन्त ऋतु में ब्राह्मण को, श्रीष्ट ऋतु में धविय को, वर्षा ऋतु में रथकार को, शरद् ऋतु में वैश्य को अग्न्याधान करने का विधान किया गया है। शिशिर ऋतु सब वर्णों के लिए उपयुक्त है। अमावास्या तिथि इस कार्य के लिए सर्वोत्तम मानी गयी है। पूर्णिमा में भी अग्न्याधेय सम्पादित किया जा सकता है।

इस कर्म का आवश्यक भाग अग्न्याधान दो दिन में सम्पन्न होता है। प्रथम

दिन विहार (कुण्डादि) की स्थापना की जाती है। गार्हपत्यागार वृत्ताकार, आहवनीयागार चतुष्कोण तथा गार्हपत्यागार के दक्षिण में स्थित दक्षिणाभ्यागार अर्धचन्द्राकार होता है। गार्हपत्य में अन्याधान के लिए अभिन या तो अरणिमन्थन से पैदा की जाती है या किसी धनी व्यक्ति के गृह से अथवा किसी विशिष्ट यजमान के गृह से ले आयी जाती है। रात्रि में पति और पत्नी जाते हैं। प्रात - काल कुण्डों के लिए अरणिमन्थन से नवाभिन उत्पन्न बी जाती है। अभिन के उत्पन्न होने के समय एक अश्व ले आया जाता है जो कि अभिन या सूर्य का प्रतीक होता है। अरणिमन्थन से अभिन निकलते पर उसका आहवनीयागार में स्थापन करके उस पर प्रज्ज्वलनार्थं समिधः का आधान होता है तत्पश्चात् गार्हपत्य से एक अंगार आहवनीयागार में ले आया जाता है। आये-आगे अश्व चलता है और उसके पीछे यजमान। आहवनीयाभिन के आधान के अनन्तर दक्षिणाभिन का आधान किया जाता है। कुछ आचार्यों के मतानुसार दक्षिणाभिन का आधान आहवनीय के आधान के पूर्व ही होता है। दक्षिणाभ्यायतन में भी अग्नि गार्हपत्य से ही ले आयी जाती है। दक्षिणाभिन का उपयोग अन्वाहार्य (ओदन दक्षिणा जो ऋत्विजों को दी जाती है) को पकाने के लिए होता है।

आहवनीय, दक्षिणाभिन आदि के आधान के बाद सभ्यअभिन का आधान किया जाता है। सभा भवन में सम्पन्न होने वाला यह आधान केवल अविष्य के लिए निर्दिष्ट है। आधानानन्तर आज्ञहोम होता रहता है। इसके पश्चात् अभिन-हीन किया जा सकता है। अग्नियों को प्रतिदिन उचित दृश से मनिद्विषये रहना चाहिए। द्वादश दिन के बाद तनूहविष आहुतियों का होम किया जाता है। ये आहुतिर्थ अभिन के तीन रूप — अभिनपवमान, अभिनपावक तथा अभिनशुचि के लिए प्रदान की जाती हैं। यजमान को तीन दिन से बारह दिन पर्यन्त पवित्र रहना चाहिए। उसको चाहिए कि वह अग्नियों की प्रज्ज्वलित रखे। अभिनहोम होम करे, अभिन के पास शयन करे तथा असत्य भाषण न करें।

अन्याध्येय के प्रकार

अन्याधान के कई प्रकार हैं जैसे अपूर्वाधान, अन्वाधान, पुनराधान, तृतीयाधान तथा विच्छिन्नाभ्याधान।

१—अपूर्वाधान—ज्ञाहिताग्नि (जिस व्यक्ति ने अन्याधान नहीं किया है) यदि अभिनहोत्रानि हृविर्यजों को करने के लिए प्रथम बार अन्याधान करता है तो उस अन्याधान को अपूर्वाधान कहते हैं।

२ अवाधान ज त के प्र ज्वलनाथ किसी भा एट या यज म पहरी समिधा क आधान क अ व वान कहा जाता है।

पुनराधान—अग्न्याधान सम्बन्ध हो जाने पर वर्ष ने पूर्व किसी पदार्थ की हानि हो जाय, महारोग हो जाय या अन्य कोई काम पड़ जाय तो उस यजमान को पुनर्बंधु नक्षत्र से युक्त अमावस्या में अग्न्याधान करना पड़ता है जिसे पुनराधान कहते हैं। इस दशा में एक वर्ष के पचान् श्रावीनाशिन को बाहर कर दिया जाता है तथा तीन दिन का अन्तर करके दूसरी अग्नियों का आधान किया जाता है। अग्नि समिधा से नहीं अयितु कुञ्ज से प्रज्ज्वलित की जाती है। पुनराधान के लिए वषत्रिष्टु उपयुक्त है। दक्षिण स्पृष्ठ में आभूषण देने का विधान है।

४—**तृतीयाधान—पुनराधान** के अनन्तर सवत्सर से पूर्व अर्थनाशादि के नियमित के योग से अग्निके लक्ष्य हो जाने पर पुनः अग्न्याधान किया जाता है जिसे तृतीयाधान कहते हैं जो द्वितीय पुनराधान होता है।

५—**विच्छिन्नाग्न्याधान—सभी** अग्नियों के बुझ जाने पर विच्छिन्नता को जोड़ने के लिए अग्नियों का आधान किया जाता है जिसे विच्छिन्नाग्न्याधान कहते हैं।

(२) अग्निहोत्र

सायंकाल तथा प्रातःकाल दूध या अन्य विहित हविपू का अग्नि मे होम ही अग्निहोत्र है। आहितानिं (जिस व्यक्ति ने अग्न्याधान सम्पन्न कर लिया है) को नित्य सायं और प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिए।

प्रातः कालिक हवत का सबसे उपयुक्त समय सूर्योदय के कुछ समय पूर्व या सूर्योदय के कुछ समय बाद होता है तथा सायंकालिक हवत का समय सूर्यास्त के अनन्तर या एक तारा के दिखलायी पड़ने पर होता है। अग्नवेदी, कातीय, सामवेदी सूर्योदय के पूर्व ही होम करते हैं। कठ शाखा वाले, तैत्तिरीय तथा मन्द्रायणीय शाखा वाले सूर्योदय होने पर होम करते हैं। होम के समय में यद्यपि आचार्यों का मतवैषम्य है तथापि अग्निप्रणयन कर्म भव प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व तथा सायंकाल सूर्यास्त के पूर्व ही करते हैं। सायंकाल अग्निहोत्र के लिए संकल्प दरके उपवेष के द्वारा गाहृपत्य से जनती हुई अग्नि की लेकर, बिना मंत्र के दधिणानिं के आयतन में रखकर, पुनः गाहृपत्यागार से अग्नि का आहरण करके, मन्त्र के साथ आहृवनीयागार में आसवन करना चाहिए। स्वयं ले आयी गयी लकड़ियों से यजमान तीनों अग्नियों को प्रज्ज्वलित करे। तदनन्तर अग्न्याशारों पर दर्भ फैलाकर, यजमान की गाय (अग्निहोत्री) को विहार से दक्षिण ले आकर

सूर्यास्त के पश्चात् दुहना चाहिए, दोहन के अनन्तर श्रण के लिए दूध कुम्भी में रखा जाता है। गार्हपत्य के कुछ अंगारों को कुण्ड में अनग करके वायव्यकोण में रखकर उन पर दूध पकाना चाहिए। याजवल्क्य के अनुसार दूध को अधिक देर तक नहीं पकाना चाहिए अपितु थोड़ा गर्म कर लेना चाहिए क्योंकि पकाने से दूध जो अपित का बीर्य है जल जायगा। अग्निहोत्र में अनेक द्रव्यों का उल्लेख मिलता है किन्तु उनमें पय (दूध) मुख्य द्रव्य है। इसके अतिरिक्त यवागू, तण्डुल, दधि, शूत आदि अनेक द्रव्य हैं।

अग्निहोत्र में साधकाल अग्निप्रधान देवता तथा प्रजापति अंग देवता, प्रातः-काल सूर्यप्रधान देवता प्रजापति अंग देवता होते हैं। इस श्रीत कर्म की अग्निहोत्र संज्ञा है, अंपासनहोम की नहीं। अग्निहोत्र जीवनपर्यन्ता करना चाहिए। यह यजमान के द्वारा ही यथासम्भव सम्पादित होना चाहिए। यदि असामर्थ्य के कारण यजमान होम न कर सके तो वह एक कृत्तिवक् (अव्यर्थ) से अग्निहोत्र सम्पादित करा सकता है किन्तु पूर्णमासी और अमावास्या को स्वयं यजमान के द्वारा ही अग्निहोत्र होना चाहिए। पाकयज्ञों के साम्य के कारण याज्ञवल्क्य ने अग्निहोत्र को पाकयज्ञ के अन्तर्गत रखा है।

(३) दर्शपौर्णमास

पौर्णमास तथा दर्श ये दोनों इटियाँ क्रमशः पूर्णमास तथा अमावास्या तिथियों में सम्पन्न होती हैं। इन पर्वों पर सम्पन्न होने के कारण ही इनकी पौर्ण-मास तथा दर्श यह संज्ञा है। पहले पौर्णमास इटि सम्पन्न की जाती है तत्पञ्चान्-दर्श।

आहिताग्नि (जिस व्यक्ति ने आधान कर लिया है) सप्तनीक द्विज स्त्री दर्श पूर्णमास करने का अधिकारी है। जिसके पत्नी नहीं है अथवा पत्नी मर गयी है उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है।

ये दोनों याग दो दिन में सम्पादित होते हैं क्योंकि पूर्णमासी तथा अमावास्या को अन्वाधान तथा द्रूत का ग्रहण ये दो कर्म सम्पन्न होते हैं अर्थात् कृष्ण प्रतिपदा को पूर्णमास तथा शुक्ल प्रतिपदा को दर्श सम्पन्न होते हैं। पौर्णमास एक दिन में भी सम्पन्न हो सकता है क्योंकि यज्ञ के दिन भी त्रितीयायन हो सकता है। दर्श में सान्नाय्य के लिए दधि की आवश्यकता पड़ती है जो कि यज्ञनीय दिन के पूर्व दुड़कर यज्ञ के दिन तैयार होना है।

याग करने की इच्छा व्यक्ति वाला वसन्त ऋतु में अग्न्याधान करके साथ प्रातः-

अग्निहोत्र करे। मलमास, शुक्रास्त आदि दाया से रहित आगामिनी पूर्णमासी का अन्वारम्भणीयेष्टि करके पूर्णमास तदनन्तर आगामिनी अमावास्या को दर्शयाग सम्पन्न किये जाते हैं। दोनों पर्वों में चार त्रृत्विज होते हैं जिनमें अध्वर्यु, नह्ना, ह्रीता तथा अग्नीधा हैं। इन दोनों यज्ञों में समानता के साथ ही साथ विषमता भी है। पौर्णमास्य में आग्नेय अष्टाकपालपुरोडाश याग, अग्नीषोभीय उपाण्युयाग आज्य द्रव्यक, अग्नीषोभीय एकादश कपाल पुरोडाश याग वे तीन याग होते हैं। अमावास्या में आग्नेयपुरोडाशयाग, जिसने सोमयाग किया है उसके लिए ऐन्द्र मात्रायययाग, असोमयाजी (जिसने सोमयाग नहीं किया है) उसको अमावास्या में दैण्ड या अग्नीषोभीय आज्य हृविष्ट याग तथा ऐन्द्रास्त द्वादशकपालपुरोडाशयाग करना चाहिए। ये उपर्युक्त दोनों याग माध्यम्बन्दिन तथा शांखायन शाखा चालों के लिए हैं। अन्य जाखा चालों के लिए आग्नेय आज्यहृविष्टयाग तथा ऐन्द्रास्त द्वादश कपालपुरोडाश याग विहित हैं।

दर्शीपौर्णमास को आजीवन, बीस वर्ष अथवा पन्द्रह वर्ष तक करना चाहिए। यदि दाक्षायण यज्ञ के रूप में करना है तो एक वर्ष तक प्रतिदिन करना पड़ेगा। दर्श तथा पूर्णमास याग तक सर्वप्रथम किये जाते हों तो पहले अन्वारम्भणीया इष्टि की जाती है जिसमें विष्णु के लिए एकादशकपाल पुरोडाश, सरस्वती के लिए चह, सरस्वन्त के लिए द्वादशकपालपुरोडाश दिये जाते हैं। यह (अन्वारम्भणीयेष्टि) प्रथम पूर्णमास याग के दिन अग्न्याधान तथा अग्निहोत्र का सम्पादन करके स्वतन्त्र रूप से की जाती है।

(४) चातुर्मस्ययाग

चार-चार महीने के बाद सम्पादित होने के कारण इस याग की चातुर्मस्य संज्ञा है। इसमें अधोलिखित चार पर्व हैं—

- १—वैश्वदेव पर्व
- २—वैद्यनप्रधास पर्व
- ३—शाकमेध पर्व
- ४—शुनासीरीयपर्व

१—वैश्वदेव पर्व—तत्तिरीय ब्राह्मण (११४११०५) के अनुसार विश्वदेवों ने जिस पर्व से यजन किया उसे वैश्वदेव पर्व कहते हैं। यह फाल्गुन की पूर्णिमा को सम्पन्न किया जाता है। इस प्रथम पर्व में आग्नेय अष्टाकपालपुरोडाश, सोम के लिए चह, सविता देवता के लिए अष्टकपाल या द्वादशकपालपुरोडाश, पूषा के

लिए पिष्टचक मरुत देवता के लिए भूपतिपुराडाश विश्वेदेवा के निरपयस्या, द्वादापृथिवी के लिए एककपालपुराडाश में आ० हविष् है । इसम ऋषि उन्ने ही होते हैं जिन्हे दर्शन तथा पूर्णभास ने रहते हैं ।

२ वरुणप्रधास पर्व वरुण के उद्देश्य से दिये जाने वाले प्रधास वरण प्रधाम कह जाने हैं अथवा (ये हविष्) वरुण के पाशरूप कर्म को नष्ट करते हैं इसलिए इन्हे वरुण प्रधास कहते हैं ।

वैश्वदेवपर्व के सम्पादनानन्तर चार महीने बीत जाने के पश्चात् ग्रामाद् की पूर्णिमा को वरुणप्रधास सम्पन्न होता है । आदि से लेकर वैश्वदेव पर्व के ५ हविष् तथा उनके अतिरिक्त ऐन्द्राभ्नद्वादशकपालपुरोडाश, वरुण के लिए आभिका, मरुत के लिए आभिका, ब्रह्मा के लिए एककपालपुरोडाश आदि हविष् दिया जाते हैं । इसमें दो वैदी होती हैं । एक दक्षिणवेदी और दूसरी उत्तरवेदी । हं ना, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा और प्रतिप्रस्थाता ये पांच ऋत्विज होते हैं । अध्वर्यु चतुर्दशी के दिन यवपिष्ठ से वृत्ताकार चार करम्भ पात्रों का निर्माण करता है । अध्वर्यु पूर्णिमा में यवपिष्ठ से मेष का निर्माण करता है तथा यजमान पत्नी उस पर रुई से बाल का निर्माण करती है । प्रतिप्रस्थाता मेषी का निर्माण करता है । यजमान पत्नी करम्भ पात्रों को शूर्ण में लेकर मिर पर रख कर दक्षिणाभिन यहवन करती है । मेषी होम भी इसी दक्षिणाभिन में ही होता है जिसे प्रतिप्रस्थाता सम्पन्न करता है । अध्वर्यु उत्तरवेदी में मेष का होम करता है । अवभृथेष्ठि के पश्चात् अवभृथस्नान भी होता है । इसकी दक्षिणाभवस्थप गाय, अश्व, छ: अथवा द्वादश वैल हैं ।

३-साकमेध पर्व-कौपीतकिन्नाह्वाण (५।५), तथा गोपत्रवाह्वण उन्नर भाग (१।२३) के अनुभार इसका सम्बन्ध इन्द्र से है । जिन हविष विशेष में देवता बढ़ते हैं उन्हें साकमेध कहते हैं । यह पर्व कानिक वी पूर्णिमा को सम्पन्न होता है । इसमें अनीकवती आदि इष्टियाँ, महाहविष, पितृयज्ञ तथा व्यव्हकेष्टि ये चार कर्म होते हैं । यह पर्व दो दिन में सम्पादित होता है । प्रथम दिन प्रातःकाल अनीकवती आदि इष्टि का सम्पादन होता है जिसमें अग्नि अनीकवता देवता होते हैं । अष्टाकपालपुरोडाश द्रव्य तथा अन्वाहार्य दक्षिणा होती है । अध्याहत में सान्तपनेष्टि होती है जिसमें सन्तपना मरुत देवता होते हैं, चरुद्रव्य होता है, अन्वाहार्य दक्षिणा होती है । सायंकाल गृहमेधयेष्टि सम्पन्न होती है जिसमें गृहमेधिन, मरुत देवता होते हैं । दूध में पकाया गया चरु द्रव्य तथा दक्षिणा में सांड़ दिया जाता है । चतुर्दशी की रात्रि में हविषेष में ओदन का भक्तण यजमान के घर में आपे हुए अन्य

प्रत्याण एवं सकने के निम्ने प्रयाज और अनुश्राज नहीं होते किन्तु उनके अग हैं। माय और प्रातः यवागु से अभिनहोत्र होम सम्पन्न होता है। दूसरे दिन प्रातःकाल उषा के प्रादुर्भूत होने पर न्नान करके यजमान के घर के बैल का नाम लेकर बुनाया जाता है। उस बुलाने के शब्द को सुनकर, उसके कुछ बोलने पर अभिनहोत्र के पूर्व पौर्णदर्व्याध्य होम करके दूसरे दिन सूर्योदय के समय की डिनेटि की जाती है जिसमें सप्तकपाल पूरोडाश द्रव्य होता है, मरुत कीडिन अथवा स्वतन्त्री देवता होते हैं। अन्य सब वातें समान ही हैं। इसमें अन्वाहार्य रूप दक्षिणा का विधान है।

अदितीष्ठि—इसमें अदिति देवता के लिए चरु का विधान है। इसकी दक्षिणा अन्वाहार्य है।

महाहविष्टिष्ठि—यह उत्तरदेवी पर सम्पन्न की जाती है। वैश्वदेव पर्व में दिये गये प्रारम्भ के पांच हविष होते हैं। अतिरिक्त हविषों में से ऐन्द्रायन द्वादश कपालपुरोडाश, महेन्द्र के लिए चरु, विश्वकर्मा के लिए एक कपालपुरोडाश है। दक्षिणा अष्टपद (साड़) है।

फित्येष्ठि—(महापितृयज)—फित्येष्ठि के लिए दक्षिण दिशा में दक्षिणाभिमुख विहार का सम्पादन होता है। उसके मध्य में दक्षिणाग्नि खर होता है जिसमें दक्षिणाग्नि रहती है। इसी में सभी होम होते हैं। सोम पितृमात्र, पितृरोवहिपद, पितरोऽभिनस्वात्ता में क्रम से देवता हैं। पट कपालपुरोडाश, धानाः तथा मन्त्र द्रव्य हैं। अन्वाहार्य दक्षिणा है।

व्यम्बकेष्ठि—इसमें सह (व्यम्बक) देवता है। यजमान के गृह में स्थित मन्त्री-पुरुष की संख्या में एक अधिक एककपालपुरोडाश दिये जाते हैं। एक अध्वर्यु भी ऋत्विक् होता है। ऋषपद दक्षिणा है। इसमें सब कर्म उत्तर की ओर मुँह कर किये जाने चाहिए। दक्षिणाग्नि से जलता हुआ अंगार लेकर, चतुष्पथ (चौराह) पर जाकर, पञ्चभूमिस्कार करके, वहाँ उसका स्थापन करके, एक के अतिरिक्त अन्य पुरोडाशों का पलाशपन्न से अवदान करके होम करना चाहिए। अवदान से नचे हुए पुरोडाश का चूहे के द्वारा खोदी गयी मिट्टी में प्रक्षेप कर देना चाहिए। यजमान सप्तरिवार तीन बार अभिन की प्रदक्षिणा करना है। अवशिष्ट पुरोडाश को हाथ में ढापर उछाला जाना है। गिरते हुए उनको हाथ से ग्रहण करके बराबर बराबर बांट कर, दो शिक्ष्यों में रख कर यष्टि या बांस में बांध कर तण्डुलादि डालकर, उत्तर दिशा में फूँके थेड़ पर, वृक्ष पर या बांस पर अथवा बत्तीक में आशेषित कर देना चाहिए।

४ शुनासीरीय पर्व साकर्मधपव की समार्पित क जननर द्वितीय तृतीय तथा चतुर्थ दिन अथवा एक माह के बाद शुनासीरीय पर्व का अनुष्ठान होता है। या. चार माह के बाद करता है तो फाल्गुन की पूर्णिमा को ही करता चाहिए। जो यजमान एक ही वर्ष में चातुर्मास्य यात्रों का सम्बन्ध चाहता है अर्थात् द्वितीय सवत्सर में आवृत्ति नहीं चाहता वह फाल्गुनशुक्ल प्रतिपदा को शुनासीरीय पर्व का सम्पादन करके आगामिनी फाल्गुन की पूर्णिमा को सोमयात्रा पशुयात्रा करे।

वैश्वदेवपर्व के आरम्भ के पांच हविए होते हैं। अन्य हवियों में शुनासीर के लिए द्वादशकपालपुरोडाश, वायु देवता के लिए दूध, यवागू तथा सूर्य देवता के लिए एककपालपुरोडाश दिये जाते हैं। दक्षिणा छः बैलों से युक्त हून अथवा दो बड़े शक्ति युक्त बैल, इकेनअश्व अथवा साय हैं।

चातुर्मास्ययात्रा के दो पक्ष हैं, एक उत्सर्गपक्ष और दूसरा है यावज्जीवपक्ष। यजमान एकबार चातुर्मास्ययात्रा करके पशुयात्रा और सोमयात्रा करता है न वि चातुर्मास्य। इसे उत्सर्गपक्ष कहते हैं।

आजीवन प्रतिवर्ष चातुर्मास्य से ही यज्ञ किया जाय तो यह यावज्जीव पक्ष है। जो चातुर्मास्य की आवृत्ति चाहता है उसे फाल्गुन शुक्लपक्ष की चतुर्दशी का शुनासीरीय पर्व का सम्पादन करके प्रातः पौर्णिमासी को युनः वैश्वदेव पर्व करना चाहिए। (का० श्री० सू० ५।१।१८) तदनन्तर वरुणप्रधासादि वथापूर्व सम्पन्न होते हैं।

ऐष्टिक, पाशुक और सौमिक तीन प्रकार का चातुर्मास्ययात्रा होता है। ऐष्टिक भी वार्षिक (सांवत्सरिक), पचाहिनक तथा ऐकाहिक होता है सावत्यरिक पूर्वदर्पित है। पांच दिन में जिसका सम्पादन हो वह पंचाहिनक तथा एक दिन में जिसका सम्पादन किया जाय वह एकाहिनक है। पशु सहित किया जाने वाला यज्ञ पाशुक है। प्रथमपर्व में विश्वेदेवों के लिए, द्वितीय पर्व में वरुण देवता के लिए, तृतीय पर्व में महेश्वर के लिए, चतुर्थ पर्व में शुनासीर के लिये पशुओं का विधान है।

सौमिक चातुर्मास्य में वैश्वदेवपर्व के स्थान में अग्निष्टोम संस्थाक सोमयात्रा होता है। वरुणप्रधासपर्व दो दिन में सम्पन्न होता है। प्रथम दिन अग्निष्टोम संस्थाक तथा उक्त्यसंस्थाक सोमयात्रा और द्वितीय दिन उक्त्यसंस्थाक सोमयात्रा का सम्पादन होता है। साकर्मधपर्व तीन दिन में सम्पन्न होता है। प्रथम दिन अग्निष्टोमसंस्थाक सोमयात्रा, द्वितीय दिन उक्त्यसंस्थाक सोमयात्रा तथा तृतीय दिन अतिरात्र संस्थाक सोमयात्रा किया जाता है। शुनासीरीय पर्व में ज्योतिष्टोम होता है।

माना जिन मन्त्रोंयपशुयाग भी अगरूप से हते हैं जिनमें विश्वेदेव वरुण अस्त, अग्नि, इन्द्रारनी, एकादशिन् देवता तथा बायुदत्ता हात हैं। एक-एक पथ की समाप्ति पर पृथक्-पृथक् अवधृष्टेष्ठि होती है।

(५) निरुद्धपशुबन्ध

निरुद्धपशुबन्ध प्रतिवर्षं वर्षाकृतु में सम्पन्न किया जाता है। इसे दो दिन करने का शक्ति मिलता है, उत्तरायण के आरम्भ में तथा दक्षिणायन के आरम्भ में। इस यज्ञ में द्रव्य छाग है, उसकी वपा, हृदय, जिह्वा, वक्षपाण्डूय, गुदमध्य, यकृत् तथा वृक्क की आहुनि होती है। इन्द्रारनी, सूर्य और प्रजापति देवता होते हैं। होता, अष्टवर्ष, अग्नीध्य, वह्या, प्रतिप्रस्थाता तथा मैत्रावरुण ये छः कृत्विज होते हैं। यह ज्योतिष्ठोमयाग के अग्नून अग्नीषोमीयपशुयाग की प्रकृति है। इसमें नौन या चार अर्णनि (एक अर्णति = २४ अग्नु) के परिमाण का खदिर या त्रिल्वकाण्ठ से निर्मित यूप भी होता है। कृत्विजों के अतिरिक्त शामित्र यज्ञीयपशु का मज्जपन करके, वपा निकाल कर, उस वपाथ्यपर्णी पर रख—कर अवदान करके शामित्रसंज्ञक अग्नि में उन्हें पकाये जाने पर जिस देवता से सम्बन्धित पशुयाग हो उस देवता के लिए पुरोडाश का निर्वाप करके, उस यजमान के द्वारा विशिष्ट देवता के लिए याग कर लिये जाने पर पकव हविष्को जुहू में लेकर हृदय, वृक्क आदि अष्टांगों का उस देवता के लिए हवन करके तदनन्तर तीन अंगों में स्थिष्ट-कृत् अग्नि का हवन सम्पन्न हो जाने पर अनुयाज आदि का अनुष्ठान होता है। इसमें एकादश प्रयाज तथा उत्तरे ही अनुयाज होते हैं। इष्टियों में हविष्क के प्रक्षेपण के अनन्तर ही प्रयाज मन्त्रों का पाठ होता है किन्तु पशुयाग में यूप के समीप पशु के रहने पर ही दस प्रयाजों का पाठ होता है, यारहवें प्रयाज का पाठ ग्राणहरण के बाद होता है। दक्षिणा में बैल अथवा कोई बड़ी गाय दी जाती है।

६-आग्रघणेष्ठि (नवान्नेष्ठि)

नवान्न के उत्पन्न होने पर जिसका सम्पादन किया जाय वह आग्रघण है। इसे नवान्नेष्ठि भी कहते हैं। इसका सम्पादन शरद और वसन्त में आहिनाग्नि के द्वारा होता है। आहिताग्नि इस इष्टि को सम्पन्न करके भोजनार्थं नवान्न का उपयोग करे। द्रव्यरूप में पुरोडाश तथा चूरुदोनों का विधान है। इन्द्र तथा अग्नि के लिए पुरोडाश और द्यावापृथिवी के लिए चूरु दिया जाता है। नवब्रीहि और यव प्रधानद्रव्य हैं। रथ, मधुपकं तथा वर्षा में धारण किया गया वसन्त दक्षिणा है। यह इष्टि नित्य है। श्रीह्याग्रघण करके (अर्थात् चावल से इष्टि करके) यवाग्रघण

बहुत न तरा चरा पर दग्का भि देख मिलता है कि इस वसित यज्ञ भा कहत है। नसम पर अमास तथा अमावास्या दो याग होते हैं। पौर्णमास में आग्नेयपुरोडाश, अग्नीपोर्थीय उपांशुयाज, आज्य, अग्नीपोर्थीयपुरोडाश, इन तीन हविषों का अथवा अग्नीपोर्थीय पुरोडाश एक हविष का प्रथम दिन में विधान है। द्वितीय दिन आग्नेय पुरोडाश तथा इन्द्र के लिए सान्नाय्य विहित है।

दर्श में प्रथम दिन आग्नेय पुरोडाश, बैण्डव उपांशुयाज आज्य, इन्द्र के लिए सान्नाय्य ये तीन हविष होते हैं अथवा इन्द्र और अग्निन के लिए घुरोडाश ही एक द्रव्य होता है। द्वितीय दिन आग्नेय पुरोडाश तथा मैत्रावरणी पयस्या का विधान मिलता है। इसे फाल्गुनी से आरम्भ करके आजीवन अथवा पन्द्रह वर्ष तक यह मन्त्रनार (१ वर्ष) तक करना चाहिए। काम्य को संवत्सर तक ही करना चाहिए। कोणीतकि ब्राह्मण (४४) के अनुसार दक्षपार्वति ने इस इष्ट का सम्पादन करके सभी कार्मों को प्राप्त किया।

३—प्रायशिच्चत्येष्टि—इन इष्टिश्रों में कुछ महत्त्वरूप इष्टियों का वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

अम्बुदितेष्टि—जिस पञ्चमान के उपवास करने के दिन पूर्व की ओर चन्द्रमा दिखायी पड़ता है वह यज्ञ पथञ्चष्ट होता है। इसलिए आन्तिवश पर्व के न आने पर अमावास्या पर्व का अतिक्रमण हो जाता है, इसलिए अम्बुदितेष्टि का सम्पादन करके उसके प्रायशिच्चत्त के रूप में किया जाता है। पञ्चमान विहित काल के अनुसार पुतः अमावास्यधारण करता है। इस प्रायशिच्चत्येष्टि में तीन हविष होते हैं—अग्निदातृ के लिए अष्टाकपालपुरोडाश, इन्द्रप्रदातृ के लिए प्रातःकाल द्वाहे ग्ये दूध में पका हुआ चरु। यह इष्टि दर्श की विकृति है।

अम्बुदृष्टेष्टि—जिस पञ्चमान के उपवसथ में चन्द्रमा पश्चिम की ओर दिखायी पड़ता है वह यज्ञ भी पथञ्चष्ट होता है। इसलिए आन्तिवश पर्व के बीत जाने पर इसका अमावास्य प्रकान्त होता है उसके द्वारा अम्बुदृष्टेष्टि की जाती है। पञ्चमान इस इष्टि के द्वारा यज्ञपथ पर पहुंच कर उसी दिन अमावास्य करता है। यह भी दर्श की विकृति है। शतपथब्राह्मण के एक उल्लेख से यह स्पष्ट ही जाता है कि दर्शेष्टि के बाद प्रायशिच्चत्तीय इष्टियाँ की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त अग्निमदग्नीष्टि, शिवकृदग्नीष्टि, वीत्यग्नीष्टि, विविष्यग्नीष्टि, संवर्गेष्टि, शुद्ध्यग्नेष्टि, अग्निमदग्नीष्टि, हद्रेष्टि, पविकृत् धूषेष्टि, ग्रन्तपत्यग्नीष्टि, भाद्रेष्टि आदि अनेक प्रायशिच्चत्तीय इष्टियाँ हैं। अग्निहोत्र के

उपचार होने पर अनेक प्रायशिचत्तीय इष्टियों का विवरण शतपथब्राह्मण में किया गया है।

४—क्रतवयिक्ष्य इष्टियां—कुछ इष्टियां विशेष कृतुओं की (यज्ञों) की मिठि के लिए होती हैं जिन्हें क्रतवयिकी कहते हैं, जैसे—दीधपीयेष्टि, आनिष्टेष्टि, उपमदिष्टि—ये तीनों ज्योतिष्टोम यज्ञ के धर्म हैं। प्रायर्णीयेष्टि, उदयनीयेष्टि आदि सत्र के धर्म हैं। अवभृथेष्टि, अनीकवतीष्टि, मांतपनेष्टि, द्वीडीयेष्टि, खिल्लिष्टि, आदित्येष्टि, सबनेष्टि आदि चातुर्संस्थ के धर्म हैं। उद्यासम्भरण चयनयाम का तथा उद्यवसानीयाइष्टि सौमयाग का धर्म है।

५—काम्येष्टि—जिन इष्टियों को विशेष कामना में मध्यन्त्र किया जाता है, वे काम्येष्टि कही जाती है। इनमें मिवगिन्दा, पुन्नामिका, आयु कामेष्टि, अन्नकामेष्टि, अन्नाद्यकामेष्टि, महायज्ञकामेष्टि, पापक्षयकामेष्टि, शतकृष्णनेष्टि, कारीरीष्टि आदि इष्टियां हैं।

मिवविवेष्टि—मिवप्राप्ति की कामना बाले यज्ञमान को अग्नि, सौम वरण, मित्र, इन्द्र बृहस्पति, सविता, पूर्णा, सरस्वती तथा त्वष्टा। इन एकादश देवताओं का यज्ञन करना चाहिए। इस इष्टि का नाम मिवविविन्दा है।

पुत्रकामेष्टि—पुत्र की कामना बाला व्यक्ति अग्निगुव्ववान् के लिए अष्टाक्षपालपुरोडाश का तथा इन्द्रपुत्री के लिए अष्टाक्षपालपुरोडाश का निर्वाप करता है।

आयुकामेष्टि—सम्पूर्ण आयु की मिठि के लिए अग्नि आयुमान के लिए अष्टाक्षपालपुरोडाश तथा इन्द्र व्रातू के लिए एकादश क्यालपुरोडाश प्रदान किया जाता है।

(३) सप्तसौम संस्था तथा अन्य सौमयाग

सौमयज्ञ के विवेचन के पूर्व उसके भेदोपभेद का उल्लेख कर देना उचित है। कुछ आचार्यों के भतानुसार यज्ञ के पाच भेद हैं जिनमें १—शिरोयज्ञ, २—अतियज्ञ, ३—महायज्ञ, ४—हवियज्ञ और ५—पाकयज्ञ हैं। हवियज्ञ और पाकयज्ञ का वर्णन किया जा चुका है। अब शेष तीन का मध्यिष्ट विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है।


१—शिरोयज्ञ—प्रवर्य याग ही शिरोयज्ञ है।

२—अतियज्ञ—इसके चार भेद हैं—१—अग्निभित्या, २—वाजपेय,

३ — राजसूय तथा ४ अश्वमेध। अश्वमेध से राजसूय तथा राजसूय ले वाजपेय श्रेष्ठ है। अग्निचित्या अन्य तीनों से श्रेष्ठ है क्योंकि उससे अमृत की प्राप्ति होती है। अन्य तीन से अमृतत्व तभीं प्राप्त होता। (श० ब्रा० ४।१।१३)

अग्निचित्या—गाहूपत्य, नैऋत्य, आहवनीय तथा आठधिष्ठ्यों की एकादश अग्नियाँ होती हैं। इन सोम सम्बन्धिनी अग्नियों का संस्कार विशेष ही अग्निचित्या अथवा अग्निचयन है। यह अग्निचयन दो प्रकार का होता है—स्वतन्त्र तथा सौमांगभूत। जो चयनयाग विना सौमयाग के ही सम्पन्न होता है वह स्वतन्त्र अग्निचयन है। फाल्गुनी में अश्वालम्भन करके तदनन्तर अष्टकायाग, उखासम्भरण और अमावास्या में दीक्षा कर्म सम्पन्न होते हैं। इसके पश्चात् संवत्सरपर्यन्त उख्य (उखा की अग्नि) का श्वारण, विष्णुक्रम आदि का अनुष्ठान और सवत्सर के अन्त में फाल्गुनी के अनन्तर अमावास्या को सौमक्रयण होता है। सौमक्रयण के पूर्व ही गाहूपत्य चयन, नैऋत्य चयन होते हैं। सौमक्रयण के पश्चात् चैत्रमास को शुक्लपक्ष में उपसद तथा आश्वनीय अग्नि के अगारों के दीन में पांच चितियाँ होती हैं। पुनः शतरुद्रिय होम तत्पश्चात् अग्निविकर्षण, प्रवर्ग का अनुष्ठान और अन्त में द्वैश्वानरमाश्त, वसोधीरा आदि आहुतियों का होम होता है। इन चार अतियजों में अग्निचित्या और वाजपेय को ब्राह्मण को तथा राजसूय और अश्वमेध यज्ञों को राजन्य (क्षत्रिय) को करने का अधिकार है। जोप तीन वाजपेय, राजसूय और अश्वमेध का विवेचन आगे किया जायेगा।

३—महायज्ञ—महायज्ञ के मुख्य दो भेद हैं—



एक दिन में जिस यज्ञ का सम्पादन किया जाता है उसे एकाह कहते हैं। जैसे उयोतिष्टोम की सात संस्थाएँ।

हिरान्य से नेकर दशरात्र पर्यन्त अनेक दिन में साध्य होने वाले यज्ञ अहीन कहे जाते हैं।

एकादश रात्रि से ले द्वादश रात्रि पर्यन्त अनेक रात्रियों में साध्य सर्वों को रात्रिसव कहते हैं।

शतरात्रि के पश्चात् सहन्त्र रात्रिरप्यन्त अयनसत्र अनुष्टुप्त होने हैं।

सोमयाग में अनेक गत्रियों नक जलने वाले यज्ञों के नियम सत्र गवद का प्रयोग किया जाता है। शतपथब्राह्मण (१११५।२।३) में पांच महायज्ञों का ही महासव कहा गया है। अन्य आचार्यों के मतानुसार सोमयाग का एकाहृ, द्वादशाह, मंवरम-राह तथा सहन्त्र संवत्सराह इन चार वर्गों में विभाजित किया जाता है।

एकाहृ—एकाहृ अनेक हैं। इन एकाहृों की प्रकृतिभूत उयोगिष्टोम है। इसमें सात संस्थाएँ हैं। इस चतुष्टोम (अग्निष्टोम, उवध्य, पीडणी, अग्निरात्र) को अग्निष्टोम भी कहते हैं। अग्निष्टोम साम के द्वारा ममाप्ति होने के कारण इसे अग्निष्टोम कहते हैं। प्रातः सवन में बहिष्पवमान, त्रिवृत्त स्तोम, नवमीव्रीय होते हैं। चार पञ्चदश आज्यस्तोव जो संख्या में ६० होते हैं, माध्यनिदित सवन में माध्यनिदितपवमान, पञ्चदशस्तोम इस प्रकार पञ्चदश स्तोवीय होते हैं। चार मन्त्रदश पृष्ठस्तोत्र मिलकर ६८ स्तोत्रीय होते हैं। तृतीय सवन में पञ्चदश स्तोम में मुक्त आर्भवपवमान होता है। सप्तदश स्तोत्रीय होते हैं। अग्निष्टोम स्तोत्र तथा इक्षीम स्तोत्रीय मिलकर १६० स्तोत्रीय होते हैं।

अग्निष्टोम को उयोगिष्टोम कहते हैं

विराट् ही छन्दों की ज्योति है इमनिए अग्निष्टोम को उयोगिष्टोम कहते हैं।

त्रिवृत्, पञ्चदशस्तोम, मन्त्रदशस्तोम तथा एकाविशस्तोम इन चारों को विराट् छन्दों में सम्पादित होने के कारण उयोगिष्टोम कहते हैं।

ये सोमयज्ञ तीन प्रकार के होते हैं—नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य।

नित्य—जो यज्ञ स्वतन्त्ररूप से करने के लिए आदिष्ट हैं वे नित्य यज्ञ कहे जाते हैं।

नैमित्तिक—जहाँ पर सोमयाग करके अन्य यज्ञों का विवाह किया जाता है, वहाँ यजात्तर साहूर्य से सोमयज्ञ नैमित्तिक कहे जाते हैं।

काम्य—जहाँ इहलोक और परलोक विद्यक फल के उद्देश्य से सोमयाग किये जाते हैं वे काम्य कहलाते हैं।

इम्य सोम के दा भद होते हैं—आदिष्ट साम तथा प्राक्सीमिक एकाह तया अहानसत्र आदिष्टमाम हैं

सभी हर्विष्ट फल विशेष के उद्देश्य से सोम के साथ सम्पादित होते हैं। सोम के पूर्व सम्पादन होने के कारण उन्हें प्राक्सीमिक कहते हैं।

जिस यज में सुरा का प्रचार होता है उस यज्ञ को सौत्रामणी कहते हैं। सौत्रामणी के दो भेद हैं—कौकिली तथा चरका। शतपथब्रह्मण तथा आपस्तम्ब थौतसूत्र के अनुसार असोमयाजी, (जिसने सोमयाग नहीं किया है) वह स्वतन्त्र-याग कौकिली का सम्पादन कर सकता है। आपस्तम्ब थौतसूत्र के अनुसार अग्निभ्यन करके वाजपेय यज्ञ का सम्पादन करके श्रौत्रामणी यज्ञ करने का विधान है। ‘एतया राजसूययाजी यजते’ शतपथब्रह्मण के इस कथन से यह विदित होता है कि सौत्रामणी अग रूप भी है। अतः अग्निप सौत्रामणी को ही चरका कहते हैं। चरका में सौत्रामणी के साथ हर्विष्टज्ञत्व चाहते की इच्छा से सौत्रामणी का सप्त-हर्विष्ट खंस्या भें परिणाम होता है।

सर्वप्रथम ज्योतिष्टोम की सात स्थाओं का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत करके अन्य प्रमुख सौमिक यागों का भी वर्णन यथासम्भव किया जायगा।

सप्तसोम खंस्या

कुछ आचार्यों के मतानुसार सोम से यज्ञन करने के इच्छुक व्यक्ति को किमी भी वर्ष की वसन्त ऋतु में अन्याधान करके उसके बाद ही सोमयाग सम्पन्न करके दर्शपूर्णमास आदि का अनुष्ठान करना चाहिए। अन्य आचार्यों के मतानुसार आधान के अनन्तर दर्शपूर्णमासादि का अनुष्ठान करके सोमयाग करना चाहिये। सोमयाग में भी सात स्थाएँ हैं जिनमें अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, छक्ष्य, षोडशी, अतिरात्रि, वाजपेय तथा आप्तोर्धीम हैं।

अग्निष्टोम

सोमयाग को अग्निष्टोम साम से समाप्त होने के कारण अग्निष्टोम कहा जाना है। यह याग एक दिन में सम्पन्न हो सकता है किन्तु वर्ग सहित इसके अनुष्ठान में पर्यंत दिन लगते हैं। इसका प्रारम्भ व्रसन्त में पूर्णिमा, प्रतिपदा अथवा अमावास्या को होता है। षोडश ऋत्विज होते हैं जिनके अष्टवर्ष्युगण, व्रह्मण, होतृगण और उदगातृगण—ये चार गण होते हैं। इनके अतिरिक्त एक सोमप्रवाक होता है। इसके स्थान पर सदस्य नामक ऋत्विक् को कुछ भूत्वकार स्वत्रहवाँ बतलाते हैं। (३१०००००१०११०) सोमयाग तीनों बेदों की सहायता से सम्पन्न होता है।

(आश्व०श्री०सू०२४१-२) यजुर्वेद से सम्बन्धित अनुष्ठान अद्वयंगण, कृत्येदीय अनुष्ठान हेतुगण, सामवेदीय अनुष्ठान उद्गातृगण ममादित करते हैं। इन तीनों गणों के द्वारा सम्पन्न किये जाने हुए कर्म के विरीक्षण के लिए ब्रह्मगण होता है।

प्रथम दिन का कृत्य— यजमान के द्वारा सर्वप्रथम सोमप्रवाक का वरण होता है। अध्वर्यु होता, ब्रह्मा आदि के घर जाकर उसमें कहता है कि अमुक शर्मी का यज्ञ होमा आपके द्वारा यज्ञ सम्पादन होना चाहिए। वह उनको अपने साथ लेकर यजमान के घर आता है और तब यज्ञ के लिए उनका कृत्यविकास में वरण होता है। यज्ञ करने के लिए चुने गए वृत्तिजों को मधुपक दिया जाता है तदनन्तर भार्वपत्थ अग्नि को अरणियों पर लेकर उस अग्नि को शान्त करके अरणी और सामग्री के साथ यजमान पत्नी सहित मनोवस्थ स्थान को जाता है। वहां पहुँचने पर शाला तथा कुण्ड का निर्माण होता है। अरणिमथन करके उत्पन्न अग्नियों को कुण्डों में स्थापित कर दिया जाता है। अपराह्न में पति-पत्नी को अभीष्ट भोजन करना चाहिए अथवा यदि वे चाहें तो भोजन न र्ही करें। पति-पत्नी इसी दिन भोजन करते हैं। आगामी चार दिन उपवास ही करते हैं। अवभृथ स्नान के अनन्तर भोजन करके केणादि का वयन होता है। पत्नी के बाल में शृण कर नखकरन होता है। यजमान के स्नान के बाद दीक्षणीयेष्ट का विधान है। इस इष्ट में दम्पति (पति-पत्नी) के लिए अनेक दीक्षा संस्कार हैं। सर्वप्रथम अग्नि और विष्णु देवता के लिए एकादश कपालपुरोडाश देकर नवनीत से यजमान और यजमान पत्नी को सिर से पैर तक लेप होता है। दोनों मुष्टि बांधते हैं। दोनों के कटिप्रदेश में मुंजमेखला का बन्धन होता है। शिर पर उष्णीष (पगड़ी) होती है। कण्ठनार्थ कृष्णमृग का सींग तथा हाथ में धारण करने के लिए एक दण्ड होता है। सूर्यस्ति के बाद यजमान पत्नी के साथ दधि ग्रहण करता है। आद्याश के लिए दूध का, राजन्य के लिए यवाग्र का और वैश्य के लिए आमिका का विधान है।

द्वितीय दिन प्रायणीयेष्ट का अनुष्ठान होता है। इस इष्ट में अदिति, पथ्यास्वस्ति, अग्नि, सोम और सविता ये पाँच देवता होते हैं। इसमें अदिति के लिए चक्रद्रव्य तथा अन्य चारों देवताओं के लिए आज्यद्रव्य दिया जाता है। प्रायणीयेष्ट के अनन्तर सोमक्रयण होता है। अध्वर्यु के द्वारा श्रीरोगे गये सोम को दो बैलों से खीचे जाते हुए शक्ट पर रखकर प्राचीन वंश में उदुम्बर की आसन्दी (राजासन्दी) पर स्थापित किया जाता है। सोमक्रयणानन्तर आतिथ्येष्ट का विधान है जिसमें विष्णु के लिए नवकपालपुरोडाश का निवाप किया जाता है। लत्पञ्चात् अवभृथ स्नान तक आपम में द्रोहन हो इसलिए सब वृत्तिवज्ज्ञानप्लाज्य

का स्पश करते हैं। इसके बाद प्रवर्ष्य कर्म तथा उपसदयाग होते हैं। उपरात इष्टि में जाज्य द्रव्य, तथा अग्नि, माम और विष्णु देवता होते हैं। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ दिन प्रातः और साथ प्रवर्ष्ययाग और उपसदयाग सम्पादित होते हैं।

तृतीय दिन प्रातःकाल प्रवर्ष्य और उपसद् का होम करके सौभिकौ अहावेदी का निर्माण और अपराह्ण में प्रवर्ष्य, उपसत् का सम्पादन होता है।

चतुर्थ दिन प्रवर्ष्य और उपसत् का अनुष्ठान करने के बाद अग्नि और सोम से सम्बन्धित पशु से अज्ञन होता है।

पंचम दिन सुत्यादिवस कहा जाता है। इसी दिन सोमाभिष्व (सोम का निरोड़ा जाला) करके ग्रहों तथा चमसे के द्वारा हवन होता है। अनन्त प्रातः सबनीय पुरोडाशों का निर्वाप करता है। इस कर्म में पाँच हृविष् और पाँच देवता होते हैं। इन्द्र के लिए एकादशकपालपुरोडाश, इन्द्रहरिवान् के लिए धानाः, इन्द्र पूर्घण्वान् लिए करम्भ, इन्द्र सरस्वतिमान के लिए दधि, इन्द्र मित्रवरुणवान् के लिए पयस्या । तत्पञ्चात् सोम को पौस कर द्वैषकलश में रखा जाता है। सूर्योदय के बाद आसेय पशुयाग तथा अन्त में चमस और ग्रहों का होम तथा उनमें शेष होम का भक्षण होता है। इसके अनन्तर भाद्यान्दिन सबन का सम्पादन होता है। इस कर्म में इन्द्र और वायु देवता के लिए प्रातः सबन की भाँति द्विदेवत्य ग्रह नहीं होते हैं। दादश ऋतु ग्रह (जिसमें वसन्त, शिशिर आदि ऋतु देवता होते हैं।) नहीं होते। शुक्र, मन्थि, आग्रयण, तीन उक्त्य, दो भक्त्यतीय ग्रहों का विधान है। प्रातःसबन के समान ग्रहों का भक्षण भी होता है। तदनन्तर ऋत्विजों को दक्षिण रूप में भाय, अश्व, अश्वतर (बछड़ा), गदेभ, अज, अवि, इतिल, माष उड्ड), ब्रीहि (धान) और यज्ञ दिये जाते हैं। भाद्यान्दिन सबन के पञ्चात् कुछ समय के बाद तृतीय सबन सम्पन्न होता है। तीन सबन तक प्रधानसम्पादन होता है। इसके अनन्तर अवभूतेष्टि होती है जिसमें वशण देवता के लिए जल में पुरोडाशहोम का विधान किया गया है। अवभूत्य स्थान के बाद अनुवन्ध्य पशुयाग सम्पन्न किया जाता है जिसमें बच्या गाय का विधान है। रात्रि में उदयनीषेष्टि तथा उदवसानीयेष्टि ये दो इष्टियां सम्पादित होती हैं। उदयनीयेष्टि तथा प्रायणीयेष्टि के देवता और द्रव्य समान ही होते हैं। विजेषता यह है कि प्रायणीयेष्टि के लिए जिम पात्र में चरु पकाया जाता है उसी पात्र में बिना प्रक्षालन किये हुए ही उदयनीयेष्टि के लिए चरु पकाया जाता है। घर आकर उदवसानीयेष्टि का सम्पादन होता है जिसका द्रव्य अष्टाकपाल पुरोडाश है अथवा उसके स्थान में विष्णु देवता के लिए एक आहुति देकर रात्रि में अग्निहोत्र करने का विधान है।

दूसरे दिन प्रातःकाल अग्निहोत्र होना च है, यदि यजमान न अन्याध्यान करक पहले सोमयाग ही किया है तो उसे आग्नेयी पूर्णिमा में दशपूर्णमासयाग त सम्पादन करना पड़ता है।

८—उक्त्य संस्था

जिस याग के द्वारा सीम का उत्थापन होता है वह उक्त्य या उक्त्य है। प्रातःसवन और माध्यन्दिन सवन में अग्निष्टोम से अन्तर नहीं पड़ता। मंकल्प और सवनीय पशु में अन्तर अवश्य पड़ता है। सकल्प के समय यजमान उक्त्ययन यश कहता है। इन्द्र और अग्नि के लिए आग्नेय पशु के साथ दूसरे मवनीय पशु का विद्यान है। सोमक्रषण के समय सोम को अधिक मात्रा में छारीदा प्राप्ता है। अग्निष्टोम के समान माध्यन्दिन सवन का अनुष्ठान करके तृतीय सवन के आरम्भ में ऋग्जीष (निकाले गये सोम रस से बची हुई सोमलता) से तीन चमसों के लिए रस का अभिश्वरण होता है। धारा के तीन ग्रहों को आयतन में स्थापिन वारके अग्निष्टोम के ही समान कर्म का अनुष्ठान होता है। अग्निष्टोम स्तोत्र सम्बन्धी चमसों के प्रचार के बाद उक्त्य ग्रहों का प्रचार होता है। चमसों के साथ ही क्रमशः तीनों ग्रहों का अध्वर्यु आट्कनीष में हवन करता है। पश्चात् ग्रहों में शेष सोम का भक्षण होता है। प्रथम उक्त्य ग्रह के इन्द्र और वरण द्वितीय ग्रह के इन्द्र और बृहस्पति तथा तृतीय ग्रह के इन्द्र और विष्णु द्वयता होने हैं। इस प्रकार उक्त्य में तीन स्तोत्र तथा तीन शस्त्र अधिक द्वाने हैं।

(३) षोडशी संस्था

कौपीतकि ब्राह्मण (१७।१) ब्राह्मण में षोडशी की व्युत्पत्ति अघोलिति है—
 ‘अथोषोडशं वा एतत्स्तोत्रं षोडशं शस्त्रं तस्मात्पोषीष्यारव्यायते।’
 इसके अनुसार जिस क्रतु में पोषण स्तोत्र और शस्त्र होते हैं उसे षोडशी कहत हैं। यह स्वतन्त्र क्रतु नहीं है इसलिए इसका अग्निष्टोम के समान गृहक अनुष्ठान नहीं होता है। आग्नेय और ऐन्द्राम्बन पशुओं के माध्य इन्द्र के लिए तृतीय पशु मेष दिया जाता है। तृतीय मवन में उक्त्य ग्रह तथा चमसों के प्रचार के अनन्तर षोडशी के लिए चमसों का उन्नयन करके मूर्य के अधीन व समय अध्वर्यु षोडशी स्तोत्र का आरम्भ करता है। स्तोत्र के समान होने पर शम्त्र का आरम्भ तथा ग्रहों और चमसों का प्रचार होता है। शेष कर्म अग्निष्टोम के समान ही होता है।

(४) अतिरात्र संस्था

जिसमें अतिरात्र संज्ञक सामों का गान होता है उसे अतिरात्र ज्योतिष्टोम

कहते हैं। पूर्णोक्त घोड़शी में बताये गये तीनों पञ्चमों के साथ सरस्वती देवता के लिए चतुर्थं पञ्च मेषी का विधान है। तृतीय सवन के समय अष्टजीप को निचोड़ कर पूतभूत् में रस भर कर स्थापित कर दिया जाता है। घोड़शी ग्रह के प्रचार अनन्तर चमसों को ले आकर प्रथम रात्रिस्तोत्र के पर्याय में प्रथम श्स्त्र का पाठ होता है। उसकी समाप्ति पर प्रथम पर्याय में होता प्रथम श्स्त्र का पाठ करना है। तदनन्तर अष्टवर्ष्यु होतृचमस को तथा चमसाष्वर्यु अन्य चमसों को लेकर आह्वनीय में हवन करके शेष का भक्षण करते हैं।

मैत्रावरुण के चमस को प्राथमिकता देकर अन्य चमसों को ले आकर द्वितीय स्तोत्र के स्तुत हो जाने पर, मैत्रावरुण के द्वारा शस्त्र का पाठ तथा अष्टवर्ष्यु आदि के द्वारा पहले की तरह हवन करके चमस का भक्षण कर्म होता है। इस गणद्वय का कर्ता अष्टवर्ष्यु होता है। इसके बाद दो गणों का कर्ता प्रतिप्रस्थाता होता है। जो कार्यं अष्टवर्ष्यु को करना चाहिए वह प्रतिप्रस्थाता करता है। ब्राह्मणाच्छंसी के चमस को प्राथमिकता देकर प्रचार होता है। जिसका चमस मुख्य होता है वही 'वषट्' करता है। पर्याय के बाद दो पर्यायों का युतगवर्तन होता है। एक पर्याय में चार स्तोत्र तदा चार शस्त्र होते हैं। तीनों पर्यायों में भिन्नाकर द्वादश स्तोत्रं तथा द्वादश शस्त्र होते हैं। यही तीन रात्रि पर्याय कहे जाते हैं। रात्रि में स्तवन किये जाने के कारण इन्हें रात्रिस्तोत्र कहते हैं। रात्रिस्तोत्रों का पर्याय ही रात्रिपर्याय है। पर्याय भमाप्त हो जाने पर प्रतिप्रस्थाता अश्विन देवता के लिए द्विकपालपुरोडाश पका कार वेदों में रखता है। अष्टवर्ष्यु मुख्यहोतृचमस तथा अन्य चमसों को ले आकर संधिस्तोत्र का पाठ करता है। इसके बाद होता के द्वारा आश्विन शस्त्र का पाठ होता है जो सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। सूर्योदय के पश्चात् चमसों का श्रहण तथा उनका होम होता है। इसी समय प्रतिप्रस्थाता पूर्वं निमित्त आश्विनपुरोडाश का हवन करता है। सभी चमसों तथा पुरोडाश के अश्विन देवता होते हैं। हवन के अनन्तर चमस का भक्षण होता है। वषट् होता के द्वारा किया जाता है। शेष कार्यं अग्निष्टोम के समान सम्पन्न होता है। इसके अनन्तर अबभूथेष्टि का विधान है। सभी संस्थाओं में अवभूय के अनन्तर उदनीयेष्टि होती है तथा अनुवन्ध्या के स्थान पर मित्र और व ण के लिए आमिका का विधान है। आमिका होम के बाद अग्निष्टोम के समान ही उदवसानीयेष्टि होती है।

अग्निष्टोम, उक्थ, योद्धशी तथा अतिरात्र इन चार श्स्तुओं के समूह को ज्योतिष्टोम कहते हैं। इन्हीं चार संस्थाओं का ज्योतिष्टोम में स्थान है। अत्यग्निष्टोम, वाजपेय और अप्तोर्यामि इनका स्थान ज्योतिष्टोम में नहीं है।

दीप महोदय के विचार से सम्भवतः इन तीन संस्थाओं को सात संक्षया पूरी करते के लिए बाद में सोम संस्थाओं में जोड़ दिया गया।

(५) अत्यग्निष्टोम

अग्निष्टोम स्तोत्र के अनन्तर जिसमें तीन उक्त्य स्तोत्रों को किये विनाश खोड़नी स्तोत्र तथा ग्रास्त्रादि का प्रचार किया जाता है वह अत्यग्निष्टोम संस्था है। इस प्रकार अग्निष्टोम ही बाद में खोड़नी ग्रह तथा चमस के स्तोत्र आदि के अनुष्ठान में अग्निष्टोम संस्था ही अत्यग्निष्टोम संस्था के रूप में वर्णित है। कुछ विद्वानों के मतानुसार इस अत्यग्निष्टोम संस्था के सम्बन्धान में क्षत्रिय का ही अधिकार है, ब्राह्मण और वैश्य का नहीं। किन्तु आश्वलायन के मतानुसार तीनों वर्णों के द्वारा प्रतिपाद्य संस्थाओं के मध्य में इतका प्रतिपादन होने के कारण अन्तिय के साथ ही ब्राह्मण और वैश्य का भी अधिकार है।

(६) वाजपेय संस्था

इसे अन्तर्याम भी कहते हैं। वाजपेय संस्था में प्रातःसवन और माघ्यन्दिन सवन में अग्निष्टोम के समान ही अनुष्ठान होता है। तृतीय सवन में खोड़नीग्रह-स्तोत्र के अन्त तक खोड़नी के समान ही कर्म का सम्पादन होता है तत्प्रसादात् वाजपेय संज्ञक एक स्तोत्र का पाठ होता है। चमसों का एक गण होता है जिसमें होतृ-चमस मुख्य होता है। सम्पदश स्तोत्र वाला स्तोत्र होता है। ग्रास्त्रपाठ होता करता है। इस संस्था की यज्ञ संस्थाओं के अन्तर्गत गणना होने के कारण इसे संस्थावाजपेय भी कहते हैं। इतका विधान न तो भारस्तम्ब और वैद्यायन आदि के द्वारा किया गया है और न तो वज्रपद्माखर में ही इतका विधान मिलता है। ताण्ड्यब्राह्मण तथा छन्दोग्यसूत्र में इसी का विधान है। तैत्तिरीय शास्त्र के अनुसार वाजपेय इससे भिन्न है। उसमें सवह दोका, तीन उपसद् तथा एक मुन्धा का विधान है। प्रजापति से सम्बन्धित सत्तदक्ष सवनीय पशु तथा अरति पर्विमाण वाले सम्पदश युप भी होते हैं। उन पूर्णों की वस्त्र से लपेटा जाता है। प्रजापति देवता से सम्बन्धित सम्पदश सोभग्रह तथा उन्नेही मुग्रह होते हैं। वाजकल सुराग्रहों के स्थान पर पशुओं का अनुष्ठान होता है। मुन्धा के द्वितीय सभी ऋत्विज हिरण्य की माला धारण करते हैं। ऋत्विजों के निम्न सवह-सवह रथ, अश्व, गज, शक्ट, दासी, दास निष्क, गो, अज, अदि, दुन्दिभि आदि वक्षिणा रूप से दिये जाते हैं। सवनीय पशुओं के समय प्राजापद्य पशुओं के साथ यांत्र क्रतु पशुओं का भी उपाकरण करके पर्वतिकरण किया जाता है। प्रथम चार क्रतु पशुओं की वपा निकाल कर कुछ समय के अनन्तर अवशिष्ट पशुओं के साथ प्रचार होता है। अन्य शेष कर्म प्रकृति के समान ही होते हैं। उसे ग्रास्तोवाजपेय

कहते हैं, वाजपेय अग्निष्ठोम की संस्था विशेष है। यह यज विशेष वाजपेय से बढ़कर है।

(७) अप्तोर्यामि संस्था

अतिरात्र संस्था के समान ही रात्रिस्तोत्र तथा सन्धि स्तोत्र का एक अनुष्ठान करके बाद में चार स्तोत्रों का अधिक अनुष्ठान होता है। इसकी व्युत्पत्ति श्रुति में इस प्रकार दी गयी है—

‘अप्तोः प्रातः पामो यज्ञः अप्तोर्यामि इति ।’ पहले किसी समय प्रजापति ने पशुओं को बनाया। उत्पत्ति होकर वे दूर चले गये। प्रजापति ने उनको इसी क्रतु से प्राप्त किया। उन्हें प्राप्त करने के कारण ही अप्तोर्यामि नाम पड़ा। इसी प्रकार सन्धिस्तोत्रान्त रहे स्तोत्रों का अनुष्ठान करके नदतन्त्र चार स्तोत्र और उसके लिए चार चम्पस गणों का सम्पादन होता है। उसमें अतिरात्र के समान ही प्रथम और द्वितीय गणों का कर्ता अष्टवर्ष्य तथा नृतीय और अतुर्थ गणों का कर्ता प्रतिप्रस्थाता होता है।

अब कुछ अन्य प्रमुख सोमयगों का विवेचन किया जायगा।

गवामयतस्त्र

गायों के द्वारा इसका अनुष्ठान सम्भव है इसलिए इसे गवामयत कहते हैं। इसमें प्रारम्भ माघ छठण अष्टमी, माघ शुक्ल की एकादशी, फाल्गुन की पूर्णिमा अथवा चैत्र की पूर्णिमा को होता है। प्रारम्भ के दिन से लेकर द्वादशदीक्षा तथा द्वाडश उपमद्व होते हैं। इस प्रकार यह चौबीस दिन में सम्पन्न होने वाला यज्ञ है। प्रथम दिन इष्टका के लिए पशु का आगमन तथा उच्चा सम्भरण सम्पन्न होते हैं। अन्तिम उपन्द्व के दिन अग्निपोर्याय पशु का अनुष्ठान करके उसी दिन ही मुत्या का आरम्भ किया जाता है। महाव्रत में अतिप्राह्व संज्ञक तीन प्रहों का प्रहण सम्पन्न किया जाता है। इसमें तीन अनुष्ठान्या गायों का विधान है।

वाजपेय याग

शतपथ ब्राह्मण (प्रा. ३।३) में वाजपेय शब्द की व्युत्पत्ति अधोलिखित है—
‘अत्र दा एष उज्जयति यो वाजपेयन यजते अव्यपेयं हृचै नामैतच्छ्रावाजपेयम्’
यह वाजपेय याग सोम की सान संस्थाओं में वर्णित वाजपेय से भिन्न है।

इसे ब्राह्मण तथा क्षविय को करने का अधिकार है। सात सोमसंस्थाक वाजपेय के अनुष्ठान में वैश्य का भी अधिकार है। यह अरदू क्रतु में सम्पन्न होता है। इसके

अनुष्ठान में कई पक्ष हैं। प्रथम पक्ष यह है कि आश्विन की पूर्णिमा को वाजपेय मुत्या का अनुष्ठान तथा भाद्रपद की पूर्णिमा और कात्तिक की पूर्णिमा को बृहस्पतिसव का अनुष्ठान करना चाहिए।

द्वितीय पक्ष के अनुसार बृहस्पतिसव के स्थान में अमिष्टोम के अनुष्ठान का विधान है।

तृतीय पक्ष के अनुसार द्वादश शुक्लपक्षों में वाजपेय के द्वादशायागों का अनुष्ठान होना चाहिए। उसमें अयुग्म (जैसे प्रथम, तृतीय, पंचम) शुक्लपक्षों में अग्निष्टोम का सम्पादन करना चाहिए तथा युग्म (जैसे द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम) शुक्लपक्षों में क्रमशः रथन्तर, बृहत्, वैरूप, वैराज, ग्रामवर, रैवत आदि छः सामों से साध्य स्तोत्र एक-एक दिन होने चाहिए। त्रिवृत् पंचदश, सप्तदश, एकविंश, त्रिणव, त्रयस्त्रिंश के क्रम से मनोम होते हैं। वाजपेय के अनन्तर युग्म शुक्लपक्षों में ज्योतिष्टोम का विधान है। अयुग्म छः शुक्लपक्षों में प्रथम के अनुष्ठान के विपरीत पृष्ठ्य स्तोत्रों का अनुष्ठान किया जाता है।

चतुर्थ पक्ष के अनुसार वाजपेय के पूर्व तब शुक्लपक्षों में पौष की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद की पूर्णिमा तक राजमूल के अन्तर्गत अनुष्ठेय पवित्र, अभिषेचनीय, दण्डपेय, केशवपनीय, अग्निष्टद्विरात्, धत्वधृति, विष्टोम, ज्योतिष्टोम आदि का क्रम में अनुष्ठान होता है। प्रागे भी उन्हीं का प्रतिनोन फरक का विधान किया गया है। आश्विन की पूर्णिमा अथवा कात्तिक की पूर्णिमा या अमावस्या को राजमूल सम्बन्धिती सुत्या होती है। कात्तिक की अमावस्या को सुत्या के पश्च में आश्विन की शुक्ल पक्ष की दशमी में मानूपूजा सम्पादित होती है। तब से लेकर मन्त्रदीक्षा विहित है। कात्तिक कृष्ण द्वादशी को प्रायणीयेष्टि उभी दिन सोम का क्रयण तथा सुराद्रव्य का भी क्रयण सम्पन्न किया जाता है। तत्पश्चात् नीन दिनों में सायंकाल और प्रातःकाल प्रवर्ष्य और उपसन् का अनुष्ठान होता है। चतुर्दशी की अग्नीयोग्मीय पशु का विधान है। सन्धह अरत्न के परिमाण का यूप प्रशुक्त होना है जिसे १७ वस्त्रों से आवृत किया जाता है। पूर्णिमा में पाव्रयोजन के समय पोदशीपात्र अधिक होता है। मुराग्रहण के लिए १७ पात्र होने चाहिए, बाँड़े सवनीय पशु होते हैं। प्रथम पशु अग्नि के लिए, द्वितीय पशु इन्द्र और अग्नि के लिए, तृतीय पशु इन्द्र के लिए, चतुर्थ पशु (मेघी) सरस्वान् के लिए दिये जाते हैं। पंचम पशु में वशागाय का विधान है जिसके स्थान पर अजा को दिया जाता है। इसके अनन्तर आलम्भन हेतु प्रजापति से सम्बन्धित मन्त्रदश पशुओं का आनयन होता है जो प्रयामवर्ण के, शृंगहीन तथा प्रजनन में ममर्थ होते हैं। अग्नि, इन्द्र आदि देवताओं के लिए दिये जाने वाले पशुओं की यमा का अन्तम-

अलग होम होना है क्योंकि देवता मिन भिन होते हैं विन्तु प्रबापति से मम्बन्धित सप्तदश पशुओं की वधा का एक बार में ही, साथ ही होम होना चाहिए। दक्षिणा देने के पश्चात् घोड़शारणों में चार-चार अश्व जोते जाते हैं। उनमें एक पर यजमान तथा अपने-अपने रथों पर अन्य ऋत्विज आदि सवार होने हैं। उदुम्बर की शाखा को लक्ष्य करके सभी अपने-अपने रथों को दौड़ाते हैं। डभी को वाजिधावन कहते हैं। उनके गमन के समय ब्रह्मा रथ के ब्रह्म पर बैठकर साम का गायन करता है। उसके गमन के समय यजमान को आगे-आगे रहना चाहिए। उसके पीछे वे सभी ऋत्विज आदि उदुम्बर वृक्ष की शाखा की प्रदक्षिणा करके देवघजन को लौट जाते हैं। सब के आगमनाक्षत्र ब्रह्मा रथ के ब्रह्म से उतरता है। तत्पश्चात् यजमान अपना रथ अष्टवर्यु के लिए तथा शेष रथों में से जिस-जिस पर जो ऋत्विज सवार रहते हैं उसे उनके लिए देता है। तदन्तर मधु-प्रह तथा सौरप्रह का प्रचार होता है। यूप के सहारे एक सीढ़ी लगी होती है जिसमें इक्कीस सोपान हीते हैं उस पर यजमान और यजमान पत्नी चढ़ते हैं। नीचे स्थित यजमान के पुक्क-पौद्धादि सबह संख्या वाले पीपल के पत्ते में बंधी हुई कार तथा मृत्तिका पूटों से यजमान का निर्माण करते हैं जिसे स्वगरीहण कहते हैं।

इसके बाद एक अन्त की छोड़कर ग्राम्य तथा वन्य सभी अन्तों का सप्तमन्द्रों से मात्र बार होम होता है। होम से बचे हुए अन्त से आसन्दी पर स्थित यजमान का अभिषेक होता है। इसके पश्चात् आज्य की आहूतियों का उवत पुनः वधा-प्रचार सम्पन्न होता है।

राजसूय

जिस याग में सोमराजा का अभिषेक होता है वह राजसूय है। राजसूय यज्ञ करके राजा की पदबी धारण की जाती है। काल्युन शुक्ल की प्रतिपदा का इसका आरम्भ होता है। यह एक वर्ष से अधिक दिन में सम्पन्न होने वाला याग है। अभिषिक्त (जिसका अनिये ८ किया यथा हो) क्षत्रिय ही इसका सम्पादन कर सकता है। ब्राह्मण और वैश्य नहीं। काट्यायन श्रौतसूक्त (३४।१।१) के अनुसार राजा के लिए ही राजसूय का विधान है। राजा शब्द से क्षत्रिय जाति का निर्देश किया गया है। पहले आठ दिन चलने वाला पवित्र सज्जक सोमयाग होता है जो काल्युन-शुक्लपक्ष की अष्टमी में समाप्त होता है। राजा के लिए सोमभक्षण का निषेध होने के कारण बट वृक्ष के फल से युक्त अंकुरों को लेकर उसका भी सोम का साथ क्रयण आदि संस्कार करके दधि के साथ मिश्रित कर यजमान के चममे यहण करके होम के समय हृदय करके हृदय के शेष का भक्षण किया जाता है।

इस चमस का भवण यजमान क द्वारा ही सम्पन्न होता है । फाल्गुन पूर्णिमा दशमी में अनुष्ठान इष्ट का अनुष्ठान होता है जिसमें अष्टाकपालपुरोडाश द्रव्य होता है । इकादशी को अग्नि और विष्णु के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश, द्वादशी में अग्नि और सौम के लिए एकादशकपालपुरोडाश, ब्रह्मदशी में इन्द्र और अग्नि के लिए द्वादशकपाल पुरोडाश दिये जाते हैं । चतुर्दशी को यज्ञ तथा द्वीहि से आग्रवणेष्टि होती है । फाल्गुन की पूर्णिमा में राजसूय के अन्तर्गत चातुर्मास्य का विधान है । पहले पूर्णिमा को वैश्वदेव पर्व चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अभावास्या तक प्रतिदिन पौर्णिमासेष्टि का सम्पादन होता है । चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमासी पर्वन्त दर्शेष्टि सम्पन्न की जाती है । राजसूय इष्ट के अनन्तर दर्शपूर्णिमास तथा पिण्डपितृयज्ञ का नित्य अनुष्ठान होता है । तत्पश्चात् वैष्णाख, उपेन्द्र, आषाढ़ महीनों में इसी प्रकार कृष्णपक्षों में पौर्णिमासेष्टि और शुक्लपक्ष म दर्शेष्टि होती है । प्रतिवर्ष जो यजमान चातुर्मास्य इष्ट का अनुष्ठान नहीं करता उसके लिए उन उन पर्वों के अनुष्ठान के समय उन्हें सम्पन्न करके राजमूर्य सम्बन्धी पर्वों का विधान है । आषाढ़ की पूर्णिमा को वरुषप्रथास पर्व सम्पन्न होता है । तब से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक प्रतिदिन पूर्ववत् दर्शपूर्णिमास इष्टियों का अनुष्ठान होता है । कार्तिक की पूर्णिमा को साक्षंधपर्व तथा मार्गशीर्ष की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर फाल्गुन की अभावास्या तक दर्शपूर्णिमास इष्टियों का अनुष्ठान होता है । फाल्गुन कृष्ण की अभावास्या को शुनासीरीय दर्श और उसी दिन पंचवातीय संजक होम का विधान है । इन्द्रतुरीया नाम की दृष्टि जिसमें अग्नि के लिए अष्टाकपालपुरोडाश, ब्रह्म के लिए यवमय (यव से बना हुआ) चरु, रुद्र के लिए गावेषुक चरु, इन्द्र के लिए वहिनी का दधि ये चार हृविष्य होते हैं, सम्पन्न की जाती है ।

फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को त्रिपंचुक्त नाम के तीन कर्मों में प्रथम इष्ट विषयुक्ता होती है जिसमें विष्णु के लिए त्रिकपालपुरोडाश प्रथम हृविष्य, इन्द्र और विष्णु के लिए चरु द्वितीय हृविष्य तथा विष्णु के लिए चरु तृतीय हृविष्य होते हैं । शुक्लपक्ष की चतुर्थी को द्विहिष्कार इष्ट का विधान है जिसमें विश्वानर के लिए द्वादशकपालपुरोडाश तथा ब्रह्म के लिए यव का चरु दिये जाते हैं । उसी दिन द्वादशरत्नहृवि संजक इष्टियों का प्रारम्भ किया जाता है । चतुर्थी से लेकर फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा तक एक-एक दिन राजा के एक-एक सम्बन्धी के घर एक-एक इष्ट का अनुष्ठान होता है । सेनानी के घर प्रथमा इष्ट होती है जिसमें अग्नि अनीकवान् के लिए अष्टाकपाल पुरोडाश का विधान है । पुरोहित के घर में द्वितीय इष्ट होती है जिसमें वृहस्पति के लिए चरु त्रिविधान है । यजमान के घर में तृतीय इष्ट जिसमें रुद्र के लिए चरु शिया जाता

है बहिपी के घर म चतुर्थ इष्टि होती है जिसमें अद्विति देवता के लिए चर्चा दिया जाता है। अश्वसारथी के घर में पचम इष्टि होती है जिसमें वरण के लिए प्रवर्मय चरु का विधान है। ग्रामनेता के घर में छठी इष्टि सम्पन्न की जाती है जिसमें मरुतों के लिए सप्तकपालपुरोडाश दिया जाता है। सातवीं इष्टि मन्त्री या दूत के घर होती है जिसमें सविता देवता के लिए अष्टाकपालपुरोडाश द्रव्य होता है। नवीं इष्टि रथकार के घर होती है जिसमें अश्विनों देवता के लिए द्विकपालपुरोडाश दिया जाता है। दसवीं इष्टि परिवेषण करने वाले के घर होती है जिसमें पूषा के लिए चरु का विधान किया गया है। यजमान के घर रुद्र के लिए गोधूम का चरु दिया जाता है। यह ग्यारहवीं इष्टि है। पति-पुत्र से रहिन विसी स्त्री के घर वारहवीं इष्टि होती है जिसमें निर्वर्त्ति देवता के लिए नव्वे से ही निकाले गये कृष्णब्रीहि (काले धान के चावल) के चरु का विधान है तदनन्तर उसी दिन सोम और रुद्र के लिए तथा मित्र और बृहस्पति के लिए चरु दिया जाता है। चैत्र कृष्णपक्ष में कुछ भी कर्म नहीं होता है। चैत्र शुक्ल प्रग्निपदा को अभिषेचनीय याम तथा दशपेय याम दीनों को माथ ही आरम्भ करने का सकल्य लिया जाता है। उसमें आठ योग्याग होते हैं जिनमें पवित्र, अभिषेचनीय, दशपेय, केषवपनीय, व्युष्टिद्विरात, अवस्यधृतिः द्विष्टोम तथा अग्निष्टोम हैं। दशपेय और अभिषेचनीय में माथ ही सोमक्रयण होता है। सोम के साथ ही वटकेफल से युक्त अंकुरों का भी क्रयण होता है। अभिषेचनीय याग पांच दिन में सम्पन्न होता है। इसमें अग्निष्टोमीय पश्चु की गन्तिक्षिणी में देवसू द्विष्ट का विधान होता है। उन हविषों में से पुरोडाश तथा छठः चरु होते हैं। सवितू सत्त्वप्रसव देवता के लिए विरुद्धब्रीहि का धना अष्टाकपाल पुरोडाश तथा अग्नि गृहपति के लिए आशुब्रीहि (तीन पखवारे में पके धान के चावल) से निर्मित अष्टाकपालपुरोडाश, सोम बनस्पति के लिए यथामाकचरु, वाक् बृहस्पति के लिए नीदारु चरु, इन्द्र ज्येष्ठ के लिए रक्तशालिचरु, रुद्र फशुपति के लिए गावेधुक चरु, मित्र सत्य के लिए स्वयं द्वत्यन्त ब्रीहि के चरु का विधान है। वरुण धर्मपति के लिए यव के वने चरु का विधान है। इसके पश्चात् राजा के अनिषेकार्थ मन्त्रह प्रकार के जलों का आनयन होता है। अभिषेक के बाद शुनःशेष की कथा का श्रवण किया जाता है। द्रुम्बर की आसन्त्री पर दूत (जुड़ा) के लिए स्थित यजमान के लिए अक्ष दिया जाता है। फिर द्वूतकीड़ा होती है। इसके पश्चात् समृप हविषों तक छः दिनों में सम्पन्न होते हैं। द्वादशी को अवशिष्ट चार द्विष्ट प्रदान किये जाते हैं। द्वादशी में ही दशपेय के द्वितीय दिन से लेकर चैत्र की पूर्णिमा तक सुत्या होती है।

दशभेद में सोम होता है। दस-दस ब्राह्मण एक-एक चमस का भक्षण करते हैं। यजमान-चमस का भक्षण भी ब्राह्मण ही करते हैं। वैशाख में कुछ कार्य नहीं होता। वैशाख की पूर्णिमा में पञ्चविस संजक चरण का विधान है। ज्येष्ठ भी अमावास्या को दो पशुवन्ध होते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी से लेकर पाच दिनों में अतिरात्मसंस्था-सम्बन्धित वैष्णवपूर्णी नाम के सोमयाग का अनुष्ठान होता है। आषाढ़ की कृष्ण प्रतिपदा को चुष्टि द्विरात्र का सम्बल्प होता है। अहोने हीने के कारण उसमें बोडगा दीक्षा है। द्वादश उषसत् याग तथा दो मुत्या हैं। इस तरह यह चुष्टिद्विरात्र एक भास में सम्पन्न होता है। श्रावण कृष्ण प्रतिपदा को लक्ष्मीति का आरम्भ होता है। यह भी भीने भर में साध्य होने वाला यज्ञ है। इसी प्रकार भाद्रपद की कृष्ण प्रतिपदा को भास भर में साध्य होने वाला विष्टोम सम्पन्न होता है। आग्निक की कृष्ण प्रतिपदा को माति साध्य अग्निष्टोम किया जाता है। कार्तिक की पूर्णिमा में सज्जुष की अंग-स्वरूपिणी विषयुक्त चरका सीकामणी का अनुष्ठान होता है।

अश्वमेध यज्ञ

अश्वमेध सोमयाग ही है तथापि अश्वमेधी सवनीय पशु का विधान हीने के कारण इसे अश्वमेध कहते हैं। अभियिक्त सार्वभीम राजा ही इसके सम्पादन का अधिकारी है। फाल्गुन की शुक्लाष्टमी अथवा नवमी या ग्रीष्मकाल में इसका आरम्भ होता है। आरम्भ के दिन वरण के अनन्तर घाक का सम्पादन किया जाता है जिसका चार महावृत्तिवर्जों के लिए दान होता है। प्रत्येक वृत्तिवर्ज को एक हजार चार सौ गायें दी जाती हैं। इसके पश्चात् आश्वस्त्रों से सजी हुई महिषी, राजपुत्रियों के साथ, परिणीता वल्लभा क्षत्रिय जाति की पुत्रियों के साथ, अवलसभा अश्व की सेवा करने वाले ग्रामनेता की पुत्रियों के साथ, हृतपुत्री जाति की पुत्रियों के साथ आती है। उन चारों के साथ यजमान साधकाल अग्निहोत्र समाप्त करने पर रात्रि में उत्तर की ओर सिर करके सीतो हुई वल्लभा पत्नी के दोनों उर्हाँ के अन्तराल में उत्तर की ओर सिर करके यग्न करता है। अन्य पत्नियाँ चारों और लेटती हैं। उस समय यजमान को ब्रह्माचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्योदय होने पर अग्निहोत्र होम करके पूर्णाद्वृति का अनुष्ठान किया जाता है। तत्पश्चात् पथिकुदिलि का विधान है जिसमें अग्निपथिकुत् के लिए अष्टाकदासपुरोडाश दिया जाता है। पुनः द्वादश आरति या त्योदश अरति के परिमाण की दर्शमयी अश्वरशना को द्वीप से आजकर अश्व के बधनार्थ ब्रह्मा से पूछना चाहिए। उसकी जाना निल जाने पर अश्व का बन्धन कार्य सम्पन्न किया जाता है। अश्व भी अनेक लक्षणों से युक्त होता चाहिए। पूर्व भाग कृष्ण-वर्ण का होता चाहिए तथा पीछे का भाग शुक्ल वर्ण। ललाट

प्रदेश ग्राकटाकार क्षिपुण्ड से युक्त तथा नीचवण के घाछन से यवत हो एक सदृश गाया वे मूल्य से खरीदा गया हो उस अश्व को तालाव आदि के स्थिर जल मे से जाकर प्रक्षालित किया जाता है। तत्पश्चात् शूद्र के द्वारा वैश्य की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुरुष के द्वारा चतुरक्षा (आखों के ऊपर आँख के सदृश चिह्न वाले) कुन्ते को मार कर वेत की चटाई पर अश्व के नीचे जल के मध्य में बहाया जाता है। वहाँ से लौटकर हीम होता है। तदनन्तर तीन सावित्री इष्टियों का सम्पादन किया जाता है जिसमें तीन द्वादशकपाल पुरोडाश होते हैं। उन इष्टियों के प्रथाज के अनुठान होते समय नृत्तिवर्जों से वन्य कोई ब्राह्मण यजमान के दान और यागादि का गान स्वर्ण निमित तीन गाथाओं के द्वारा बीणा पर करता है।

इनके पश्चात् अष्टवर्यु और यजमान यज्ञीय अश्व को योगत की अवस्था पार कर गये सौ अश्वों के साथ ईशान विश्वा मे छोड़ते हैं। ग्रामणार्थ छोड़े गये उस अश्व के पीछे चार सौ सैनिक धनुय बाण से युक्त युद्धार्थ भेजे जाते हैं। इस इस तरह अश्व वर्ष भर में धूमाकर ले आया जाता है। संवत्सर पर्यंत यजमान वावाता पत्नी के साथ शशत करता है। इसके अनन्तर तीन सावित्री इष्टियां होती हैं। तदनन्तर बीणा पर गाथा गान, पारिष्ठलवाल्यान, प्रक्रम हीम, धृतिहीम सम्पन्न किये जाते हैं। संवत्सर के स्थान में १५ दिन, एक मास, तीन मास तथा ४ः मास के भी पक्ष हैं। चैत्र की पूर्णिमा को उस्था सम्भरण तथा इष्टका पशु-याग सम्पादित होते हैं। उसी दिन दीक्षणीया इष्ट का आरम्भ करके ४ः दिन एक-एक इष्ट से वैशाख कृष्ण षष्ठी तक सम्पादन होना चाहिए। दीक्षा का आरम्भ करके द्वादश दिनों में वैशाख शुक्ल तृतीया तक द्वादश सुत्याओं का अनुष्ठान होता है। इसी तृतीया को ही सोमक्रयण होता है। तब हे लेकर द्वादशी तक द्वादश उपसर्त् याग होते हैं। चतुर्दशी को ही अग्नीषोभीय पशुओं को ले आया जाता है। इक्कीस-इक्कीस अरति के हक्कीस यूप होते हैं जो विभिन्न जाति के दृक्षों से निमित होते हैं। एक यूप रज्जुदाल का, दो यूप पितुदार के, ६ यूप विलव के, ६ यूप खदिर बृक्ष के, ६ फलोश बृक्ष के होते हैं। आहूवनीय के आगे रज्जुदाल का यूप होता है, उसके दोनों और पितुदार से निमित यूप होते हैं। अवशिष्ट, विलव, खदिर और पलाश के यूप क्रम से कुछ अन्तर देकर याढ़ जाते हैं। इसमें २१ अग्नीषोभीय पशु होते हैं। यूपों में पशु दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़िये जाते हैं। अनेक पशु होने पर भी पशुपुरोडाश एक ही होता है। इसके पश्चात् इसी दिन सोम सप्त्या से सम्बन्धित प्रथम सुत्या होती है जिसमें २१ अग्नीषोभीय सवनीय पशु होते हैं। उन पशुओं का यूपों में बन्धनकरण इस प्रकार है—

मध्य में रजुदाल यूप में दो आग्नेय पशुओं को बाध कर जोप पशुओं को दक्षिण और उत्तर दिशा में बाध दिया जाता है इसकी दक्षिण के विपरीत में भी वैशिष्ट्य है। पूर्व दिशा से प्राप्त धन का तृतीयांश होता को, दक्षिण दिशा से प्राप्त धन का तृतीयांश ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा से प्राप्त धन का तृतीयांश अध्यर्थ तथा उत्तर दिशा से प्राप्त धन का तृतीयांश उद्गाता को दिया जाता है। अवशिष्ट दो दो अंशों को दक्षिणाखण में सुत्या दिनों में देने का विधान है। तदनन्तर सूर्यस्ति हो जाने पर रात्रि में आज्य, सत्तू, धानाः, लाजाः, नाम के एक एक द्रव्य को लेकर क्रमशः प्रति प्रहर 'प्राणाय स्वाहा' (यजु० सं० २२।२३ २४) इन्यादि मंत्रों से रात्रि भर-हवन-करना चाहिए तत्पश्चात् द्वितीय दिन उक्त्य संस्था का सम्पादन होता है। स्वर्ण और रजत निर्मित महिम ग्रहों का ग्रहण होता है। इहूपवमान के लिए गमन तथा अश्व का अन्वारम्भण होता है। दो एकादशिनी (पशुओं) के उपाकरण के अनन्तर अश्व का उपाकरण होता है। इसके पश्चात् इक्कीस यूपों में दोनों एकादशिनी पशुओं को पूर्ववत् बाध कर अश्व, तूपर (सींग रहित छाग), गोमृगों को अग्निष्ठ रजुदाल के यूप में बाधा जाता है। अश्व के ललाट आदि अर्गों में द्वादश पशु बाँधे जाते हैं जिन्हे पर्यंड्य कहते हैं। अश्व के शरीर में पशुओं को बाधने के लिए उसके सम्पूर्ण शरीर को रज्जु से लपेटकर उसी में उन पशुओं को बाधा जाता है। ललाट में अग्नि देवता से सम्बन्धित काली गर्दन वाले अज का, हनु के नीचे सरस्वती के लिए मेषी का, बाहुओं में अश्विनी देवता से सम्बन्धित पशुओं का, नाभि में सोप शौक धूला से सम्बन्धित इयाम पशु का, दोनों पाइयों में सूर्य से सम्बन्धित श्वेत पशु का तथा यम देवता से सम्बन्धित कृष्णपशु का, दोनों पीछे के पंरों में त्वष्टा से सम्बन्धित लोभश (रोयें वाले) दो अजों का, तथा पूँछ में वायु, इन्द्र और विश्व देवता से सम्बन्धित पशुओं का बन्धन किया जाता है। ये अश्व, तूपर, गोमृग अजादि पशु संख्या में १५ होते हैं। दो आग्नेय पशु जो मध्य यूप में बाँधे जाते हैं मिलकर १७ संख्या का निर्माण करते हैं। अन्य २० यूपों में रोहित आदि १५ पशु बाँधे जाते हैं। पहले एकादशिनी यूप के प्रत्येक यूप में १५-१५ पशुओं के साथ एक एक पशु और मिल जाने से प्रत्येक यूप में पोडश पशु होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर ३३७ पशुओं का विधान है। ये पशु ग्राम्य होते हैं जिनकी गणना यजुर्वेद संहिता (२४/१-२०) में दी गयी है। एक यूप में दूसरे यूप के बीच में अरण्य के पशुओं को रखा जाता है। उनमें से कुछ को पिंजड़ी में, कुछ को घोसलों में तथा कुछ को जल में रखते हैं क्योंकि वे यूप में बैठ नहीं सकते।

यूप में बैंधे हुए पशुओं का संज्ञपन करके, उनकी वपा, व्रिक्कादि का हवन होता है। कपिजल आदि अरण्य के पशुओं का विहित देवता के लिए क्रत चे

उ..... करके पिजरादि के साथ उनका त्याग होता है। अश्व का सज्जन होने पर मृत सवनीय अश्व की तीन बार परिक्रमा की जाती है। तत्पश्चात् राजा की महिषी (पत्नी) मृत अश्व के समीप लेटती है। वहीं पर अष्टवर्यु और कुमारी का, ब्रह्मा तथा महिषी का, होता और परिवृक्ता, प्रतिहार तथा पालागली का क्रम से संबाद होता है।

अश्व की वपा के अभाव के कारण उसके भेद को निकाल कर कार्यमर्य के दो शूलों के द्वारा पका कर होम तत्पश्चात् ब्रह्मांष होता है। इसमें अष्टवर्यु, ब्रह्मा, उद्गाता, प्रतिप्रस्थाता और यजमान प्रश्न करते और उत्तर देते हैं। इसके बाद एकादशी पशुओं की वपा का प्रचार होता है। पुनः बनस्पति याग के अनन्तर अश्वशूल के पशुशेष का अवदान करके होम होता है। आज्य के साथ शाद आदि देवताओं के लिए अश्व के दन्त आदि अंगों से हवन तदनन्तर पत्नीस्याज करके उस दिन का कार्यक्रम वहीं स्थगित कर दिया जाता है।

प्रात काल द्वितीय को अतिरात्र के तृतीय दिन सम्बन्धी षोडशी के अन्तर्गत सम्पन्न होने वाले सभी कार्य करके तत्पश्चात् अवभूथेष्टि का सम्पदान होता है। सात वर्षण देवता से, सात विश्वेदेवों से तथा सात बृहस्पति से सम्बन्धित इक्कीस अनुबन्ध्या पशु होते हैं। एक-एक यूप में एक-एक पशु का बन्धन होता है। तीन पशु-पुरोडाश होते हैं। उद्वसानीयेष्टि के अन्त में पालागली की अनुचरियों का अष्टवर्यु के लिए, महिषी की अनुचरियों का ब्रह्मा के लिए, वावाता की अनुचरियों का उद्गाता के लिए तथा परिवृक्ता की अनुचरियों का होता के लिए दान होता है। उस समय से आरम्भ करके द्वादश दिन पर्यन्त प्रति दिन अरिन के लिए पुरोडाश या ब्रह्मोदन प्रदान किया जाता है। तत्पश्चात् वर्ष तक प्रत्येक ऋतु में छः छः पशुओं का आलम्भन होता है। वर्षन्त में अरिन देवता से सम्बन्धित, वर्षा में पर्जन्य देवता से सम्बन्धित, शरद में मित्र और वर्षण से सम्बन्धित, हेमन्त में इन्द्र और विष्णु से सम्बन्धित, शिंशिर में इन्द्र और बृहस्पति से सम्बन्धित पशुओं का आलम्भन होता है। अन्य कर्म निरुद्ध पशुबन्ध के समान ही होता है।

पुरुषमेघ वक्त

शतपथब्राह्मण (१३।६।२।१) में पुरुषमेघ की व्युत्पत्ति अधोलिखित है—

‘तस्य (पुरुषस्य वायो:) यदेषु लोकेष्वन्नं तदस्यान्नं मेद्यस्तदस्येतदन्नमेघस्तस्मात्पुरुषमेघोऽथो यदस्मिन्मेघ्यान्पुरुषानानभते तस्मादेव पुरुषमेघः।’

पुरुषमेध ब्राह्मण और क्षत्रिय के द्वारा चालिस दिन म सम्पादन होने वाला यज है जिसमें तेहस दीक्षाए, द्वादश उपसद्याग तथा पाच सुत्यायाग होते हैं इसका आरम्भ चैत्र शुक्ल दशमी को होता है। इसमें एकादश यूप तथा एकादश अग्नीपोमीय पशु होते हैं। सभी का एक ही पुरोडाश होता है।

सुत्या में प्रथम और पंचम दिन अग्निष्टोम की दो संस्थाओं का, द्वितीय और चतुर्थ दिन उक्त्य की दो संस्थाओं का, तृतीय दिन अतिरात्र संस्था का सम्पादन किया जाता है। सुत्या के दिनों में प्रतिदिन एकादश पशु प्रयुक्त होते हैं। तृतीय अतिरात्र संस्था के दिन प्रत्येक यूप में एक-एक एकादशिनी पशुओं को बाँधकर मध्यम यूप में संहिता में उल्लिखित ब्राह्मण आदि ४८ पुरुषों का बन्धन कर्म सम्पन्न होता है। दश यूपों में ग्यारह-ग्यारह पुरुष बाँधे जाते हैं। (यजु० संहि० ३२। ५-२२) इस प्रकार १६४ पुरुषों का बन्धन-कर्म सम्पन्न हो जाने पर सब का उपस्थान होता है। तत्पश्चात् उनका उत्सर्जन किया जाता है। तदनन्तर जिस विशिष्ट देवता के उद्देश्य से विशिष्ट पुरुष का बन्धन किया जाता है उसी क्रम से तत्त्वदेवता के लिए आज्याहृति का हवन होता है। अन्त में अपनी अग्नि का समारोपण तथा सूर्य का उपस्थान करके बानप्रस्थ का अनुसरण किया जाता है। गमन के समय यजमान को पीछे मुड़ कर न देखना चाहिए। आजीवन ग्राम में पुनरागमन का निषेध है। पुनः ग्रामवास की इच्छा हो तो यजमान को अरण्य की दोनों अग्नियों का समारोपण करके गृह में ही रह कर अग्निहोत्र करना चाहिए।

सर्वमेधयाग

यह याग ३४ दिन में सम्पन्न होता है जिसमें द्वादश दीक्षा, द्वादशउपसद्याग तथा दस सुत्यायाग होते हैं। प्रथम दिन अग्निष्टोम संस्थायाग का सम्पादन करने के अनन्तर तीन दिन इन्द्रस्तुत, सूर्यस्तुत, वैश्वदेवस्तुत, क्रम से उक्त संस्थायाग सम्पादित होते हैं। पुनः महाब्रत, वाजपेय, अप्नोर्यामि, त्रिणवस्तोमउक्त्य, त्रयस्त्रिश स्तोम व उक्त्य क्रमशः सम्पादित होते हैं। इसके अनन्तर विश्वजित् अतिरात्र तथा चैत्र व शुक्ल की षष्ठी को इष्टका पशुयाग एवं उखा सम्भरण होते हैं। इसमें एकशतविधि (सौ प्रकार की) अग्नियाँ होती हैं। अष्टदश अरति के परिमाण का एक यूप भी होता है।

पितॄमेधयाग

तीनों वर्णों की इसके सम्पादन का अधिकार है इसमें एक अठवर्षु ही अन्तिक्ष होता है। मूत्रपितरों की अस्थियों को अरण्य में ले आकर उन अस्थियों

के द्वारा जिस अग की जो प्रस्तिय है उससे उस अग का निर्माण करके षुश्य की आकृति बना कर शेवल (सिवार) तथा कुश आदि से उन्हें ढक कर, ग्राम को प्रत्यावर्तन करके, स्नान करके गृहागमन करना चाहिए ।

(११) यज्ञों का क्रम

गोपथक्राह्यण (पूर्व भाग ४१७) में यज्ञों के अनुष्ठान का क्रम बतलाया गया है जो अधोलिखित है—

सर्वप्रथम अग्न्याध्येय का विधान है, अग्न्याध्येय के बाद पूर्णाहुति, पूर्णाहुति के बाद अग्निहोत्र, अग्निहोत्र के बाद दर्शपूर्णमास, तत्पश्चात् आग्रयण, आग्रयण के बाद चातुर्मास्य, चातुर्मास्य का सम्पादन हो जाने पर पशुबन्ध, पशुबन्ध के अनन्तर अग्निष्ठोम के सम्पादनान्तर राजसूय, राजसूय के बाद वाजपेय, इसके बाद अश्वमेध, अश्वमेध के पश्चात् पुरुषमेध, पुरुषमेध के प्रतिपादन के बाद सर्वमेध, सर्वमेध के अनन्तर दक्षिणामुक्त यज्ञ तदनन्तर दक्षिणारहित याग और अन्त में सहस्र दक्षिणा यागों का सम्पादन किया जाता है ।



तृतीय अध्याय

(१) द्रव्य विषयक मतभेद

(क) १- उद्दिश्यों से प्राप्त होम द्रव्य विषयक मतभेद

(आग्रहणेष्टि के असम्मादक यजमान द्वारा अग्निहोत्र में नवान्न हविप् प्रयोग विषयक मतभेद)

इस विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि अग्निहोत्र में भी नवान्नों का ही हविष् होना चाहिए। यदि वह यजमान दूध का हवन करता है तो गाय का नवान्न खिला कर उससे प्राप्त दूध से हवन करना चाहिए। (शत०शा० २।४।३।१४)

याज्ञवल्क्य के मत से आग्रहणेष्टि किये बिना हविप् में नवान्न का प्रयोग न करना चाहिए अन्यथा आग्रहणेष्टि के देवता इन्द्र और अग्नि का अग्निहोत्र के देवता के साथ कलह होगा। (शत०शा० २।४।३।१४)

(क) २- उत्तरायुजों से प्राप्त होम द्रव्य विषयक मतभेद

(अग्निहोत्र में प्रमुक्त दूध के पाक कार्य में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार अग्निहोत्र में प्रयोग किये जाने वाले दूध की बुटबुदे उठने के समय तक पकाना चाहिए। तभी उसकी उपयोगिता बढ़ता है। (शत०शा० २।३।११४)

याज्ञवल्क्य इस मतका खण्डन करते हुए कहते हैं कि दूध को बुटबुदे उठने के समय तक न पकाना चाहिए नहीं तो दूध जल जायेगा। बिना आग्नि पर रखे दूध का हवन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह अग्नि का बीर्य है। (शत०शा० २।२।४।१५) पकाने से जल न जाय इसलिए इसका पाक कर्म नहीं होना चाहिए

बीय सदैव यम रहता है जन द्वय को थोड़ी दर अग्रिन् पर गमे करने के बाद
हवन बरन चाहिए (शत०ब्रा० २३ १.१५)

(४) उदिष्टजों से प्राप्त याग इच्छ विषयक भत्तभेद

(पुरोडाश-परिसाम विषयक भत्तभेद)

इस विषय का विवेचन करते हुए याजवल्य पुरोडाश का बृहदाकार करने
के पक्ष में नहीं प्रतीत होते। अष्टवर्षु को कपालों की परिधि के अन्दर ही पुरोडाश
को बढ़ाना चाहिए। इस मन को पुष्टि के लिए उनका कहना है कि बड़ा पुरोडाश
करने पर वह कार्य मानुप होगा। यदि कपाल से बड़ा पुरोडाश हो गया तो वह
यज्ञ से बाहर की बस्तु होगी। अष्टवर्षु कहता है कि “मैं ऐसा कोई भी कार्य
नहीं करता हूँ जो यज्ञ के बाहर ही रहे (अथवा यज्ञ का अंग न बन सके)”
अतः पुरोडाश का आकार बड़ा नहीं करना चाहिए। (शत०ब्रा० १२१२।६)

इस विषय में तैतिरीयकों का भत्त है कि ‘पुरोडाश’ को अष्टव के दाप के
बराबर बनाना चाहिए। (शत०ब्रा० १२१२।१०) इस भत्त का खण्डन करते हुए
याजवल्य तक प्रस्तुत करते हैं। “कौन जानता है कि अष्टव का दाप कितना बड़ा
होता है ?” (शत० ब्रा० १२१२।१०)

पुरोडाश के आकार के विषय में याजवल्य का भत्त है कि अष्टवर्षु पुरोडाश
को इतना बड़ा बनाए जितना उसके मन से बड़ा न प्रतीन हो। यावन्तमय स्वयं
मनमा न सका एवं मन्त्र्येत्तं कुर्यात्। (शत०ब्रा० १२१२।१०)

(सौक्रामणी याग में अश्विनों के लिए द्विकपाल पुरोडाश प्रदान विषयक
भत्तभेद)

कुछ आचार्यों के मनानुसार यदि यजमान सौक्रामणी आहृति के द्वारा
सोमातिपूत (सोम से सोम निकलने की क्रिया) का समाधान करना चाहे तो उसे
सविना देवता के लिए द्वादशकपालपुरोडाश अथवा अष्टाकपालपुरोडाश वर्ण के
लिए यथा निर्मित चम तथा इन्द्र के लिए द्वादशकपालपुरोडाश देना चाहिए। इस
समय अश्विनों के लिए द्विकपालपुरोडाश बनाना चाहिए। अष्टवर्षु वरा हृविषों के
साथ अश्विनों के लिए द्विकपालपुरोडाश के साथ प्रब्रह्म करे। (शत०ब्रा० ५।५४
४।३३)

याजवल्य उपर्युक्त भत्त का खण्डन करते हुए कहते हैं कि ऐसा करने से
यजमान यज्ञ मार्ग से च्युत होता है। ऋत्विज जब पशुओं की वया के साथ हवन

करने केनिए प्रस्थान कर उसी समय उन तीन हृविषों के मात्र प्रचरण करना चाहिए तथा अशिवनों के लिए द्विकपालपुरोडाश के की आवश्यकता नहीं है। (शत०बा० ४४।४।३४)

(पौर्णमास तथा दर्शयागों के साथ अतिरिक्त हृविष्-निर्वाप के विषय में भत्तभेद)

इस विषय में दो पक्ष हैं—प्रथम यज्ञ अनुनिवार्य पक्ष है जिसके अनुसार बोर्णमासयाग के अनन्तर यज्ञमान इन्द्रविमृद्ध के लिए एक अतिरिक्त पुरोडाश देता है तथा इसी प्रकार दर्शेष्ठि कर लेने पर अदिति के लिए चह का निर्वाप और गत हृवन की तरह उसका भी हृवन करता है। (शत०बा० ११।१।३।१) इन्द्रविमृद्ध के लिए पुरोडाश देने का कारण यह है कि इन्द्र यज्ञ के देवता है। पौर्णमास हृविष् अभिन और सोभदेवता से सम्बन्धित होता है। उसमें 'इन्द्राय त्वा' यह कह कर कोई भी आहूति नहीं दी जाती। इस हृविष् प्रदान के अनन्तर इन्द्र का आग दिया जाता है तथा यज्ञ भी इन्द्र से युक्त होता है। (शत०बा० ११।१।३।२) 'इन्द्रविमृद्धेत्वा' यह कह कर पुरोडाश देने का कारण यह है कि पौर्णमास याग से इन्द्र सभी मृधों (निन्दकों) को नष्ट करते हैं। (शत०बा० ११।१।३।२)

दर्शयाग के पश्चात् अदिति को चह प्रदान किया जाता है क्योंकि सोम राजा ही चन्द्रमा है जो देवों के अन्न हैं। दर्श में पूर्व और पश्चिम दृष्टिभास न होने के कारण इस समय दिया जाने वाला हृविष् अनिश्चित होता है। अदिति पृथ्वी है जो निश्चित तथा प्रतिष्ठित है। उसके लिए दिया जाने वाला हृविष् निश्चित तथा प्रतिष्ठित होता है। (शत०बा० ११।१।३।३)

द्वितीय पक्ष अनुनिवार्य पक्ष है। इसके अनुसार अतिरिक्त हृविष् का निर्वाप नहीं करना चाहिए। इन्द्र विमृद्ध के लिए पुरोडाश का विधान यज्ञ से इन्द्र को सम्बन्धित करने के लिए होता है। इन्द्र का सहभाव सद्वे रहता है क्योंकि 'यज्ञ इन्द्रस्यैव (सभी यज्ञ इन्द्र के ही हैं)' इस श्रुति से स्पष्ट है कि यज्ञ इन्द्र से सम्बन्धित हैं। अतः अनुनिवार्य से सम्बन्ध स्थापित करना उचित नहीं है। (शत०बा० ११।१।३।४)

दर्शयाग के अनन्तर अदिति के लिए चह का विधान भी उचित नहीं क्योंकि दर्श स्वयं अनुनिवार्य है। पौर्णमास याग से इन्द्र ने वृत का वध किया था। उथके लिए देवताओं ने अतिरिक्त हृविष् दर्श का निर्वाप किया था। इसलिए एक बार अनुनिवार्य हो जाने पर पुनः अनुनिवार्य की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

(शत०ब्रा० ११ १ ३५) जो व्यक्ति अनुनिर्वापि करता है वह अपने विरोध में अपने शब्द को उद्यत करता है। जा यजमान पौण्ड्रास तथा दशयाग का सम्पादन क्रमशः पौण्ड्रासी तथा अमावास्या में करता है वह शक्तुरहित तथा बाधारहित होता है। (शत०ब्रा० ११।१।३।३) पूर्णमासी को पौण्ड्रासयाग तथा अमावास्या की दर्शयाग के सम्पादन से देवताओं ने शीघ्र ही पाप को दूर कर पुल-पौत्र से युक्त समृद्धि को प्राप्त किया। (शत०ब्रा० ११।१।३।७)

(अश्वमेष्टध्याग समाप्ति पर दातव्य हृविष् के विपथ में मतभेद)

अबभूत्य स्तनान के अनन्तर अधर्यु ब्राह्मणों के लिए पकाये गये चावल के द्वादश चरु का निर्वापि करता है (शत०ब्रा० १३।३।३।६)

अन्य आचार्यों का मत है कि अग्निदेवता के लिए द्वादशकपालपुरोडाश देना चाहिए क्योंकि इन इष्टियों के करने से यज्ञ का सम्पादन होता है। यदि यजमान इन इष्टियों को सम्पन्न करता है तो यज्ञ उसके प्रति नम्र बनता है। (शत०ब्रा० १३।३।६।६)

इस पक्ष की निन्दा करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं। वह यजमान पापीयान् होगा। सोमवारी के लिए याज्ञा मन्त्र शक्तिहीन हो गए हैं। उनमें वह शक्ति नहीं रह गयी जो पहले थी। उन मन्त्रों को शीघ्र ही कार्य में नहीं ले आया जा सकता क्योंकि जब यज्ञ पूर्ण होता है तब बाणी पूर्ण रूप से प्राप्त होने के बाद इसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है। बाणी ही यज्ञ है अतः द्वादश हृविष् से युक्त इष्ट का विधान नहीं होना चाहिए। (शत०ब्रा० १३।३।६।६)

याज्ञवल्क्य प्रथम मत से ही सहमत प्रतीत होते हैं। द्वादश ब्रह्मांडन चरु के निर्वापार्थ मत प्रस्तुन करते हुए कहते हैं कि औदन प्रजापति है, वह सबत्यर है, प्रजापति यज्ञ है। इस प्रकार यजमान संवर्त्तर तथा यज्ञ की प्रस्ति करता है और यज्ञ उसके प्रति नम्र बनते के लिए तैयार होता है साथ ही साथ वह यजमान पापीयान् भी नहीं होता। (शत०ब्रा० १३।३।६।७)

(द्व्यम्बकिष्ट में पुरोडाशाभिष्ठारण-विपथक मतभेद)

तैत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार रुद्र को दिये जाने वाले पुरोडाशों का, जो सख्या में यजमान के परिवार तथा उसके सम्बन्धियों की संख्या से एक अधिक होते हैं, वे से अभिष्ठारण करता चाहिए क्योंकि जो भी हृविष् दिया जाता है वह वे से चुपड़ा होता है। (शत०ब्रा० २।६।२।६)

नारायणन का मत है कि पुरोडाशो का अभिधारण नहीं होना चाहिए क्योंकि भी पशुओं से प्राप्त होता है। यदि उन पुरोडाशो का अभिधारण किया जायगा तो भी के कारणमूल पशुओं के लिए भी रुद्र की तृष्णा बढ़ेगी। (शत०ब्रा० २५।२१६)

(ग) उद्दिभजों तथा जरायुजों में पशुओं की जीविहावस्था से प्राप्त द्रव्यों में मतभेद।

(आग्रयणेष्टि में द्यावा पृथिवी के लिए दातव्य हविर्देव्य विषयक मतभेद)

द्यावापृथिवी के लिए एक कपाल पुरोडाश देने का विधान हैं यद्योंकि एक कपाल के समान ही पृथिवी एकाकार है। (शत०ब्रा० २४।३१८)

अन्य आचार्य इस मत को दोषयुक्त बताते हैं। कारण यह देते हैं कि यहाँ भी याग में जिस देवता को हविष प्रदान किया जाता है उसमें स्विष्टकृत् का भाग होता है किन्तु यहाँ सब कुछ हवन कर दिया जाता है और स्विष्टकृदरित के लिए कुछ शेष नहीं बचता। फल यह होता है कि जाने वाली वस्तु ऊपर न जाकर नीचे बापस आती है। (शत०ब्रा० २४।३१९) एक कपालपुरोडाश के नीचे बापस लाने से राष्ट्र में अनियन्त्रण होता है। (शत०ब्रा० २४।३१०)

इन दो दोषारोपणों के विषय में याज्ञवल्क्य का कथन है कि एककपालपुरोडाश का प्रत्यादर्शन निन्दा नहीं है। यदि एक बार भी प्रत्यादर्शन हो तो भी इन्द्रा आदर नहीं करना चाहिए क्योंकि हविष देवता के उद्देश्य से ही दिया जाता है। इस प्रकार एक ही निन्दा शेष रहती है कि स्विष्टकृत् अग्नि का भाग नहीं लगाया जाता। इस निन्दा से भी बचने के लिए एक कपालपुरोडाश का हवन न करके आज्य दिया जाना चाहिए। ध्रुवा में रखे हुए आज्य का चतुर्यांश लेकर द्यावा-पृथिवी के लिए पञ्चन करना चाहिए। आज्य द्यावापृथिवी का प्रत्यक्ष रस है क्योंकि उसमें द्रवत्व है। यव और बीहि परोक्ष रस हैं क्योंकि उसमें काठिन्य है। अत पञ्चमान को प्रत्यक्ष रस (आज्य) से ही यजनकरना चाहिए। (शत०ब्रा० २५।३१०)

(आग्रयणेष्टि में विश्वेदेवों के लिए नवान्ननिर्मित चरु अथवा प्राचीनान्न निर्मित चरु प्रदान के विषय में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार देवताओं में प्रजा होने के कारण विश्वेदेवों के लिए प्राचीनान्ननिर्मित चरु का तथा क्षत्र (क्षत्रिय) होने के कारण इन्द्र और अग्नि को नवान्ननिर्मित पुरोडाश का विधान करना चाहिए। क्षत्र को साधारणजन की

श्रणी से अलग रखने के लिए ही विष्वदेवों को प्राचीनतन्त्रनिर्मित वह दिया जा है (शत०ब्रा० २४ २६)

इस मत का खण्डन करते हुए याज्ञवल्क्य अपना मत प्रस्तुत करते हैं जिसमें अनुसार पुरोडाश और चतु दोनों ही नवान्ननिर्मित होने चाहिए। एक के लिए च है तथा दूसरे के लिए पुरोडाश, इस प्रकार शत्रु को साधारण जनसमूह से अलग है रखा जाता है फिर अन्न-भेद क्यों किया जाय ? (शत०ब्रा० २४।३७)

(आधिदेविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक रूप वाले पूर्णमास तथा दर्शयार प्रयुक्त द्रव्य विषयक मतभेद)

दर्श तथा पूर्णमास के विषय में आधिदेविक रूप से भीमांसा—

सूर्य प्रतिदिन पूर्ण रहता है। इसलिए पूर्णमास सूर्य है तथा चन्द्रमा अमावास्या को दिखायी नहीं पड़ता, प्रतिपदा के बाद दृष्टिगत होने के कारण दर्श चन्द्रमा है। (शत०ब्रा० ११।२।४।१) दूसरे प्रकार से यह कह सकते हैं कि पूर्णमास चन्द्रमा है क्योंकि चन्द्रमा के पूर्ण हो जाने पर पूर्णमास की रात्रि होती है। दर्श सूर्य है क्योंकि वह जैसा है चतुर रूप में दृष्टिगत होता है। (शत०ब्रा० ११।२।४।२) पूर्णमास यह पृथ्वी है क्योंकि वह पूर्ण है और दर्श जो (आकाश) है क्योंकि आकाश अपने रूप में ही दिखायी पड़ता है। (शत०ब्रा० ११।२।४।३)

पूर्णमास रात्रि है क्योंकि आधिदेविक रूप से दर्श तथा पूर्णमास के विषय में भीमांसा है। (शत०ब्रा० ११।२।४।४)

दर्श तथा पूर्णमास के विषय में आध्यात्मिकी भीमांसा—

पूर्णमास उदान है क्योंकि उदान से यह पुरुष पूर्ण होता है। दर्श प्राण है क्योंकि यह प्राण प्रत्यक्ष है। इस प्रकार पूर्णमास तथा दर्श अन्न के भोवता तथा प्रदाता हैं (शत०ब्रा० ११।२।४।५) प्राण अन्न का भोवता है क्योंकि प्राणकी सहायता से ही अन्न का उपभोग किया जाता है। उदान अन्नदाता है क्योंकि उदान के द्वारा अन्न दिया जाता है। (शत०ब्रा० ११।२।४।६)

पूर्णमास मन है क्योंकि मन पूर्ण है, दर्श बाणी है क्योंकि बाणी प्रत्यक्ष है इस तरह ये दोनों स्पष्ट रूप से शरीर से सम्बन्धित हैं। उपवस्थ के दिन यजमान व्रतोपानीय (व्रत के दिन के स्थायान्त्र) का भक्षण करता है। इस प्रकार यजमान आध्यात्म रूप से प्रत्यक्षदर्श तथा पूर्णमास का तर्पण करता है। दूसरे दिन प्रातः-

एल सम्पाद्य वा के द्वारा अधिदेवों का सम्मुट करता है शत०ब्रा० ११२
१७)

इस विषय में ब्रह्मवादियों का मत है कि न तो पूर्णमास के लिए हविय प्रहण किया जाता है न तो दर्शन के लिए ही। पूर्णमास तथा दर्शन में पुरोनुवाक्या और पाञ्चाया का पाठ तथा प्रेष भन्न भी नहीं विहित हैं। इनके अभाव में पूर्णमास और दर्शन का यजन कैसे सम्पन्न हो सकता है? (शत०ब्रा० ११।२।४।८)

याज्ञवल्क्य के कथनानुसार जब वह मन के लिए थी का आधार देना है तो उसका यजन हो जाता है। वाणी दर्शन है अतः जिस आधार को वाणी के तिरिच्छ प्रदान किया जाता है उससे दर्शन का यजन होता है। इस प्रकार यजमान के पूर्णमास तथा दर्शन का विधिवत् अनुष्ठान होता है। (शत०ब्रा० ११।२।४।९)

कुछ आचार्य आज्य के दो आधारों के स्थान पर दो चर का तिर्याप करते हैं, पूर्णमास में सरस्वत् के लिए तथा दर्शन में सरस्वती के लिए। उनका विचार है कि इस प्रकार प्रत्यक्ष दर्शपूर्णमास का यजन होता है (शत०ब्रा० ११।२।४।१०)

याज्ञवल्क्य द्वितीय मत का खण्डन करके प्रथम मत की पुष्टि करते हैं। उनके मतानुसार सरस्वत् (सरस्वान्) मन है और सरस्वती वाणी है। मन और वाणी के लिए गए दो आधार सरस्वत् तथा सरस्वती से युक्त हैं। अतः उन देवताओं को प्राप्त हीने वाला चरूद्धय आधारों से ही मिल होता है। उनके अनुसार सरस्वती और सरस्वान् ही वाणी और मन है अतः देवता भेद से हुआ नहीं इस कारण आधार पक्ष ही उचित है। (शत०ब्रा० ११।२।४।११)

(घ) दक्षिणा द्रव्य विषयक मतभेद

(त्रिरात्र यज्ञ की दक्षिणा के विषय में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार त्रिरात्र यज्ञ की दक्षिणा में एक महस्त्र गायों से अधिक कुछ भी नहीं देना चाहिए क्योंकि उतने से ही यजमान को सब कामों का प्राप्ति होती है। (शत०ब्रा० ४।५।८।१४)

याज्ञवल्क्य आचार्य आसुरि के मत को प्रस्तुत करते हैं। आनायं आसुरि के मत से एक सहस्र गायों के अतिरिक्त यदि वह यजमान अट्टिवज्रों की दक्षिणा में कुछ अन्य वस्तुएँ भी देना चाहे तो वे सकता है। एक सहस्र से वह अपने सब कामों की प्राप्ति कर लेता है। अतिरिक्त दान इच्छानुसार दिया जाता है। (शत०ब्रा० ४।५।८।१४)

यजमान यदि कृष्णो स युक्त रथ अथवा अन्य काई वस्तु देना चाहे तो उसे व्रशा गाय (वन्ध्या गया) की वपा होम के अनन्तर अथवा उदवसानीयेष्ट के समय देना चाहिए। (शत०ब्रा० ४।५।८।१५)

(अंगु ग्रह की दक्षिणा के विषय में मतभेद)

अंगु ग्रह की दक्षिणा प्रथम गर्भवाली द्वादश गायें हैं इसका कारण यह है कि एक वर्ष में द्वादश मास होते हैं। द्वादश मायें तथा उन गायों के द्वादश गर्भ मिलकर चौबीस होते हैं तथा एक वर्ष में चौबीस अद्वैमास होते हैं। प्रजापति सबत्सर है और अंगु प्रजापति है। इस प्रकार अद्वैयु यजमान को प्रजापति बनाता है। शत०ब्रा० ४।६।१।१२)

१८.६१

कौकूम्बु को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करके याज्ञवल्क्य कहते हैं कि कौकूम्बु ने प्रथम गर्भवाली चौबीस गायों के साथ एक अद्वैमास होते हैं। प्रजापति सबत्सर हुए। इसके अतिरिक्त स्वर्ण भी दिया। (शत०ब्रा० ४।६।१।१३)

१८.६२

(विराव यज्ञ की दक्षिणा में दो जाने वाली साहस्री गाय के वर्णनक्रियायम मतभेद)

१८.६३

सहस्रदक्षिणविराव (जिसमें पुरोहितों को एक सहस्र गाये दक्षिणा में दी जाती हैं) में प्रतिदिन दक्षिणार्थ तीन सौ तीनोंसे गायें दी जाती हैं। इस प्रकार तीन दिन में नीं सौ तीनोंसे गायें दक्षिणार्थ दी जाती हैं। साहस्री (एक सहस्र दक्षिणा की एक गाय) जो प्रथम दिन ले आयी जाती है उसके बर्ण में मतभेद है।

१८.६४

कुछ वाचायों के मतानुसार उसे तीन बर्णों से युक्त होना अद्वैमहिषु क्योंकि वह साहस्री का सबसे पूर्ण रूप है। (शत०ब्रा० ४।५।८।२)

१८.६५

याज्ञवल्क्य का मत है कि साहस्री गाय रक्तवर्ण (रोहिणी) होनी चाहिए और साथ ही चितकबरी भी। यह उसका सर्वोत्तम रूप होगा। (शत० ब्रा० ४।५।८।२)

१८.६६

(चयनकर्म सम्बन्धिनी दक्षिणा के विषय में मतभेद)

(१९।६।१।१।५ १९।६।१।१।६)

कतिपय याज्ञिकों के मतानुसार चयन कर्म के समय भी यजमान को दक्षिणा देना चाहिए अन्यथा उसका यज्ञ दक्षिणा से रहित होगा। ओर्डिनेट दक्षिणा ब्रह्मा को दी जानी चाहिए क्योंकि ब्रह्मा सम्पूर्ण यज्ञ है। इस प्रकार सम्पूर्ण यज्ञ की चिकित्सा हो जाती है। (शत०ब्रा० ६।२।२।४०)

१८.६७

याज्ञवल्क्य चर्पयुक्त मत का निषेध करके चयन कम म दक्षिणा न ऐसे का षष्ठि प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार से यजमान दक्षिणा नेकर इय याग का इष्टकाय याग बनाता है। फलतः वह प्रति इष्टका दक्षिणादान का विधान करता है। दक्षिणा उचित समय पर ही दी जानी चाहिए। (शत०ब्दा० ६।२।२।४०)

२— देवता विषयक मतभेद

(क) अन्तरिक्ष देवता विषयक मतभेद
(सान्नाय् प्राप्तकर्ता देवता विषयक मतभेद)

सोमयाजी (जिस यजमान ने सोमयाज कर लिया है) को इन्द्र के लिए सान्नाय् देना चाहिए।

तीत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार (त०सं० २।५।४।४) सान्नाय् ‘महेन्द्राय सान्नाय्यम्’ कह कर देना चाहिए क्योंकि वृत्त-हृनन के पूर्व इन्द्र थे बिन्दु वृत्त-हृनन के अनन्तर वे महेन्द्र हो गये। उदाहरणस्वरूप आज प्री विजयोपरान्त एक राजा को ‘महाराज’ शब्द से सम्बोधित किया जाता है। (शत०ब्दा० १।६।४।२।१)

इस मत का निषेध करके याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ‘इन्द्राय’ कह कर सान्नाय् देना चाहिए। महेन्द्र को सम्बोधित करके नहीं क्योंकि वृत्त-हृनन के पहले भी इन्द्र थे और बाद में भी। (शत०ब्दा० १।६।४।२।१)

(ख) भार्यात्मक देवता सम्बन्धी मतभेद

(प्रजापति सम्बन्धी सत्रहवें पशु के देवता के विषय में मतभेद)

वाजपेययाग में प्रजापति के लिए सत्रह पशुओं का आलम्भन किया जाना है। सत्रहवां पशु वाग्देवता को दिया जाय या प्रजापति को, इस विषय में मतभेद है—

अनेक आचार्यों के मतानुसार सत्रहवें पशु का आलम्भन वाक् (वाणी) देवता के लिए होना चाहिए क्योंकि यदि प्रजापति के अतिरिक्त कोई वस्तु हा सकती है तो वह वाणी ही है। इस प्रकार यजमान वाणी को प्राप्त करता है। (शत०ब्दा० ५।१।३।१।१)

याज्ञवल्क्य इस मत का विरोध करके कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी है वह प्रजापति का ही रूप है। ये लोक तथा इन लोकों का वाग्ब्यापार प्रजापति के ही रूप हैं। इसलिए वाक् (वाणी) के लिए सत्रहवें पशु का विधान करने वाले मन

का समादर न करके उस पशु को प्रजापति के लिए देना चाहिए। प्रजापति को पशु देने से वह यजमान अन्य वस्तुओं के साथ बाणी को भी प्राप्त करता है। (शत०ब्रा० ५।२।३।११)

(ग) आद्यात्मक देव तथा देवगण विषयक भत्तेद

(अश्वप्रेष्ठ याग में अश्वालम्भन सम्बन्धी देवता के विषय में भत्तेद)

कुछ आचार्यों के भतानुसार अश्वालम्भन सब देवताओं के लिए होना चाहिए क्योंकि 'स्वगा त्वा देवेभ्यः', 'तं बधानं देवेभ्यः' आदि उद्घरणों से विद्वित होता है कि अश्व सब देवताओं के लिए दिया जाता है। (शत०ब्रा० १३।३।४।१)

अन्य आचार्यों के भतानुसार प्रजापति के लिए ही अश्व का आलम्भन होना चाहिए। (शत०ब्रा० १३।३।४।१)

याज्ञवल्क्य इस द्वितीय भत के विरोध में कहते हैं कि कोई यजमान प्रजापति के लिए ही अश्वालम्भन करता है तो वह उसमे भाग प्राप्त करने वाले देवताओं को उनके अंशों से रहित करता है। (शत०ब्रा० १३।३।४।१) क्योंकि अश्व में अनेक देवताओं को भाग प्रदान किया जाता है। इस दोष के परिहारार्थ प्रजापति के लिए अश्वालम्भन करके शाद नाम के देव को 'शाद ददिभरवकां दन्तमूलै' (श०य०स० २४।१) इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी प्रसन्न करता चाहिए। आज्याबदान के अनन्तर मन्त्र पाठ करके आज्य को ही अण्वांग मान कर अवदान के समय शाद, बात, मणक, अग्नि, इन्द्र, इन्द्राग्नी, पूषा आदि देवताओं का नामोल्लेख करके उन देवताओं के लिए आहृति का हृवन करता चाहिए। ये हृवन के मन्त्र शुब्लयजुर्वेद वाजसनेयि संहिता (२४।१-६) में प्राप्त हैं। इस प्रकार अश्व में अंश प्राप्तकर्ता देवताओं को समृद्ध किया जाता है। अवभूत में 'पृथिवीं त्वचा प्रीणामि स्वाहा' (श०य०स० २५।६), 'जस्मुकाय स्वाहा' (श० य० स० २५।६) इन मन्त्रों से होम होता है। इसके पश्चात् विश्वेदेवों के लिए हृदयादि का हृवन होता है। हृवनान्तर शुक्लयजुर्वेद संहिता ३६।१३ के मन्त्र से द्यावा पृथिवी को आहृति प्रदान करना चाहिए क्योंकि द्यावा पृथिवी पर ही सब देवता प्रतिष्ठित हैं। (शत० ब्रा० १३।३।४।१)

(घ) देवता सामान्य विषयक भत्तेद

(शुक्र और मन्थिन ग्रह-ग्रहण तथा होम सम्बन्धी देवता के विषय में भत्तेद)

शुक्र और मंथी ग्रह यज्ञ की दो आखें हैं। शुक्र सूर्य है तथा मंथी चन्द्रमा। सूर्य चमकता है इसलिए शुक्र है। (शत०ब्रा० ४।२।१।१) मंथीग्रह में सत्तू के मिश्रण से

मकी निर्मित होता है। दानों (सूख और चन्द्रमा) प्रजा की आवेदन क्षमोंकि इन दोनों के उदय न होने से कोई भी व्यक्ति अपने ही हाथों को नहीं पहचान सकता। (शतांश्रा० ४१२।११२) शुक्र भौक्ता है तथा मधी भोज्य। (शतांश्रा० ४१२।११३) शण्ड और मर्क के लिए दोनों का ग्रहण तथा देवताओं के लिए हवन होता है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए अभिज्ञ जन आरब्याधिका ग्रस्तुत करते हैं—

शण्ड और मर्क नाम के दो राक्षस थे। देवताओं ने सब अमुर राक्षसों को तो भगा दिया किन्तु वे इन दोनों को पराजित न कर सके। वे देवताओं के द्वारा सम्पादित होने वाले याज्ञिक कर्म में विघ्न ढालकर शीघ्रतापूर्वक आम जाते थे। (शत०व्रा० ४।२।१५) देवताओं ने इन्हें दूर करने के विषय में विचार किया कि ‘इन दोनों राक्षसों के लिए ग्रह-ग्रहण किया जाय। जब वे उनके लिए आएंगे तब हम लोग उन्हें पकड़ कर पराजित करेंगे।’ जब उनके लिए स्रोम प्रहों का ग्रहण किया गया, ये दोनों नीचे आ गये और देवों ने उन्हें पराजित किया। इसलिए शण्ड और मर्क को ही उद्देश्य कर दोनों प्रहों का ग्रहण होता है तथा देवताओं के लिए हवन होता है। (शत०व्रा० ४।२।१६)

याज्ञवल्क्य का मत है— ‘क्या हम देवताओं के लिए हो होम के समान इह दोनों ग्रहों का ग्रहण भी न करें क्योंकि यह तो विजय का चिह्न है।’ (भत्तव्राण ४।२।१।७) याज्ञवल्क्य ने यह विचार किया परन्तु कार्यरूप में परिणत नहीं किया,

(३) मन्त्र विषयक मतभेद

(क) शकल-यज्ञवेद संहिता में प्राथम मन्त्रों के विषय में भत्तमेद

१— भन्त्र-पाठ भेद विषयक भतभेद

(शब्द संयोगकृत पाठभेद विषयक भत्तभेद)

दर्शयाग के विषय में यह निर्देश है द्वूतरे दिन महेन्द्र के लिए सामनाय्य का विधान होने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए दधि की आवश्यकता पड़ती है। अध्वर्यु बछड़ों को गायों से अलग कर लेता है और गायें चरागाहों में पहुंचा दी जाती हैं। सायकाल उनके वापस आ जाने पर जिस क्रम से अध्वर्यु ने उन्हें अलग किया था उसी क्रम से वह बछड़ों को गायों के समीप करता है। पलाश की माल्का में उनका स्पष्ट करता है। स्पर्श करने के साथ ही साय वायवः स्थ' (यु० यजु० सं ११) मन्त्र का भी उच्चारण करता है। (शत०ब्रा० १ ७।१।३)

इसके विपरीत तत्त्वार्थ शाखा के आचार्य 'वायवः स्थ' के लघान पर 'उपायवः स्थ' (त०स० १११७) को उच्चारण करते हैं। (शत०द्वा० १३१३)

इस मत के विराध में याज्ञवल्क्य का कहना है कि उपायव स्थ' नहीं कहना चाहिए क्योंकि उसका अथ द्वितीय और द्वितीय का अथ शब्द होता है उप के उच्चारण से शब्द यजमान के समीप आता है। इसलिए शब्द से यजमान के रक्षाय 'वायवः स्थ' का ही उच्चारण करना चाहिए। (शत०ब्रा० १७।१।३)

(अनुचित शब्दक्रम कृत पाठभेद विषयक मतभेद)

अग्नि स्वष्टकृत के यजनार्थ अष्वर्यु के द्वारा 'अग्निं स्वष्टकृत यज' से आदिष्ट होकर होता अधोलिखित निगद का पाठ करता है।

'ये यजामहे अग्निं स्वष्टकृतमयऽग्निरग्नेः प्रियाधामान्ययाद् सोमस्य प्रियाधामान्ययाङ्गनेः प्रियाधामान्ययाद् ॥ (शु०य०सं० १३।२४), (शत०ब्रा० १७।३।११)

इस निगद मन्त्र में अयाङ्गनिरग्नेः प्रियाधामानि अयाद् सोमस्य प्रियाधामानि' इस प्रकार का पाठक्रम मिलता है।

इसके विपरीत तैत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार 'अयाद्' शब्द के पूर्व देवता का नाम रखना चाहिए। जैसे 'अग्नेरयाद् सोमस्यायाद्। (शत० ब्रा० १७।३।१२)

याज्ञवल्क्य के द्वारा यह मत समादृत नहीं है। उनके विचार से इस प्रकार के याज्ञिक आचार्य यज्ञ के विपरीत ही कार्य करते हैं। इसलिए यज्ञ को अनुर्णता से बचाने के लिए शब्दक्रम में स्थानान्तरण करके आयाद्कार को पहले ही रखना चाहिए। (शत० ब्रा० १७।३।१२)

(कुछ शब्दों के स्थान अन्य शब्दों के रखने से उत्पन्न मतभेद विषयक मतभेद)

वाजपेय याग में यजमान के अभिषेकार्थ मन्त्रों के विषय में मतभेद है। अष्वर्युदेवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्वनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि बृहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभिषिचाभ्यस्तौ (शु०य०सं० ६।३०) इस मन्त्र से यजमान का अभिषेक करता है। (शत० ब्रा० ५।२।२।१३)

अन्य आचार्यों के मतानुसार 'सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि' के स्थान पर 'विश्वेषां त्वा देवानां यन्तुर्मन्त्रिये दधामि' का उच्चारण करना चाहिए क्योंकि विश्वेदेव सब कुछ हैं। इस प्रकार अष्वर्यु यजमान को सब देवों की अभ्यनुज्ञा में रखता है। (शत० ब्रा० ५।२।२।१४)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करके 'सरस्वत्यै त्वा वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि' का ही उच्चारण करने के लिए अपना मत प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार

से सरस्वती वाणी है। उपर्युक्त कथन से यजमान को वाणी की अभ्यनुज्ञा में रखा जाता है। 'वृहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभिपिङ्काम्यस्ते' (शु०य०सं० ११३०) उन मन्त्रों के साथ अष्टवर्ष्य यजमान का नाम-ग्रहण करता है और यह यजमान का वृहस्पति के सामुज्य तथा सलोकता की प्राप्ति कराता है। (शत० ब्रा० ४२२।२।१४)

(शतरुद्ग्रिय होम के अवसर पर प्रयुक्त मन्त्र सम्बन्धी पाठभेद)

शतरुद्ग्रिय कर्म में होम के अवसर पर भयभीत यजमान अष्टवर्ष्य के सुख में दसों दिशाओं में वर्तमान रुद्र को नमस्कार करता है। अष्टवर्ष्य 'तेष्यो नमो अस्तु' का उच्चारण करता है। उसके बाद 'तेऽमृडयन्तु' तथा 'ते य द्विष्टो यश्च ना द्वेष्टि तमेषां जम्भे दध्मः' (शु०य०सं० १६।३६) मन्त्रों के उच्चारण से यजमान के लिए सुख की प्रार्थना करके, यजमान जिससे द्वेष करता है तथा यजमान से जो द्वेष करते हैं उन दोनों को ही रुद्र के हनू (जबड़ों) में रखता है। (शत० ब्रा० ४।१।१।३८)

अन्य शाखा के आचार्य 'तमेषां जम्भे दध्मः' के स्थान पर 'अमुमेषां जम्भे दध्मयि', का उच्चारण करने के लिए विधान करते हैं और 'अमुमः' के स्थान पर यजमान जिससे द्वेष करे उसका नाम रखने का आदेश देते हैं। (शत० ब्रा० ४।१।१।३९)

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हुए कहते हैं कि यजमान जिससे द्वेष करता है उसके लिए निर्देश की सिद्धि 'यं द्विष्टो यश्च नो द्वेष्टि तमेषा' इस अभिधान से ही हो जाती है। इसलिए मन्त्र में पाठभेद की आवश्यकता नहीं है। (शत० ब्रा० ४।१।१।३८)

शतरुद्ग्रिय कर्म के प्रसंग में ही ऋत्विज और यजमान द्वारा के प्रतीक पाषण खण्ड को जल से भरे घट में रख कर उस घट का निर्झृति दिशा की ओर प्रश्नेषण करते हैं। इस प्रकार शोक को निर्झृति की दिशा में रखा जाता है। (शत० ब्रा० ४।१।२।१५) शतरुद्ग्रिय कर्म के समय देवताओं में अग्निशंख को शतरुद्ग्रिय और जल से शान्त करके उसके शोक तथा पाप को दूर किया था उसी प्रकार यजमान भी अग्निशंख को शतरुद्ग्रिय और जल से शान्त करके शोक और पाप को दूर करता है। (शत० ब्रा० ४।१।२।१०) इस घट का प्रश्नेषण अग्निवेदी से बाहर किया जाता है। ऐसा करने से शोक को तीनों लोकों से बाहर रखा जाता है क्योंकि यह अग्निवेदी तीनों लोक है। वेदी पृथ्वी है जिसके बाहर दुर्जा की रखा जाता है। (शत० ब्रा० ४।१।२।११) घट-प्रश्नेषण के समय कौन सा मन्त्र प्रयुक्त किया जाय इस विषय में मतभेद है।

याजवल्क्य के सम्प्रदायानुसार वेदी की दक्षिण ओर पर स्थित है कर अद्वयू पूर्व की ओर मुख करके यद्विष्मस्त है शुगृच्छतु (शु०य०स० १७१) मन्त्र से दक्षिण दिशा को और घट का प्रक्षेपण करता है। (शत० ब्रा० ३।१।२।१२)

अन्य आचार्यों के मतानुसार 'यद्विष्मस्त' ते 'शुगृच्छतु' के स्थान पर 'यं द्विष्म अमुते शुगृच्छतु' का उच्चारण करना चाहिए। 'अमुम्' के स्थान पर जिसमें यजमान द्वेष करे उसका नाम रख देना चाहिए। इस प्रकार यजमान से द्वेष करने वाला कोई शेष नहीं बचता। (शत० ब्रा० क्ष।१।२।१२)

याजवल्क्य इस मत का खण्डन करते हैं। उनके विचार से यजमान जिससे द्वेष करता है, वह तो स्वयं निदिष्ट है। (शत० ब्रा० ३।१।२।१२)

२—मन्त्र व्ययन विषयक मन्त्रभेद

(अग्निहोत्र होमार्थं सायं प्रातः प्रयुक्त मन्त्र सम्बन्धी मन्त्रभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार सार्यकाल 'अग्निज्योतिज्योतिरनिः स्वाहा' (शु०य०स० ३।६) मन्त्र से तथा प्रातःकाल 'सूर्योज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा।' (शु०य०स० ३।६) मन्त्र से आहुति देनी चाहिए क्योंकि अस्त हुआ सूर्य अग्नि में ही प्रवेश करता है और अग्नि ही प्रकाश रूप होता है। सूर्योदय होने पर अग्नि सूर्य में प्रवेश करता है और दिन में सूर्य ही प्रकाश रूप होता है। सायं और प्रातः दोनों समय 'अग्निज्योतिः' तथा 'सूर्यज्योतिः' ये दोनों मन्त्र के वाक्य सत्य हैं। इस प्रकार आहुति सत्य से युक्त होती है और जो कुछ भी सत्य से युक्त होता है वह देवताओं को प्राप्त होता है। (शत० ब्रा० २।३।१।३०)

तत्त्वा ने बहुवर्चसकाम आरुणि के लिए अधोलिखित मन्त्रों का प्रयोग किया था। सायकाल 'अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा' सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा' (शु०य०स० ३।६, शत० ब्रा० २।३।१।३१) तथा 'अग्निज्योतिज्योतिरनिः स्वाहा।' (शु०य०स० ३।६, शत० ब्रा० २।३।१।३२) प्रातःकाल 'सूर्योज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा।' (शु०य०स० ३।६)। सायकालिक मन्त्र के द्वारा हवन करने पर यजमान ब्रह्मवर्चस् प्राप्त करता है। प्रातःकालिक मन्त्र प्रजनन रूप है। इस मन्त्र में दोनों और अग्नि देवता नाम वाची पद हैं। इस तरह बीर्य देवताओं से आषृत है जिससे प्रजनन होता है तथा मन्त्र से प्रजा की समृद्धि होती है। (शत० ब्रा० २।३।१।३३)

आचार्य जीवल के मतानुसार उपर्युक्त मन्त्र में बीर्य आवृत है, वह गर्भ में ही रहता है प्रजारूप में उत्पन्न नहीं होता इसलिए यह दोषपूर्ण है। (शत०

ब्रा० २।३।१।३४) स्वभत प्रस्तुत करते हुए जीवलानार्य का कहना है कि साय-
काल यजमान 'अग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा' मन्त्र से तथा प्रातःकाल ज्योति
सूर्यं सूर्योज्योतिः स्वाहा' । (शु० य० स० ३।१३) मन्त्र से होम सम्पन्न
करें। इस प्रकार प्रजनन शील प्रकाश रूपी बीर्य को बाहर किया जाता है ।
(शत०ब्रा० २।३।१।३५)

इस भत के विषय में कुछ आचार्य आक्षेप करते हैं। उनके विचार से यह
विद्यान सूर्योदय के अनन्तर आहुति देने वाले के लिए है। सूर्योदय के पूर्व हवन
सम्पादक के लिए नहीं क्योंकि सूर्योदय होने पर अग्नि ज्योति है तथा सूर्योदय
होने पर सूर्य ज्योति है। इसमें दोष यह है कि अग्निहोत्र के देवता के लिए पृथक्
पृथक् आहुति का विद्यान नहीं है ।

याज्ञवल्क्य अर्निद्य पक्ष प्रस्तुत करते हैं जिसके अनुसार सायंकाल सूजूर्देवेन-
सवित्रा सजूरात्मेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेत्तु स्वाहा । (शु० य० स० ३।१०) मन्त्र
से अग्नि में प्रत्यक्ष हवन करना चाहिए। (शत० ब्रा० २।३।१।३७) तथा प्रातः
काल 'सजूर्देवेनसवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या । जुषाणः सूर्यवित्तु स्वाहा । (शु० य०
स० ३।१०) मन्त्र से सूर्य को प्रत्यक्ष हवन सम्पादित करना चाहिए। (शत०
ब्रा० २।३।१।३८)

(उपनयन संस्कार में आचार्य द्वारा उपदिष्ट सावित्री ऋचा-छन्द विपयक
भतभेद)

ऋग्वेदीय आचार्य सावित्री का अनुवचन अनुष्टुप् छन्द में करते हैं जो
अधोलिखित है—

नत्सवित्तुवृणीभहे वयं देवस्य भोजनम् ।

थेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीमहि ॥ (ऋ० स० ४।८।२।१)

उनके विचार से अनुष्टुप् वाणी है, इसलिए उत्पन्न माणवक (द्रष्ट्वाचारी)
में वाणी की स्थापना की जाती है। (शत० ब्रा० १।१।४।४।१३)

याज्ञवल्क्य इस भत के विरोध में कहते हैं कि ऐसी स्थिति में यदि
कोई अभिज्ञ यह कहे कि 'निश्चय ही इस माणवक ने आचार्य की वाणी
को ले लिया ।' तो वह उपदेष्टा (आचार्य) मूरक हो जायगा। (शत० ब्रा०
१।१।४।४।१३)

याज्ञवल्क्य सावित्री का अनुवचन सावित्री छन्द में करने का आदेश
देते हैं जो इस प्रकार है—

‘तत्सवितुवरेण्य अर्थो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ (शु०य० स० ३।३५), (शत० ब्रा० १।४।१३)
(दीक्षित यजमान के वाग्विसर्जनार्थ प्रयुक्त मन्त्र विषयक भतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार दीक्षित को ‘भूर्भुवः स्वः’ (शु०य० स० ३।५) व्याहृति से वाग्विसर्जन करना चाहिए। इससे यज्ञ को शक्तिशाली तथा पूर्ण बनाया जाता है। (शत० ब्रा० ३।२।२।६)

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करके कहते हैं कि इस प्रकार से न तो यज्ञ शक्तिवान् और न वह पूर्ण ही होता है। यजमान को वाग्विसर्जन से पूर्व ‘व्रत-कृणुत व्रतं कृणुताग्निब्रह्मग्निर्यज्ञो वनस्पतिर्यज्ञियः ।’ [शु०य० स० ४।१।१] मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए। [शत० ब्र० ३।२।२।७] यह व्रत दीक्षा के समय यज्ञ तथा हविष् भी है। जैसे दीक्षा दिन से पूर्व अग्निहोत्र सम्पादित होता है उसी प्रकार यह भी अग्निहोत्र के प्रति आम्नाय ही है। यजमान सोमयज्ञ में इस व्रताख्य यज्ञ के साधन से सम्भरण करके यज्ञ में यज्ञ का प्रतिष्ठापन तथा यज्ञ से यज्ञ का विस्तार करता है क्योंकि वह व्रत सुत्या दिन तक सम्पन्न किया जाता है। ‘व्रतं कृणुत’ तीन बार कहना चाहिए क्योंकि यज्ञविवृत् होता है। दीक्षित यजमान को वाग्विसर्जन के समय अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए। यदि यजमान ‘व्रतं कृणुत’ के अतिरिक्त अन्य किसी ‘भूर्भुवः स्वः’ आदि व्याहृतियों से वाग्विसर्जन करता है तो वह यज्ञ को सशक्त नहीं बनाता। [शत० ब्रा० ३।२।२।८] यजमान प्रथम मन्त्र भाग के उच्चारण से वाणी के सत्य का उच्चारण करता है। वाग्व्यवहार के आरम्भ में ‘अग्निब्रह्म’ के उच्चारण से सत्य का ही कथन किया जाता है। [शत० ब्रा० ३।२।२।९]

[आतिथ्येष्टि में हविनिवर्पित्य मन्त्र-विषयक भतभेद]

तैनिरीय आचार्यों के मतानुसार अष्वर्यु को ‘अग्नेस्तनूरसि विष्णवे त्वा गृहणामि’ [द०स० ६।२।१।७] मन्त्र से हविष् का निर्वाप करना चाहिए क्योंकि एक विशेष भाग के लिए, सोम छन्दों के राज्य एवं साम्राज्य के लिए क्रयणानन्तर ले आये जाते हैं। छन्द सोम के साथ राजा के अराज, राजकृत तथा सूतग्रामणी की भाँति हैं। अग्नेस्तनूरसि विष्णवे त्वा [गृहणामि]’ इसी एक मन्त्र के साथ छन्दों के लिए पांच बार हविष् का ग्रहण करना चाहिए। [शत० ब्रा० ३।४।१।७]

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं। उनके विचार से हविष् का निर्वाप छन्दों के लिए यज्ञपूर्णता निमित्त नहीं है क्योंकि जब किसी अहंत [पूज्य]

(राजसूय यज्ञ म अभिषेकार्थ प्रयुक्तमन्त्र विषयक मतभेद)

राजसूय यज्ञ में यजमान जब अपनी दोनों बाहुओं को ऊपर उठाता है, उस समय पढ़े जाने वाले मन्त्र के विषय में मतभेद है। कुछ याजिकाचार्यों के मतानुसार यजमान (राजा) के द्वारा दोनों बाहुओं को ऊपर उठाते समय 'हिरण्य-रूपा उपर्मो विरोक उभाविन्द्रा उद्दिशः सूर्यश्च'।

आरोहत वरण मित्र गतं ततश्चकायाभविति दिति च ॥(शु० य० सं० १०११६)।

मंत्र का शाठ करना चाहिए। 'आरोहतं वरण मित्र गतेभ्' कहने का तात्पर्य यह है कि वे दोनों बाहुएं मित्र और वरण हैं। पुरुष रथ है। 'नतगच्छासाधामदिति दिति च' का तात्पर्य यह है कि तुम दोनों मित्र और वरण अपने तथा दूसरे के भी सहज गुण का अवलोकन करो। (शत० ब्रा० ४४।१।१५)

याज्ञवल्क्य उर्ध्वकृत मत का निषेध करके 'मित्रोऽसि वरणोऽसि (शु० य० सं० १०११६) मन्त्र से दोनों बाहुओं के ऋद्धर्वाभिमुख करने का निर्देश करते हैं क्योंकि मित्र और वरण यजमान की दो बाहुएं हैं। यजमान अपनी दोनों बाहुओं के द्वारा मित्र और वरण से सम्बन्धित है। (शत० ब्रा० ४४।१।१६)।

(इष्टका चयन में इष्टकाचार्यों के उपधानार्थ प्रयुक्त मन्त्र विषयक मतभेद)

आक्नात्य आचार्य के मतानुसार इष्टकाचयन के प्रसंग में विशिष्ट मन्त्रों से युक्त इष्टकाएं ही यजुष्मती (यजुष्मन्त्र से युक्त) इष्टकाएं हैं। उनके जाता को ही अग्निचयन का सम्पादन तथा बेदी निर्माण करना चाहिए। स्थान-स्थान पर अवशिष्ट भाग में 'लोकमृण, छिद्रं पृष्ठ' (शु० य० सं० १५।४६) मन्त्र युक्त इष्टकाओं का चयन करना चाहिए। इस प्रकार प्रजापति को स्वस्थ किया जाता है। (शत० ब्रा० ६।१।२४) ताण्ड्य आचार्य के मतानुसार यजुष्मती इष्टकाएं धन्त्र तथा लोकमृण इष्टकाएं विट् (प्रजा) हैं। सत्रिय भोक्ता तथा विट् अन्न है। जहाँ भोक्ता के लिए अन्न बाहुत्य रहता है वह राष्ट्र समृद्ध होता है। अत-एव लोकमृण इष्टकाओं का ही बाहुत्य रहना चाहिए। इस प्रकार लोकमृण मन्त्र का बाहुत्य होगा। (शत० ब्रा० ६।१।२५)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त दोनों मतों का निरादर करके उपधानार्थ अक्षोलिविन मन्त्र का विद्वान् करते हैं—

चिदसि तथा देवतयाऽड्हिंग्रस्वद् ध्रुवासीद ।
परचिदसि तथा देवतयाऽड्हिंग्रस्वद् ध्रुवासीद ॥
,

(शु० य० सं० १२।५३), (शत० ब्रा० ६।१।२५)

दाणी और स्वास स वेदी का निर्माण होता है क्योंकि अग्नि वासी और इन्द्र स्वास हैं। इन्द्र और अग्नि देवताओं से सम्बन्धित हैं। अग्नि की महानता के अनुसार ही अग्निवेदी का निर्माण भी होता है। (शत०ब्रा०६।१।२२८)

(अग्निचयन में आहवनीय के प्रति अग्निप्रणयनार्थं प्रयुक्त प्रथम मन्त्र विषयक मतभेद)

अठवर्यु आहवनीय के प्रति अग्निप्रणयन विधानार्थं होता को 'अग्निभ्यः प्रहिष्माणेभ्योऽनुवूहि' कहकर आदेश देता है। होता अग्निप्रणयन के लिए मन्त्रों का पाठ करता है। आरम्भ में प्रयुक्त मन्त्र के विषय में मतभेद है। कुछ आचार्य सर्वप्रथम 'पुरीष्यासो अग्नयः प्रावणेभिः सजोषसः। ज्युन्तां यज्ञमदुहोऽनमीवाइषो मही॥' (शु०य०स०१२।५०) मन्त्र का विधान करते हैं।

यज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करके अग्निप्रणयन के समय अग्नि से सम्बन्धित तथा कामवती गायत्री ऋचाओं का प्रयोग करने के लिए विधान करते हैं जिनमें आरम्भ की ऋचा अधोलिखित होनी चाहिए—

'आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्छ्रित्सवस्थात् ।

अग्ने त्वाङ्कामया गिरा। (शु०य०स० १२।११५) (शत०ब्रा०७।३।२१८)

(अश्वमेध यज्ञ में प्रयुक्त प्रजापति से सम्बन्धित अश्व के आप्रीकरण मन्त्र विषयक मतभेद)

इस विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि बाहूदुक्ष्य भन्त समूह से आप्रीकरण करना चाहिए जिसका प्रथम मन्त्र—

'समिद्धो अच्जन् कृदरं पतीनां पृतमग्ने मधुमत् पिन्वसानः ।

वाजी वहन् वाजिनं जातवेदो देवानां वक्षि प्रियमा सधस्थम् ॥

[शु०य०स० २६।१]

तथा ग्यारहबां मन्त्र अधोलिखित है—

'प्रजापतेस्तपसा वावृद्धानः सद्यो जातो दधिष्ये यज्ञमग्ने ।

स्वाहाकृतेन इविषा पुरोगा याहि साध्या हविरदन्तु देवाः ॥ [शु० य० स० २६।११]

इन विष्टुप् छन्द वाले मन्त्रों से आप्रीकरण करना चाहिए। उन आचार्यों का विचार है कि वामदेव के पुत्र वृहदुक्ष्य ने अथवा समुद्र के पुत्र अश्व ने इन

आप्री मन्त्रों (शु० य० स० २६१ न० ११) का दर्शन किया था। इत्थीं आप्री मन्त्रों से हम इस प्राजापत्य अश्व का आप्रीकरण करते हैं। (शत० ब्रा० १३।२। २।१४)

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करके जामदग्न (जमदग्नि से सम्बन्धित) मन्त्र के समूह (शु० य० स० २६।२५-३६) से अश्व का आप्रीकरण करने के लिए प्रस्तुत करते हैं जिसका प्रथम मन्त्र——

‘समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवोदेवान् यजसि ज्ञातवेदः।

आ च वह मित्रमहश्चकित्वान् त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः। (शु० य० स० २६।२५) उथा यारहवां मन्त्र इस प्रकार है।

‘सद्यो जातो व्यभिभीत यज्ञमन्देवानामभवत् पुरोगाः।

अस्य होतुः प्रदिश्यृत्तस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः॥ (शु० य० स० २६।३६)

इन एकादश जामदग्न मन्त्रों से आप्रीकरण करना चाहिए क्योंकि जमदग्नि प्रजापति हैं जो अश्वमेध है। अपने ही देवता के द्वारा इसे समृद्ध किया जाता है। (शत० ब्रा० १३।२।२।१४)

(३) मन्त्रों के आधिक्य के विषय में मतभेद

(आप्रयण ग्रह ग्रहणानन्तर उसके आसादनार्थं प्रयोग किये जाने वाले मन्त्र विषयक मतभेद)

अष्टवर्षु आप्रयण ग्रह को लेकर तीन बार हिंकार करना है क्योंकि यज्ञ भी विवृत् होता है। (अग्निपरिधि आदि के वित्त होने से) हिंकार के पश्चात् ग्रह के आसादनार्थं मन्त्र का विधान है। कुछ आचार्यों के मत से अष्टवर्षु को ‘सोमपवते। अस्मै ब्रह्मणेऽस्मैक्षत्राय। अस्मै सुन्वते यजमानाय पवते।’) शु० य० स० ७।२। इस मन्त्र का उच्चारण करके ग्रहासादन करना चाहिए। उन आचार्यों के विचार से यह सब कुछ उतना ही है जहाँ तक कि ब्रह्म, खन्त्र और प्रजाएँ हैं। इन्द्र और अग्नि सब कुछ हैं। अतः इतना ही कह कर ग्रह को रखना चाहिए। (शत० ब्रा० ४।२।२।१२-१३)

याज्ञवल्क्य का मत है कि अष्टवर्षु को इसके आगे भी कहना चाहिए। (शत० ब्रा० ४।२।२।१४) ‘इष ऊर्जे पवते। अद्भ्य ओषधीभ्यः पवते। दावा-पृथिवीभ्यां पवते। सुभूताय पवते। (शु० य० स० ७।२।१) इस पर कुछ आचार्यों

का मत है कि सुभूताय पवत के स्थान पर 'ब्रह्मवचसाय पवते' यह कहना चाहिए।

याज्ञवल्क्य इस कथन की निर्दा करते हुए कहते हैं कि 'अस्यै ब्रह्मणेऽप्यै क्षमाय' कहने से ही 'ब्रह्मवचसाय' सम्बन्ध हो गया। अब 'ब्रह्मवचसाय' कहने वी आवश्यकता नहीं है। अधर्यु 'विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य एष ते योनिविश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्य' (शु०य०सं० ४१२१) मन्त्र से ग्रह का आसादन करता है। दिव्यदेवों के लिए इसे ग्रहण करता है। ग्रह को मध्य में रखता है क्योंकि यह ग्रह आत्मा है। मध्य के समान आत्मा रहती है। दक्षिण में रखी उक्तस्थाली तथा उत्तर में रखी हुई उक्तस्थाली तथा उत्तर में रखी हुई आदित्यस्थाली के बीच में इन ग्रह का आसादन होता है। (शत० ब्रा० ४१२१२१६)

(उपस्थानार्थ मन्त्र संख्या विश्वक मतभेद)

अधर्यु विति के अन्त में अग्नि की समृद्धि के लिए, जिसके कारण चयन होता है उसकी समृद्धि के लिए तथा अग्निचित् की समृद्धि के लिए साधारण उपस्थान करता है। अधर्यु सात मन्त्रों के साथ अग्निवेदी के पास पहुँचता है। वे मन्त्र भधोलिखित हैं—

१-'व गंहत्याय जवसे पृतनासाह्याय च ।

इन्द्र त्वा वत्यामसि ॥ (शु० य० सं० १८।६८)

२-'सहदासु पुष्टु त वियन्तमहस्तमिन्द्र सम्पिणक कुणाम् ।

अभि बृत्वं चर्घमान पियाहसपादमिन्द्र तवसा जघन्थ ॥ (शु० य० सं० १८।६९)

इस प्रकार दो वृत्रहन सम्बन्धी मन्त्रों से उपस्थान किया जाता है क्योंकि देवताओं ने इन मन्त्रों से पाप को दूर किया है। यजमान भी वही कार्य करता है। (शत० ब्रा० ३।५।२।४) तदुपरात्त

३-'वि न इन्द्र मृधो जहि तीचा यच्छ पृतन्यतः ।

यो अस्मां २॥ अभिदामत्यधरं गमया तमः ॥ (शु०य०सं० १८।७०)

४-'मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परापत भाजग्न्यापरस्ताः ।

सूक्ं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं विश्वम् सादि विमृद्धा तुदस्व ॥

(शु०य०म० १८।७१)

इस प्रकार इन्द्रचिमृध सम्बन्धिती दो ऋचाओं से उपस्थान करता है। इससे देवताओं ने मृध [निर्दक] पापी का हनन कर पह कार्य किया था। यजमान भी उसी प्रकार करता है। [शत० ब्रा० १।५।२।५] तत्पश्चात्—

५— वैश्वानरो न कतय आ प्रयातु परावतः ।

अग्निर्मः सुष्टुतीहप ॥ (शु०य०सं० १८।७३)

६—'पृष्ठोदिवि पृष्ठो अग्निः पृथिव्यां पृष्ठो विश्वाओविष्वीराविवेश ।

वैश्वानरः सहसा पृष्ठो अग्निः स नो दिवा स रिषस्पातु नक्तम् ॥
(शु०य०सं० १८।७३)

वह विश्वानर से सम्बन्धिती ऋचाओं से उपस्थान करता है। इससे देवताओं ने पाप को जनाया था। इस समय यजमान भी वही करता है। (शत० ब्रा० ६।४।२।६)

सातबीं ऋचा इस प्रकार है—

'अश्याम त कामभग्ने तवोती अश्याम रथि रथिवः सुवीरम् ।

अश्याम वाजमभि वाजयन्तोश्याम छुम्लमजराजरते ॥(शु०य०सं० १८।७४)

अध्यर्यू इस एक कामवती ऋक् से उपस्थान करता है। देवताओं में छः ऋचाओं के द्वारा पाप को दूर किया था और कामवती ऋचा से सब कामों को अपना बनाया। इसी प्रकार यजमान भी छः ऋचाओं से पाप को दूर कर एक कामवती ऋचा के द्वारा सब कामों को अपना बनाता है। (शत०ब्रा० ६।४।२।७) सात ही ऋचाओं से उपस्थान (अग्निवेदी के पास गमन) किया जाता है क्योंकि अग्निवेदी सात चितिवाली है। सात ऋतुएं होती हैं, सात दिशाएं, सात देवलोक सात स्तोम, सात पृष्ठ (स्तोत्र), सात छन्द, सात ग्राम्य पशु, सात आरण्य पशु, सात शीर्ष के प्राण, जो कुछ भी सप्तविधि है, अधिदैवत है, अध्यात्म है उसे इन ऋचाओं के समूह से प्राप्त करता है। वे ऋचाएं अनुष्टुप् के बराबर हैं क्योंकि अनुष्टुप् वाणी है और वाणी के द्वारा ही वह अग्नि के लिए उस वस्तु को प्राप्त करता है जिसकी उसे प्राप्ति नहीं थी। (शत० ब्रा० ६।४।२।८)

अन्य आचार्य आठ ऋचाओं से उपस्थान के पक्ष में हैं उनके मतानुसार सात ऋचाओं के बाद अथोलिखित आठवीं ऋचा भी पढ़ी जानी चाहिए।

'वयते अद्य ररिमा हि काममुनानहस्ता नमसोपसद्य ।

यजिष्ठेन मनमा यक्षि देवानस्तेष्वा मन्मना विप्रो अग्ने । (शु०य०सं० १८।७५)

उन आचार्यों के विचार से वह द्वितीय कामवती ऋचा है। गायकी आठ अक्षरों वाली होती है। अग्नि गायकी के स्वभाव के है। अग्नि के परिमाणानुसार वह पूर्व अनाप्त काम की बात करता है। इस प्रकार इन्द्र और अग्नि अपने अनुसार ही अंश प्राप्त करते हैं।

याजवल्क्य इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि वे सात ऋचाओं अनुष्टुप् के बराबर हैं। इस प्रकार सात ऋचाओं के समूह से ही उस काम की प्राप्ति हो जाती है जिसकी प्राप्ति आठ ऋचाओं से होती है। अतः सात ऋचाओं से ही उपस्थान करना चाहिए। आठ से नहीं। (शत०बा० ३।४।२।६)

(४) स्थानान्तरण विषयक मतभेद

(ऋचाओं को सूक्त से निकाल कर स्थानान्तरण के विषय में भलभेद)

याजिक सम्प्रदाय के अनुसार अष्टवर्षु के अन्य सहायक वहिष्पवमान शस्त्रगान होते पर अश्व को जल से प्रशान्ति करके उसके साथ पवमानार्थ गमन करते हैं जिसका निर्देश पहले (शत० बा० १३।२।३।१) हो चुका है। अश्व को वहिष्पवमान किये जाने वाले स्थान पर कदम-कदम करके से जाया जाता है। यदि अश्व उस समय शब्द करते हुए नाक से भी शब्द करे अथवा औम जाय तो यजमान को जानना चाहिए कि उसका यज्ञ समृद्ध हुआ है। अष्टवर्षु द्वारा आदिष्ट होकर होता एकादश ऋचाओं (शु०य०स० २३।१२-१२) से प्रशंसा करता है। इन प्रशंसा परक ऋचाओं का पाठ सामिधेनी ऋचा-पाठ के समान ही होता है। (शत० बा० १३।४।१।१६) प्रथम ऋचा 'यदक्रन्दः प्रथमं जायमानः' के तीन बार, तथा घारहर्वी ऋक् 'तव शरीर पतयिष्पवर्वन्तवः' के तीन बार आवर्तन से पञ्चदश संख्या पूरी होती है। यह पञ्चदश ऋचाओं का समूह वज्रवत् होता है क्योंकि वज्र भी पञ्चदश होता है। वह वीर्य भी है। इस प्रकार बच्च तथा वीर्य से यजमान पाप को नष्ट करता है। (शत०बा० १३।४।१।१७) अधिगु (धार्मिक प्रार्थका) में मा नो भित्री वर्णो अर्यमाहुः (शु० य० स० २५।२४-४०) सूक्त का पाठ किया जाता है।

त्रुष्णि आचार्यों के मतानुसार—

'चतुस्त्रिंशद्वाग्निनो देववन्धोः' (शु०य०स० २५।४१) इस ऋचा की 'निक्रमण निषदनं विवर्तनम्' (शु०य०स० २५।२३) के पूर्व रखना चाहिए क्योंकि इस प्रकार प्रणव को अस्तान पर नहीं रखा जाता अर्थात् उस ऋचा को चंकी के पूर्व करने पर एक बार पुनः और० कहने की अवश्यकता न पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि एक बच्चा के द्वारा वहुवचन (अर्थात् अतेक अश्वों के वड़की वचन) का व्यवच्छेद भी नहीं होता है। (अन्य जब कि बहुत से पशुओं के लिए कहा गया है, इसे अश्व से पूर्व कर देने पर अश्व के लिए ही कहा जाता है) यदि अधोलिङ्गित ऋचा को—

'चतुस्त्रिंशद् वाजिनो देववन्धोवैद्वकीरश्वस्य स्वधितिः संभति ।

अचिछद्रा गावा वयुना कृणोत पर्वत्परनुघुष्या चि शस्त ॥'

(शु०य०स० २५।४१)

निकमण निषदने विवरन् यच्च पद्मीशमर्वत् ।
 यच्च धौष यच्च धारि अवास सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥’
 (शु०य०सं० २६।३८)

ऋचा के पूर्व रखा जाता है तो ऋचा अपने स्थान पर रखी जाती है ।

याजवल्क्य इस मत की निर्दा करते हुए कहते हैं कि दोनों ऋचाओं (शु०य०सं० २६।२३-२४) को निकालना नहीं चाहिए अपितु ‘मा नौमिकः’ (शु०य०सं० २५।२४) सूक्त की समाप्ति के पश्चात् ‘उपश्रगाच्छसनं वाज्यर्वा’ (शु०य०सं० २६।२३) तथा ‘उपश्रगात् परमं यत् सधस्थम्’ (शु०य०सं० २६।२४) इन दोनों ऋचाओं का अधिगु (धार्मिक प्रार्थना) में प्रक्षेपण कर देना चाहिए । साथ ही मात्र ‘चतुर्स्त्रिंद्राजिनो देववन्धोः’ ऋचा को ‘निकमण निषदने विवरन् यच्च पद्मीशमर्वत्’ के पूर्व नहीं रखना चाहिए अपितु सम्पूर्ण अधिगु के साथ उस ऋचा का भी पाठ होना चाहिए क्योंकि प्रैषस्था यह ऋचा प्रणव का आयतन है ।
 (शत०ब्रा० १३।४।१।१८)

(५) विशिष्ट कर्म में मन्त्र की आवश्यकता के विषय में भत्तेद
 (अग्नि उपस्थानार्थं समत्तक या अमन्त्रक विधान ?)

कुछ आचार्यों के मतानुसार सर्पराजी के तीन मन्त्रों को जपते हुए अग्नि उपस्थान करता चाहिए । वे मन्त्र अधोलिखित हैं—

१—‘आदि गोः पृष्ठिनश्चक्षीदसदन्मातरं पुरः ।
 पितरं च प्रयन्तस्वः ॥’ (शु०य०सं० ३।६)

२—अन्तश्चरसि रोचना ऽस्यप्राणादपानती ।
 व्यस्थन्महिषो दिवभ् ॥ (शु०य०सं० ३।७)

३—विशद्राम विराजति वाक् पतङ्गायथीयते ।
 प्रति वस्तोरहः द्युमिः ॥ (शु०य०सं० ३।८)’

इस प्रकार यजमान को सम्मार से, वक्षत्रों से, ऋतुओं से, आधान से जो अप्राप्त रहता है इससे ब्राह्म होता है । (शत०ब्रा० २।१।४।२६) हूसेरे आचार्यों का मत है कि सर्पराजी-मन्त्र पाठ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सर्पराजी तो यह पृथ्वी ही है । पृथ्वी पर अग्न्यास्थान होने से वह अपने सभी अभीष्ट को प्राप्त करता है । (शत०ब्रा० २।१।४।३०)

इस विषय में अलग-अलग मन्त्र हो अथवा होम अमन्त्रक हो या एक ही मन्त्र के द्वारा सम्पन्न किया जाय' चरकाद्वर्युओं का मत है कि उपर्युग्रह होम तथा अन्तर्याम ग्रह होम के लिए अलग-अलग मन्त्र होने चाहिए क्योंकि उपर्युग्रह और अन्तर्याम यजमान के प्राण और उदान हैं। ऐसा करके प्राण और उदान को विभिन्न वीर्यं वाला बनाया जाता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि ऐसा करने से यजमान के प्राण और उदान व्याकुल कर दिये जाते हैं। अतः अन्तर्याम ग्रह का होम अमन्त्रक (विना मन्त्र के) होना चाहिए। (शत०त्रा०४।१।२।१६) अथवा जिस मन्त्र से उपर्युग्रह का हवन किया जाता है उसी से अन्तर्याम ग्रह का भी हवन होना चाहिए। (शत०त्रा०४।१।२।२०) हवन के समय पढ़ा जाने वाला मन्त्र यह है—

'स्वांकृतोऽसि विश्वेष्य इन्द्रियेभ्यो दिवेभ्यः ।

पाथिवेभ्यो मनस्त्वाऽष्टु स्वाहा त्वा सुभव सूर्याय । [शु०य०सं०७।६]

(ख) शुक्लयज्वर्वद संहिता में अप्राप्य मन्त्र विषयक मतभेद

१—पाठभेद विषयक मतभेद

(सामिधेनी क्रचाओं का पाठ करने वाले के प्रति अध्वर्युकृत सम्प्रैपमन्त्र सम्बन्धी मतभेद)

अध्वर्यु पंचदश सामिधेनी क्रचाओं के पठनार्थं होता को 'अग्नये समिध्यमानायानुबूहि' प्रेषमन्त्र से आदेश देता है। (शत०त्रा०१।३।५।२) अन्य आचार्यों के मतानुसार 'अग्नये समिध्यमानाय होतरनुबूहि' कहना चाहिए। उनका विचार है कि जो होता रूप में निर्धारित किया जायगा वही तो सामिधेनी क्रचाओं का पाठ करता है। अतएव उसे सम्बोधित करके कहना चाहिए।

याज्ञवल्क्य द्वितीय मत का विरोध करते हुए कहते हैं कि अभी तो होता अहोता ही है क्यों कि उसका वरण नहीं हुआ। यजमान द्वारा वरण हो जाने पर वह होता बनेगा। अतः अभी उसे होता शब्द से सम्बोधित करना उचित नहीं है। (शत०त्रा० १।३।५।३)

[प्रातरनुवाक के प्रेषमन्त्र में मतभेद]

सोम के समीपस्थ होता प्रातरनुवाक पाठार्थ आदिष्ट होता है। अग्नि में एक समिधा रखते हुए अध्वर्यु होता को 'देवेभ्यः प्रातर्यविभ्योऽनुबूहि' (शत०त्रा० ३।६।३।८) (आदेश देता है। कृषि ने यहाँ पर 'प्रातर्यविभ्यः' जोड़ दिया क्योंकि

छन्द देवता हैं और अनुयाज में भी छन्द ही देवता हैं। अतः 'देवान् यज' का प्रयोग किया गया। यदि 'छन्दोदेवान् यज' कहते तो छन्दों के साथ देवता भी आ जाते। उनके व्यावर्तनार्थ अष्टवर्यु 'देवेभ्यः प्रातर्यविभ्यो यज' कहता है। अन्य आचार्यों का मत है कि 'प्रातर्यविभ्यो' नहीं कहना चाहिये क्योंकि 'देवेभ्यो ३ नुबूहि' पर्याप्त है।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत के विरोध में कहते हैं कि प्रातःकाल यज्ञ में आगमन करने वाले छन्द देवता हैं। अनुयाज में भी छन्द हैं जो 'देवेभ्यः प्रेष्य देवान् यज' से पूर्ण होता है। अतएव अष्टवर्यु को 'देवेभ्यः प्रातर्यविभ्यो नुबूहि' प्रेष गन्ध कहना चाहिए। (शत० ब्रा० ३।३।३६)

(अष्टमी ऋक् विषयक मतभेद)

अर्द्ध प्रज्ज्वलनार्थ पन्द्रह सामिधेनी लकड़ियां होती हैं। उनका अग्नि में प्रक्षेपण करते समय एकादश सामिधेनी ऋचाओं का पाठ होता है। प्रथम ऋक् को तीन-तीन बार के आवर्तन से सामिधेनी ऋचाएं भी पंचदश होती हैं। उन एकादश सामिधेनी ऋचाओं में अष्टमी ऋक् अधोलिखित है—

'अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ॥'

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥

अन्य आचार्यों के मतानुसार इस ऋचा का पाठ इस प्रकार होना चाहिए—
'अग्निं दूतं वृणीमहे होता यो विश्ववेदसः
अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥' (शत० ब्रा० १।४।१।३५)

इसकी कारण मीमांसा प्रस्तुत करते हुए उनका कहना है कि यद्यपि होतार द्वितीयान्त पद है तथापि इससे 'होता अरम्' भी घटनित होता है। अरम् शब्द अनम् का पर्याय है। 'अरम्' शब्द निवारणार्थ है। अतः होता को अपने निवारण के लिए 'होतारम्' का पाठ नहीं करना चाहिए।

इस मत का निषेध करते हुए याज्ञवल्क्य का कहना है कि 'होता यो विश्ववेदसः' यह पाठ मानुषिक होगा। जो मानुषिक है वह अपूर्ण है। अतः यज्ञ में अपूर्णता न साने के लिए 'होतारं विश्ववेदसम्' पद का ही अनुचरण करना चाहिए। (शत० ब्रा० १।४।१।३५)

२—मन्त्राच्छयन विषयक मतभेद

(पुरोऽनुवाक्या और याज्या में प्रयुक्त छन्द विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार स्विष्टकृत् अग्नि के लिए हवन करते समय पुरोनुवाक्या (आहृति कर्म की अवतरणिका के रूप में पढ़ी जाने वाली क्रक्ष) और याज्ञ्या (साक्षात् आहृति कर्म कराने वाली क्रक्ष) के छन्द दोनों ही विष्टूप् होने चाहिए क्योंकि स्विष्टकृत् यज्ञ का रित्त स्थान है अतः वह वीर्यहीन है। विष्टूप् छन्द प्रजापति की ब्रह्मवती बाहुओं से इन्द्र के साथ उत्पन्न होने के कारण इन्द्र सम्बद्धी है। अतः वह वीर्य है। यदि पुरोनुवाक्या और याज्ञ्या मन्त्र विष्टूप् छन्द में होंगे तो अवीर्यं (अबल) स्विष्टकृत् में वीर्यं की स्थापना होगी। (शत० ब्रा० १।७।३।१७) अन्य आचार्यों के मत से पुरोनुवाक्या और याज्ञ्या मन्त्र दोनों अनुष्टूप् छन्द में हीने चाहिए क्योंकि स्विष्टकृत् याग प्रधानयाग से अतिरिक्त होता है। अतः वास्तु (रित्तस्थानीय) है तथा अनुष्टूप् छन्द भी गायत्री आदि सवन के छन्दों से अतिरिक्त होने के कारण वास्तु है। अतएव वास्तु में वास्तु स्थापित होता है। पुरोनुवाक्या और याज्ञ्या को अनुष्टूप् छन्द में करने से यजमान प्रजा और पशु से समृद्ध होगा क्योंकि वास्तु वृद्धि करने वाला है। (शत० ब्रा० १।७।३।१८)

याज्ञवल्क्य के मतानुसार इन दोनों मतों में से कोई भी एक स्वीकार्य है परन्तु विलोम अपेक्षित नहीं है अर्थात् एक मन्त्र विष्टूप् छन्द में तथा दूसरा अनुष्टूप् छन्द में नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के अनुष्ठान से जो परिणाम हो सकता है उसका निर्देश करते हैं—

भाल्लवेय ने पुरोनुवाक्या को अनुष्टूप् छन्द में तथा याज्ञ्या को विष्टूप् छन्द में किया। उनका मन्त्रव्य दोनों की कल प्राप्ति था। परिणाम यह हुआ कि वे एक समय अभ्यन्तरे हुए रथ से गिर पड़े तथा उनकी बाहु ढूट गयी। उन्होंने तकं से यह निश्चय किया कि अविहित करने के कारण ही यह हुआ। अतः विलोम न करना चाहिए। (शत० ब्रा० १।७।३।१६)

(ब्रातुर्मस्त्यगामीय पुरोनुवाक्या और याज्ञ्या मन्त्र विषयक मतभेद)

^५ ब्रह्मवादियों के मतानुसार ब्रातुर्मस्त्य के वैश्वदेव पर्व में प्रद्युम्न होने वाले पुरोनुवाक्या और याज्ञ्या के मन्त्र गायत्री छन्द में, तद्यन्तप्रधासपवं में विष्टूप् छन्द में, महाहवि पर्व में जगती छन्द में तथा शुनासीरीय पर्व में अनुष्टूप् छन्द में होने चाहिए। गायत्री से लेकर अनुष्टूप् तक चारों छन्दों का क्रम से चारों पर्वों में प्रयोग विवृत्, पञ्चदश, सप्तदश, एकविंश स्तोम चतुष्पद्य से युक्त सौमियाग की प्राप्ति के लिए है।

याज्ञवल्क्य इस भत का निपथ करते हैं। उनके विचार से प्रत्येक पर्व में क्रमशः चारों प्रकार के छन्द आते हैं। अतः उनमें से प्रत्येक को क्रमशः एक प्रकार के छन्दों से युक्त नहीं करना चाहिए। यदि प्रत्येक पर्व में चारों छन्दों का धोग होता है तो एक-एक प्रकार के छन्द करने की आवश्यकता ही कहाँ रही? (शत०ब्रा० ११।५।२।८)

[अश्वमेधप्राग् में पर्व०३० य पशुओं के होम सम्बन्धित पुरोनुवाक्या तथा याज्या मत्र विषयक भतभेद]

कुछ आचारों का भत है कि अश्व, तूपर, गो तथा सूग की पुरोनुवाक्या और याज्या भिन्न-भिन्न होती चाहिए। वैष्ण होम के समय, पुरोडाश देने के समय तथा अंग प्रदान के समय भिन्न-भिन्न होती चाहिए क्योंकि इनके लिए मन्त्र मिल जाते हैं। द्वातरों के लिए किसी प्रमन्त्र की प्राप्ति न होने के कारण हम उन मन्त्रों का पर्याग ही नहीं करते हैं। इस प्रकार पुरोनुवाक्या और याज्या भेद से ही पशुओं का भेद हो जाता है।

याज्ञवल्क्य इन भत का निपथ करके कहते हैं कि अश्व अक्षव है, अश्व पशु प्रजा है। इस प्रकार करने से प्रजा को अक्षव के लिए प्रतिस्पर्धाशील तथा प्रत्यन्तशील बनाया जाता है एव यजमान वी आगु भी क्षीण होती है। उनका भत है कि अश्व अकेला प्रजापति से तथा अन्य पशु सामान्य देवताओं से भी सम्बन्धित है। प्रजापति के अश्व, तूपर, गोमृग की अलग पुरोनुवाक्या तथा याज्या होती। सभी देवत्य पशुओं की भी वही पुरोनुवाक्या तथा याज्या होगी (लात्पर्य यह कि प्रजापति के पशु तथा देवताओं के पशुओं के लिए अलग पुरोनुवाक्या और याज्या मन्त्र तथा अन्य (साधारण) पशुओं के लिए अन्य मन्त्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए) (शत०ब्रा० १३।२।१५)

(वैष्वानर अग्नि के लिए पुरोडाश देते समय मन्त्र विषयक भतभेद)

वैष्वानर अग्नि के लिए पशु पुरोडाश दिया जाता है क्योंकि वैष्वानर सभी अग्नियाँ हैं। सब अग्नियों की प्राप्ति के लिए वैष्वानर पशु पुरोडाश दिया जाता है। (शत०ब्रा० ६।२।१।३५) इस पुरोडाश को देने का कारण यह है कि वैदी की चित्तियाँ सब अतुरुण हैं, अतुरुण अग्नि और संवत्सर हैं तथा संवत्सर वैष्वानर है। 'वैष्वानरः पशुपुरोडाशः' के स्थान पर 'अग्ने वैष्वानराय पशु पुरोडाशः, कहने से सम्बन्ध दोषित हो जाता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करत हुए कहते हैं ‘अग्नये बन्द्रामाराम पशु-पुणेडाश’ कहना व्यर्थ होगा क्योंकि यह द्वादश कपालों पर पकाया गया एवं ही पुणेडाश होता है। द्वादश मास ही संवत्सर हैं तथा जो संवत्सर है, वहाँ वैश्वानर है। (शत०द्वा० ६।२।१।३६)

(वैसंजंत होम में अग्नीषोमीय पण्यन से सम्बद्ध प्रैप सम्बन्धी मतभेद)

उपयमनी पर जलती हुई अग्नि का पण्यन होता है। कुछ आचार्यों के मतानुसार अध्वर्यु को इस अवसर पर होता के प्रति ‘अग्नये प्रह्लियमाणायानुब्रह्मि अयवा’ ‘सोमाय प्रणीयमानायानुब्रह्मि प्रैप मन्त्र कहना चाहिए। याज्ञवल्क्य वैकल्पिक पक्ष का निषेध करके ‘अग्नये प्रह्लियमाणायानुब्रह्मि’ प्रैष मन्त्र का विधान करते हैं। (शत०द्वा० ६।६।३।६)

(अध्वर्यु द्वारा प्रस्तोता के प्रति प्रयुक्त प्रैप मन्त्र विषयक मतभेद)

धर्मोद्घासन (धर्मपात्रासादन) के प्रति अध्वर्यु मन्त्र महित (श०य०म० ३।८।६) गमन करता है। इस मन्त्र से प्रवर्ख्य सभार ग्रहण कर अध्वर्यु को प्रस्तोता के प्रति किस प्रैष मन्त्र का प्रयोग करना चाहिए, इस विषय में कुछ आचार्य ‘सामगाय’ प्रैष मन्त्र का विधान करते हैं। अन्य आचार्यों के मतानुसार ‘साम ब्रूहि’ इस प्रैप मन्त्र का उच्चारण करना चाहिए। (शत०द्वा० १।४।३।१।१०)

याज्ञवल्क्य प्रथम पक्ष का ही निगमन करते हैं। उनके मतानुसार ‘साम गाय’ यही प्रैष मन्त्र कहना चाहिए। (शत०द्वा० १।४।३।१।१०) ‘साम ब्रूहि’ नहीं क्योंकि साम के द्वारा गायन होता है, ऋचा के समान उसे पढ़ा नहीं जाता। गीत्यात्मक होने के कारण ‘साम गाय’ ही कहना चाहिए। साम गमन करते समय गाया जाता है जिससे राक्षसी प्रजा तथा राक्षसों से हिंसा न हो। अन्य मन्त्रों के होते हुए भी सामगान का कारण यह है कि वह नेजोरुप होने से राक्षसों का विनाशक है। प्रस्तीता अग्निदेवता सम्बन्धिनी ऋचा—

‘अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सूनु सहसो जातदेवस विप्रं न गातवेदसम् य ऋष्यं या स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा।

वृत्तस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि शोचिपा जुह्वनस्य सर्पिषः ॥
[श० य० स० १।५।४७]

पर सामगान करता है क्योंकि अग्नि राक्षसों का विनाशक है। वह ऋचा अति छन्द युक्त होती है। [शत० द्वा० १।५।३।१।११] छन्दों के परिमाण को

पार कर जिस ऋचा का छाद होता है वह अतिछादा है यह अति छन्द वाली ऋक् सभी छन्दों के रूप वाली है क्योंकि गायत्री आदि उसमें अन्तर्भूत है। अन्य ऋचाओं के गान में अधिक अक्षरों के अन्तर्भवि न होने से सब छन्दों का ग्रहण सिद्ध नहीं होता। अष्टवर्षु से देवित पस्तोता को 'अग्निष्टपति पतिदहत्यहावो हाव।' इस स्तोत्र एवं का आरम्भ करके साम गान प्रारम्भ करना चाहिए। [शत० ब्रा० १४।३।१२]

[अष्टवर्षुकृत प्रातरनुवाक सम्बन्धी प्रतिगर विषयक मतभेद]

अष्टवर्षु को प्रातरनुवाक के पारम्भ से लेकर उसकी समाप्ति तक जागरण करना चाहिए। उसके द्वारा पलकों का गिराया जाना ही प्रतिगर है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करके स्वमत पस्तुत करते हैं कि अष्टवर्षु को होता के साथ जागना ही पड़ता है क्योंकि इसके पश्चात् होता प्रातरनुवाक पाठ करता है। यदि अष्टवर्षु को पुनः नींद आ जाय तो वह यथेष्ट सो मिलता है। उसे होता के पातरनुवाक ममाप्त करने पर प्रचरणी सुक् में चार बार आज्य लेकर हवन करना चाहिए। [शत० ब्रा० ३।३।३।११]

[माध्यन्दिन सवन में द्यावा पृथिवीय प्रस्त्रानन्तर पढ़े जाने वाले प्रतिगर के विषय में मतभेद]

इस विषय में याज्ञवल्क्य का भत है कि द्यावा पृथिवी के लिए शस्त्र पाठ होता है। अष्टवर्षु 'ओ३म्' रस को पावा पृथिवी पर रखता है। क्योंकि द्युलोक और पृथिवी पर ही मम्पूर्ण प्रजा जीवित रहती है। 'ओ३म्' को ही प्रतिगर के न्यूप में ग्रहण करना चाहिए। वही सत्य है उसे देवता जानते हैं। [शत० ब्रा० ४।३।२।१२] अन्य आचार्यों के मतानुसार 'बोथामो दैववाक्' प्रतिगर का पाठ करना चाहिए क्योंकि प्रतिगर वाणी है इससे वाणी प्राप्त होती है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं। उनके विचार से चाहे जिस प्रकार वह प्रतिगरण करेगा, वाणी उसके द्वारा प्राप्त होती है। वाणी के द्वारा ही वह प्रतिगरण करता है। इसलिए 'ओ३म्' को ही प्रतिगर बनाना चाहिए क्योंकि वह सत्य है और उसे देवता जानते हैं। (शत० ब्रा० ४।३।२।१३)

(पिण्डपितृ यज्ञ में आश्रावण प्रत्याश्रावण सम्बन्धी मतभेद)

कुछ आचार्यों के मत से आश्रावण और प्रत्याश्रावण न होना चाहिए

अष्टव्य का श्रौपट के स्थान पर अमेस्वरा, अग्नीघ्र को अस्त स्वधा तथा अष्टट के स्थान पर स्वधानम् कहना चाहिए। (शत० ब्रा० २५।१।२४)

आचार्य आमुरि का मत है कि यज्ञ विधि के अनुरूप कार्य सम्पादनार्थ आश्वावण, प्रत्याश्वावण तथा वषट् होना चाहिए। (शत० ब्रा० २५।१।२५)

३- पाठाधिक्य विषयक मतभेद

(सामिधेनी ऋचाएं और उनके पाठ में मतभेद)

सामिधेनी ऋचाएं एकादश होती हैं आवश्यकतानुमार ऋचाओं के आवर्तन से पंचदश, सप्तदश तथा एकविंश होती हैं। वस्तुतः इनकी संख्या एकादश ही है। इष्टम् (अग्नि प्रज्ज्वलनार्थ काष्ठ) आवश्य पन्द्रह या सवह होते हैं। दर्श पूर्णमास में इष्टम्काष्ठ पन्द्रह या सवह ही होते हैं। सामिधेनी ऋचाओं में से प्रथम ऋचा तथा अन्तिम एकादश ऋचा का तीन-तीन बार आवर्तन करने से उनकी पंचदश संख्या होती है। एकादश सामिधेनी ऋचाएं अधोनिर्भित हैं—

‘प्रवोवाजा अभिद्यादो हविष्मन्तो घृताच्या ।

देवांजिगाति सुमन्तुयुः । (शत० ब्रा० १।४।१७) ॥१॥

अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये ।

निहोता सत्त्वि वर्हिषि ॥ (शु०य०सं० १।१४६, शत० ब्रा० १।४।१७)
॥ २ ॥

तंत्वा समिदिभरंगिरो घृतेन वर्द्धयामसि ।

वृहच्छीचा यविष्ठ्य (शत० ब्रा० १।४।१२५) ॥३॥

स तः पृथुः श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि ।

बृहदने सुबीर्यम् ॥ (शत० ब्रा० १।४।१२७) ॥४॥

ईडेत्यो नमस्यस्तिरस्तमासि दर्शतः ।

समग्निरिध्यते वृपा ॥ (शत० ब्रा० १।४।१२९) ॥५॥

वृपो अग्निः समिध्यते अश्वो न देववाहनः ।

तंहविष्मन्त ईडते ॥ (शत० ब्रा० १।४।१२६) ॥६॥

वृष्णं त्वा वर्य वृष्णन् वृष्णाणः समिधीमहि ।

अग्ने दीद्यतं बृहत् ॥ (शत० ब्रा० १।४।१३२) ॥७॥

अग्निं द्रुतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ।

अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥ (शत० ब्रा० १।४।१३४) ॥८॥

सामिधेनी ऋचाओं में अष्टवरे जपिन पावक ईश्य
शाचिप्वपस्तमामह ॥ (शत० ब्रा० १४११३६) ॥९॥
सभिद्वो अग्न आद्वृत देवान् यथि स्वश्वर ।
त्वहि हृष्यवाङ्मि ॥ (शत० ब्रा० १४११३६) ॥१०॥
आजुहोता दुवस्यतामिन प्रयत्यध्वरे ।
वृषाध्वं हृष्यवाहनम् ॥ (शत० ब्रा० १४११३६) ॥११॥

एकादश सामिधेनी ऋचाओं में से प्रथम ऋचा का तथा एकादश ऋचा का तीन-तीन बार आवर्तन करना चाहिए । इस आवर्तन से यजमान तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करता है । होता तीन बार के आवर्तन से प्राण, अपान और उदान को अविच्छिन्न रखता है । विशेष बात यह है कि प्रथम और एकादश ऋचाओं को तीन-तीन बार एक स्वांस में ही पढ़ना चाहिए । (शत० ब्रा० १३१४१३) यदि होता में इतनी शक्ति न हो कि वह एक स्वांस में ही तीन-तीन बार ऋचा का आवर्तन कर सके इस स्थिति में कुछ आचार्यों के मतानुसार होता वीच-वीच में छक-छक कर ऋचा का पाठ कर सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है ।

याज्ञवल्य उन आचार्यों के मत का खण्डन करते हुए स्वभत प्रतिपादन करते हैं कि वीच-वीच में छक-छक कर स्वांस लेते से हीता की असमर्थता प्रकट होगी जो निन्दनीय है । (शत० ब्रा० १३१५१४) उचित भाग का निर्देश करते हुए उनका कथन है कि एक-एक ऋचा के पूर्ण होने पर स्वांस लेना चाहिए । इस प्रकार तीन बार में क्रमगः युक्त-एक लोक यजमान के लिए प्राप्त किया जाता है तथा यजमान के लिए प्राण धारण किया जाता है । अतः एक-एक ऋचा के बाद ही स्वांस लेना चाहिए । (शत० ब्रा० १३१५१५) याज्ञवल्य स्वभत पुष्टि के लिए एक अन्य कारण प्रस्तुत करते हैं । गायत्री छन्द में चौबीस अक्षर होते हैं । सामिधेनी ऋचाएं पञ्चदश हैं । पञ्चदश सामिधेनी ऋचाओं में तीन सौ साठ अक्षर वर्षे के तीन सौ साठ दिनों के लिए प्रयुक्त हैं । उन्हें खण्ड करके नहीं पढ़ना चाहिए अन्यथा संबत्सर में व्यवधान पड़ेगा । दिन और रात क्रम से आते हैं उनमें अस्योत्याश्रय सम्बन्ध है । उसी प्रकार एक सामिधेनी का दूसरी सामिधेनी ऋचा से सम्बद्ध है । (शत० ब्रा० १३१५१६)

(४) स्थानान्तरण विषयक भत्तेद

(सामिधेनी ऋचाओं में अष्टमी ऋक् का निर्धारण एवं दो धार्या ऋचाओं के स्थान विषयक भत्तेद)

ऋषि याज्ञवल्क्य अधोतिखित कृत्त्वा को अष्टमी मानते हैं।

'अग्निं दूतं वृणीमहे होतार विष्ववेदसम् ।

अस्य यज्ञस्य सुक्रतम् ॥' (शत० बा० ११४।१३४)

एकादश भासिधेनी कृत्त्वाओं में इसे अष्टमी कृत्त्वा मानते का कारण यह प्रस्तुत करते हैं कि गायत्री छन्द में आठ थक्कर होते हैं। अतः इसका स्थान अष्टम होना चाहिए। (शत० बा० ११४।१३६) जहाँ सप्तश्लश सामिधेनी कृत्त्वाओं का उल्लेख मिलता है वहाँ दो धाय्या कृत्त्वाएँ और मिला दी जाती है। वे इस प्रकार हैं—

१—पृथुपाजा अमर्त्यो घृतनिषिद्धस्वाहनः ।

अग्नियज्ञस्य हव्यवाद् ॥ (ऋ० सं० ३।२।७।५, मै० स० ४।१०।१)

२—त सद्वाधो यतस्तृच इत्था धिया यज्ञवन्तः ।

आचक्रुरभिमृतये । (ऋ० सं० ३।२।७।६)

कुछ आचार्य इन दोनों धाय्या कृत्त्वाओं को अष्टमी कृत्त्वा के पूर्व रखते हैं। कारण यह प्रस्तुत करते हैं कि ये दो कृत्त्वाएँ मुख रूप हैं। मुख से ही भोजन विशा जाता है अतः अष्टमी के पूर्व ही दोनों धाय्या कृत्त्वाओं को रखना चाहिए।

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हैं क्योंकि ऐसा करने से अष्टमी कृत्त्वा असमर्थ हो जायगी और उसमें गायत्री का सामर्थ्य नहीं रहेगा। साथ ही वह दसवीं हो जायगी तथा नवीं कृत्त्वा स्पारहवीं होगी। अपना मत प्रस्तुत करते हुए उनका कथन है कि अष्टमी कृत्त्वा के बाद में दोनों धाय्या कृत्त्वाओं का प्रक्षेपण करना चाहिए। नवीं (समिध्यमानवती) तथा दसवीं (नमिध्यवती) कृत्त्वाओं के बीच में दोनों धाय्या कृत्त्वाएँ पढ़ी जानी चाहिए।

५—विशिष्ट कर्म से मन्त्र की आवश्यकता के विषय में मतभेद

(फलीकरण में शाखान्तर मन्त्र विधि-विशेष)

पुरोडाश (यात्रिकरोटियाँ) अथवा चह के लिए यव या ब्रौहि को उन्नुखन में मुमल से कड़न करके मूर्ष से तुप्पे निकाल दी जाती है। तुप्पे निकालने की क्रिया जो 'फलीकरण' कहते हैं। तेत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार फलीकरण करते सभय दंवेष्यः शुन्ध्यध्वं दंवेष्यः शुन्ध्यध्वं मंबं को तीन बार पढ़ना चाहिए।

याज्ञवल्क्य इस मत से असहमत प्रतीत होते हैं। उनका मत है कि हविष्य ग्रहण करते सभय प्रधर्वर्यु के द्वारा 'अम्नये ज्युष्टं गृहणामि' कहा गया था

यहि इम समय देवेभ्य गुवध्व कहा गया त वह हविष् सब देवों के लिए होगा । कलत. उनम कलह होगा । अतः फलीकरण करते समय किसी मन्त्र का प्रथमेत न करना चाहिए । (शत० ब्रा० १११।४२४) ।

(४) विधि विषयक मतभेद

(क) समय विषयक मतभेद

१—हविर्यजसमय विषयक मतभेद

(अन्याधान के अनुष्ठानार्थ समय सम्बन्धी मतभेद)

'अन्याधान अमावास्या में ही अनुष्ठित होता चाहिए ।' इस पक्ष को लेन्हर याजवल्क्य कहते हैं कि दर्शपूर्णमासादि यज्ञात्मक प्रजापति सवत्सर है क्योंकि संवत्सर में द्वादश मास तथा पाच छृतुए होने से सप्तरश सभ्या पूर्ण होती है । प्रजापति भी सप्तदश अंग वाले हैं । अमावास्या की रात्रि सवत्सर का द्वार तथा चन्द्रमा इसका पिधान है । (तिरोधायक है) चन्द्रमा अमावास्या में रहता नहीं अतः द्वार अनावृत ही रहता है । उस द्वार से यज्ञ में प्रवेश सुकर होता है । अमावास्या में आधान करने वाले व्यक्ति को दोनों आयतनों में आहवनीय और गाहैपत्य अग्नियों को स्थापित करना चाहिए । अमावास्या में आधान करना अनावृत द्वार से पुर में प्रविष्ट होकर स्वर्ग में पहुँचने के समान है । यज्ञावरोधक चन्द्र के अदर्शन रूप पिधान के अनावृत रहने से आधान सम्पादन करके अमावास्या रूप द्वार में प्रविष्ट होकर संवत्सरात्मक यज्ञ-द्वार से स्वर्ग लोक में प्रवेश होता है । (शत० ब्रा० १३।१।१२) ।

तैतिरीयकों के मतानुसार कृतिका आदि नक्षत्रों में अन्याधान करना चाहिए ।

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हैं कि जो यजमान कृतिकादि किसी नक्षत्र में आधान करता है वह उसी प्रकार करता है जैसे कि कोई लौकिक मनुष्य द्वारवर्जित प्रदेश से नगर में प्रवेश करता चाहे और उस ब्रह्मपुर में प्रविष्ट न हो सके । उस यजमान का नक्षत्राधान भी इसी प्रकार होता है । (शत० ब्रा० १।१।१।३) आधान के दिन चन्द्र-दर्शन होने के कारण अमावास्या रूप द्वार के आवृत होने से उस यजमान का यज्ञ में प्रवेश दुष्कर है । याज्ञवल्क्य स्वमत पुष्टि के लिए अमावास्या की प्रशंसा करते हैं । अमावास्या को ही उपवास (आधान, सम्भार-सम्भरण करके गाहैपत्य आयतन के सभीप, यजमान का अवस्थान) करना चाहिए । अमावास्या को महत्व देने का कारण है कि चन्द्रमा अमावास्या को इस लोक में आते हैं और उसी दिन यज्ञ-भूमि में निवास करते हैं । (शत० ब्रा०

११।१।१४) चन्द्रमा उस दिन यहाँ रहते हैं। अतः सब देव, सब प्राणी, सब देवता, सब क्रतुं, सब स्तोम, सब पूष्ट और सब छन्द भी रहते हैं। (शत० ब्रा० ११।१।१५) जो अमावास्या को आधान करता है वह उक्त सब के निए अग्न्याधान सम्पन्न करता है। (शत० ब्रा० ११।१।१) वैशाख मास की अमावास्या को अग्न्याधान करना चाहिए। वह वैशाखी अमावास्या रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है। वैशाखी पूर्णमासी को विशाखा नक्षत्र, उसके पश्चात् पञ्चद्वय नक्षत्रों के परिगणन के बाद अमावास्या में रोहिणी होती है। रोहिणी का अर्थ आत्मा, प्रजा और पशु होता है। अतः रोहिणी में आधान करने से यजमान, आत्मा, प्रजा तथा पशु में प्रतिप्ति होता है। अमावास्या अग्न्याध्येय का रूप है। अतः उस यजमान को अमावास्या में ही अग्न्याधान करना चाहिए। पौर्णमास में अन्वारम्भण तथा अमावास्या को दीक्षा संस्कार करना चाहिए। (शत० ब्रा० ११।१।१७)

(अग्न्याधानार्थ अग्निमन्थन समय विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार अग्निमन्थन सूर्योदय से पूर्व अर्थात् उपः काल में करना चाहिए तथा गार्हपत्यागार से आहवनीयागार में सूर्योदय के पश्चात् अग्निप्रणयन करना चाहिए। उनका विचार है कि इस प्रकार दिन और रात दोनों का कर्मठिगरूप से ग्रहण होता है तथा प्राण, उदान एवं मन और वाणी वो प्राप्ति होती है।

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हैं और सूर्योदय के पश्चात् अग्निमन्थन सम्पादनार्थ मत व्यक्त करते हैं। उनके विचार से यदि सूर्योदय से पूर्व अग्निमन्थन किया जाता है और सूर्योदय के पश्चात् अग्निप्रणयन होता है तो सूर्योदय से पूर्व अग्निमन्थन करने वालों की गार्हपत्य आहवनीय दोनों अधिनयों का आधान सूर्योदय से पूर्व ही हो जाता है। सूर्योदय के पश्चात् सम्पन्न होने वाला अग्निमन्थन अधिक फल प्रदान करता है। (शत० ब्रा० २।१।४।६)

(अग्न्याध्येय का अन्त पूर्णहुति तक मानना चाहिए अथवा उत्तराहुतियों तक)

कुछ आचार्यों के मतानुसार पूर्णहुति करके उत्तराहुति का आदर न करना चाहिए क्योंकि पूर्णहुति से अभीष्ट प्राप्त हो जाता है। (शत० ब्रा० २।२।१।५) अन्य आचार्यों के मतानुसार उत्तराहुति की भी आवश्यकता है। बिना उत्तराहुति के अग्न्याध्येय अपूर्ण होता है। उत्तराहुतियाँ तीन होती हैं—१—अग्निपवमान के निए, २—अग्निपावक के लिए तथा ३—अग्निशुचि के लिए।

अधर्वर्यु अग्निपवमान के लिए हविष निवापि करता है। पवमान अग्नि प्राण है। इस प्रकार अधर्वर्यु यजमान में प्राण की स्थापना करता है। प्राण का अर्थ

अन्न है और यह आहुति भी अन्न है। (शत० ब्रा० २।२।१।६) इसके पश्चात् अध्वर्यु अग्निपावक के लिए हविष् प्रदान करता है। पावक का अर्थ अन्न है। इस प्रकार अध्वर्यू यजमान में अन्न को रखता है। यह आहुति सचमुच अन्न ही है। (शत० ब्रा० २।२।१।७) तत्पश्चात् अध्वर्यु अग्निशुचि के लिए आहुति देता है। शुचि वीर्य है, इस प्रकार वह यजमान में वीर्य रखता है क्योंकि अग्नि में उस हविष् के हवन करने से उस वीर्य का प्रकाश तेज हो जाता है। (शत० ब्रा० २।२।१।८)।

ब्रह्मवादियों के विचार से पूर्णहुति से जो फल प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति के लिए उत्तराहुतियाँ होती हैं तो इन उत्तराहुतियों का उपयोग ही क्या है? इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य का कथन है कि उत्तराहुतियों को अवश्य करना चाहिए क्योंकि जो परोक्ष कामना थी वह उत्तराहुति से प्रत्यक्ष हुई। (शत० ब्रा० २।२।१।९) पूर्णहुति के द्वारा अग्नि में जिन प्राण, अन्न और वीर्य का धारण किया जाता है, वह परोक्ष-सा होता है। पवमान इष्टियों के द्वारा वह प्रत्यक्ष ही किया जाता है क्योंकि पवमान, पावक और शुचि शब्दों से प्राण, अन्न और वीर्य वा प्रतिपादन होता है। अतः इन पवमान इष्टियों को नियम पूर्वक सम्पन्न करना च हिए। अध्वर्यु अग्नि पवमान के लिए इसलिए हविष् देता है कि पवमान प्राण है। जब शिशु उत्पन्न होता है, प्राण उसमें रहता है और जब तक वह उत्पन्न नहीं होता तब तक माता के प्राण से प्राण धारण करता है। अध्वर्यु उत्पन्न हुए शिशु में प्राण प्रतिष्ठा करता। (शत० ब्रा० २।२।१।१०) अग्नि पावक को हविष् प्रदान करने का कारण यह है कि पावक का कार्य है अन्न। इस प्रकार उत्पन्न होने पर शिशु में अन्न की स्थापना होती है। (शत० ब्रा० २।२।१।११) अग्नि शुचि को हविष् प्रदान करने का कारण यह है कि शुचि का कार्य है वीर्य। जब यह शिशु अन्न की सहायता से बढ़ता है तब उसमें पावक होता है। अग्निशुचि के लिए हविष् प्रदानोनन्तर शिशु में कान्ति तथा आभा की स्थापना की जाती है। (शत० ब्रा० २।२।१।१२)।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला कि पूर्णहुति के पश्चात् उत्तराहुति का सम्पादन होना चाहिए।

(पौर्णभाग्य याग सम्बन्धिनी उपवास तिथि के विषय में मतभेद)

याज्ञवल्क्य के मतानुसार यजमान को पौर्णमासी तिथि के पूर्व ही (शुक्ल चतुर्दशी को) उपवास करना चाहिए। (शत० ब्रा० १।६।३।३१) अन्य आचार्यों के मत से यजमान को पौर्णमासी के दिन अर्थात् याग के ही दिन उपवास करना चाहिए क्योंकि जो पौर्णमासी को उपवास करते हैं वे अपने को किसी के

सघष मे भालते हैं और जब दो व्यक्ति सघष मे आते हैं तब वस्तुन यह सच्चह होता है कि दोनों में से कीन श्रेष्ठ है। दूसरे दिन उपवास करने वाला उसी प्रकार करता है जैसे कि कोई व्यक्ति पीछे भागते हुए शत्रु को आहत करे। जब कि वह शत्रु उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाता। (शत० ब्रा० १।६।३।३३) बाजवल्क्य प्रथम मत का मण्डन तथा द्वितीय मत का खण्डन करते हैं। यजमान को पूर्णमासी के पूर्व ही उपवास करना चाहिए। जो द्वितीय दिन उपवास करता है वह दूसरे द्वारा मृत किये गये व्यक्ति का हनन करता है। वह दूसरे के द्वारा तिये गये कार्यों का अनुकरणमात्र करता है। (शत० ब्रा० १।६।३।२४) स्वमत पुष्टि के निए आख्यायिका प्रस्तुत करते हैं :—

प्राचीन समय मे प्रजा की उत्पत्ति करने वाले प्रजापति के शरीर की गात्र-संधियाँ अलग हो गयीं। वर्ष में ही सभी प्रजाओं की उत्पत्ति होने के कारण सबसर ही प्रजापति है और उस कालात्मक प्रजापति की प्रातः और सायकान, पौर्णमासी तथा अमावास्या एवं वसन्त, ग्रीष्म आदि ऋतुओं के प्रारम्भ मे सभी गात्र संधियाँ खुल गयी। (शत० ब्रा० १।६।३।३५) विलग हुई संधियों वा ता प्रजापति उनका संघटन करने में असमर्थ रहा। देवताओं ने पौर्णमासयाग मे दिव जाने वाले हविष के द्वारा प्रजापति की दवा-दारू की। अग्निहोत्र के द्वारा द्विन रात्रि के संधिस्थलों (प्रातः एवं सायं को) जोड़ दिया। पौर्णमास तथा दर्शयाग के द्वारा पूर्णमासी और अमावास्या को मिला दिया। चातुर्मस्य की तीन जाहुभियी से ऋतुओं के मुख (प्रारम्भ) को जोड़ दिया। (शत० ब्रा० १।६।३।३६) परिणाम यह हुआ कि वह कलात्मक प्रजापति सुदृढ़ पर्वों वाला भोजनार्थ (जो इस अवगत पर प्रजापति को किया जायगा) स्वयं ही उठ खड़ा हुआ। जो इसे जानते हुए पूर्णमासी पहले उपवास करता है वह प्रजापति की गात्र संधियों को यथा समय जोड़ता है और प्रजापति उस अनुश्रुत करते हैं। उस प्रकार पूर्व पूर्णमासी का उपवास करने वाला प्रजापति के समान अन्तोपभोक्ता होता है। अतः पूर्णमासी के पूर्व ही उपवास करना श्रेष्ठकर है। (शत० ब्रा० १।६।३।३७)।
(दर्शयागीय उपवास तिथि विषयक मनभेद)

इस विषय मे एक भत यह है कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या को उपवास करना चाहिए वयोंकि द्वितीय दिन चन्द्रदर्शन होगा ही नहीं अतः चन्द्रदर्शन रहित दिन मे उपवास करना अनुचित होगा। चन्द्रमा देवताओं का अक्षीण अंग है अतएव जिस प्रकार वह क्षीण न हो चैसा ही करना चाहिए। जब चन्द्राष्ट्र अन्न दृष्टिगत नहीं होता (अर्थात् समाप्त हो जाता है) तब उसके स्थान पर हम इस लोक से 'देवताओं को अन्न भेजो' यह प्रतिज्ञा की जाती है। अतः चतुर्दशी युक्त अमावस्या को ही उपवास करना चाहिए।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं। उनका मत है कि जब चन्द्र का दर्शन न हो अर्थात् अमावास्या को ही उपवास करना चाहिए। (शत० ब्रा० १।६।४।१४) उस दिन सोम राजा पृथ्वी पर आगमन करते हैं। अतः दिखायी नहीं पड़ते। वे ओषधियों में वास करते हैं। पशु ओषधि भक्षणान्तर दूध देते हैं। उसी प्रकार ये ओषधियाँ ही आहृति रूप हैं और यह दूध ही सोम राजा है। यह एक आख्यायिका से स्पष्ट है कि सोम इस रात्रि में यहाँ आकर ओषधियों में प्रविष्ट हो जाते हैं। बाद में दृष्टिगत होते हैं। (शत० ब्रा० १।६।४।१५) दूसरी बात यह है कि देवताओं का अन्न क्षीण नहीं होता। इसी तरह जो आगामिनी इष्टि सम्पादनार्थ चन्द्र रहित अमावास्या को उपवास करता है अथवा जो इस बात को जानता है उन दोनों का कल्याण होता है। (शत० ब्रा० १।६।४।१६) (पौर्णमास तथा दर्शयाम सम्पादन की अवधि के विषय में मतभेद)

इस विषय में दो पक्ष हैं—प्रथम पक्ष यह है कि यजमान को आजीवन दर्श-पूर्णमास यागों से यजत करना चाहिए। द्वितीय पक्ष यह है कि तीस वर्ष तक दर्शपूर्णमास याग करना चाहिए। इसी द्वितीय पक्ष का निगमन किया गया है। याज्ञवल्क्यीय सम्प्रदाय के अनुमार जो लोग पूर्णमास तथा दर्शयाग करते हैं वे दीड़ लगते हैं। जिनमें सब्य में वह दीड़ पूरी हो जाय उतने समय तक पूर्णमास तथा दर्शयाग करना चाहिए। पन्द्रह वर्ष तक दर्शपूर्णमास याग करना चाहिए क्योंकि पन्द्रह वर्षों में तीन सौ आठ पूर्णमास तथा दर्श होते हैं (एक सौ अस्सी पूर्णमास तथा उतने ही दर्श)। एक वर्ष में तीन सौ आठ रात्रियाँ होती हैं। इस प्रकार यजमान रात्रियों को प्राप्त करता है। (शत० ब्रा० १।१।१।२।१०) इन पन्द्रह वर्षों के बाद पुनः पन्द्रह वर्ष तक दर्श पूर्णमास करना चाहिए। पन्द्रह वर्षों में तीन सौ साठ पूर्णमास तथा दर्श होते हैं। एक वर्ष में तीन सौ साठ दिन होते हैं। इस प्रकार यजमान दिनों को और स्वयं संवत्सर को भी प्राप्त करता है। (शत० ब्रा० १।१।१।२।११) संवत्सर प्राप्ति से ही देव अमर्त्य हुए हैं। संवत्सर प्राप्ति से ही दर्शपूर्णमासयाजों का सुकृत क्षयरहित होता है। (शत० ब्रा० १।१।१।२।१२)

इनसे अवगत हुआ जो व्यक्ति तीस वर्ष तक दर्शपूर्णमासयाग करता है वह दीड़ नगाने वालों में एक होता है। दाक्षायण यज्ञ करने वाले यजमान को पन्द्रह वर्ष तक ही दर्शपूर्णमास याग सम्पादन करना चाहिए क्योंकि यह यजमान प्रतिमास दो पौर्णमास याग तथा दो आमावास्या करता है जिससे वह पूर्णता उसमें आ जाती है। (शत० ब्रा० १।१।१।२।१३)

(साकंध पर्व मृ पूर्णदव्याख्य कर्म सम्बन्धी हवन के समय में मतभेद)

प्रातःकाल अर्पितहोत्र की समाप्ति पर अथवा उसके पूर्व होमार्थ सम्बन्धक हृविर्गेहण का विधान। दर्शी के द्वारा कुम्भों से अष्टोलिखित मन्त्र पढ़कर हृविर्गेहण विद्या जाता है।

पूर्णि दर्वि परापत सुपूर्णि पुनरागत ।
वस्तेव वक्षीणावहा इपमूर्ज शतक्रदो ॥

(शु०य०सं० ३१५०, शत०का० २१५११८)

आहुति-ममय के विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि अध्यर्थ् यजमान को ऋष्यभ (बल) से शब्द कराने के लिए आदेश दे। ऋष्यभ के छवनि करने पर हवन करना चाहिए। उसका शब्द ही वषट्कार है और वषट्कार के अनन्तर ही हवन सम्पन्न होता है।

याज्ञवल्क्य का मत है कि यह ऋष्यभ छवनि वषट्कार नहीं है वह इन्द्र का रूप ही है जिससे वृत्त-वध के लिए इन्द्र का आह्वान किया जाता है। यदि ऋष्यभ शब्द करता है तो जानता चाहिए कि यज में इन्द्र का आगमन हो गया और यज इन्द्रसहित हो गये। यदि ऋष्यभ शब्द नहीं करता तो दक्षिण दिशा में स्थित चह्या को अध्यर्थ् से 'जुहुविं' कहना चाहिए जो इन्द्र की वाणी है। (शत०का० २१५११८) हवन अष्टोलिखित मन्त्र से सम्पन्न होना चाहिए :—

देहि ते ददामिते, नि मे धेहि नि ते दधे ।

निहारं च हरासि मे निहारं निहराणि ते स्वाहा ॥

(शु०य०सं० ३१५०, शत०का० २१५११८)

(पशुवन्ध की दक्षिणा के सम्बन्ध में भत्तभेद)

एक शाखा के आचार्य वपा-होम के अनन्तर तथा पशुपुरोडाश इष्टि के पूर्व ही पश्वंभूत दक्षिणा (जिसमें किसी पशु या भाग का सिर तथा अन्य वस्तुएँ रहती हैं) देने का विधान करते हैं।

याज्ञवल्क्य इस मत का विशेष करते हैं। उक्त मत पर आधिक करते हुए उनका कथन है कि इस समय दक्षिणा ले आते हुए यजमान से कोई अभिज्ञ यह कह सकता है कि 'यह यजमान प्राणों से बाह्य देश में दक्षिणा ले आया। उस दक्षिणा से प्राणों की वृद्धि नहीं की।' इस स्थिति में यजमान या तो अंधा हो जायगा या ब्रणी अथवा बहुरा हो जायगा अथवा एकाग्रवाद से शुष्क अर्थे जरीर वाला होगा। (शत० का० १५१२१४) याज्ञवल्क्य अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वपा भाग के अनन्तर पशु पुरोडाशीय इडोपाह्वान के पश्चात् दक्षिणा ले आनी चाहिए। भय शरीर में वर्तमान प्राण इन्द्र द्रेवता से सम्बन्धित है। इस

प्रकार मध्य (मध्य नमवन) से ले आयी जानी हुई दक्षिणाओं के द्वारा इन्द्र बलवान् बनाये जाते हैं क्योंकि वह सबन तो पूर्णस्फैण उन्हीं का है जैसा कि शुनि से प्रकट है।

‘प्रातः सुतमपिबो हर्यश्य माध्यनिदिनं सबनं केवलं ते।’ (ऋ० सं ४।३४।७) सोमवार के माध्यनिदिन सबन में ही ऋत्विजों को दक्षिणा दी जाती है। अतः माध्यनिदिन सबन के रूप से संस्तुत पुरोडाश तथा इडा के हवन किये जाने पर दक्षिणा ले आनी चाहिए। (शतपथ ब्राह्मण ११।७।२।५)

२—सोमवारीय समय विषयक मतभेद

(वार्षिकसर्जनार्थ समय विषयक मतभेद)

तीक्ष्णिरीय आचार्यों के मतानुसार दीक्षित यजमान को प्रथम नक्षत्र (तारा) दृष्टिगत होने पर वार्षिकसर्जन करना चाहिए क्योंकि उस समय सूर्य पूर्णस्फैण हो जाता है।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत से सहमत नहीं है। उनका तर्क है कि जब आकाश में मेघ होंगे और एक भी नक्षत्र नहीं दृष्टिगत होगा तब अनुष्ठाता लोग दीक्षित (यजमान) से वार्षिकसर्जन कैसे करा पाएंगे? अतः दीक्षित को सूर्यस्त का ज्ञान होने पर वार्षिकसर्जन करना चाहिए। (मत० ब्रा० ३।२।२।५)

(सोमपाश में एकादशशूप्र प्रतिष्ठापन के समय में मतभेद)

इस विषय में अभिज्ञों के दो मत हैं—प्रथम मत के अनुसार सब शूर्णों को सुत्या के पूर्व दिन ही प्रतिष्ठापित कर देना चाहिए। (शत० ब्रा० ३।७।२।३)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध तथा द्वितीय मत का प्रतिपादन करते हैं साथ ही साथ प्रथम मत के दोषपूर्ण होने का कारण भी प्रस्तुत करते हैं। सुत्या के पूर्व दिन उत्तरवेदी की प्राची दिशा में स्थित अग्नि-सोमीय पशु के लिए एक ही शूप प्रतिष्ठापित किया जाना चाहिए क्योंकि अष्टवर्ष्य इस शूप के प्रतिष्ठापित हो जाने पर इसका स्पर्श रथना बन्धन के समय तक किये रहता है। सुत्या के पूर्व दिन सब शूर्णों का साथ ही प्रतिष्ठापन हो जाने से एक (जिसे अष्टवर्ष्य स्पर्श किये रहता है) के अतिरिक्त अन्य सब शूप रात्रि पर्यन्त नग्नावस्था में ही रहते हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त मत की निन्दा हो गयी। पशुओं का आलम्भन द्वितीय दिन (प्रातः) होने से अष्टवर्ष्य के द्वारा अन्य शूप द्वितीय दिन प्रातःकाल में प्रतिष्ठापित किये जाने चाहिए। (शत० ब्रा० ३।७।२।४)

(अतिग्राह्य ग्रहों के ग्रहणार्थ समय विषयक मतभेद)

याज्ञवल्क्य ने सर्वप्रथम अतिग्राह्य ग्रहों की नामकरण विषयक अनुग्रही कहानी कटकर ग्रहण से लाभ, तत्पश्चात् इनके ग्रहण के नमय का भी निर्देश किया है। पहले सब देव समान (एक से) थे। सब अच्छे थे उनमें तीन देवों ने सोचा कि हम श्रेष्ठ हो जायें। (शत० ब्रा० ४।५।४१) वे अचेन्ना करते हुए तथा परिश्रम करते हुए बढ़ते थे। तत्पश्चात् उन्होंने अतिग्राह्य ग्रहों का अवलोकन किया। उन्होंने उसे अपने लिए सब और से ग्रहण किया। अतः उन ग्रहों का नाम 'अतिग्राह्य' पड़ा। वे तीनों (अग्नि, इन्द्र और सूर्य) देवता श्रेष्ठ बन गये और भाज भी श्रेष्ठ बने हुए हैं। इसे जानते हुए जिस व्यक्ति के ग्रहों का ग्रहण किया जाता है वह भी श्रेष्ठ बन जाता है। (शत० ब्रा० ४।५।४२) इस ग्रह-ग्रहण के पूर्व न तो अग्नि में वह वेज था (शत० ब्रा० ४।५।४३) इन्द्र में यह बल नहीं था (शत० ब्रा० ४।५।४४) सूर्य में वह प्रताप नहीं था (शत० ब्रा० ४।५।४५) जो अब है। उन देवों ने ग्रह को अपने लिए आहरण किया और उनमें क्रमशः तेज, बल और प्रताप था गया। इसे जानते हुए जिस यजमान के लिए इन सोम ग्रहों का ग्रहण होता है वह तेल और बीबी को जपने में धारण करता है। (शत० ब्रा० ४।५।४६) इन ग्रहों के ग्रहण समय में मतभेद है—प्रथम मत के अनुसार अतिग्राह्य ग्रहों को प्रातः सवन में आप्ययण ग्रह के पश्चात् ग्रहण करना चाहिए क्योंकि आप्ययण आत्मा है और उस आत्मा के अनेक भाग हैं जैसे कलाम, हृदय तथा जन्य भाग। (शत० ब्रा० ४।५।४७) दूसरे मत के अनुसार माघनिदिन में उक्थ्य ग्रह के पश्चात् ग्रहण करना चाहिए।

याज्ञवल्क्य का कथन है कि यह केवल भीमांशा ही है। इत अतिग्राह्य ग्रहों को प्रातः सवन में आप्ययण ग्रह के अनन्तर ही ग्रहण करना चाहिए। (शत० ब्रा० ४।५।४८) पृष्ठ्य, षड्ह में प्रथम तीन दिनों में उसका ग्रहण होना चाहिए। प्रथम दिन आप्नेष ग्रह, द्वितीय दिन ऐत्यहृ तथा तृतीय दिन सौर्यग्रह का ग्रहण किया जाता है। (शत० ब्रा० ४।५।४९) अन्य आवायों के भवानुसार अन्तिम तीन दिनों में अतिग्राह्य ग्रहों का ग्रहण होना चाहिए।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करके इस्त व्रस्तुत करते हैं—प्रथम तीन दिनों में ग्रह-ग्रहण होना चाहिए। यदि अन्तिम तीन दिनों में ही ग्रह-ग्रहण करता हो तो पूर्व के तीन दिनों में ग्रहण करने के पश्चात् अन्तिम तीन दिनों में भी ग्रह-ग्रहण सम्भव होना चाहिए। (शत० ब्रा० ४।५।४१) सिप्कर्ण यह निकला कि पृष्ठ्य, षड्ह, विश्वजित तथा एकाहु में इन ग्रहों को ग्रहण करना चाहिए।

(समृपहविषों में मुख्य तीन हविषों का निवार्षकाल विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार अष्टव्यु को उपसन्धाम प्रतिपादन के समय समाप्त हविषी में से मुख्य तीन हविषों का निर्वापि करना चाहिए। उन तीन हविषों में से प्रथम हृविष्य अग्नि देवतार्थ अष्टाकपालपुरोडाश, द्वितीय हृविष् सोमदेवतार्थ तथा तृतीय हृविष् विष्णु देवतार्थ त्रिकपालपुरोडाश अथवा चक्र हैं। (शत० ब्रा० ५।४।४।१६)।

याज्ञवल्क्य इस मत का निपेद्ध करते हैं। उनके मतानुसार सप्तम, अष्टम तथा नवम दिन उपसद का अनुष्ठान करके उसके अन्त में अग्नि, सोम तथा विष्णु देवता के लिए तीनों संसूष हविषों का निर्वापि करना चाहिए। (शत० ब्रा० ५।४।४।१७)।

(पश्वालम्भन के समय में मतभेद)

अग्निचित्या में प्रजापति को दिये जाने वाले पशु का आलम्भन पूर्णमासी को होना चाहिए। कुछ आचार्यों के मतानुसार अग्निचित्या में प्राजापत्य पशु का आलम्भन अमावास्या को होना चाहिए क्योंकि चन्द्रमा प्रजापति है। अमावास्या की रात्रि में वह इन पृथ्वी पर निवास करता है। अतः उक्त तिथि आलम्भन होने से सर्वीप में स्थित रहते हुए ही प्राजापत्य पशु का आलम्भन होता है। (शत० ब्रा० ३।२।२।१६)

याज्ञवल्क्य निर्दिष्ट आचार्यों से सहमत नहीं है। उनका मत है कि पश्वालम्भन पूर्णमासी को ही होना चाहिए क्योंकि वह पशु चन्द्र है और देवता उग पशु रूप चन्द्र का आलम्भन पूर्णमासी को ही करते हैं। यजमान मोचता है कि मैं भी उसी समय पश्वालम्भन करूँगा जिस समय देवता पश्वालम्भन करते हैं। पौर्णमासी प्रकाशार्थ प्रथम थी अतः पौर्णमासी को ही आलम्भन होना चाहिए। (शत० ब्रा० ६।२।१।१७) यह आलम्भन फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा में होना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी सबत्सर की प्रथम रात्रि होती है तथा फाल्गुनी अन्तिम रात्रि। अतः उत्तरा फाल्गुनी की पौर्णमासी में किया गया पश्वालम्भन सबत्सर के प्रारम्भ में ही सम्पन्न होता है। (शत० ब्रा० ६।२।२।२।१८) इन्द्र वृत्त पापी का हनन करके प प से मुक्त होकर इस याज्ञिक कर्म (पशुयाग) में सलग्न हुए थे। उसी तरह यजमान भी पौर्णमासेष्टि सम्पन्न करके वृत्त पापी का हनन मुक्त होकर इस पवित्र कार्य में सलग्न होता है। (शत० ब्रा० ६।२।२।१९)

(प्राजापत्य पशुओं की वपा प्रचरण एवं वपा हृविष तथा प्राकृत पशुओं के वपा हृविष के साथ होम के समय में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार प्राजापत्य पशुओं के सम्बन्ध में विधान क्रम यह

है कि माध्यन्दिन सवन में मैत्रावहण के द्वारा बासदेव्य साम का अनुशंसन किये जाने पर पशुओं के बपाओं के साथ प्रचरण (प्रस्थान) करना चाहिए क्योंकि बासदेव्य प्रजनन है और प्रजापति का भी अर्थ प्रजनन होता है। तथा ये पशु प्रजापति से सम्बन्धित हैं। (शत० ब्रा० ५।१।३।१२) अनुयाज की समाप्ति पर चब सुकृत्यूहन न दुआ हो, उल पशुओं के मुख्य हवियों के साथ प्रस्थान किया जाता है। तृतीय सघन में अनुयाज याग के अनन्तर उह और उपभूतू व्यूहन के पूर्व ही प्राजापत्य हवियों का याग करना चाहिए क्योंकि वह समय सबनीय में दिये जाने वाले यज्ञों की अवधि है। प्रजापति सर्वोत्तम है। अतः वही अनन्त है। अन्त रूप उस समय में किये जाने वाले हविय के होम से यजमान प्रजापति को जीतता है। यदि उक्त समय के पूर्व ही वपा के साथ प्रचरण किया जाता है तो यह व्यर्थ ही है। जैसे कि लोक में देखा जाता है कि पुष्टप सक्षम देश को पहुंच कर अन्यत्र गमन नहीं करता। उसी प्रकार होमकरण के फलस्वरूप प्रजापति की प्राप्ति हो जाने पर अतिरिक्त कर्मानुष्ठान निष्कल होते। अतः अनुयाज के अन्त में, सुकृत्यूहन के पूर्व पशु हविर्होम करना चाहिए। (शत० ब्रा० ५।१।३।१३) याजवल्क्य इस भूत का निरीक्ष करते हैं उनका कथन है कि इस प्रकार के अनुष्ठान से यजमान यज्ञपथ से अलग होता है। अन्य पशुओं की बपाओं के साथ जिस समय प्रचरण (प्रस्थान) किया जाता है उसी समय इन प्राजापत्य पशुओं के नाथ सी प्रचरण करना चाहिए। जब अन्य पशुओं के मुख्य हविय के साथ अन्तिम प्रचरण करते हैं उसी समय इन पशुओं के हविय के साथ प्रचरण करना चाहिए। यहां केवल एक अनुयाज होता है तथा एक याज्या क्योंकि ये द्वंद्व हविय एक देवता से सम्बन्धित हैं। (शत० ब्रा० ५।१।३।१४) अध्यर्यु मैत्रावहण को अनुयाज पाठ के लिए आदेश देता है जो अघोलिक्षित है।

‘प्रजापतये (उपांशु) छागाना ‘हविः अनुबूहि’ (छांगों की हविय के लिए अनुयाज मन्त्र का पाठ करो) तद्यश्चात् मैत्रावहणं प्रैषमन्त्रं कहता है जो इस प्रकार है—

‘प्रजापतये (उपांशु) छागानां हविः प्रस्थितं प्रेष्यं’ (प्रजापति के निष् छांगों की प्रस्तुत हवि को भेजो) जैसे ही वषट्कार कहा जाता है अध्यर्यु वपा हृवन करता है। (शत० ब्रा० ५।१।३।१४)

(अग्नियोजन-अग्निवेदी का योजन— तथा विमोचन के समय में भूतभेद)

अध्यर्यु प्रथम सुत्या के प्रातरनुवाक पाठ से पूर्व सब कामों की प्राप्ति के लिए अग्नि को युक्त करता है। सब कर्मों के पूर्व अग्नि को युक्त करने के कारण

अभियोजन के पश्चात् जो कृष्ण भी किया जाता है वह उस देवी पर आसादित होता है। (शत० ब्रा० ६।४।४।१) अधवर्यु परिधियों पर इसे युक्त करता है क्योंकि परिधियां अग्नि हैं। इस प्रकार अग्नियों के साथ अग्नि को युक्त किया जाता है। (शत० ब्रा० ६।४।४।१) अधवर्यु मध्यम परिधि का स्पर्श करके अधोलिखित मन्त्र को जप करता है—

‘अग्नि युआजिम शब्दाधृतेन, दिव्यं सुपर्णं वयसा वृहन्तम् ।

तेन धर्यं गमेष व्रहनस्य विष्टपं स्त्री हहाणा अधिनाकमुत्तमम् ॥

(श० य० स० १८।५१, शत० ब्रा० ६।४।४।३)

दक्षिण की ओर रखी गयी परिधि का स्पर्श करके अधोलिखित मन्त्र का जप करता है—

“इसो ते पक्षावजरौ पतक्रिणो याम्यां रक्षांस्यपहृत्यन्ते ।

ताम्यां पतेम सुकृतासुलोकं यत्तच्छष्टो जरमुः प्रथमजाः पुराणाः ॥”

(श० य० स० १८।५२, शत० ब्रा० ६।४।४।४)

उत्तर की ओर रखी गयी परिधि का स्पर्श करके अधोलिखित मन्त्र से योजन करता है—

इन्द्रुर्दक्षः श्येन चृतावा हिरण्यपञ्चः शकृन्तो मुरण्युः ।

महान्तस्वरस्ये ध्रुव आनिषत्तो नमस्तेऽस्तु मा मा हिमीः ॥

(श० य० स० १८।५३, शत० ब्रा० ६।४।४।५)

मध्यम मन्त्र आत्मा तथा दोनों ओर के मन्त्र पक्षी के पक्ष सदृश वेदी के दो पक्ष हैं। (शत० ब्रा० ६।४।४।६) इन तीन मन्त्रों में अग्नियोजन किया जाता है क्योंकि अग्नि विवृत् है। (शत० ब्रा० ६।४।४।७) अधवर्यु अग्नियोजन से व्येष्ट काम की प्राप्ति होने पर यज्ञायज्ञीय स्तोत्र पाठ के पूर्व अग्नि का विमोचन करता है क्योंकि यज्ञायज्ञीय स्वर्गलोक है और उसी लोक की प्राप्ति के लिए अग्निवेदी का योजन होता है। काम प्राप्ति के पश्चात् उसका विमोचन किया जाता है। (शत० ब्रा० ६।४।४।१०) अधवर्यु स्तोत्र पाठ के अनन्तर शुद्ध विमोचन करता है तो यज्ञायज्ञीय रूप स्वर्गलोक का अतिक्रमण करके उससे दूर जाकर इतेष्ट कर देता है। स्तोत्र से पूर्व विमोचन करने पर स्वर्गलोक की प्राप्ति करके अग्निविमोचन किया जाता है। (शत० ब्रा० ६।४।४।११) अधवर्यु परिधियों पर अग्नि (वेदी) विमोचन करता है क्योंकि इन्हीं परिधियों पर इसे युक्त करता है। लोक में भी जिस किसी स्थान पर अपव तो युक्त किया जाता है वहीं से विमोचन भी होता है। (शत० ब्रा० ६।४।४।१२) अधवर्यु दोनों

मविधो दधिण उन्नर पर तिंता का स्थान करके इसे नेमे मन्त्रों पर जग दरता है— दक्षिण सधि का स्थान करके—

दिवो मूर्धाऽसि पृथिव्या नाभिः' (शु०य०स० १८।५८) (शत. ब्रा० ३।४।५।१३ भव का जप करता है तथा उन्नर सन्धि का स्थान कर—

'विश्वस्य मूर्धन्धि निष्ठसि वितः' (शु०य०स० १८।५९)

मन्त्र का जप करता है। इन दोनों मन्त्रों से विमोचन विद्या जाता है क्योंकि यजमान द्विपाद है और वह अग्नि है। तीन मन्त्रों में तथा योजन दो मन्त्रों से विमोचन किया जाता है। इस प्रकार संख्या पांच हुई। अग्नि में पांच चितियाँ होती हैं। संक्षेपर पांच बहुतओं बाला होता है। अग्नि (देवी) संबंधित है। (शत. ब्रा० ३।४।४।१४) अन्य आचार्यों के मतानुसार अग्नियोजन तथा विमोचन क्रमणः प्रायणीय अतिरात्र और उदयनीय अतिरात्र में सम्पन्न होने चाहिए क्योंकि अग्नि विमोचन सम्म्या (समाप्ति) का रूप है। अतः यज समाप्ति से पूर्व संस्था का सम्मादन न करना चाहिए। (शत. ब्रा० ३।४।४।१२)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करते हैं। उनके मतानुसार यज का विस्तार (सम्पादन) तथा उनका समाप्त प्रतिदिन होता है। अद्यर्यु यज्ञपात्र की स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रतिदिन अग्नियोजन करता है। यजमान को प्रतिदिन स्वर्गप्राप्ति होती है। (शत. ब्रा० ३।४।४।१५) अद्यर्यु यज्ञप्राप्ति सामिद्धेनी का अनुवचन प्रायणीय अतिरात्र पर करके उदयनीय में करने के लिए प्रतिज्ञा करता है। इसी प्रकार आग्नयोजन और विमोचन भी प्रतिदिन होने चाहिए। (शत. ब्रा० ३।४।४।१६) याज्ञवल्क्य स्वप्रत पुष्टि के लिए उदाहरण प्रमुख करते हैं—शाण्डिल्य कंकलीयों के प्रतिदिन सम्पादित होने वाले यज्ञ कर्म में वर्तमान थे। प्रस्थान करते समय उन्हीने कहा कि अद्यर्यु तुम्हारे प्रतिदिन आग्नयोजन और विमोचन भीकरेंगे। (शत. ब्रा० ३।४।४।१७) फलतः अग्नियोजन और विमोचन प्रतिदिन होने चाहिए।

(अग्निचयन में उपस्थान समय विषयक भत्तभेद)

पाप के तिवारणार्थ कुछ आचार्य अग्निचयन सम्बन्धी प्रत्येक कर्म के आरम्भ में सात मन्त्रों शु०य०स० १८।६८-७४) का पाठ करते हैं। अन्य आचार्यों का मत है कि प्रत्येक चिति (पतं) पर जब पुरीष (पक) डाल दिया जाय, उस समय उपस्थान करता चाहिए। इस प्रकार यह चिति सम्पूर्ण होती है। याज्ञवल्क्य का कथन है कि हनु दोनों मर्तों में से जिस मर्त के अनुसार

चाहे कर्म करे। चयन हीने पर उपस्थान किया जाय अथवा चयन सम्पादन के पूर्वे किया जाय। (शत० ब्रा० ५।२।११)

(उखा सम्बद्धी जीवि धारण के समय में भत्तेद)

अग्निचयन संबत्सर पर्यन्त स्थिर रह कर करना चाहिए क्योंकि वर्ष तक अनुवचन होता है। कुछ आचार्यों का मत है कि संबत्सर पर्यन्त उषाग्नि धारण कर पुनः संबत्सर पर्यन्त चयन तथा अनुवचन करना चाहिए। उनका तर्क यह कि एक वर्ष में वीर्य सेचन किया गया और दूसरे वर्ष में कुपार की उत्तरति हुई। अतः वीर्य तक अनुवचन करना चाहिए। याजवल्क्य इस मत का खण्डन करते हैं और कहल एक वर्ष तक अग्निचयन तथा अनुवचन करने के लिए सकारण स्वभत प्रस्तुत करते हैं कि जिस वीर्य का सिचन होता है वही उत्पन्न होता है। तदनन्तर विकृत होकर समृद्ध होता हुआ स्थित रहता है। अतः संबत्सर पर्यन्त ही जीवि चयन तथा संबत्सर पर्यन्त अनुवचन करना चाहिए। अग्निचयन के अनन्तर अग्नि (बेदी) का नामकरण कर पाप को द्वारा किया जाता है। 'चिंडिंसि' कहकर अग्नि का आह्वान किया जाता है क्योंकि सब चिंडि वस्तुएँ अग्नि ही हैं। (शत० ब्रा० ५।१।३।२०)

(स्तोत्र-शस्त्र पाठ के समय में भत्तेद)

अच्छवर्यु अग्निस्विष्टकृत्याग के सम्पन्न होने पर इडा को इडापात्री पर रखता है। इबोपात्रान के अनन्तर जल का स्पर्श करके। माहेन्द्र यह ग्रहण किया जाता है। तत्पञ्चात् स्तोत्र का अध्यार होता है। आसन्दी पर स्थित यजमान का स्तोत्र-पाठ के लिए आह्वान किया जाता है। यजमान को इस अवसर पर अभिवृण करते हुए आसन्दी से उत्तर कर स्तोत्र और शस्त्र का अनुष्ठान करना चाहिए। (शत० ब्रा० ५।२।३।१६) कुछ आचार्य माहेन्द्र यह ग्रहण कर, स्तोत्र शस्त्र का पाठ करके, स्विष्टकृद वादि के अनुष्ठानार्थ मत प्रस्तुत करते हैं। तत्पञ्चात् यजमान के अवरोहण का विधान करते हैं।

याजवल्क्य इस मत का निषेध करते हुए कहते हैं कि यदि यजमान के आसन्दी पर स्थित रहने पर भी स्तोत्र और शस्त्र का पाठ होता है, यह उचित नहीं है क्योंकि स्तोत्र यजमान की आत्मा है, शस्त्र उसकी प्रजा है। इस प्रकार अनुष्ठान से अच्छवर्यु यजमान का विनाश करता है। यजमान वक्र गति से गमन करता है। वह यज्ञ मार्ग से स्खलित होता है। (शत० ब्रा० ५।२।३।२०)
(अश्वमेधयागीय काल विषयक भत्तेद)

कुछ याजिकाआचार्यों के मतानुसार अश्वमेध का आश्रम ग्रीष्म ऋतु में होना चाहिए। क्योंकि ग्रीष्म क्षत्रियों का धृतु है तथा यह अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय का है।

धारामन्त्र इस भत की निन्दा कर अपना मन प्रस्तुन करता है कि अश्वमेध का आरम्भ बमन्त छृष्टु में करता चाहिये क्योंकि वह ब्राह्मण की शृष्टु है। जो बमन्त में यज्ञ करता है वह ब्राह्मण होकर यज्ञ करता है। बमन्त में यज्ञमान उपनयन और ब्राह्मानादि सम्पन्न करता है क्योंकि जो यज्ञमान यज्ञ करता है वह दीक्षा के द्वारा ब्राह्मण होकर ही यज्ञ करता है। (शत० ब्रा० १३।४।१३) बमन्त में फाल्युनी पूर्णमासी के पूर्व अथर्वि शुक्लपंचमी तवमी प्रथमा अष्टमी को अश्वमेध आरम्भ करता चाहिये। अद्वर्यु, होता, ब्रह्मा और उद्गाता ये चारऋत्विज् भी अश्वमेध याग सम्पादन में सहायक होते हैं। (शत० ब्रा० १३।४।१४)

(सोमयाग करने की अवधि में मतभेद)

इस विषय में दो पक्ष हैं—प्रथम पक्ष के अनुसार वर्ष भर (मवत्सर पर्यन्त) सोमयाग करना चाहिये। प्रतिदिन एक-एक सोमयाग करने से तीन सौ साठ भोमयाग सम्पन्न होते हैं। मवत्सर तथा एक शतविधि पुरुष के प्रमाण वीं वेदी सब कुछ है। इस प्रकार यज्ञमान सर्वं से सर्वं की प्राप्ति करता है। (शत० ब्रा० १०।२।४।१५) द्वितीय पक्ष के अनुसार यदि यज्ञमान मवत्सर पर्यन्त सोमयाग नहीं कर पक्ता तो उसे सौ पृष्ठों से युक्त विश्वजिन अनिराक्ष याम करना चाहिए। इसमें सब कुछ दधिणा में दे दिया जाता है। इस याम में सभी पृष्ठों के होते से, सर्वस्व दक्षिणा-दान से और एक शतविधि (एक सौ एक) पुरुष के प्रमाण वाले अनिवेदी के चयन वाले अनिवेदी के चयन से सर्वस्व की प्राप्ति होती है। (शत० ब्रा० १०।२।४।१६)

(साविकी अनुवचनार्थं समय विषयक भतभेद)

कुछ आचार्य साविकी का अनुवचन उपनयन संस्कार के एक वर्ष के अनन्तर पूर्ण अवयवों से युक्त गर्भोत्पत्ति होती है। इसी प्रकार भाणवक भी आचार्य के समीप गर्भं रूप में रहता हुआ उनके आदेशानुसार नियमों का पालन करता हुआ एक वर्ष में पुनः उत्पन्न होता है। साविकी के अनुवचन में उत्पन्न हुए ब्रह्मचारी में वाणी धारण की जाती है। इस अभिप्राय से एक वर्षं पश्चात् साविकी का अनुवचन होता है। (शत० ब्रा० ११।४।४।६)

अन्य आचार्य साविकी का अनुवचन उपनयन संस्कार के छः मास बाद करते हैं। उनका तर्क यह है कि एक वर्ष में छः अहतुएं होती हैं तथा एक वर्ष में पूर्णरूप में गर्भ की उत्पत्ति होती है। उत्पन्न होते ही उसमें वाणी धारण करते हैं। (शत० ब्रा० ११।५।४।७)

दूसरे आचार्य सावित्री का अनुवचन उपनयन संस्कार के बौद्धीस द्वितीय वर्षात् करते हैं। उनके विचार से एक वर्ष में बौद्धीम अधिमास होते हैं। एक वर्ष में गर्भ भी अपने पूर्ण रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न होते ही वाणी को रखते हैं। (शत०ब्रा० ११।५।४।८)

* * *

कुछ आचार्य सावित्री का अनुवचन उपनयन संस्कार के बारह दिन के अनन्तर करते हैं। उनका तर्क यह है कि एक वर्षमें बारह महीने होते हैं और एक वर्ष में पूर्ण गर्भात्पत्ति होती है। इस प्रकार उत्पन्न होने पर उसमें वाणी धारण की जाती है। (शत०ब्रा० ११।५।४।६)

अन्य आचार्य सावित्री का अनुवचन उपनयन संस्कार के छः दिन बाद करते हैं। इस विचार से कि एक वर्ष में छः अष्टुग्रहोत्ती हैं और एक वर्ष में पूर्णावयव गर्भ की उत्पत्ति होती है। उत्पन्न होते ही माणवक में वाणी धारण करते हैं। (शत०ब्रा० ११।५।४।१०)

कुछ आचार्य सावित्री का अनुवचन उपनयन संस्कार के तीन दिन बाद करते हैं उनका तर्क यह है कि सदत्सर में तीन अष्टुग्रह होती हैं। गर्भ एक वर्ष में व्यक्त अवयव बाले होकर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते ही माणवक में वाणी को धारण करते हैं। (शत०ब्रा० ११।५।४।११) इस भत को मानते बाले आचार्य अधोलिखित शब्दों का पाठ भी करते हैं—

'आचार्यो गर्भी भवति हस्तमाधाम दक्षिणम् ।
तृतीयस्यांस जापते सावित्रा सह ब्राह्मणः ॥'

याज्ञवल्य तीनों दर्जों के लिए सावित्री अनुवचन का विधान करके ब्राह्मण के लिये उपनयन संस्कार के अनन्तर ही अनुवचन करने का विधान करते हैं क्योंकि अग्नि के साथ ब्राह्मण की उत्पत्ति प्रजापति के मुख से हुई। वह ब्राह्मण अग्नि देवत्य (आग्नेय) है। मन्त्रनात्मर अग्नि उत्पन्न होते हैं। अतः उनक साम्य से सावित्री का अनुवचन उपनयनानन्तर ही करना चाहिये (शत०ब्रा० ११।५।४।१२)

४—स्थान विषयक मतभेद

१—दृश्य के लिए स्थान निर्धारण विषयक मतभेद)

आज्यासादनार्थ स्थान विषयक मतभेद)

आहवनीयागार में अधिव्रयणानन्तर वेदी के अन्तर्गत आज्यासादन किया

है। कुछ यजुददीक्षा आचारों के मतानुसार आज्यासादन देवी के अन्तर्गत नहीं करना चाहिये क्योंकि पूर्णीयज्ञाज के यसमें इसी आज्य से देवपत्नियों का याग सम्पन्न होता है। वेदी के चारों ओर देवता आमीन रहते हैं, वहाँ आज्यासादन करने से देवपत्नियों का आगमन होगा। वे देवी की दृष्टि ने बाधी। ऐसा करने पर यजमान पत्नी भी पुण्यतीर्ती (व्यभिचारिणी) होती।

याज्ञवल्क्य देवी के अन्तर्गत ही आज्यासादन करने के लिए अपना मत करते हैं। उनका कथन है कि पत्नी स्थाज वे साध्य देवपत्नियों को भी आज्यासादन प्रदान किया जाता है। पत्नी-संवर्धन के कारण देवी के अन्तर्गत आज्यासादन न करना अनुचित है। यजकानपत्नी पुण्यतीर्ती ही जाय, या जो कुछ भी हो इसमें क्या प्रश्नोजन? यजमान पत्नी परम्पुंसा ही जाय इसका भी ध्यान दौड़ करता है? क्योंकि देवी यज्ञ है, आज्य यज्ञ है। देवी के अन्तर्गत आज्यासादन करने में देवीरूप यज्ञ से आज्यरूप यज्ञ का निर्माण होता है। अतः देवी के अन्तर्गत आज्यासादन करना उचित होगा। (शत०ब्रा० १।३।१।२१)

(आज्यभाग प्रधानार्थ स्थान विषयक मतभेद)

पौर्णमास याग में अग्नि और खोम को आज्याहुगियों प्रदान की जाती है। इन दो आज्यभागों का प्रक्षेपण कहाँ किया जाय इस विषय में मतभेद है। याज्ञवल्क्य के मतानुसार दोनों आज्यभाग यज्ञ के दो नेत्र हैं। अतः उन्हें प्रधान हविष के समक्ष हवन करना चाहिये क्योंकि ये लौकिक तंत्र भी सामर्ता ही हूँते हैं। अतः अद्वयु प्रधान हविष के समक्ष हवन करने से नेत्रों वी पुरोभाग में स्थापित करना है। (शत०ब्रा० १।६।३।३८)

अस्थ आचार्य उत्तर पूर्वार्द्ध में आग्नेयाज्य भाग सथा दक्षिण पूर्वार्द्ध में सौम्य आज्यभाग के हवन का विधान करते हैं। उनके विचार से पूर्व भाग में ही नेत्रों का स्थापन होता है। इस मत का खण्डन करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यह बोधगम्य नहीं है। प्रधान हविष् यज्ञ का शरीर है। सामने ही दोनों आज्यभागों के हवन से दोनों नेत्र स्थापित किये जाते हैं। अद्वयु की जिस स्थान में भी प्रधान हविष के समक्ष समिद्धतम अग्नि दृष्टिगत हो वही दोनों आज्यभागों का हवन उत्तरपूर्वार्द्ध और दक्षिण पूर्वार्द्ध की अपेक्षा न करते हुए करना चाहिये क्योंकि समिद्ध होने वे ही आहृतियाँ समृद्ध होती हैं। (शत०ब्रा० १।६।३।३९)

(हविः शपण-स्थान विषयक मतभेद)

कुछ आचार्य आहृतीयापि में हविषाक का विधान करते हैं क्योंकि

देवों न इसी आह्वनीय में स्वग प्राप्ति की भूत स्वग गमनार्थ आह्वनीयाग्नि में ही हविष्यपाक कर करना चाहिए। उनका मन्त्रव्य है कि देवों ने आह्वनीय हविष्य प्रदान कर स्वर्ग गमन किया। अतः हम भी एक ही स्थान पर हविष्य का पाककर्म क्यों न सम्पन्न करें? गार्हपत्य में हविष्यपाक से यह दोष होगा कि जैसे खल (श्वेत) में श्रोहि यज्ञादि बाहर तिकल कर व्यर्थ हो जाते हैं उसी प्रकार गार्हपत्य में पकाया जाने वाला हविष्य भी स्थानस्थान पर गिर कर व्यर्थ ही होगा अतः आह्वनीय में पाककर्म का सम्पादन शेषस्कर है क्योंकि आह्वनीय यज्ञ है, हविष्य यज्ञ का साधन है। अतः वह भी यज्ञ है। इस प्रकार यज्ञ से यज्ञ का विस्तार किया जाता है। (शत० ब्रा० १७।३।२६)

दूसरे आचार्यों का भूत है कि गार्हपत्याग्नि में हविष्यपाक कर्म करना चाहिये क्योंकि आह्वनीयाग्नि पवत्र हविष्य हवनार्थ है, अपवद हविष्य वाकार्थ नहीं। अर्थात् आह्वनीय मुख्यतः होम साधन होने से हवनार्थ ही है। यावक्तिया गार्हपत्य में सम्पन्न होनी चाहिए।

याज्ञवल्क्य इन दोनों भूतों में विकल्प प्रस्तुत कर कहते हैं कि अधर्व्यु स्वेच्छापूर्वक उपर्युक्त दोनों अग्नियों में से किसी एक अग्नि में पाक कर्म सम्पन्न कर सकता है। (शत० ब्रा० १७।३।२७)

(दधि निकालने के स्थान के विषय में भूतभेद)

सोम-मात्रा वृद्धि के लिए दक्षि-मिश्रण किया जाता है। अधर्व्यु दक्षिग्रह से किय और से दधि निकाले, इस विषय में भूतभेद है। तैत्तिरीय आचार्यों के अनानुसार (तै० स० ६।५।६।४) अधर्व्यु को दधि ग्रह के मध्य से निकालना चाहिए क्योंकि पशुओं के अन्तर्गत वर्तमान दूष भी मध्य में ही होता है।

याज्ञवल्क्य इस पक्ष के विरोध में कहते हैं कि दक्षिग्रह में से पण्डित भाग में निकालना चाहिए क्योंकि पशुओं में दूष पिछले भाग में ही होता है। (शत० ब्रा० ४।३।५।१३)

२—अन्नपूर्णस्थान निष्ठग्निं विषयक भूतभेद

दर्शनपूर्णमास में वेद निर्माण के समय कुशों के अग्र भाग को काट दिया जाता है जो कुकु वाक्यों के सम्माननार्थ प्रयुक्त होता है। अग्रभाग से रहित अंश अर्थात् वेद का उपर्योग वेदी परिमार्जनार्थ होता है। परिमार्जनात्मक कुशाग्र-प्रक्षेपण स्थान के विषय में तैत्तिरीयकों का भूत है कि कुशाग्रवेद के अग्र हैं और

वेद यज्ञांग हैं अतः कुशाग्र भी वेद के अंग होने से यज्ञांग हैं। प्रथम् उनका भी यज्ञियत्व है। वेदांग होने से ही कुशाग्रयज्ञिय तर्हीं हैं अपितु चूक् पात्र सम्मार्जन के कारण भी वे यज्ञांग हैं। वेदाग्रों को अन्यत्र प्रक्षेपण कर उन्हें यज्ञ से यज्ञन किया जाता है अतः इस दोगा से बचने के लिए पात्रसम्मार्जन के अनन्तर कुशाग्रों का आहवनीयाग्नि में प्रक्षेपण कर देना चाहिए।

याज्ञवल्क्य लौकिक दृष्टिंत से इस मत का खण्डन करते हैं—हविष् प्रदान के पूर्व अग्नि में कुशाग्रों का प्रक्षेपण भोजनार्थ स्थित व्यक्ति को भोजन देन से पूर्व पात्र प्रक्षालनार्थ प्रयुक्त जल को प्राजनन के गमन होता। याज्ञवल्क्य इस मत है कि वेदाग्रों का प्रक्षेपण उत्कर में करना चाहिये। (शन०ब्रा० १३।१।११)

(लोभावपन-स्थान विषयक मतभेद)

कनिष्ठ याज्ञिकों के मतानुसार सेतोत्तमणीयाग में अष्टवर्ष्य पशु मांस पर सिंह, बृक् (भेदिया), शार्दूल (चीता) के लोभ का आवपन करता है क्योंकि ये सिंह, बृक् तथा शार्दूल इन्द्र के शरीर से मनित होने वाले सोभ में उत्पन्न हुए। इस प्रकार के अनुष्ठान से इन्द्र समृद्ध किये जाते हैं। (शत० ग्रा० ५।५।८।१२)

याज्ञवल्क्य इस मत का निरसन करते हैं कि यदि अष्टवर्ष्य पशु-मांस पर लोभावपन करता है तो वह पशुओं को कटीनी उत्का से प्रेरित करता है। उनका मत है कि लोभों को परिसुन (मादक द्रव्य) में डाल देना चाहिये। अष्टवर्ष्य इस अनुष्ठान से पशुओं को कटीनी उत्का द्वारा प्रेरित न करके इन्द्र को समृद्ध करता है। (शत० ग्रा० ५।५।८।१६)

(उपस्थान-स्थान विषयक मतभेद)

कुछ आचारों के मतानुसार प्राणभूत् इष्टकाओं का उपधान उपहित स्वर्ण तिमित पुरुष के समीप करना चाहिये। स्वर्णपुरुष प्राण है। इसके आरक होने के कारण इष्टकाओं को प्राणभूत् कहते हैं।

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन कर स्वभल प्रमुत करते हैं कि स्वर्ण पुरुष प्राण है, चिति उसका शरीर है। इस प्रकार प्राणभूत् इष्टकाओं स्वर्ण पुरुष के अग न बन सकेंगी। चिति स्वर्ण पुरुष का शरीर है। यदि चित्याग्नि शरीर वाले इस हिरण्य पुरुष के अंग को प्राणभूत् इष्टकाओं नहीं प्राप्त करने तो प्राण धारण सम्बन्ध न होने से इस स्वर्ण पुरुष के अग को प्राण नहीं प्राप्त करेगा। प्राणरहित अंग काष्ठवत् शुष्क और स्नान हो जाता है। अतः स्वर्ण पुरुष की प्राप्ति के लिए यद्यन आवश्यक है। इन प्राणभूत् इष्टकाओं का उपधान चारों

निशाओं म परिश्रित आकृत करते वाला पत्थर) के समीप करना चाहिये इस प्रकार स्वर्ण पुरुष के गराम म प्राप्ति हांगी और मध्य मे उपहित इष्टकाओं के द्वारा उस स्वर्ण पुरुष का मध्य जारीर पूर्ण होता है तथा वे इष्टकाएं विलग भा नहीं होतीं। (शत०ब्रा० दा१४।१)

(इष्टकोपधान विषयक मतभेद)

कुछ आचार्य पांचवीं चिति के सम्बन्ध में तीसवीं (स्तोमभाग) इष्टका का उपधान 'वेष्ट्रीः क्षत्राय क्षत्रं जिन्व' स्तोम से करते हैं क्योंकि विराट् छन्द तीस अक्षर वाला होता है और यह पांचवीं चिति विराट् है।

इस मत के विरोध में यज्ञवल्क्य का कथन है कि इस प्रकार के अनुष्ठान से एकविंश तथा गायत्री स्तोम की सम्पत् का उल्लंघन होता है। न्यून विराट् इन्द्र लोक है। इन्द्रनोक में इन्द्र के समान बलवान्, 'उसके द्वेषी शत्रु को उद्यत किया जाता है। यजमान यज्ञ में इद्र है। अतः उसके लोक में उसके द्वेष करने वाले शत्रु को उद्यन किया जाता है। जिस अग्नि का आहृण किया जाता है वह यजमान का रूप है। आयतन के साधन से वह पांचवीं चिति की तीसवीं इष्टका है। (शत०ब्रा० दा४।३।८) यज्ञवल्क्य स्तोमभाग इष्टकाओं का अषाढा इष्टकाओं की श्रेणी पर उपधान के लिए स्वमत प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि अषाढा वाणी है और यह इष्टकाओं का भूमूह अन्न रस है। कोई भी मनुष्य हृदय तथा मन से विचार करता है। इष्टकोपधान सब दिशाओं में किया आता है। ये इष्टकाएं पुण्यलक्षण हैं। अतः इनको सब ओर रखा जाता है। लोक में भी देखा जाता है कि जिसके सब ओर लक्षण होते हैं वह पुण्यलक्षणों वाला होता है। (शत०ब्रा० दा४।४।३)

(लोकमृणा इष्टकोपधान स्थान विषयक मतभेद)

इस विषय में कुछ आचार्य लोकमृणा इष्टकाओं (Spacefilling bricks) को मूहूर्तलोका कहते हैं क्योंकि उनका उपधान मूहूर्त-प्राप्ति साधन के रूप मे होता है वे मूहूर्तों की प्रतिमा हैं इसका कारण यह है कि उनकी संख्या दस हजार आठ सौ होती है तथा सबत्सर मे इतने ही मूहूर्त होते हैं। इष्टकाओं मे से इक्कीस का उपधान गाहूपत्य में किया जाता है। अठहत्तर इष्टकाओं का उपधान आठ बिष्णों में तथा शेष दस हजार सात सौ एक इष्टकाओं का उपधान आहवनीय में होता है। (शत० ब्रा० १०।४।३।२०) इस मत के विपरीत अन्य आचार्यों का मत है कि सब दस हजार आठ सौ लोकमृणा इष्टकाओं का उपधान आहवनीय मे ही होना चाहिये क्योंकि

विष्णु और गार्हपत्य भिन्न इष्टकार्यों से निर्मित हैं। उनमें उपहित इष्टकार्यों की गणना आहवनीय के साथ क्यों की जाय ?

याजवल्क्य इस मत का निरसन कहते हैं। उनके विश्वार से चिन्त्यभिन्न पर यजमान दस वेदी (गार्हपत्य, आहवनीय, आठधिष्ठ्य) का चयन करता है। अन्य कहा जाता है कि अग्नि विराट है। विराट छन्द में दस अवार होते हैं। वेदी और धिष्ठ्य एक हैं, एक ही अग्नि के अंश हैं। जिस प्रकार दिन और रात, अर्धमास और अष्टुत्रे संवत्सर के रूप हैं उसी प्रकार दस वेदियाँ अग्नि के रूप हैं। (शत० ब्रा० १०।४।३।२१) याजवल्क्य के कथनानुसार जो व्यक्ति आहवनीय में ही सब लोकमयूणा इष्टकार्यों का उपचान करते हैं वे इन गार्हपत्य, धिष्ठ्य लक्षण वाले रूपों को संवत्सरात्मक वर्णन से बाहर करते हैं। वे पापमुक्त कर्म में जोका उत्पन्न करते हैं। ओत्र के लिए प्रजाभूत वैश्य जाति को विपरीतवारिणी तथा स्पद्धशील बनाते हैं। (शत० ब्रा० १०।६।३।२२)

समाधि-स्थान विषयक मतभेद)

कुछ याजिकाचार्यों के मतानुसार समाधि उम्मीदि पर बनानी चाहिये, जो उत्तर की ओर ढालू हो क्योंकि उत्तर दिशा मनुष्यों की दिशा है। इस प्रकार उम्मीदि को मनुष्य लोक में भी भागी बनाया जाता है। उम्मीदि की प्रजा श्रेयभी होती है। (शत० ब्रा० १३।८।१६) अन्य आचार्यों के मतानुसार समाधि दक्षिण की ओर उठी हुई भूमि पर निर्मित होनी चाहिये क्योंकि समाधि उचित्रूप पाण होती है।

इस मत का निर्णय करके याजवल्क्य कहते हैं कि जो भूमि उत्तर की ओर जूकी होती है वह उचित्रूप पाप होती है। (शत० ब्रा० १३।८।१८) उनका मत है कि किसी भी सम भूमि में जहाँ जल दक्षिण-पूर्व से पश्चिमोत्तर की ओर बहकर किसी झील, सरोवर आदि में मिले, समाधि का तिर्यक करना चाहिये क्योंकि जल अन्त है। इस प्रकार प्रेत की आगे और पीछे की ओर से अन्त प्रदान किया जाता है। जल अमृत है। वह मन्त्रियों के उदयन तथा सूर्यास्त के दीन का एवं जीवों का निवासस्थान था। ऐसी समाधि निर्मित कर जीवों में अमृत ही रखा जाता है। यह भी निश्चित है जो प्राणियों के लिए हितकर हीला है वह पितरों के लिए भी हितकर है। (शत० ब्रा० १३।८।१९) अब समाधि स्थल का स्थान किस प्रकार हो, इस विषय में भीमांसा प्रस्तुत करते हैं— समाधि एक सुहावने स्थान पर निर्मित होनी चाहिए। जहाँ कि प्रेत को सुख मिल सके।

स्थान शान्त होना चाहिए। समाधि का निर्माण मार्ग में, खुले स्थान में अथवा वृक्ष, गुल्म आदि से रहित प्रदेश में नहीं करना चाहिए अत्यथा प्रेत के पाप को ही प्रकाशित किया जाता है। (शत० ब्रा० १३।८।११०) वह स्थान दूधरे, गुल्मों से सबृत हो, साथ ही उस स्थान पर सूर्य का प्रकाश भी पड़ता रहे। गुहा प्रेत के पाप को छिपाती है। सूर्य का प्रकाश उस प्रेत के पाप का नाशक है। धारित्य का प्रकाश प्रदान कर प्रेत-प्राप्त का विनाश किया जाता है। (शत० ब्रा० १३।८।१११) समाधि ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जो ग्राम से दिखायी न पड़े। यदि उम समाधि के चारों ओर कुछ भी नहीं है तो वह अनावृत समाधि है। वह समाधि याचना कर रही है जिसका परिणाम यह होगा कि शीघ्र ही प्रेत के परिवार में से कोई अन्य भी मृत्यु को प्राप्त होगा। (शत० ब्रा० १३।८।११२) समाधि के पश्चिम दर्शनीय बन, पर्वत, देवालय आदि होने चाहिए क्योंकि दर्शनीय (चित्र) वस्तुओं का अर्थ होता है—प्रजा। उस प्रेत को दर्शनीय वस्तु तथा प्रजा प्राप्त होती है। यदि दर्शनीय वस्तुएं नहीं हैं तो समाधि के पश्चिम या उत्तर की ओर जलाशय अवश्य होना चाहिए क्योंकि जल दर्शनीय वस्तु है। इस प्रकार प्रेत दर्शनीय वस्तु और प्रजा प्राप्त करता है। (शत० ब्रा० १३।८।११३)

समाधि निर्माण क्षेत्र भूमि में करना चाहिए क्यों ऊषा वीर्य है इस प्रकार इसे प्रजनन में मिलाया जाता है। उत्पादक को उत्पत्ति का अश प्रदान किया जाता है। पितरों को भी उसमें अंश प्राप्त होता है। प्रेत की प्रजा श्रेष्ठी होती है। (शत० ब्रा० ५३।८।११४) समाधि मूल (जड़) युक्त स्थान पर निर्मित होनी चाहिए क्योंकि पितरों का सम्बन्ध मूल युक्त तृणों, तृण युक्त प्रदेशों तथा अन्य प्रकार की घासों से है। (शत० ब्रा० १३।८।११५) समाधि का निर्माण न तो भूमिपाश, नरकुल, अशमन्धा (अशवग्रामा) अध्यान्धा, पृथिवपर्णी उगते बाले स्थान पर बीर न तो अशवस्थ, विभीतक, तिल्वक, स्फूर्ज, हरिद्र (कटहल), न्यग्रीध (बट) के सभीष तथा अन्य पाप ताम बाले वृक्षों (स्लेषमान्तक, कोविदार) के पास ही करना चाहिए। मगल की कामना बाले व्यक्ति के लिए वृद्धों का परिहार कर देना चाहिए। (शत० ब्रा० १३।८।११६)

(घर्मोद्वासन (स्थापन) स्थान विषयक मतभेद)

कतिपय आचार्यों के मतानुसार परिष्यन्द (जिस स्थान के चारों ओर जल हो) में घर्मोद्वासन करना चाहिये। स्वमत पुष्टि के लिए उनका कथन है कि वर्षिन द्वारा तप्त हुआ यह घर्म शोचनशील (दाहशील) होता है। पृथ्वी पर प्रदर्शयोत्सादन सम्बन्ध होते पर उसकी उष्णता पृथ्वी में प्रविष्ट होगी। जल में उत्सादन किये जाने पर प्रवर्ग्य की उष्णता जल में प्रविष्ट होगी किन्तु यदि द्वीप

वाच्यव कथ का भत है कि जननवेदी पर मध्य खरोर से आरोहण करना चाहिए औस नि अग्रब पर आर हृषि किया जाता है। जिस दशु पर पाष्ठव भाग से आरोहण हाता है वह अहन करते हुए आवाह वही पहुचता अतः अद्वयु का अविवदा पर वाम भाग (उत्तर की ओर) से अरोहण करना चाहिए वयोकि वीक में भी वाम भाग से ही किसी पश्चु पर आरोहण किया जाता है।

(शत०द्वा० ४।३४।२१७)

२—आसादन-दिशा विषयक भतभेद

(उपांशुग्रह के आसादनार्थ दिशा सम्बन्धी भतभेद)

उपांशु ग्रह का मार्जन कर उसे खर पर रखा जाता है। खर पर किस दिशा में आसादन करना चाहिए इस विषय में भतभेद है। कृष्ण यजुर्वेदियों (त०स० १।४२) के भतानुसार उपांशु ग्रह का आसादन खर के दक्षिण भाग में करना चाहिये वयोंकि यह उन दिशा में है जिसके समीपस्थ सूर्य परिक्रमा करता है। ग्रहण से पूर्व उपांशु ग्रह को आसादनार्थ आग्नीध-मण्डप के उत्तर खर की दक्षिण दिशा में ले आया जाता है। अतः उपांशु ग्रह का आसादन खर के दक्षिण भाग में करना उचित होगा।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त भत का निषेध करते हैं। उनके भतानुसार उपांशु ग्रह का आसादन दक्षिण दिशा में न कर खर की उत्तर दिशा में करना चाहिए वयोंकि उपांशुसोमाद्वृति से प्रग्रस्त अस्य कोई आद्वृति नहीं है। यह आद्वृति सवनवयात्मिका (तीनों सबनों में प्रयुक्त होने वाली) है। अतः उत्तर भाग में उसके पाव्र का स्थापन उपर्युक्त ही है। उपांशु ग्रह का आसादन 'प्राणायत्वा' (शू०य०स० ७।३) मन्त्र से करना चाहिये। (शत०द्वा० ४।११।२७)

(चयन भाग में प्रयुक्त दो लूक् के अग्रभाग की दिशा के विषयक में भतभेद)

चयनयाग में एक हिरण्य पुरुष की रचना 'की जाती है जिसकी कार्यमयी तथा औद्यम्बरी दो लूक् बाहु के रूप में होती हैं। उन लूकों के अग्रभाग की दिशा के विषय में भतभेद है। पद्मति के अनुसार अद्वयु हिरण्य पुरुष के समक्ष दो लैखाएँ चौक्षता हैं और उन पर दोनों सुक्रों का आसादन करता है। यही हिरण्य पुरुष की दो बाहुएँ हैं। (शत०द्वा० ७।४।१।४३)। कृष्ण आकाश इस विषय में आपत्ति प्रकट करते हैं। उनके भत से दोनों लूकों को सामने की ओर अग्रभाग कर नहीं अपितु दक्षिण तथा उत्तर की ओर (बायें तथा दाएं, अग्रभाग कर रखना

चाहिये क्योंकि हमारी दोना बाहुए दो पाईयों पर हाती हैं। शत०न्ना
७४१४४)

उपर्युक्त मत का निपेद्ध कर याज्ञवल्क्य इवमत् प्रस्तुत करते हैं। पूर्व की ओर ही अग्रभाग कर उन चुक पात्रों का आसादन होना चाहिये क्योंकि वेदी का सिर पूर्व की ओर ही होता है। इसके पाइर्व में रखी गयी बाहुए शक्तिशानी होंगी। (शत०न्ना० ७।२।१४४)

३—उपधान-दिशा विषयक मतभेद

(नैऋति इष्टकाओं का उपधान दूर से समीप की ओर या समीप से दूर की ओर करना चाहिये)।

कुछ आचार्यों के मतानुसार नैऋति इष्टकाओं का उपधान दूर से उत्तरोत्तर अपनी ओर समीप में करना चाहिये क्योंकि निर्कृति पापी है। समीप प्रदेश से आरम्भ करके उत्तरोत्तर उपधान के कारण पूर्व उपहित इष्टकाओं का अतिक्रमण कर गमन से पाप संसर्ग होगा। अतः निर्कृति से दूर रहने के लिए इष्टकाओं का उपधान दूर से आरम्भ कर समीप में किया जाता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेष करते हैं। उनके मतानुसार अद्वर्यु वो समीप से दूर की ओर नैऋति इष्टकाओं का उपधान करना चाहिये। अद्वर्यु इस प्रकार उपधान सम्पन्न कर पाप तथा निर्कृति को दूर करना है। (शत०न्ना० ७।२।१५३)

(चतुर्थ चिति में उपधान की जाने वाली चतुर्दश इष्टकाओं की उपधान दिशा में मतभेद)

सर्वप्रथम स्तोमवती इष्टकाओं का उपधान होता है। त्रिवृत् स्तोम से युक्त इष्टकाएं अग्रभाग में, एकविश स्तोमवाली इष्टकाएं पृष्ठभाग में, पञ्चदश स्तोम वाली इष्टकाएं दक्षिण की ओर तथा सप्तदश स्तोम वाली इष्टकाएं उत्तर की ओर उपहित होती हैं। (शत०न्ना० ८।४।४३) चतुर्दश इष्टकोपधान के विद्य में कुछ आचार्यों का मत है कि त्रिवृत् स्तोम से युक्त दो इष्टकाओं के अनन्तर ही चतुर्दश इष्टकाओं का उपधान होना चाहिए क्योंकि वे दोनों जिहवा और हनू (जबड़े) हैं। चतुर्दश इष्टकाएं हनू तथा उनके पृष्ठभाग में उपधान की जाने वाली छः इष्टकाएं जिहवा हैं।

यह मत याज्ञवल्क्य को स्वीकार्य नहीं है। उनके मतानुसार इस विधि से अंतिरिक्त कर्म किया जाता है। यह पूर्व चर्तमान हनू पर अन्य हनू तथा पूर्व चर्तमान जिह्वा पर एक अन्य जिह्वा रखने के सदृश होगा। (शत०ब्रा० द१४।४।६) अन्य आचार्य इन इष्टकाओं का उपधान अवान्तर अर्थात् मध्य में, वेदी के दक्षिण-पूर्व करते हैं। ये इष्टकाएँ सूर्य हैं। इस प्रकार उस दिशा में सूर्य का ही आसादन किया जाता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का भी निरसन करते हुए कहते हैं कि अन्य कर्म उच्छ्वास अग्नि के आधान द्वारा सूर्य को उस दिशा में रखा जाता है। (शत०ब्रा० द१४।४।१०)

अन्य आचार्य इन इष्टकाओं का उपधान दक्षिण दिशा में करते हैं जिससे भाग्य के अच्छे लक्षणों को दक्षिण की ओर रखा जाता है। जिस व्यक्ति के दक्षिण ओर लक्षण होता है वह पुण्य लक्षणवान् कहा जाता है। स्त्री के बाम भाग में लक्षण होने से वह पुण्य लक्षणवती होती है क्योंकि स्त्री का स्थान मनुष्य के बाम भाग में होता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का भी निषेध कर इष्टकोपधान पूर्वभाग में करने के लिए स्वमत प्रस्तुत करते हैं क्योंकि अहाँ सिर होता है वहीं हनू होते हैं तथा वही जिह्वा भी होती है। इस प्रकार अष्टव्यु भाग्य के अच्छे लक्षण को सिर पर रखता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति से मुख पर लक्षण होते हैं वह पुण्य लक्षण बनाया होता है। (शत०ब्रा० द१४।४।११)

(मुख्य-दिशा विषयक मतभेद)

पक्षी के आकार की अग्निवेदी का मुख किस दिशा में हो सथा सिर अलग से निकला हो या नहीं? इस विषय के प्रतिपादनार्थ याज्ञवल्क्य एक आख्यायिका प्रस्तुत कर रहे हैं—वाजश्रवा के पुत्र कुशि ने एक बार अग्निवेदी का चयन किया। औश्य (कुश गोक्रोत्पन्न) सुश्रवा ने कुशि (गौतम) से पूछा—हे गौतम, जब तुमने वेदी का चयन किया तब उसका मुख पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर अथवा नीचे की ओर या उत्तान कर किया? शत०ब्रा० १०।५।१) कौश्य सुश्रवा ने इन दिशाओं की ओर मुख करके चयन की गयी वेदी के दोषों का निर्देश करते हुए बताया कि यदि आपने पूर्वभिमुख चयन किया तो यह पश्चिमाभिमुख व्यक्ति को पीछे की ओर मुख करके भोजन देने के समान होगा। इस प्रकार अग्निवेदी तुश्हारा हविष ग्रहण न करेगी। (शत० ब्रा० १०।।।५।२) यदि

उसका चयन पश्चिमाभिमुख किया है तो उसका पुच्छ पश्चिम की ओर क्या किया ? क्याकि जिस पक्षी का मुख पूर्व का और हाथा उसका पुच्छ पश्चिम की ओर होगा तथा जिसका मुख पश्चिम की होगा उसका पुच्छ पूर्व की ओर होगा । इस स्थिति में अग्नि चयन पश्चिमाभिमुख कैसे हुआ ? अवाङ्मुख निर्मण से निम्नाभिमुख न्यक्ति को भोक्तन केने के समान होगा । इम प्रकार तुम्हारा हविष् अग्निवेदी को प्राप्त नहीं होगा । (शत०द्रा० १०।५।५।४) यदि उसका मुख उत्तान किया है तो वह पक्षिरूप वेदी यजमान को स्वर्ग वहन न करेगी क्योंकि कोई भी पक्षी उत्तान मुख होकर स्वर्गागमन नहीं कर सकता । (शत०द्रा० १०।५।५।५।८) कुर्वि से कहा कि मैने उसका चयन पूर्वाभिमुख, पश्चिमाभिमुख, उत्तानाभिमुख तथा सब दिशाओं में उसका मुख किया है । (शत०द्रा० १०।५।५।६) अग्निवेदी रूप पक्षी का मुख ऊर्ध्व की ओर होता है फिर भी सब दिशाओं में इसका मुख कैसे हुआ ? इस स्पष्ट कर रहे हैं—

अष्टवर्षु जब हिरण्य पुरुष का उपधान पूर्व की ओर सिर कर करता है और दो मुक्तों (कार्यमयी तथा औद्यम्बरी) को दो प्यालों के साथ पूर्व की ओर मुख करके रखता है तो वेदी पूर्वाभिमुख होती है । अष्टवर्षु जब कूर्म तथा अन्य पशुओं के सिरी का उपधान पश्चिम की ओर मुख कर करता है वह वेद मूल पक्षी को पश्चिमाभिमुख निर्मित करता है । जब कूर्म तथा अन्य पशुओं एवं इष्टकाओं के भी मुख नीचे कर उपहित होते हैं । इस प्रकार वेदी पक्षी का उपधान अधोमुख होता है । जब हिरण्य पुरुष का उपधान उत्तान मुख करके दिया जाता है तथा दो लुचों में रखे हुए ध्यालों का मुख ऊपर होता है, उलूखल और उड़ा उत्तानमुख होती है, वेदी उत्तानमुख बाली होती है । अष्टवर्षु इष्टकाओं का उपधान वेदी को सभी दिशाओं में देखती हुई-सी करता है । (शत०द्रा० १०।५।५।७) वेदी पक्षी का सिर निकला रहे या नहीं इस विषय में भी आङ्ग्याद प्रस्तुत किया जा रहा है :—

कोपा ऋषियों ने ऋतिवज कर्म सम्पादनार्थं गमन करते हुए मार्ग में किसी यजमान के यहाँ इस प्रकार की वेदी का निर्मण किया जिसका सिर निकला हुआ था । उन ऋषियों में से एक ने कहा—सिर का अर्थ होता है ‘श्री’ । इस प्रकार यज-सिर को पृथक् कर यजमान की श्री पृथक् कर दी गयी । फलतः यजमान सर्वथा श्री रहित हो जायगा । (शत०द्रा० १०।५।५।८) अन्य ऋषि ने कहा कि सिर के अर्थ होते हैं प्राण । अग्निवेदी के सिर का पृथक् चयन करने से यजमान से प्राणीं को

पथक कर दिया गया फलत यजमान शीघ्र ही परलोक को प्राप्त होगा चिरकाल तक जीवित नहीं रहेगा । (शत०ब्रा० १०।५।६)

याज्ञवल्क्य का मत है कि अग्निवेदी का चयन उद्धर्भिमुख होता है । दर्भस्तम्भ, लोगेष्टका, पुष्कर पर्ण, स्वर्णस्थाली, स्वर्णपुरुष, दो सुक् स्वयमातृणा जिसमें स्वयं ही छिद्रहो, दूर्वेष्टका, द्वियजूः दो रेतः सिच्, विश्वज्योतिष्, दो कृतव्या इष्टकाए, अपाढा तथा कूर्म परोक्ष सिर हैं और वह अग्नि जो वेदी के चयन है जाने पर रखी जाती है, प्रत्यक्ष सिर है । यद्यपि कूर्म अप्रत्यक्ष मूर्धा वाला है और उसके ऊपर इष्टकोपथान होने से उसकी मूर्धा अन्तहित हो जाती है जो विद्वान् इस प्रकार मानते हैं उनके निए चित्याग्नि पर निहित आहवनीय ही प्रत्यक्षतम सिर है । चूंकि कूर्म और आहवनीय अग्नि चित्याग्नि के सिर हैं । अतः इष्टकाथों से भी पृथक् निर निर्माण की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । (शत०ब्रा० १०।५।७०)

४—अभिषेक-दिशा विषयक भत्तेद

(अग्नि चयन में वज्जप्रसक्ति होम के अनन्तर अभिषेक दिशा विषयक भत्तेद)

अध्यर्थ वेदी के उत्तर कृष्ण मृग चर्म पर यजमान का अभिषेक करता है । अन्य आचार्य चित्याग्नि की दक्षिण दिशा में यजमान का अभिषेक करते हैं । क्योंकि दक्षिण की ओर से ही अन्नोपचार होता है ।

याज्ञवल्क्य दक्षिण दिशा में अभिषेक करने का निषेष करते हैं क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों से सम्बन्धित है । दक्षिणदिशा में अभिषेक करने से जिस (यजमान) का अभिषेक सम्पन्न होता है वह उसी दिशा को प्राप्त होता है । (शत०ब्रा० १३।४।११)

अन्य आचार्य आहवनीय के समीप यजमान का अभिषेक करते हैं । उनका तकँ यह है कि आहवनीय स्वर्ण लोक है । इस प्रकार यजमानाभिषेक स्वर्णलोक में होता है ।

याज्ञवल्क्य इस मत का खण्डन करते हुए कहते हैं कि वह आहवनीय यजमान का दवी शरीर है । उसका सत्य शरीर मानुष है । आहवनीय पर यजमानाभिषेक से उसके दवी शरीर को मानुष शरीर से युक्त किया जाता है जो उचित नहीं है । शत०ब्रा० ३।२।४।१२) चित्याग्नि की उत्तरदिशा में अभिषेक होना चाहिए क्योंकि उत्तर पूर्व दिशा देव तथा मनुष्यों से सम्बन्धित होती है । इस प्रकार

रपती दिशा में स्थित हुए व्यक्ति के अभिपक्ष सम्पन्न होता है साथ ही साथ जपने आयतन में प्रतिष्ठित व्यक्ति विनष्ट नहीं होता है । शत० वा० ११३।४।१३)

५. दिशा विषयक अन्य मतभेद

(समाधि स्थानकर्त्त्वार्थे वृषभ योजन-दिशा विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मत से अधर्वर्यु को समाधि स्थान की दक्षिण दिशा वृषभों को हल से संयुक्त करना चाहिए । अन्य आचार्य इस कार्य के लिए उत्तर दिशा का निर्देश करते हैं ।

याज्ञवल्क्य के मतानुसार अधर्वर्यु दक्षिण या उत्तर जिस दिशा में चाहे वृषभों को हल से संयुक्त करे ।

(सावित्री-अनुबचन के समय आचार्य के समीप माणवक के आसीन रहने या स्थित रहने की दिशा के विषय में मतभेद)

कुछ याज्ञिकों के मतानुसार सावित्री का अनुबचन उम समय करना चाहिए जब माणवक आचार्य के दक्षिण आसीन या स्थित हो । याज्ञवल्क्य इस मत का नियंत्रण बारते हैं कि इस स्थिति में कोई अभिज्ञ उस आचार्य से कह सकता है कि आचार्य ने माणवक को बुल्ब (तिरछे मुख वाला) उत्पन्न किया है, उसका मुख तिरछा हो जायगा ।

याज्ञवल्क्य स्वमत प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आचार्य के समक्ष पूर्व दिशा में स्थित, पश्चिमाभिमुख आचार्य को देखते हुए शिष्य के लिए सावित्री का अनुबचन करना चाहिए । इस विधि के अनुसरण में उक्त दोष नहीं हैं । (शत० वा० ११।५।४।१४)

घ—परिमाण एवं आकार विषयक मतभेद

(घ-१) भूमि एवं वेदी के परिमाण एवं आकार विषयक मतभेद

१. भूमि परिमाण विषयक मतभेद

(योतिष्ठोम याग में देव यजन के पूर्वाधिक्य या पश्चिमाधिक्य में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मत से देवयज्ञ पूर्व की ओर अधिक न बढ़ाना चाहिए क्योंकि इससे यज्ञमान के शत्रुओं की वृद्धि होती है । उसका विस्तार दक्षिण तथा उत्तर की ओर स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता है । जिस देवयज्ञ में पश्चिम की ओर

पर्याप्त भूमि रहती है वह अधिक समझ होता है ऐसे देवयजन वामा यजमान शीघ्र देवताओं की उच्च पूजा प्राप्त करता है

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हम देवयजन चयनार्थ ब्राष्ट्य के यहाँ गये थे। उस समय सात्ययन ने कहा था 'यह सम्पूर्ण देवी पृथ्वी ही देवयजन है। इस पृथ्वी पर स्वेच्छानुसार यजृष् मन्त्रों से परिग्रहण कर याग सपादित कराना चाहिए। (शत०ब्रा० ३।१।१५) ऋत्विज ही देवयजन का चुनाव करते हैं। वे ही यज्ञ-सम्पादन में सद्यस्य होते हैं। जहाँ वेद-शास्त्र में पारंगत, सांघ प्रवचन अधियता, विद्वान् ऋत्विज यज्ञ सम्पादन करते हैं वहाँ कोई भी दोष उपस्थित नहीं होता। वह देवयजन देवताओं के अधिक समीप होता है। शत०ब्रा० ३।१।१५)

(पितृसेव यज्ञ में समाधि के लिए भूमि-परिमाण विषयक मतभेद)

कुछ याज्ञिकों के मतानुसार जितने स्थान में मूल व्यक्ति की अस्थियों को रखा जाय उतनी भूमि समाधि के लिए कर्यित होनी चाहिए।

याज्ञवल्क्य के विचार से अधिक भूमि कर्पण की आश्यकता नहीं है। पुरुष परिमाण तक भूमि कर्पण होना चाहिये। समाधि-स्थान की गहराई भी उतना होनी चाहिये जहाँ तक औषधि के सूल हों। इस प्रकार अन्य प्रेत के लिए अवकाश नहीं रहता। औषधियाँ पितर लोक हैं। पितर औषधि-मूल में प्रवेश करते हैं। समाधि के लिए खोदे गये भाग में औषधि-मूल नहीं रहने देता चाहिए। अन्यथा पितर भूमि में नहीं रह सकते। (शत०ब्रा० १३।१।१२०)

(हविर्धान-स्थापन की दूरी के सम्बन्ध में मतभेद)

कुछ याज्ञिकाचार्यों के यत से उत्तरवेदी जे तीन प्रक्रम पश्चिम दोमों हविर्धान स्थापित किये जाने चाहिये।

याज्ञवल्क्य का मत है कि कोई निश्चित परिमाण नहीं है। स्वेच्छानुसार किसी भी स्थान में हविर्धान-विमाण कर दिया जाय। एक बात का ध्यान अदृश रखना चाहिये कि वह स्थान उत्तरवेदी से न अधिक समीप हो और न अधिक दूर ही। (शत०ब्रा० ३।५।३।१५)

२—वेदों एवं समाधि परिमाण विषयक मतभेद

(वेदि नाम तथा गाम्भीर्य-परिमाण में मतभेद)

आस्वायिका द्वारा 'वेदि' नाम पड़ने का निर्देश किया जा रहा है। —एक

ममय असुर तथा देवों मे सघप हुआ जिसमे देवता असुरा से तिरसङ्ग हुए देवों ने सर्वव असुरों का ही आधिपत्य जानकर युक्ति सौची । उन्होंने असुरों से कहा— ‘इस पृथ्वी में हमारा भी अश हो जाय ।’ असुर देवों से दीर्घा करते ही थे । फिर उन्होंने कहा— ‘विष्णु शयन कर जितनी भूमि नाप सके उतनी भूमि दी जायगी ।’ (शत० ब्रा० १।२।५।४) विष्णु यद्यपि वामन थे, इतनी भूमि उनसे नप सकती थी तथापि देवों ने इसे अस्वीकार नहीं किया । उन्होंने आपम भ कहा— ‘उन असुरों ने यज्ञ के बराबर पृथ्वी दी क्योंकि विष्णु यज है ।’ (यजौ वैविष्णुः) कहा गया है । (शत० ब्रा० १।२।५।५) देवता आज्ञा पाकर भूमि मापन करने लगे । विष्णु को पूर्व की ओर सिर कर दक्षिण दिशा में गायवी छन्द से पश्चिम दिशा में त्रिष्टुप् छन्द से, उत्तर दिशा में जगती छन्द से, पूर्व दिशा में अग्नि से परिवेष्टित कर दिया । (शत० ब्रा० १।२।५।६) अग्नि को सामने कर गान तथा परिश्रम करते हुए देव आगे बढ़े । इस प्रकार उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी भ आधिपत्य स्थापित कर लिया । इस यज्ञ से सब कुछ प्राप्त किया । अतः ‘वेदि’ नाम पड़ा । इसीलिए ‘यावतीवेदिस्तावती पृथिवी’ कहा गया है । (शत० ब्रा० १।२।५।७) पृथ्वी-मापन करते हुए विष्णु श्रान्त हो गये । चतुर्दिक परिवेष्टन से पलायन में असमर्थ होकर औषधि-मूल में अन्तहित हो गये । (शत० ब्रा० १।२।५।८) देवों ने अनुमान किया कि विष्णु नीचे ही छिपे होंगे । उन्होंने भूमि-खनन के अनन्तर विष्णु को प्राप्त किया । तीन अंगुल गहराई के बाद विष्णु की प्राप्ति होने से वेदी ल्यंगुला (तीन अंगुल गाम्भीर्य वाली) होनी चाहिए ।

कतिपय याज्ञिकों ने वेदी को ल्यंगुला ही स्वीकार किया है । उदाहरणस्वरूप पाठ्य आचार्य ने सोमयाग में तीन अंगुल गाम्भीर्य वाली वेदी का निर्माण किया था । (शत० ब्रा० १।२।५।९)

याज वल्क्य इस मत का विरोध करते हैं । उनका कथन है कि वेदी का तीन अंगुल गाम्भीर्य अनिवार्य नहीं है तथा उस विष्णु के अन्वेषणार्थ भूमि-खनन कर उन्हें प्राप्त किया गया अतः वेदि नाम पड़ा ।’ यह भी उचित नहीं है अपितु इस प्रकार है— वे विष्णु रकान होकर औषधि मूल में अन्तहित हो गये । अत औषधिमूल के छिन्नार्थ देवों ने खनन प्रारम्भ किया । जहाँ तक वनस्पतियों के मूल थे वहाँ तक भूमि छोटी गयी । खननोपरान्त विष्णु प्राप्त हुए । अतः ‘वेदि’ नाम पड़ा । (शत० ब्रा० १।२।५।१०)

(सौमिकमहावेदि-परिमाण विषयक मतभेद)

वेदि-परिमाण सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है—अद्वयु सम्य (कक्ष) से पूर्व की ओर तीन प्रक्रम के पश्चात् एक शंकु प्रतिष्ठापित करता है जो अध्यम शंकु (अन्त पात) है । इस शंकु से दक्षिण की ओर पन्द्रह प्रक्रमानन्तर एक

शकु स्थिर रहता है। यह दक्षिण शोणी है (शत० ब्रा० ३५१२) उत्तर की ओर प न्ह प्रक्रम के बाद शकु स्थापिन कर उत्तर शोणी निश्चित की जाती है। (शत० ब्रा० ३५१३) इस प्रकार प द्रह प द्रह प्रक्रम मिलकर तीस हुए। अध्वर्यु उसी अ.त. पात शकु से पूर्व की ओर छत्तीस प्रक्रम के पश्चात् शकु स्थापित करता है। यह पूर्वार्द्ध में है, यहाँ पन्द्रह प्रक्रम तहीं अपितु दक्षिण की ओर बारह प्रक्रम के बाद शकु-स्थापन होता है। यह वेदी का दक्षिणांस है। (शत० ब्रा० ३।५।१५) इसी प्रकार उत्तर की ओर बारह प्रक्रम अनन्तर एक शकु स्थिर की जाती है। मह वेदी का उत्तरांश है। (शत० ब्रा० ३।५।१६) पश्चिमांस को तीस प्रक्रम करने का कारण यह है कि विशद् छन्द में तीस अक्षर होते हैं। देवों ने विशद् छन्द से ही इस लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त की। अब भी इस प्रकार का अनुष्ठान विशद् छन्द से इस लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। (शत० ब्रा० ३।५।१७)

अन्य आचार्य पश्चिमांस-परिमाण तीस प्रक्रम करते हैं। इस मत को भी भास्यता प्रदान करते हुए याजवल्य कहते हैं कि विशद् छन्द में तीस अक्षर भी होते हैं। इस प्रकार विशद् छन्द से इस लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। [शत० ब्रा० ३।५।१८] पूर्व की ओर छत्तीस प्रक्रमानन्तर शकु स्थिर करने का कारण यह है कि दृढ़ती छन्द में छत्तीस अक्षर होते हैं। दृढ़ती से ही देवों ने स्वर्ग प्राप्त किया। इस प्रकार के अनुष्ठान का स्वर्ग लोक विव्य भावनीय होता है। [शत० ब्रा० ३।५।१९] वेदी का पश्चिमांस तीस प्रक्रम होता है किन्तु पूर्वांस चौबीस प्रक्रम ही होता है। इसका कारण यह है कि गायत्री में चौबीस अक्षर होते हैं। गायत्री वज्र का पूर्वार्द्ध है। अतः वेदी का पूर्वांस चौबीस प्रक्रम होता है। यह वेदी का परिमाण है। [शत० ब्रा० ३।५।११०]

वेदी का पश्चिमांस पृथु होता है। इसका कारण यह है कि वेदी स्त्री है। जिस प्रकार स्त्री का नितम्ब भाग अधिक होता है, उसी प्रकार वेदी का पश्चिमांस पृथु होता है। (शत० ब्रा० ३।५।१११)

(महावेदि-परिमाण (कंचाई) विषयक मतभेद)

यह वेदी सप्तविधि वेदी की भावा है। अध्वर्यु को देयमजन क्षेत्र का निर्धारण कर पत्नीशाला के पूर्व द्वार से प्रावर्षण में प्रविष्ट होकर गार्हपत्यागार निर्माणार्थ तृणादि दूर कर भूमि-खनन कर जल से क्षेत्र सेचन करना चाहिए। गार्हपत्य स्थान का विचार कर उस कल्पित प्रदेश से पूर्व की ओर सात प्रक्रम भूमि मापन करना चाहिए। सात प्रक्रम के बाद पूर्व में एक व्यास (बार भरति)

मूर्मि नाम कर व्याम के मध्य आहवनीय स्वान कल्पित किया जाता है। यह प्राहवनीय चयन-महावेदी का गार्हपत्य है। गार्हपत्य चिति के लिए कल्पित व्याम के पूर्वद्वंद्व प्रदेश से लेकर पूर्व की ओर तीन प्रक्रम अर्थात् दस प्रक्रम और एक व्याम तक महावेदी के पश्चिम भाग का अन्त है। (शत० ब्रा० १०।२।३।१) एक व्याम तथा दस प्रक्रम मिलकर एकादश होते हैं। वेदी और गार्हपत्य के मध्य एकादश प्रक्रम का अन्तर होता है। त्रिष्टुप् छन्द में एकादश अक्षर होते हैं तथा त्रिष्टुप् वज्र और वीर्य से यज्ञानुष्ठान से पूर्व ही राक्षसों का विनाश करता है। (शत० ब्रा० १०।२।३।२) वेदि-मण्डन-काल दीक्षा-दिनों में अन्तिम दिन होता है।

कुछ याजिकों के मत से वेदी के पश्चिम किनारे से सीधे पूर्व छत्तीस प्रक्रम, पश्चिम में तीस प्रक्रम पृथुता, पूर्व की ओर चौबीस प्रक्रम। इस प्रकार यह वेदी नव्वे प्रक्रमों वाली है तथा उस पर सप्तविधि अग्नि (सात पुरुषों के प्रमाण की) वेदी का चयन सम्पन्न होता है। (शत० ब्रा० १०।२।३।४)

ब्रह्मवादियों का कथन है कि यह सप्तावधि पुरुष प्रमाण की वेदी नव्वे संख्या के साथ कैसे सम्पादित होती? इसके उन्नर में याज्ञवल्क्य का कथन है कि पुरुष में दस प्राण (सात शीर्ष प्राण, दो अवांच प्राण तथा नाभि), चार अंग (दो बाहु, दो पाद) तथा मध्य देह पन्द्रह संख्या के पूरक हैं। इस प्रकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय से लेकर षष्ठ तक नव्वे संख्या का सम्पादन होता है। एक पुरुष नव्वे की संख्या के अतिरिक्त होता है। वह सातवां पुरुष पांकत (लोम, तिक्ख, मांग, अस्थि तथा मज्जा से युक्त) होता है; यह वेदी भी पांकत होती है—वेदी की चार दिशाएँ तथा पाँचवी स्वयं वेदी। इस प्रकार नव्वे प्रक्रम वाली महावेदी की संख्या से सप्त पुरुषों के प्रमाण की) अग्निवेदी सम्पन्न होती है। (शत० ब्रा० १०।२।३।५) अन्य आचार्य प्रक्रम तथा व्याम की संख्या में वृद्धि कर सप्तपुरुष विषवेदि-परिमाण में वृद्धि करते हैं। अष्टविधि से लेकर एक शतविधि पर्यन्त अग्नि प्रकार करते हुए इन प्रक्रमों तथा व्याम को बढ़ाते हैं; उनके मत से पुरुष संख्या वृद्धि से योनि भूत वेदी की वृद्धि होती है।

इस मत का निपेद्ध कर याज्ञवल्क्य स्वमत प्रस्तुत करते हैं—लोक में यह देखा जाता है कि योनि उत्पन्न शिशु के अनुसार नहीं अपिनु गर्भानुसार वढ़ती है। अष्टविधादि रूप से उपकी वृद्धि है। अग्नि गर्भ की योनिभूता वेदी एकादश (दस प्रक्रम तथा एक व्याम) परिमाण वाली होती है। गर्भ के एक रूप से वेदी में वृद्धि न होने के कारण योनि-वृद्धि नहीं होती। अतः योनि-भूतावेदी की वृद्धि नहीं करनी चाहिए। (शत० ब्रा० १०।२।३।६) जो आचार्य वेदि परिमाण में

वृद्धि करते हैं वे प्रजापति को उसके यज्ञ से रहित करते हैं वे प्रजापति को आग से च्युत करने के कारण यज्ञ सम्पन्न कर पापी हो जाते हैं अर्थात् सप्तविधि-अग्निवेदी में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। उस पर निमित्त होने वाली वेदी का भी आकार उतना ही होना चाहिए। (शत० ब्रा० १०।२।३।७)

(अग्निवेदि-परिमाण (ऊंचाई) के विषय में मतभेद)

कुछ आचार्य अग्निवेदी को सर्व प्रथम एकविधि एक पुरुष के प्रमाण की) निमित्त करते हैं। एक के बाद दो तथा तीन इस प्रकार एक पुरुष-प्रमाण से लेकर अनन्त पुरुष-प्रमाण एक क्रमशः अग्निवेदी में वृद्धि करते हैं। (शत० ब्रा० १०।२।३।७)

याज्ञवल्क्य उन आचार्यों से असहमत हैं। उनका मत है कि प्रजापति पहले सप्तविधि ही उत्पन्न हुए। वे अपने शरीर की वृद्धि करते गये। एक-एक की वृद्धि कर एक सौ एक पर अबरुद्ध हो गये। सप्तविधि पुरुष-प्रमाण में से एक भी पुरुष प्रमाण को भी कम करने पर प्रजापति का विच्छेद होता है। जो व्यक्ति अग्नि का परिमाण सप्तविधि पुरुष प्रमाण से कम करता है, वह श्रेष्ठ पिता प्रजापति का विच्छेद कर यज्ञनोपरान्त पापी होता है। जो एक सौ एक पुरुषविधि के प्रमाण का अतिक्रमण कर अधिक पुरुष-प्रमाण की अग्नि वेदी का चयन करता है, वह सबसे बाहर होता है क्योंकि प्रजापति सर्वस्व है। सर्वप्रथम सप्तविधि पुरुष-प्रमाण वती वेदी का चयन कर एक-एक पुरुष की अभिवृद्धि से एक सौ एक विधि पुरुष पर्यन्त वेदी का चयन करता चाहिए। सात पुरुष-प्रमाण के कम होने पर प्रजापति का विच्छेद होता है तथा एक सौ एक से अधिक होने पर अपना ही सबसे बहिर्भाव होता है। अतः दोनों ही बातें समादरणीय नहीं हैं। (शत० ब्रा० १०।२।३।१८)

[अश्वमेधयाग में वेदि-परिमाण विषयक मतभेद]

अश्वमेध यज्ञमें इक्कीस स्तोम तथा इक्कीस यूप होने से इक्कीस पुरुष के परिमाण वाली वेदी होनी चाहिए। शत० ब्रा० (१३।३।३।७) अन्य आचार्यों का मत है कि वेदी द्वादश पुरुष-परिमाण वाली होनी चाहिये। उसमें एकादश यूप होने चाहिये। क्योंकि संवत्सर में द्वादश भास होते हैं। इसमें एकादश यूप होते हैं। इस प्रकार यजमान संवत्सर एवं यज्ञ प्राप्त करता है। वे आचार्य एकादश यूपों से विराट् छन्द की तुलना करते हैं। विराट् छन्द एकादशिनी (यारह यूपों का समूह) है। इतसे तो देश से ही तुलना की जोसकती है, यारह यूप तो बच ही जायगा। इस पर्णका का

समाधान यह है कि म्यारहवा यूप स्तन है, म्यारह दूपा का समूह गाय है, उसकी समानता विराट् छन्द से होती है। म्यारहवा यूप उस गाय का स्तन है जिसमें दुर्घ-दोहम किया जाता है। (शत० ब्रा० १३।३।३।८)

इस मत की निन्दा करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि यदि द्वादश पुरुष-पर्व-भाण की वेदी होगी तथा एकादश यूप होगे तो यह उसी प्रकार होगा जैसे कि यजमान उस यान पर गमन करे जिसमें एक पशु जूता हो और किसी तरह उसे बहन कर रहा हो। (शत० ब्रा० १३।३।३।६) इककीस पुरुष पर्विमाण की वेदी हो, एकविंश स्तोम तथा इककीस यूप हों। ऐसी स्थिति में यजमान अश्वों द्वारा बहन किये जाते हुए यान पर स्थित होता है। याज्ञवल्क्य प्रथम पक्ष की प्रणाला में कहते हैं कि एकविंश यज्ञ का सिर है जिसे अश्वमेध के मिरवय [अनि, स्नोम, यूप] का ज्ञान है वह राजाओं का ककुत् बनता है। [शत० ब्रा० १३।३।३।१०]

[समाधि-परिमाण [ऊंचाई] विषयक मतभेद]

कुछ आचार्यों के मत से पितृमेध यज्ञ में समाधि निर्माण वृहदाकार नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे आकार से मृत पुरुष की पाप-बृद्धि की जाती है। क्षत्रिय के लिए ऊर्ध्वाहु तक कंची, ब्राह्मण के लिए मूँह तक, स्त्री के निम्न कूलहे के ऊपर तक, वैष्णव के लिए ऊरुतक तथा शूद्र के लिए घुटने तक ऊंची समाधि होनी चाहिए। इस प्रकार पराक्रमानुसार समाधि-निर्माण होता है। (शत० ब्रा० १३।३।३।११)

याज्ञवल्क्य के मतानुगार सब वर्णों के लिए समाधि घुटने के नीचे तक ही ऊँची होनी चाहिए। इस प्रकार अन्य प्रेत के लिए अवकाश नहीं रखा जाता है। (शत० ब्रा० १३।३।३।१२)

३—वेदी एवं समाधि सम्बन्धित आकार विषयक मतभेद

अग्निवेदी के आकार के विषय में आचार्यों में मतभेद है। कुछ आचार्य अग्निवेदी का निर्माण सुपर्ण के आकार से भिन्न करते हैं। अन्य आचार्य द्रीण के आकार की, रथ-चक्र के आकार की, कक के आकार की, प्रउग के आकार की, दो ओर प्रउग के आकार की या पुरीष एकत्र कर उससे युक्त निर्मित करते हैं। याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत की निन्दा करते हैं। उनके मत से पक्ष-पुच्छ से युक्त गर्भ-निर्माण करना चाहिए। अग्निवेदी सुपर्णकार होनी चाहिए। (शत० ब्रा० ६।७।२।८)

(समाधि के आकार से सम्बन्धित मतभेद)

अग्निचित् (जिसने अग्नि-क्यन किया है) के लिए अग्नि-चयन-वेदी के

सदृश ही समाधि का निर्माण करना चाहिए क्योंकि यजमान जब अग्निच्छयम करता है, वह यज्ञ द्वारा अपने लिए स्वर्ग लोक के प्राप्त्यर्थ एक शरीर की सरचना करता है किन्तु यह यज्ञीय कर्म समाधि निर्माण के बिना पूर्ण नहीं होता। जब अग्निचित् के लिए समाधि का निर्माण अग्निच्छयन-वेदी के समान होता है तब अग्निचित्या पूर्ण होती है। (शत० ब्रा० १३।८।१।१७) बहुत बड़ी समाधि का निर्माण नहीं करना चाहिए अन्यथा प्रेत का पाप बड़ा किया जाता है। (शत० ब्रा० १३।८।१।१८) कुछ आचार्यों के मतानुसार समाधि पक्ष-धुन्ड से हीन अग्निच्छयन वेदी के समान निर्मित होनी चाहिए क्योंकि अग्निच्छयन-वेदी यजमान का शरीर है। (शत० ब्रा० १३।८।१।१९)

याज्ञवल्क्य स्वभूत स्थापित करते हुए कहते हैं कि समाधि मानवाकार होनी चाहिए। पश्चिम की ओर पृथु (चौड़ी) तथा उत्तर की ओर दीर्घ होनी चाहिए। (शत० ब्रा० १३।८।१।२०)

घ २-पात्र एवं उपकरण-परिमाण तथा आकार विषयक मतभेद :

(अधि-परिमाण विषयक मतभेद)

कुछ आचार्य अधि को प्रादेश मात्र बनाते हैं क्योंकि वाणी भी एक प्रादेश की दूरी से वासिवसर्जन करती है।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध कर स्वभूत प्रस्तुत करते हैं जिसके अनुसार अधि अरत्न-परिमाण वाली होनी चाहिए क्योंकि बाहु अरत्ने मात्र है और पराक्रमे बाहु द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार अधि वीर्य के बराबर ही हुई। अतः अरत्निमात्र ही अधि का परिमाण होना उपर्युक्त है। (शत० ब्रा० ६।१।१।३३)

(रशना-परिमाण विषयक मतभेद)

चयनयाग में आलम्भन किये जाने वाले पाँच पशुओं की रक्षाओं विवाद या सम और सदृश होनी चाहिए। इस विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि स्व पशुओं की रशनार्थ समान नहीं होनी चाहिए। पुरुष पशु की रशना सबसे बड़ी होनी चाहिए। ऐसे चार पशुओं में जो सबसे मोटा हो उसकी रशना अन्य तीन पशु वीर रशना से बड़ी तथा पुरुष पशु की रशना से छोटी होनी चाहिए। इसी प्रकार मोटे और बड़े के अनुसार रशना परिमाण होगा। अठवारू पशु-रशना निर्माण पशुओं के रूपानुसार करता है।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निरसन करते हैं उनका मत है कि रशना दीर्घ और लघु नहीं होनी चाहिए अपितु सब की लम्बाई और मात्राएँ में समानता होनी चाहिए। सब पशु समान तथा सदृश हैं। ये अभिन एवं अन्न कहे जाने के कारण समान तथा सदृश हैं। अतः रशनाएँ भी परिमाण तथा आकार में समान तथा सदृश होनी चाहिए। (शत० ब्रा० ६।२।१।११)

(अश्वमेध यज्ञ में आचार्य प्रयुक्त दर्भमयी रशना-परिमाण में भत्तेद्)

कुछ याज्ञिकों के मतानुसार रशना द्वादश अरति के परिमाण वाली होनी है क्योंकि संवत्सर में द्वादश मास होते हैं। इस प्रकार ये अमान संवत्सर रूप यज्ञ को प्राप्त करता है। (शत० ब्रा० १३।१।२।१) अन्य आचार्य ल्योदण भरति के परिमाण की अश्व-रशना का विषय करते हैं। (शत० ब्रा० १३।१।२।२) इस मत की प्रशंसा करते हुए याज्ञवल्क्य का कथन है कि वह वर्ष (ल्योदण मास वाला) छतुओं में अष्टम है। उस संवत्सर का तेहरबा याम अधिक याम या मलमास है जो उसका ककुत् है। अश्वमेध यज्ञ सब यज्ञों में अष्टम है। अज्ञयु इच्छानुसार रशना में एक अरति रज्जु और जोड़ सकता है। इस प्रकार अश्वमेध रूपी शृणुष्म के पृष्ठभाग पर ककुत्-वृद्धि होती है। (शत० ब्रा० १३।१।२।२)

(अभिन-आकार के विषय में भत्तेद्)

अभिन एक ही और तीक्ष्ण हो या दोनों और ? इस विषय में आचार्यों में भत्तेद् है। कुछ आचार्यों के मतानुसार अभिन एक ही और तीक्ष्ण होनी चाहिए क्योंकि वागिन्द्रिय दोनों और तीक्ष्ण होती है। वह देवों और भगुणों की भाषा बोलती है। तथ्य और असत्य भाषण करती है।

याज्ञवल्क्य का मत है कि अभिन दोनों और तीक्ष्ण होनी चाहिए क्योंकि वागिन्द्रिय दोनों और तीक्ष्ण होती है। वह देवों और भगुणों की भाषा बोलती है। सत्य और असत्य भाषण करती है।

५—संख्या विषयक भत्तेद्

१—अश्व-संख्या विषयक भत्तेद् ।

(आज्ञ्य की ग्रहण-विधि एवं संख्या के विषय में भत्तेद्)

अद्वर्यु हृवतार्थ एक पात्र से हूसरे पात्र में आज्ञ्य ग्रहण करता है। आज्ञ्य-ग्रहण के समय मन्त्र विहित है। इसी प्रकार ग्रहण-संख्या भी निर्धारित है। कितनी बार मन्त्र संहित तथा कितनी बार विना मन्त्र के आज्ञ्य ग्रहण किया जाय इस विषय में भत्तेद् है। याज्ञवल्क्यीय सम्प्रदाय के अनुसार अद्वर्यु सुव द्वारा जूह में आज्ञ्य ग्रहण करते समय ‘धार्मनामापि त्रियं देवानाम्’, ‘त्रिनांष्वट देवय धर्ममनि’

(शु० य० स० १ ३१ शत० ब्रा० ११३ २ १७) एक बार इस भाव को पढ़कर तथा तान बार बिना मन्त्र के ही आज्ञ्य जूह में ग्रहण करता है। इसी प्रकार एक बार उक्त मन्त्र की पढ़कर तथा सात बार बिना मन्त्र के ही जूह से उपभूत में आज्ञ्य-ग्रहण सम्भव होता है। एक बार उक्त मन्त्र के साथ एवं तीन बार अमन्त्रक प्रृवा में आज्ञ्य-ग्रहण होता है।

इसके लिहड़ ब्रह्मादी द्वितीय मत का प्रतिष्ठापन करते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्ष यात्रा में आज्ञ्य ग्रहण करते समय तीन बार मन्त्र-पाठ होना चाहिए तथा एक बार बिना मन्त्र के ही आज्ञ्य ग्रहण करना चाहिए क्योंकि यज्ञ तीन बार (प्रातःकर्त्ता, मध्याह्न काल तथा सायंकाल) निष्पादित होता है। इस प्रकार लिहड़करण की सिद्धि होती है।

ब्रह्मादी के उपर्युक्त मत का खण्डन करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं कि लिहड़ ती प्रथम धक्ष में भी है। अध्यर्य जब जूह, उपभूत तथा धूवा इन तीनों पात्रों में एक-एक बार समन्वय के आज्ञ्य ग्रहण करता है तो इस प्रकार तीन बार आज्ञ्य ग्रहण होने से लिहड़ सम्पादित होता है। (शत० ब्रा० १।३।२।१८)

(पितृयज्ञ में आज्ञ्य होम के समय आज्ञ्य-ग्रहण-संख्या विषयक मतभेद)

कुछ अधिकारी के मत से सुक द्वारा उपभूत में दो बार आज्ञ्य ग्रहण करना चाहिये क्योंकि यहाँ दो ही अनुषाज (प्रधानमात्र के अनन्तर होता हारा पढ़े जाने वाले याज्ञ्य मन्त्र) है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निराकरण करते हैं। उनके मतानुसार उपभूत में आज्ञ्यग्रहण दो बार नहीं अपितु आठ बार करना चाहिए। आठ बार आज्ञ्यग्रहण का विवान है। (शत० ब्रा० १।३।२।१८) अतः दो बार आज्ञ्य ग्रहण करते से यज्ञविधि से अलग कायं किया जाता है। (शत० ब्रा० २।६।१।१३)

(भौद्रघण होम में आहृति संख्या विषयक मतभेद)

याज्ञवल्क्य के मतानुसार इस होम में वैश्वदेवाहृति (विश्वेदेव के लिए), माविदाहृति (सर्विता के लिए), मैत्राहृति (मित्र के लिए), बाह्यस्मित्याहृति (वृहस्पति के लिए) तथा पौष्णाहृति (सूर्य के लिए) से पाँच आहृतियाँ होनी चाहिए।

अन्य भरचारी का मत है कि इसी पाँचवीं आहृति का होम करना चाहिए। अन्य आहृतियों से जिस अपनाएँ की पूर्ति होती है वह एक आहृति से ही पूर्ण हो जायगी। इस पाँचवीं आहृति का हवन पूर्णहृति का हवन है तथा पूर्ण ही सब

जुँछ है जिसकी प्राप्ति इसी से होती है। पूर्णाहुति के समय सूब को आज्ञा से पूर्ण हरना चाहिए। उस समय सूब से ही होम न कर सूक्‍ष्म में आज्ञा ब्रह्म का पूर्णाहुति बनाकर हवन करना चाहिए।

इस विषय में याज्ञवल्क्य का कथन है कि ऐसी मीमांसा की जाती है हवन तो सब आहुतियों का होता है। (शत० ब्रा० ३।१।४।२२)

(ब्रह्मवेद वाग में मृत्यु को प्रदान की जाने वाली आहुति-मंड्या के विषय में मतभेद)

कुछ आचार्यों के मतानुसार सब शोकों से सम्बन्धित होने के कारण मृत्यु को अनेक आहुतियाँ प्रदान की जानी चाहिए। उस मृत्युओं के लिए आहुतियों का हवन न करने पर यजमान को प्रत्येक लोक में मृत्यु प्रहृष्ट कर देगी। इन आहुतियों के प्रदान से वह प्रत्येक लोक में मृत्यु से अपनी रक्षा कर देगा। (शत० ब्रा० १।३।३।४।१) अन्य आचार्य इस मत की निन्दा करते हैं कि अनेक मृत्यु-प्रकार आम कर, 'मृत्युवे स्वाहा' कहकर हृष्ण करते हुए अनेक मृत्युओं का परिगणन होता है। अनेक मृत्युओं को अग्निक बनाया जाता है। यजमान उस अग्निक्रूत मृत्यु के लिए अपने को भी अपित करता है औ उन्हिंन नहीं है। दूसरे याज्ञिकों के मतानुसार 'मृत्युवे स्वाहा' (श० व० स० ३।५।१३) आहुति का यह हवन करना चाहिए क्योंकि उस शोक से अक्षयात् ही एक मृत्यु है। यजमान उसे दूर करता है। (शत० ब्रा० १।३।३।४।२) 'अहाहृत्यावे स्वाहा' (श० व० स० ३।५।१३) कहकर हिंदीय आहुति अहृत्यावे को दी जाती है क्योंकि अहृत्यावे के अविदित अन्य हृत्यावे हृत्या नहीं है। वहाँ हृत्या मात्रात् मृत्यु है उसे आहुति केर साक्षात् मृत्यु का ही अपनयन होता है। (शत० ब्रा० १।३।३।४।३)

मुण्डिभ (औदन्य) कहति ने इस आहुति को अस्ववेष्टात्मतेर सम्बादित होने वाली अहृत्यावे की प्राक्षिक्षिति के लिए विधान किया। अहृत्यावे आहुति प्रदानान्वत्वर मृत्यु के लिए परिधिष्ठ याम कर, अहृत्यावे की विकित्या होनी है। (शत० ब्रा० १।६।३।४।४) जिस यजमान के अस्ववेष्ट में इस आहुति का हवन होता है उसकी आपामिनी सन्तानी में अहृत्यावे की विकित्या की जाती है।

(अस्ववेष्ट में सन्तान-संकल्प विषयक मतभेद)

कुल्यायामृत्युर्दीय आकार्य (श० ब्रा० १।१।३) यजोदय (वज की मिलान पर घटनेव) सम्भारे का गम्भरभ करते हैं जिनमें विष्वामी, छवा, आहुतिरीय,

८८८ सूत शर्करा कक्ष) हिरण्य ये सात सम्भार पृथ्वी से तथा छ सम्भार अष्टवस्थ, उदुम्बर (शूनर), पलाश, शभी, विकंकन, अशनिहृत दृढ वाणिखड़ों से प्राप्त करते हैं।

याज्ञवल्क्य के मत से अष्टवर्यु पाँच सम्भारों को आहवनीय, गाहैपत्य आदि कृष्णों में प्रक्षेपणार्थ एकत्र करता है जो अधोनिदिष्ट है—उदक, हिरण्य, ऊप्यः (ऊसर भूमि की मिट्टी), आखूकरीष (मूषकों द्वारा खोदी गयी मिट्टी) तथा शर्करा (कंकड़) (शत० ब्रा० २।१।१३-८) सम्भार संख्या की उपयुक्तता वा निर्देश करते हुए उनका कथन है कि यज्ञ पांचत है, पशु भी पांचत है तथा वर्ण में पांच ही अनुपांत होती है। अतः अष्टवर्यु इन पांच सम्भारों का सम्भरण करता है। (शत० ब्रा० २।१।११२) अन्य आचार्यों के द्वारा संवत्सर में छ. अनुपांत मानने पर तीन युग्म बनते हैं और पञ्चक में एक की न्यूनता आनी है। यह न्यूनता श्रेयस्कार है वयोःकि स्वी-पुरुष के बोयं के न्यूनाधिक्य से ही प्रजनन होता है। यदि छः ही अनुपांत मानी जायं तो अनिन्द्रियों की छठी संख्या का पूरक है। (शत० ब्रा० २।१।११३)

(दाजपेय यज्ञ में यजमान के अभिषेकवर्य सम्भरण किये जाने वाले प्रकार के सम्बन्ध में मतभेद)

प्रधान नैवार आहुति के अनन्तर दाजप्रसवनीय होम का विद्यान है। इसका उद्देश्य यह है कि अन्न-होम से यजमान के लिए अन्न प्राप्त किया जाना है। अष्टवर्यु उदुम्बर पात्र में अन्न-सम्भरण करता है। वह अन्न-सम्भरण करने के पूर्व मवंप्रथम पात्र में जल तदनन्तर दूध प्रहण करता है। इसके पश्चात् बुद्धिमत्य अन्नों का सम्भरण करता है। (शत० ब्रा० ५।२।२।२) अष्टवर्यु द्वारा उम पात्र म कितने प्रकार के अन्नों का सम्भरण होना चाहिए इस विषय में मतभेद है। कुछ आचार्यों के मत में मवह प्रकार के अन्नों का सम्भरण होना चाहिए क्योंकि प्रजापति सम्मदण हैं। (शत० ब्रा० ५।२।२।३)

इस मत के विरोध में याज्ञवल्क्य का कथन है कि पहले सम्पूर्ण अन्न प्रजापति के आधिपत्य में न रहे। अतः मात्रव सब अन्नों की प्राप्ति कैसे कर सकता है? यदि यजमान सम्मदण विध अन्नों का सम्भरण करना चाहे तो किमा एक अन्न को छोड़कर अथवा जिनमें अन्न उमे विदित हों उनमें एक प्रकार के अन्न वो छोड़कर उनमें ही अन्नों का सम्भरण करना चाहिए। (शत० ब्रा० ५।२।२।२।३) अष्टवर्यु यजमान के लिए जिस अन्न का सम्भरण न करे उस अन्न का नाम उच्च स्वर से प्रहण कर कहे कि 'मैंने अमुक अन्न का सम्भरण नहीं किया

साथ ही यजमान जब तक जीवित रहे उन अन्न का भक्षण
एवं फल यह होता है कि यजमान विनाश को न प्राप्त होकर चिरक
पत रहता है। अष्टवर्ष्यु इन सब अन्नों को एकत्र कर शुद्ध से हवन का
षाजप्रसवनीय सात होम आहुतियों से देवों को सन्तुष्ट करता है। (३
(२१४) होमार्थ सात मन्त्र विहित हैं जो अष्टोनिलिङ्गे हैं—
—‘वाजस्येऽप्तं प्रसवं सुषुद्धेऽप्तं गोम् राजानमोषधीष्वप्सु ।

ताऽप्रस्यभ्यं भवुमतीभवतु वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः स्वाहा
(शु० य० सं० ६१२३, शत० द्वा० ५।२।२।५)

—‘वाजस्येमाप्तं सवः शिश्रिये दिवभिमा च विष्वा भूवतानि भग्ना
अदित्यमन्तं दापयति प्रजानन्त्स नो रथि सर्ववीर नियक्षतु स्वा
(शु० य० सं० ६१२४, शत० द्वा० ५।२।२।६)

—‘वाजस्य तु प्रसव आबभूदेमा च विष्वा भूवतानि भर्वनः ।
सनेमि राजा परियानि विद्वान्त्रजांपुष्टिं बवद्धयमानोऽस्मे स्वाहा
(शु० य० सं० ६१२५, शत० द्वा० ५।२।२।७)

—सोमं राजानमवसेऽग्निमन्त्वारभामहे ।

आदित्याविष्णु सूर्यं ब्रह्माण च बृहस्पतिं स्वाहा ॥
(शु० य० सं० ६१२६, शत० द्वा० ५।२।२।८)

—‘अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय षोदय ।

ब्वाचं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च व्याजिनं स्वाहा ॥’
(शु० य० सं० ६१२७, शत० द्वा० ५।२।२।९)

—‘अग्नेऽग्नचक्षा ष्वदेहनः प्रतिनः सुमना अव ।

प्र नो यच्छु सहस्रजित्व व्यनदा अस्ति स्वाहा ॥’

(शु० य० सं० ६१२८) (शत० द्वा० ५।२।२।१०)

७—‘प्र नो यच्छुस्वर्यमा प्र पूषा प्रबृद्धस्पतिः ।

प्र बाह्मदेवी ददातु नः स्वाहा ॥’

(शु० य० सं० ६१२९, शत० द्वा० ५।२।२।११)

अद्रव्य-संख्या विषयक मतसेव

(अग्नि-ब्रह्मन में उखा-संख्या विषयक मतसेव)

कुछ आकाशी के मतानुसार अग्नि ब्रह्मन में तीन उखाओं व
चाहिए क्योंकि ये लोक भी तीन हैं। तीन उखाएं एक-दूसरे की

लिए अर्थात् परस्पर प्रतीकाराय हैं। उन आचारों का यह विचार है कि एक उखापात्री के टूट जाने भूमरी उखा में अर्थ याहरण सम्पन्न होगा। इसी प्रकार दूसरी उखा के टूट जाने पर तीसरी उखा से यथाहरण सम्पादित होगा।

याज्ञवल्क्य इस मन का निषेध करते हैं। उनके मत से एक ही उखा प्रयुक्त होनी चाहिए क्योंकि उखा के प्रथमतल का भाग पृथ्वी लोक, अन्दर का भाग अन्तरिक्ष लोक तथा ऊपरी भाग आकाश है; चौथा यजुष दिशाएँ हैं। सब लोक और दिशाएँ ही सब कुछ हैं।

उखा-संख्या-वृद्धि^३ अतिरिक्त कार्य किया जाना है। अतिरिक्त किया जाने वाला भाग यजमान के शब्द को प्राप्त होता है। (शत० द्वा० ६।४।२२) उखापात्री टूट जाने पर उसका प्रायशिचत्त होता है जिसका वर्णन शत० द्वा० ६।६।४।८ में किया गया है। वहां यह भी निर्देश किया गया है कि यदि उखापात्री टूट जाती है तो उसे कपाल सहित उखिली में डाल दिया जाता है। इस प्रकार उसे योनि से बाहर नहीं किया जाता है। उखापात्री टूट जाने पर उसमें स्थित अग्नि के चौडे मुख वाली नदी स्थाली में रख देना चाहिए क्योंकि जो पात्र फूट जाना है वह दुःख का अनुभव करता है। किन्तु अग्नि दुःख रहित है। अनातं (दुःख रहित) पात्र में अनातं धारण करना चाहिए। फूटी हुई उखा के कपालों को स्थाली के पूर्व भाग को रख देना चाहिए। इस प्रकार यह अग्नि अपने उत्पत्ति स्थान से च्युत नहीं होता है। (शत० द्वा० ६।५।२।२२)

(स्तन-संख्या विषयक मतमेद)

याज्ञिक सम्प्रदाय के अनुसार उखा में ऊपर की ओर रज्जु लगायी जानी है। रज्जु के ऊपरी भाग में बिना मन्त्र के चार स्तन निर्मित हैं जाते हैं क्योंकि उखा गाय है। उखा में सम्बद्ध की जाने वाली चार रज्जु दिशाएँ हैं। देवों ने इन लोकों को उखा बना कर दिशाओं द्वारा सब ओर से दृढ़ कर दिया। उसी प्रकार यजमान भी करता है। (शत० द्वा० ६।५।२।१४) रज्जुओं से स्तन-निर्माण का कारण यह है कि देवों ने इन लोकों को गोरुण उखा बनाकर इन स्तनों से सब कामों का दोहन किया। उसी प्रकार यजमान भी करता है। (शत० द्वा० ६।५।२।१५) चार स्तन बनाने का कारण यह है विश्व के भी चार ही स्तन होते हैं। (शत० द्वा० ६।५।२।१६) अन्य आचारों के मतानुसार उखा में दो स्तन होने चाहिए। दूसरे याज्ञिकाचार्य आठ स्तनों से युक्त उखा का निर्माण करते हैं। (शत० द्वा० ६।५।२।१६)

याज्ञवल्क्य इन दोनों मतों का विरोध करते हैं। उनके विचार से याप के स्तनों से कम या अधिक दृढ़नाशी-पशु अनुपजीवनीय (अभोग्य) होते हैं। दो या आठ स्तनों के युक्त निर्मित की जाने वाली उखा अभोग्य ही होगी। उखा वं-

गाठ स्तना स युक्त बरने पर उसका रूप कुक्कुरी का तथा दो स्तनों से युक्त ऊरन पर भेड़ या घोटिका का रूप दिया जाता है। व तीनों (कुक्कुरी भेड़ तथा गोटिका) भोग्य नहीं हैं। अतः यह अनुचित है। (शत० छा० ६४२१५)

३—पात्र विषयक मतभेद

३ १—हविर्यज्ञ-पात्र विषयक मतभेद

१—लुक्पात्र सम्बन्धी मतभेद

(हवन करने के लिए जुहू या उपभूत् पात्र विषयक मतभेद)

आज्य स्थासी से पहले आज्य उपभूत् में ग्रहण कर उससे लुक्पात्रा जुहू में लेकर हवन होता है। तैत्तिरीय आचार्य उपभूत् से ही हवन करने के लिए निम्न प्रस्तुत करते हैं। उनका तर्क यह है कि यदि जुहू से ही हवन करता है तो उपभूत् से आज्य-ग्रहण क्यों किया जाता है? तात्पर्य यह कि उपभूत् से आज्य ग्रहण और उसी से हवन करना चाहिए। यह उचित नहीं प्रतीत होता कि पहले उपभूत् में आज्य का ग्रहण कर उस आज्य की जुहू में लेकर उससे हवन किया जाय।

याक्षवल्क्य का मत है कि मर्वप्रथम आज्यस्थासी से उपभूत् में आज्य ग्रहण कर तत्पश्चात् जुहू में लेकर हवन करना चाहिए क्योंकि उपभूत् राजा तथा अन्य लुक्पात्र (जुहू, लुक्पात्र तथा होमहवणी) प्रजा है। जुहू के स्थान पर उपभूत् से हवन होने पर राजा और प्रजा में कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा। राजा की प्रजा अबतन्त्र हो जायगी। उस स्वातंस्थय का परिणाम यह होगा कि राज्य में अनास्ति होगी।

अतः अठवर्यु को पहले उपभूत् से आज्य निकाल कर उपभूत् का आज्य जूह में ग्रहण कर उससे हवन करना चाहिए। इस प्रकार के अनुठान से राजा-प्रजा का सम्बन्ध बना रहने के कारण कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। जुहू से ही आज्य ग्रहण कर उसी से हवन भी क्यों नहीं होता? इसके उत्तर में योग्यतावन्य का कथन है कि उपभूत् राजा है, अविय है तथा उसके बास में वैश्य हैं। गाढ़ा उनकी रक्षा कर उनके गवादि धन की वृद्धि करता है। अतः पहले उपभूत् से आज्य ग्रहण किया जाता है तदनन्तर जुहू में लेकर हवन सम्पन्न होगा है। जृद्धिग्राहक होने के कारण उपभूत् और जुहू का संगीम होता है।

२—संयुक्त पात्र विषयक मतभेद

(अधिक से विषय में मतभेद)

अठवर्यु 'हस्तांत्राय लिपिंता विशेषज्ञ हि लिपीम् ।'

अस्त्रेऽप्यैति विषय पृथिवीर्यो अर्थाप्तरत् । जुहू ग० ख० ११।११)

इस अनुष्टुप् छन्द से अधिग्रहण कर इसमें अनुष्टुप् छन्द रखता है। इस प्रकार वह वश (वांस) निर्मित अधिग्रहण के लिए निर्मित होती है। (शत० ब्रा० ६। ३। ११४१) कुछ आचार्यों के मतानुसार अष्टवर्ष द्वारा अभिभन्नन्नमें 'हिरण्यगीय' पद्धने के कारण अधिग्रहणमयी होनी चाहिए।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेच करते हैं क्योंकि 'हिरण्यगीय' 'छन्द के लिए कहा गया। अधिग्रहणमयी बतायी गयी। हिरण्य तथा छन्द अमृत हैं इसमें छन्दोमयत्व निर्दिष्ट किया गया। अधिग्रहण वस्तुतः स्वर्णनिर्मित नहीं अधितु वश निर्मित होनी चाहिए। (शत० ब्रा० ६। ३। ११४२)

च २—सौमिक पात्र विषयक मतभेद

१—आज्ञाधारक पात्र के विषय में मतभेद

(धर्महोमार्थ मृप्मय पात्र महाबीर का ही प्रयोग क्यों ?)

धर्महोम के लिए मृत्तिका निर्मित महाबीर पात्र प्रयुक्त होता है। 'देवताओं को प्रदान की जाने वाली आहुतियों का हवन काष्ठनिर्मित पात्रों द्वारा होता है, यह धर्महृति मृत्तिका निर्मित पात्र से क्यों दी जाती है?' ब्रह्मवादियों द्वारा किये गये इस प्रश्न के उत्तर में याज्ञवल्क्य एक आख्यायिक प्रस्तुत करते हैं—यज्ञसिर छिन्न हो जाने पर उससे रस स्वित होकर द्युलोक तथा पृथ्वी लोक में प्रविष्ट हो गया। यह मृत्तिका पृथ्वी तथा जल द्युलोक हैं। महाबीर पात्र मिट्टी और जल से निर्मित होते हैं। इस प्रकार प्रवर्ग्य (धर्म) रस से समृद्ध किया जाता है। (शत० ब्रा० १४। २। २। ५३)

तंतिरीय आचार्यों के मतानुसार (तै० सं० २। ५। १४) मृत्तिका-निर्मित पात्र से आहुति नहीं दी जानी चाहिए।

याज्ञवल्क्य अन्य पदार्थों से निर्मित पात्रों में दोष निर्देश कर धर्म हविष हवनार्थ महाबीर पात्र का निर्देश करते हैं। काष्ठनिर्मित महाबीर पात्र तप्त होने पर जल जायगा, स्वर्ण-निर्मित महाबीर पात्र तप्त होने से विलीन हो जायगा, वर्षे आदि से निर्मित महाबीर पात्र तप्त होने से यल जायगा, यात्याण निर्मित महाबीर पात्र तप्त होने पर वैनों संदर्भों (जिनसे महाबीर को पकड़ते हैं) को जला देगा विस्तु मृत्तिकानिर्मित महाबीरपात्र पर तापादि का कोई अभाव न पड़ने के कारण अष्टवर्ष धर्म हविष का हवन मृत्तिका निर्मित महाबीर पात्र से ही सम्पन्न करता है। (शत० ब्रा० १४। २। २। ५४)

१. ज्ञान पुस्तक विवरण मतभेद

(दर्शेष्ठि में सान्नायूय प्रदानार्थी यजमान सम्बन्धी मतभेद)

तैत्तिरीय आचार्यों के मतानुसार असोमयाजी (असोमयाम ने भौप्रयाम नहीं किया है) इन्द्र को सान्नायूय नहीं दे सकता क्योंकि सोम श्री मात्र यजमान है।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का विवेद कह मध्यम इन्द्राः वाऽन्तेऽस्ति । व असोमयाजी भी इन्द्र के लिए सान्नायूय प्रदान कर सकता है, विवरण इन्द्र का कथन है कि 'सोम से भैरा यजन करी तदनन्तर मुझे यह आप्यायम (सान्नायूय) प्रदान करना ।, ये इन्द्र के द्वारा ही कहे गये वचन हैं। अतः इन्द्र को सान्नायूय प्रदान करना ही चाहिए। (शत. का. १।६।४।११)

२.—वाहूवनीयामार में आज्य निरीक्षणार्थी व्यक्तिसंघ विवरण मतभेद

(वाहूवनीयामार में आज्य निरीक्षणार्थी व्यक्तिसंघ विवरण मतभेद)

आहूपत्यामार में आज्य गर्व करते समय यजमान-पत्नी आज्य निरीक्षण करती है। वाहूवनीयामार में किस व्यक्ति को निरीक्षण करता जातिरुप इस विवरण में भत्तेद है। कुछ आचार्यों के मतानुसार यजमान की वाहूवनीयामार में प्राज्य निरीक्षण करना चाहिए।

याज्ञवल्क्य के यत से यह कार्य भी अड्डर्यु का ही होना चाहिए। प्रथम यत के विशेष में उनका कथन है कि यदि यजमान आज्यावेक्षण करता है तो उगे अपने कार्य के साथ स्वर्य अड्डर्यु का भी कार्य करता जातिरुप। क्षेत्र आज्यानुवाक्य का पाठ कर होता का भी कार्य सम्भव कर लेना चाहिए। अड्डर्यु के स्थान में कल प्रतिपादक मन्त्रों का पाठ भी उसी को करता जातिरुप। उन शास्त्रों को यजमान के प्रति इन्ती अद्दा कर्य हो गई? व्यक्तिज्ञो एवं व्यक्षिणा रूप में उनका पारिश्रमिक प्रदान कर दिया जाता है। उनकी कल प्रार्थना यजमान के लिए ही होती है। अतः अड्डर्यु को ही वाहूवनीयामार में आज्यावेक्षण करना चाहिए। (क्षेत्रकि वह कार्य अड्डर्यु का हो है) (शत. का. १।२।५)

(पृति होम के समय बीमा पर गाया गोम अर्थात् आशेष व्यक्तियों के विषद में भत्तेद)

एक मत के अनुसार अष्टव्यमेधयाजी (अष्टव्यमेधयाग सम्पादक) समृद्धि तथा जनपदहीन हो जाता है। उसे समृद्ध करने के लिए वीणावादन किया जाता है। वीणावादन में निषुण दो ब्राह्मण निष्ठा-गान करते हैं। वीणा श्री रूप है। इस प्रकार वे (गायक) यजमान में श्री (समृद्धि) स्थापित करते हैं। (शत० ब्रा० १३। १। ५। १)

इस मत की निन्दा करते हुए याज्ञवल्क्य का कथन है कि दोनों गायकों के ब्राह्मण होने पर यजमान के समीप क्षत्र नहीं रहेगा क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म में क्षत्र स्थित नहीं रहता। (शत० ब्रा० १३। १। ५। २) द्वितीय मत के अनुसार वीणा पर गाथा-गान के लिए दो राजन्य (क्षत्रिय) होने चाहिए।

याज्ञवल्क्य इस मत की भी निन्दा करते हैं। उनके विचार से दोनों गायकों के राजन्य होने पर अष्टव्यमेधयाजी के समीप ब्रह्मवर्चस् (ब्राह्मात्मिक तेज) नहीं रहेगा क्योंकि राजन्य क्षत्र स्वरूप क्षत्र में ब्रह्म वर्चस् स्थित नहीं रह सकता। याज्ञवल्क्य के मतानुसार दोनों गायकों में से एक ब्राह्मण तथा दूसरा राजन्य होना चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्म तथा राजन्य क्षेत्र है। इस प्रकार ब्रह्म तथा क्षत्र द्वारा दोनों ओर से यजमान की श्री सुरक्षित होती है। (शत० ब्रा० १३। १। ५। २)

गाथा-गान समय के निर्धारण में याज्ञवल्क्य दोनों गायकों के द्वारा दिन में गान से यजमान की श्री-हीन होने तथा रात्रि में गान सेवहृत्ववर्चस् सहित होने के भय से ब्राह्मण को दिन में तथा राजन्य को रात में गान करने का विधान करते हैं। इस प्रकार ब्रह्म तथा क्षत्र द्वारा दोनों ओर से श्री सुरक्षित होती है। (शत० ब्रा० १३। १। ५। ५)

वीणा वादन के समय ब्राह्मण तथा राजन्य के द्वारा गाथा-गान का निर्देश करते हैं। ब्राह्मण को अव्यक्त (इस यजमान ने अधिकाधिक यजन किया) 'अहदात्' (अधिकाधिक दान किया) आदि का गान करना चाहिए क्योंकि इष्ट और यून का सम्बन्ध ब्राह्मण से ही होने के कारण यह उचित है। इष्ट तथा यूर्ति से यजमान समृद्ध विया जाता है। क्षत्रिय को 'अभुमयुध्यत्' अम् 'संग्रामसञ्जयत्' आदि का गान करना चाहिए। युद्ध राजन्य का वीर्य है। इस प्रकार वीर्य से यजमान को समृद्ध किया जाता है। तीन गाथा जों का गान ब्राह्मण और तीन का गान क्षत्रिय करता है। इस प्रकार छः गाथाएँ हुईं। वर्ष में छः व्रतुएं हीती हैं। वर्ष; यजमाने व्रतुओं तथा संवत्सर में प्रतिष्ठित होता है। (शत० ब्रा० २३। १। ५। ६)

ज—नियम विधाक भत्तमेव

(दोक्षा-नियम अष्टव्यमेधी भत्तमेव)

याज्ञवल्क्य-सम्प्रदाय के अनुसार प्राचीन वेद (शास्त्र) के उत्तर स्थित

नापित द्वारा यजमान के केश तथा रमशु का वपन तथा नस्क कर्त्तव निया जाना है। केश, रमशु तथा नस्कों में जल-प्रवेश न होने के कारण वह भग भशुद्ध रहता है। केश-भशु-वपन तथा नस्ककर्त्तव के अनन्तर यजमान शुद्ध होकर दीक्षा ले सकता है। (शत० बा० ३।१।२।२) अन्य आचार्यों के मतानुसार यजमान व सम्पूर्ण शरीर के बालों का वपन तथा नस्क-कर्त्तव होना चाहिए। इस प्रकार यजमान शुद्ध होकर दीक्षा योग्य होता है। याज्ञवल्क्य इस मन का निराकरण करते हुए कहते हैं कि केश-भशु के वपन तथा नस्क-कर्त्तव से ही यजमान शुद्ध हो जाता है। अतः सम्पूर्ण शरीर के बाल बनवाने की ओर अवश्यकता नहीं है। (शत० बा० ३।१।२।३)

(पशु इष्टि सम्मादनानेत्तर यजमानार्थ नियम सम्बन्धी मतभेद)

कुछ आचार्यों का मत है कि पशु कर्म के अन्तर यजमान को पर्याप्त वर शयन, मास-भक्षण तथा मैथुन कर्म न करना चाहिए वयोर्कि पशुधार्य पूर्ण रूपांश है।

याज्ञवल्क्य का मन है कि यह दीक्षा नहीं है वयोर्कि यही तो यज्ञका का प्रयोग और न तो कृष्णाजित (कृष्ण मृग-धर्म) का ही प्रयोग है। वह केवल इष्टका द्वारा करता है। अतः यजमान चाहे तो पर्याप्त वर शयन कर सकता है। जो कुछ प्रातः तथा अधिकृत (अधिकार में है) मधु के अतिरिक्त वर प्रकार के घोड़न कर सकता है। आमिका यात् वयेन्त भैषुन वर्म मही करना चाहिए। (शत० बा० ६।२।२।३६)

(प्रवर्यं यज्ञ में यजमानगियम सम्बन्धी मतभेद)

कुछ वासिकाचार्यों के मतानुसार वरवर्यं मधु हृष्टे के कारण भग्न हो तथा इति के आवश्य से उत्तरी रक्षा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रवर्यं काम में अनुबन्ध अवश्य हुत भेष-भवन करता है, वह दुष्कृति सूर्य के तेज में प्रवेश करता है वयोर्कि वह (जो प्रकाशित है) प्रदर्शन है। इस अवसर वर यजमान के लिए अस्त्रोत्तिक्षित गियम विहित है— प्रथम गियम के अनुसार प्रवर्यं कर्म में वर्तमान शरीर का आच्छादन न करना चाहिए। (सूर्यं अव गक प्रकाशित रहे शरीर को बहल पा आप्तवर्ण आच्छादित न करना चाहिए)। द्वितीय गियम यह है कि सूर्य के प्रकाशित रहने पर निष्ठीवर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सूर्यात्मक प्रवर्यं पर निष्ठीवर (चूकना) नहीं किया जाता। तृतीय नियम के अनुसार सूर्य के तथते रहने पर मूल विवर्जनादि वर्यं नहीं करना चाहिए। इस नियम के धारान से सूर्य पर मूल विवर्जन मही किया जाता।

इन नियमों के पालन का कारण यह है कि जब तक सूय चमत्का त्रै अथवा उद्याचन और अस्ताचल के बीच में जहाँ तक इसका प्रकाश रहता है उस स्थान में तथा उस काल में प्रवर्ष का अनुष्ठान होता है। उस प्रदेश में पदि आच्छादनादि कार्य सम्पादित होते हैं तो इस घट्ट की हिस्ता की जाती है। इस अभिप्राय से आच्छादन निष्ठीवत्तादि का कर्म न किये जाने चाहिए। चतुर्थ नियम के अनुसार काष्ठादि से अश्वि प्रज्ञवत्तित कर रात्रि में भोजन करना चाहिए।

आचार्य आमुरि (जिनके मत से प्राज्ञवत्त्वय भी सहमत प्रतीत होते हैं) के मतानुसार देवों ने पहले सप्तग्राम के हमय सत्य भावण रूप एक ही व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः सत्य भावण नियम का पालन भविष्य होना चाहिए। (मत० वा० १४। १। १। ३६) उपर्युक्त कठिन नियमों का अनुष्ठान यथाशक्य करना चाहिए।

(सावित्री अनुवचन के पूर्व आचार्य के नियम सम्बन्धी मतभेद)

अभिज्ञों के मत से आचार्य को उपनयन संस्कार समाप्ति कर मैथुन कर्म न करना चाहिए क्योंकि यह उपनीत (जिसका उपनयन संस्कार हो चुका है) ब्राह्मण मर्यादा होता है। इस गमीभूत ब्राह्मण को विगतित रेत से नहीं उत्पन्न करना चाहिए। (मत० वा० ११। ५। ४। १६)

अन्य आचार्यों के मतानुसार (जिनमें प्राज्ञवत्त्वय भी सहमत हैं) आचार्य स्वेच्छानुसार मैथुन कर्म कर सकता है। इसमें उपर्युक्त दोष नहीं हैं। देवी और मातुष्ठी दो ग्रन्थाद हैं। मानुषी प्रजाणि पिष्ठुन द्वारा प्रजनन से उत्पन्न होती हैं। गायत्री, अनुष्ठान आदि छन्द देवी प्रजा हैं। आचार्य उन्हें मुख, तालु, ओढ़ इयापार विशेष से उत्पन्न करता है। मुख से उत्पन्न होने के कारण गायत्री छन्द के समीप से ही इस बहुवारी को बह पिता (आचार्य) उत्पन्न करता है। अतः बहुवारी की उत्पत्ति प्रजनन से न होने के कारण आचार्य का पिष्ठुन विरोध नहीं करता फलतः आचार्य उच्चवत्तितरेता होने पर मैथुन कर सकता है, सर्वया निषेध नहीं है। [मत० वा० ११। ५। ४। १६]

अ—असामाजिक विषयक मतभेद

१—अत एवं संस्कार सम्बन्धी असामाजिक विषयक मतभेद

(इसे दौर्यशास याग में उपयोग (गज के पूर्व इन) सम्बन्धी असामाजिक विषयक मतभेद)

गज के पूर्व साधेवाल बलद्वाण तथा अनिहोत्र होम के असन्तर यजमान

इतारा अशन या अनशन के विषय में मतभेद है। आखाद यात्रियों के मत से यजमान को उपवसथ के दिन किसी भी वस्तु का अशन न करना चाहिए क्योंकि देवता मातृ-मन को जानते हैं। यजमान को यजानुष्ठान के लिए इच्छुक बनाकर देवता व्रत के दिन यजमान के बर आगमन करते हैं। (शत० वा० १। १। ७)

याज्ञवल्क्य इस मत का स्वरूप करते हैं—यजमान के भोजन न करने पर पितृ-देवत्य कर्म (थाढ़) होता है। फलतः यज्ञ का कोई फल नहीं होता। भोजन न करने पर देवों का तिरस्कार होता है। अतः यजमान ऐसी वस्तु को भोजन बनावे जो अनशन के समान हो तथा यज्ञका प्रयोग हृष्टिर्गमण में भी न हो। इस प्रकार यजमान भोजन करने पर पितृ-देवत्य कर्म से निवृत हो जायगा तथा देवतार्थ प्रयुक्त हृष्टिर्गमण न करने से देवों का तिरस्कार भी न होता। अतः किसी आरण्य (अरण्य सम्बन्धी) वस्तु को भोज्य बनाना चाहिए। (शत० वा० १। ३। १६)

आचार्य ककु वार्ष्ण्य के भतानुसार हृष्टि में श्वोम न छोने के कारण मात्र का अशन करना चाहिए।

इस मत के विरोध में याज्ञवल्क्य का कथन है कि मात्र (उड़) उपवस्थ करता है अर्थात् भ्रौङि, यक्षादि की नूनगा होने पर हृष्टि में मात्रिष्ठ का भिषण वियो जाता है जो हृष्टिर्गमण ही हुआ। अतः मात्रागम ते वर्णना चाहिए। (शत० वा० १। १। १। १०)

यत्पर आहुण के प्रथम काण्ड में नर्तीर्णमास सम्बन्धी अशनानशन के विषय में मतभेद बताया कर यात्रारूपों काण्ड में पुणः भीमोमा वी जा रही है— कृष्ण आचार्यों के मत से यजमान इतारा पर्व की रात्रि में अनशन करने से पितृ-देवत्य कर्म होता है। इस दोष के परिहारार्थ अशन करने पर आये तुएँ देवतारूपों का अतिक्रमण कर अशन किया जाता है। इस दोष के किलार्यार्थ आरण्य औषधि (फल, श्यामाक आदि) को भोज्य बनाना चाहिए। (शत० वा० १। १। ७। १)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत को अपीलित्यपूर्ण जाहाज़ है क्योंकि प्राची औषधियों को भोज्य बनाने पर पूरीकरण के मेघ का, आरण्य औषधियों भी भोज्य बनाने पर वहिमेव (कृष्णमेव) का, आचार्यप्रथा वस्तु को भोज्य बनाने पर देवमादि के मेघ का, तुष्णपान तरने पर साम्नायू गीर आज्ञ के मेघ का, अलयान करने पर प्रणीतारूपों के मेघ का अधिक होता है। अशन करने पर तिल-देवत्य होता है। [शत० वा० १। १। १। २] इस विषय में याज्ञवल्क्य का मत

है कि यजमान को पौर्णमास तथा दर्श की रात्रियों में अभिन्होत्त-होम करना चाहिए। हवनोपरान्त अशन करने पर पिन्देवत्य कर्म नहीं होता क्योंकि वह एक आहुति है। भोजन कर यजमान आहुति ही प्रदान करता है। वह अपने से ही आहुति हवन करता है। आत्मरूप वैष्वानर [अतिं] में अशन रूप आहुति का हवन होता है। इस प्रकार यजमान पूर्व कथित पुरोडाशार्दि के यज्ञीय सार [मेघ] का भक्षण नहीं करता है। [शत० ग्रा० ११।१३]

(मठवशन विषयक मतभेद)

कुछ धार्मिकानायों के मतानुसार ब्रह्मचारी को मधु का अशन न करना चाहिए क्योंकि मधु ओषधियों का परमोत्कृष्ट रस है। इसके भक्षण से मन ओषधियों के रस का उपयोग हो जाता है। खाद्य वस्तुओं के अवशान की अप्राप्ति के लिए मठवशन-बर्जन करना चाहिए।

याज्ञवल्क्य वेतकेतु आहशेष (आरुणि के पुत्र) का मत प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि जब वे ब्रह्मचर्योश्म में थे मठवशन करते थे। उनके मत से वह मधु वेदवत्य कप वाली विद्या का शिष्ट है। इसमें अवगत होकर जो मधु का अशन करता है वह अचार्यों, यजुर्वेद, सामवेद के मन्त्रों का अभिव्याहार करता है। अतः ब्रह्मचारी को स्वेच्छानुसार मठवशन करना चाहिए। (शत० ग्रा० ११।४।१८)

२—अन्यरकार के अवशाननाम

(पिण्डाशुद्धि में इहा और प्राशिक-प्राप्तन विषयक मतभेद)

कुछ भावायों के मतानुसार मंथ से भी इहा और प्राशित का अवशान किया जाता है और इहा के लिए कृतिवज्र तथा यजमान का आह्वान होता है। वह इसका प्राप्त करते हैं।

आचार्य आसुरि के मत को प्रस्तुत करते हुए याज्ञवल्क्य का कथन है कि आशन अवश्य करना चाहिए क्योंकि जिस किसी षजीय चस्तु का अतिं में हवन होता है उसका अप्याश भक्षण अवश्य करना चाहिए। (शत० ग्रा० २६।१।३३)

(दुर्घ-प्राप्तन विषयक मतभेद)

पितृपञ्च में बहिर्होम तथा परिषिद्धोम के समय योष हविष दूष का हवन कर दिया जाय या जल में प्रश्नेष कर दिया जाय अथवा उसका प्राप्तन किया जाय? इस विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि बहिर्होम और परिषिद्धोम के समय होमशिष्ट दूष का भी हवन कर देना चाहिए।

याज्ञवल्य इस मत का विरोध करते हैं। उनके अनुमान शेष दूष का अग्नि म प्रश्नपूण नहीं करना चाहिए। अतिथिज उसका जल म प्रश्नपूण करें या प्राप्ति विशेषक हृष्ण की जाने वाली यज्ञिय वस्तु के अत्याश का प्राप्ति तो करना ही चाहिए। (शत० ब्रा० २।६।१४८)

ॐ—अनुमान विवरक मतभेद

(अष्टवर्ष्य द्वारा वेदी के समीप गमन में मतभेद)

वेदी के समीप गमन के विषय में दो मत हैं—प्रथम मत के अनुमान अष्टवर्ष्य 'श्रीष्टद्' के लिए वेदी के समीप जाता है। उस समय वह अपने ल्पान से सर्वप्रथम द्वाहिना पर उठाकर आगे रखता है। पुनः वाम पाद रखकर 'श्रीष्टद्' के लिए अग्नीश्च का आह्वान करता है। द्वितीय मत के अनुमान अष्टवर्ष्य सर्वप्रथम वाम पाद उठाकर आगे रखता है। पुनः दक्षिण पाद प्रतिष्ठित कर श्रीष्टद् के लिए अग्नीश्च का आह्वान करता है।

याज्ञवल्य यजमान के लिए प्रथम मत को अनुपयुक्त बताते हैं। उनके विचार से प्रथम मत के अनुमान अनुष्ठान करने वाला अष्टवर्ष्य निश्चय ही वह द्वारा यजमान के लिए पवृ एकत्र करता है। (शत० ब्रा० १।१४।२।३)

(पत्नीसदावार्थ याहूपत्य को आते समय अष्टवर्ष्य के आगमन प्रकार विवरक मतभेद)

कुछ आचार्यों के अनुमान अष्टवर्ष्य को आह्वानीय के पूर्व में होकर ग हृष्टपत्य में आगमन करना चाहिए। इस जल का खण्डन करते हुए याज्ञवल्य कहते हैं कि यदि अष्टवर्ष्य आह्वानीय के पूर्व में आगमन करता है तो भ्राह्मनीय के पूर्व अन्य साधन न होने के कारण वह अतीर यज्ञ से यज्ञांग (अष्टवर्ष्य) को यज्ञ-विमुक्त करता है। (शत० ब्रा० ५।३।२।२)

अन्य आचार्यों के अनुमान अष्टवर्ष्य को यजमान पत्नी के प्रियंका की ओर से होकर आगमन करना चाहिए। याज्ञवल्य इस मत का भी विवेच करते हैं। उनका तर्क यह है कि अष्टवर्ष्य यज्ञ का पूर्णांशु तथा यजमान पत्नी अवश्याद्य है। अतः अष्टवर्ष्य का उपर्युक्त मार्ग से होकर गमन करना अपने सिर को भ्रस्ते पर रखने की भाँति होगा। जिसका फल यह होगा कि वह यज्ञ से बाहर होय। (शत० ब्रा० १।१४।२।३)

अन्य आचार्यों के मत हैं अष्टवर्ष्य को याहूपत्य और पत्नी के वीच में होकर आगमन करना चाहिए। यज्ञवल्य इस मत का भी विवरण करते हैं कि यदि वह इस मार्ग से संचरण करता है तो यजमान-पत्नी को यज्ञ-विमुक्त कर देता।

याज्ञवल्क्य स्वप्न प्रस्तुत करते हैं जिसके अनुसार अष्टव्यु गाहृपत्य के पूर्व तथा आहृतीय के पश्चिम अर्थात् आहृतीय और गाहृपत्य के बीच (साध माश से सचरण करे। इस प्रकार वह (अष्टव्यु) यज्ञ से बाहर नहीं होता। (शत० ब्रा० १३॥२१४) आहृतीय को गमन करते समय भी उसने इसी (आहृतीय और गाहृपत्य के अन्तराल) मार्ग का अनुसरण किया था। अतः अब भी उसे निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करता चाहिए।

ट-होम विषयक मतभेद

(उखा में औद्यग्भण होम-सम्पादन सम्बन्धी मतभेद)

कतिपय याज्ञिकाचार्य औद्यग्भण आहृतियों की तप्त उखा में ही हवन करते हैं। उनके मत से ये आहृतियों काम्य वस्तुओं के लिए की जाती हैं। उखा यजमान की आत्मा है। इस प्रकार यजमान के लिए उसकी सब वस्तुएं प्रतिष्ठित होती है।

याज्ञवल्क्य इस मत का विरोध करते हैं, उनके विचार से उखा में प्रदीप्त अग्नि सम्पूर्ण हुए यज्ञ का तथा उन आहृतियों का सार है। यज्ञ-सम्पादन तथा औद्यग्भण आहृति-होम सम्पन्न होने पर यज्ञ उखा पर आरोहण करता है। अष्टव्यु अग्नि पर उखासादन करता है। उखा यज्ञ को धारण करती है। अतः दीक्षणीय यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर तथा औद्यग्भण आहृति हवन होने पर उखा अग्नि पर आसादित की जानी चाहिए। तात्पर्य यह कि औद्यग्भण आहृतियों का हृचन-कर्म उखा में न सम्पन्न किया जाना चाहिए। (शत० ब्रा० ६॥६॥१॥२२)

(संतति होम में अतिरिक्त आहृति-हवन विषयक मतभेद)

संतति होम में पांच आहृतियों का विधान है जो अघोलिक्षित हैं:—

‘स्वर्णघर्मः स्वाहा’, ‘स्वणकिंः स्वाहा’, ‘स्वर्ण षुक्रः स्वाहा’,
‘स्वर्णज्योतिः स्वाहा’, ‘स्वर्णसूर्यः स्वाहा’ (शु०य०सं० १८॥५०)

इन पांच आहृतियों के अतिरिक्त अन्य शाखा में अग्निचयन सम्बन्धी इसी ब्राह्मण में यदि किसी आहृति का विधान है तो जिस आहृति को शेष समझा जाय उसे इस समय हवन कर देना चाहिए। काम प्राप्ति के लिए ही रथ (अग्नि) योजन होता है। इस अवसर पर जिस आहृति का हवन होता है वह प्राप्त होती है। इसके पूर्व अग्नि संस्कार न होने के कारण हवन किये जाने पर आहृति अनाप्त ही भी। [शत०ब्रा०हृ० २॥२७]

अन्य आचार्य अतिरिक्त आहुति-हृतन के पक्ष में नहीं है। उनका मत है कि अतिरिक्त कार्य नहीं करना चाहिए।

याज्ञवल्य इन आचार्यों के मत का निवेश करते हुए कहते हैं कि उन अतिरिक्त शाश्वान्तर ज्ञात्योक्त आहुतियों का हृतन करना आहिए क्योंकि प्रेषण काभग्राहित के लिए ही इन आहुतियों का हृतन होता है। कामों के स्वरूप में कुछ भी अधिक नहीं होता। (शत॰ब्रा० ८४।२।३६)

(दीर्घमत्री के प्रवासकाल से मृत्यु प्राप्त होने पर उसके अग्निहोत्र होम अथवादन के विषय में मतभेद)

कठिपय ग्राहिकों के मत से मृत अवित के परिवार द्वारा मृत शरीर को शूहानयन करने के समय तक अग्निहोत्र होम का सम्पादन होता चाहिए।

याज्ञवल्य इस मत का निवेश कर कहते हैं कि आहुतीय अग्नि मृत प्रतिष्ठित के लिए अग्निहोत्र होमार्थ नहीं है। इस प्रसंग में जो इधर हृतन रूप में आहुत होगा वह अग्नि में रात्र दाह-कर्म के समाप्त होगा। आहुतीय का लगभग आहुति-होम के लिए है, जबकि दाह के लिए नहीं। इस अनुष्ठान से आहुतीयाग्नि प्रेत को धीरित करेगी। (शत॰ ब्रा० १२।५।११)

अन्य आचार्यों के विचार से अग्नि को उसी दणा में रहने देना चाहिए अन्य आहुतियों को प्रदान न कर केवल प्रज्ञवलित किये रखना चाहिए। याज्ञवल्य इस मत का भी निवेश करते हैं कि इस समय अग्नि में ईश्वर प्रस्तोपण दृश्य-दाह कर्म के सदृश ही होता। आहुतीयाग्नि यजदाहार्थ नहीं अस्तु हृतनार्थ है, इस अनुष्ठान से अक्षमाशील आहुतीयाग्नि यजमान के लिए दुःख उत्पन्न करेगी। (शत॰ ब्रा० १२।५।१२)

कुछ आचार्यों के मतानुसार मृतक को उसके गृह से जाने पर आहुतीय उत्तरा पाहृपत्य दीनीं अग्नियों पर आशीर्वाद नवाग्नि-भूषण करना चाहिए। याज्ञवल्य इस मत के लिए नहीं है। अग्निमन्दन जबकि दाह के सदृश ही होता, आहुतीय आहुति-हृतनार्थ है। इस प्रकार भक्षमाशील अग्नि प्रेत के लिए दुःख का कारण बनेगी। (शत॰ ब्रा० १२।५।१३)

याज्ञवल्य स्वयम् प्रस्तुत करते हैं कि वस्त्र (वकङ्ग) रहित आहुतीय के लिए अन्य वत्स द्वारा सम्प्राप्ति होता है, के भूमि से हृतन करना चाहिए। उक्त

गम्य का दूध तथा मृताग्निहोक दोनों दूषिन हैं इस प्रकार दूषित से दूषित का निराकरण कर श्री प्राप्त होती है। इसी से सम्बन्धित एक उपमा है—यदि दो टृटे हुए रथों को एक कर दिया जाय तो वह बहनार्थ समर्थ होगा। वह उचित कार्य कर सकता है। तथा यजमान का बहन कार्य भी। (शत॰ द्वा॰ १२।५।१५)

(प्रथम चिति में इष्टकोपद्वान् विषयक मतभेद)

प्रथम चिति की प्रत्येक दिशा में दस प्राणभृत् इष्टकाओं का उपधान किया जाता है। पांच बार पचास इष्टकाएं उपहित होती हैं। पांच वज्रीय पशु होते हैं और प्रत्येक पशु में दस प्राण होते हैं। इस प्रकार पचास संख्या पूर्ण होती है।

शुक्लयजुवेदीय आचार्य पचास प्राणभृत् इष्टकाओं का उपधान करते हैं। पूर्व भाग में उपहित होने वाली इष्टकाएं प्राणभृत् हैं। पवित्रमें उपधान की जाने वाली इष्टकाएं चक्रभृत् हैं। इन्हें ही अपानभृत् कहते हैं। दक्षिण की ओर उपहित होने वाली इष्टकाएं मनोभृत् तथा वे ही व्यानभृत् हैं। उत्तर की ओर उपहित होने वाली इष्टकाएं श्रीवभृत् तथा वे ही उदानभृत् हैं। यह मैं उपहित की जाने वाली इष्टकाएं वाग्भृत् और वे ही समानभृत् हैं। (शत॰ द्वा॰ ८।१।३।६)

चरकाचार्यों के मत से अपानभृत्, व्यानभृत्, उदानभृत्, समानभृत्, चक्रभृत् और वाग्भृत् तथा वाग्भृत् इस प्रकार क्रमशः इष्टकोपद्वान् करना चाहिए।

याज्ञवल्क्य चरकाचार्यों के मत का निरसन करते हैं कि इस कार्य से आप्यायिक प्रतीत होता है। वे अपने पूर्व मत के अनुसार ही उपधान के लिए आदेश देते हैं। कारण यह प्रस्तुत करते हैं कि उस प्रकार अग्निवेदी में सब रूपों का उपधान हो जाता है। (शत॰ द्वा॰ ८।१।३।७)

३—क्रम विषयक मतभेद

(प्रथमर्थ कर्म में आप्यायिन, अवान्तरदीक्षा, तानूनप्त का विधया तानूनप्त अवान्तरदीक्षा, आप्यायन का क्रम होना चाहिए ?)

ऋत्विज और यजमान भद्रती जल का स्पर्श कर आज्य संलग्न हस्त का प्रकारण कर सोम को तीव्र करते हैं (जिसे आप्यायन कहते हैं)। भद्रती जल स्पर्श कर सोम को तीव्र करने का कारण यह है कि आज्य दृश्य है; सोम चीर्ण है। भद्रती जल का स्पर्श करने के पश्चात् सोम का आप्यायन करने से चीर्ण चष्ट नहीं किया जाता है। (शत॰ द्वा॰ ३।४।३।१) ऋहाचावियों

के मत से जिस सोम के लिए यह आनिष्य किया जाता है उसका नवंप्रथम आप्यायन तत्पश्चात् अवान्तरदीक्षा एवं तानुनप्त्र से स्वत्कार करता जाहिए ।

याज्ञबल्क्य ब्रह्मवादियों के मत का निराकरण करते हैं कि यह याजिक कर्म है । उनमें पहले कलह हुआ था । अतः उन्होंने सर्वप्रथम उस कलह का शमन किया, यज्ञ की समाप्ति तक कलह न करने की प्रतिक्रिया की । अतः तानुनप्त्र, अवान्तरदीक्षा, आप्यायन क्रमशः सम्पन्न होते हैं । (शत० द्वा० ३१४३, १२) आप्यायन करने का कारण यह है कि सोम देव है । युनोंके उनका निवासस्थान है । सोम वृत्र थे । त्वष्टा जब इत्र को अनुग कर (विष्वरूप का वध करने के कारण) सोम हवन करने जा रहा था, इन्द्र ने सोमपान कर लिया । अबशिष्ट सोम को ही उसने आहूतिद्वय बनाया जिससे एक विशान्त्राय दूत उत्पन्न हुआ । इमीलिए सोम का वृत्तत्व बताया गया । पर्वत और चट्टानें उसके शरीर हैं । उन पर एक बनसपति उगती है जिसे (उशाना, कटी-कहीं जिस दुधाना भी) बहते हैं । यह कथन श्वेतकेतु और औद्यासकि का है । शूतिखंड यहाँ से इस वरम्पति का आहरण करते हैं और उसका अभिवृण करते हैं । पूनः दीक्षा और उपमद तथा तानुनप्त्र एवं आप्यायन से वे सोम निमित्त करते हैं । (शत० द्वा० ३१४३, १३)

(अह-ग्रहण-क्रम विषयक असंबोह)

याज्ञबल्क्य के मतानुसार सर्वप्रथम शुक्र और यम्यी प्रहृते को अहृत दिया जाता है क्योंकि अहृत माध्यन्दिन स्वतन्त्र युक्तावान् है । इसके पश्चात् आप्यवग्रह-प्रहृण होता है क्योंकि यह सब सबनों में ग्रहण किया जाता है । आप्ययन के पश्चात् मरुत्वतीय का और उसके बाद उक्त्य-प्रहृते प्रहृते किया जाता है क्योंकि इस माध्यन्दिन स्वतन्त्र में भी उक्त्य स्तोत्र होते हैं । (शत० द्वा० ४१३३, १२) अन्य आचार्य ग्रह-प्रहृण के इस क्रम को अस्वीकार करते हैं । उनके मतानुसार शुक्र, यम्यी, आप्यवग्रह ग्रहों के अद्यानन्तर उक्त्य का तत्पश्चात् मरुत्वतीय का ग्रहण होना जाहिए । उनका तात्पर्य ग्रह है कि प्रातःस्वतन्त्र में आप्यवग्रह के बाद उक्त्य का ग्रहण हुआ था । उसी प्रकार यहाँ भी होता ।

याज्ञबल्क्य उपर्युक्त मत का निराकरण करते हैं कि प्रवतः स्वतन्त्र के अह-ग्रहण काल में उस प्रकार के क्रम को स्वीकार कर लेने पर भी माध्यन्दिन स्वतन्त्र में पहले मरुत्वतीय ग्रह की तत्पश्चात् उक्त्य ग्रह का सोम होता है । इसीलिए ही मतानुसार मरुत्वतीय का पूर्व ग्रहण भी होना जाहिए । (शत० द्वा० ४१३३, १३)

(धिष्ठय इम विषयक मतभेद

शलाकाओं से क्रमशः धिष्ठयों पर आज्ञय विराते समय अन्त में किस धिष्ठय पर आज्ञय विराता चाहिए? इस विषय में मतभेद है। याजिक परम्परा के अनुसार अध्यवर्य प्रचरणी में सुकृत से चार बार आज्ञय ग्रहण कर शलाकाओं द्वारा धिष्ठयों पर विराता है। शलाकाओं से धिष्ठयों पर घृत प्रक्षेपण का कारण यह है कि पहले देवताओं ने गन्धवों भ यह कहा था कि तृतीय स्वन में तुम्हें एक आज्ञाहृति दी जायगी विश्व सौम की नहीं इसका कारण यह है कि तुम लोगों के सभीप से सीमाहृण किया गया था। इस प्रकार उत्ताहृति उनके अंश में पड़ी। अब अध्यवर्य शलाकाओं द्वारा धिष्ठयों पर घृत छोड़ता है। आसादम क्रम के अनुसार उन्हीं मन्त्रों (शु०थ० सं० ५१३१,३२) से एक के बाद दूसरे पर घृत स्ववण करता है। अन्त में याज्ञवल्य धिष्ठय का स्थान होता है। (शत० ब्रा० ४।४।२।७)

कृष्ण याज्ञवल्यमाज्ञवल्य धिष्ठय पर घृत व्यवणानन्तर पुनः एक बार आग्नी-धीय धिष्ठय पर घृत व्यवण के लिए मत प्रस्तुत करते हैं। याज्ञवल्य इस मत का निरसन कर याज्ञवल्य को ही अन्तिम धिष्ठय बताते हैं। [शत० ब्रा० ४।४।२।८]

४—उपस्थान विषयक मतभेद

(याज्ञवल्यिक अपम्युपस्थान (अभियों के सभीप यमन) विषयक मतभेद)

याज्ञवल्य के मतानुसार अपम्युपस्थान सायंकाल भी करना चाहिए। दोनों अभियों द्वारा है, उन्हीं में यज्ञमान याज्ञना करता है। यतः सायंकाल अग्नि के सभीप यमन का सम्मान देना चाहिए क्योंकि सायंकाल ही देवता अग्नि के सभीप रहे थे। उपस्थान से यज्ञ निरापत्त होते हैं। [मत० ब्रा० २।३।४।३]

कृष्ण याज्ञिकों के विचार से सायंकालिक अग्नि-उपस्थान नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले देवता और मनुष्य एक साथ निवास करते थे। किसी वस्तु के अभाव में वे देवताओं से याज्ञना करते थे। फलतः याज्ञना के कारण देवता तिरोहित हो गए। अतः अग्नि भी अपने प्रति यज्ञमान के अपराध तथा उसके प्रति यज्ञा से वस्त्रे के लिए उपस्थान द्वारा याचित होने पर निरोहित हो जाते हैं।

याज्ञवल्य के मत से उपस्थान करना चाहिए क्योंकि यज्ञ यज्ञमान के प्रति देवताओं का आशीर्वाद [फल प्रायैना रूप] है और अन्तिमोद्दाहृति निःसदैह यज्ञ संवृत्त है। अध्यवर्यकृष्ण उपस्थान यज्ञमान के प्रति आशीर्वाद ही है। [शत० ब्रा० २।३।४।४,५]

पूर्वपक्षी आचार्यों के विचार से ब्राह्मण तथा ऋत्रिय स्तुति एवं परिचयों
इन्हें बाने व्यक्ति का अभीष्ट पूर्ण करते हैं। निष्ठुर वचन बोलने वाला व्यक्ति
विद्वेष न रहा है। समर्पक होम से अग्नि का आराध्य ही बदना चाहिए।
उपस्थान निष्ठुर भाषण के समान अग्नराध का कारण है। फलतः उपस्थान करना
नुचित है। [शत० खा० २।३।४।६]

याज्ञवल्क्य उपस्थान के पक्ष में कहते हैं कि जो व्यक्ति याचना से दाता के
समीप वसन करता है वह एकाकी है। उसका स्वामी व्यपतं भूत्य के विषय में
अनभिज्ञ है। मूर्त्य द्वारा 'मैं तुम्हारा भावं (तुम्हारे द्वारा भरण किया जाने वाला)
, येरा भरण करो।' कहने पर स्वामी उसके भरण वोशण के लिए स्वयं चिन्तित
होता है। अतः अग्नि-उपस्थान करना सर्वथा उचित है। (शत० खा० २।३।४।७)

त—प्रायशिक्ति-विद्याम विषयक भृत्येव

(अन्य व्यक्ति के लिए यज्ञानुष्ठान सम्पादनोपरात्म प्रायशिक्ति-विद्याम
विषयक मतभेद)

बस्तुतः तीन समुद्र हैं—एक है अग्नि यजुषों का, दूसरा है महात्म शान का
और तीसरा है महदुर्वय ऋचाओं का। जो व्यक्ति द्वं तीन कर्मों को दूसरे व्यक्ति
के लिए सम्बन्ध करना है वह अपने लिए इन समुद्रों को शुद्ध कर देता है। उसके
शुद्ध होने पर छन्द शुद्ध हो जाते हैं। छन्दों के पश्चात् सोक लोकानान्तर आह्मा
और आह्मों के पश्चात् उसकी सन्तान तथा उसके पशु शुद्ध हो जाते हैं। जो इन
कर्मों को अन्य व्यक्ति से लिए करता है वह विसोदिन पापी [निष्ठाम] होता है।
[शत० खा० ६।४।२।१२] जो इन यज्ञों और क्रतुओं में कहायक अट्टिक का पापं
होता है उसके लिए इन समुद्रों से छन्द पूनः उसी हृषि में हो जाते हैं। वे पूर्ण हो
जाते हैं, छन्दों के पश्चात् उसकी सन्तान और पशु प्राप्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति
दिनोदिन शेय प्राप्त करता है क्योंकि वे कर्म वस्तुतः उसकी दैती तथा अमृत
प्राप्ति है जो उन्हें अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उस दैती आह्मा की अन्य के
पार ही करता है और वह एक शुद्ध स्थायु रूप में अवधिष्ठ रहता है।
[शत० खा० ६।४।२।१३]

कुछ आचार्यों का मत है कि अन्य व्यक्ति के लिए उनका सम्पादन करके
क्रमसङ्काता या तो अपने लिए सा पूज्न उस यज्ञसान के लिए यज्ञ करें। इस शर्य
की यही प्रायशिक्ति है। (शत० खे० ६।४।२।१४) यज्ञवल्क्य इस भृत्य का
संपेत नहते हैं कि यह शुद्ध और निष्ठीव काठ को नीचिते के समान होगा।
ज्ञेय-अनुष्ठाना को इससे अवगत होना चाहिए कि इस कर्म में कोई प्रायशिक्ति

नहीं है। (शत० ब्रा० ८५२१४) स्वमन पुष्टि के लिए वे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं शाश्विद्य ने एक बार कहा था कि तुरकावधय न एक बार कारी ताम दबनाओं के लिए अग्निचयन किया। देवता भी ने उससे पूछा—‘अहं यह जानते हुए कि अग्निचयन स्वर्ग सम्पादन नहीं करता, आपने इसका चयन क्यों किया?’ (शत० ब्रा० ६३५१२१५) उन्होंने उत्तर दिया—‘स्वर्ग का सम्पादक तथा अभिस्पादक क्या है? यजमान यज्ञ का शरीर और ऋत्विज अग हैं। जहाँ शरीर रहता है वहीं अंग भी रहते हैं अथवा जहाँ अंग रहते हैं वहीं शरीर भी रहता है। यदि ऋत्विजों को स्वर्ग में स्थान नहीं है तो यजमान के लिए भी स्थान नहीं है क्योंकि दोनों ही समान लोक के हैं। इतना अवश्य करना चाहिए कि यज्ञ की दक्षिणा में संवाद न होना चाहिए क्योंकि संवाद से ऋत्विज स्वर्ग में अपने स्थान को न प्राप्त कर सकेंगे।’ (शत० ब्रा० ६३५१२१६)

(दुर्घटोहन के समय अग्निहोत्री (गाय) के बैठ जाने पर करणीय कर्म तथा प्रायशिक्ति विषयक मतभेद)

कुछ आचार्य ‘उदस्थादेव्यदितिरायुर्जपतावधादिन्द्रायकृष्टती भाग्मिकाय वस्त्राय च’ (त० सं० १२१८।१) मन्त्र से गाय का उत्थापन करते हैं। उनके विचार से पृथ्वी अदिति है, ‘आयुर्जपतावधात्’ कहकर यजमान में आयु का आसादन किया जाता है। ‘इन्द्रायकृष्टती भाग्म्, कहकर यजमान में इन्द्रिय तथा ‘मिक्ताय वस्त्राय च’ कह कर मिक्तावस्त्र प्राण और उदान होने के कारण यजमान में प्राण और उदान की प्रतिष्ठा होती है। वह अग्निहोत्री (गाय) यजमान के गृह पुनराम्बन न करने वाले ब्राह्मण को दे दी जानी चाहिए। उनका यह भी कथन है कि अग्निहोत्री यजमान के दुःख तथा पाप देखकर लेट गयी थी। इस प्रकार ब्राह्मणार्थं उस गाय को देकर यजमान के दुःख तथा पाप ब्राह्मण पर छोड़ देते हैं। (शत० ब्रा० १२१४।१।६)

य अवलम्ब उपर्युक्त मत को दोषपूर्ण सिद्ध करते हैं—इस प्रकार वह गाय उन अथद्वालु अक्षितमों के समीप से वापस आती है। वे इस आहुति को अति पहुँचाते हैं। उचित मार्ग का निर्देश करते हुए याङ्गवंस्क्य का कथन है कि ‘दण्डप्रहार कर उस गाय का उत्थापन करना चाहिये जैसे कि रथ में जुते हुए अश्व, खच्चर या वृथम के श्रान्त हो जाने पर उसे दण्ड या अंकुश से आगे बढ़ा कर अभीष्ट मार्ग की यात्रा पूरी की जाती है। उसी प्रकार दण्ड द्वारा उत्थापित गाय से यजमान स्वर्यं प्राप्त करता है।’ (शत० ब्रा० १२१४।१।१०) स्वमत पुष्टि के लिए आचार्य आहणि का मत प्रस्तुत करते हैं—‘उस यजमान की

अग्निहोत्री और वत्स वायु तथा अग्निहृत स्थानी नी पृथ्वी है। इनके जाता का अग्नि हाता (गाय) कभी बिनष्ट नहीं हाता क्योंकि दौरे, कभी नष्ट नहीं हाता और न तो अग्निहोत्री का वत्स रूप वायु और न अग्निहोत्र स्थानी वर्ष पृथ्वी ही नष्ट होते हैं। पर्यन्त श्रीवृष्टि करते हैं। यजमान को यह जानना चाहिए कि 'अग्निहोत्री (गाय) ने मेरी श्री तथा महिमा को धारण करने में असमर्थ होता र शयन किया था। मैं अधिकाधिक श्रीवान् बनूगा।' [शत० छा० १२।४।१।११] अतः याज्ञवल्क्य का मत ही स्वीकार्य है।

[दुग्धदोहन-काल में दूध के अशुद्ध हो जाने पर कर्त्तीय कर्म तथा प्रायशिच्छनि विषयक मतभेद]

कुछ आचार्यों के मतानुसार उस दूध का होम करना चाहिए। होम न करना अनुचित होगा। वस्तुतः देवताओं को किसी वस्तु से विरक्षित नहीं है। उस मत के विरोध में याज्ञवल्क्य का कथन है कि देवता भी अणित वस्तु से विरक्षित रखने हैं। उनके मतानुसार गाहूपत्य में कुप्र उष्ण अंगारों को निकालकर उन पर अमत्रक दूध छोड़कर जल डालना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूध प्राप्त होने पर आहुति हृवन करना चाहिए। [शत० छा० १२।५।२।२]

[कुक् पात्र ग्रहणानन्तर अग्निहोत्र [दूध] के गिर जाने पर कर्त्तीय कर्म तथा प्रायशिच्छनि विषयक मतभेद]

कुछ आचार्य गिरे हुए दूध को प्रायशिच्छत-पञ्च से स्पर्शानन्तर ढारकर सुक् पात्र में अवशिष्ट दूध से हृवन करने का विधान करते हैं। कुक् पात्र के अंदोंमुख हो जाने पर, दुग्ध-पतन होने पर उस प्रायशिच्छत मध्य से सर्वे वा स्थानी में अवशिष्ट दूध से हृवन करना चाहिए। [शत० छा० १२।४।२।६] अन्य आचार्य पुनः गाहूपत्य के समीप जाकर स्थानी में अवशिष्ट दूध का हृवन करते हैं। याज्ञवल्क्य इस मत का निराकारण करते हैं क्योंकि अग्निहोत्र स्वर्ण-सम्पादक है। उस स्थिति में अहवर्ष के श्रनि किसी अग्निज के द्वारा कथन पर कि 'इसमें स्वर्णलोक से यजमान को नीचे उपारा है।' यह अहुति स्वर्ण सम्पादक न बन सकती। फलतः यजमान स्वर्ण के प्राप्त कर सकेगा। [शत० छा० १२।४।२।७]

याज्ञवल्क्य के मतानुसार अहवर्ष को बही दियते हों जाना चाहिए। स्थानी में अवशिष्ट दूध कुक् पात्रादि द्वारा उसको पास सब यहौताया जाना चाहिए। कुछ मनुष्य उसे यह दूध आहुति-ओष्ठ है, यह जक्षि रहित है, इसका हृवन न करना चाहिए। आदि कथन पर उसे नविष्ठ भना जाता है कि इस पातों की ओर उसे ध्यान ही न देना चाहिये क्योंकि शक्तिहीन [अकातमान]

होने पर दूध स आतचन कम होता है। अत इथानी म अवशिष्ट दूध को अद्वय के समीप पहुँचाना चाहिए। दूध न रहने पर दूसरे दूध के आनयनापरान्त अग्नि पर अष्टिश्चयण करने के पश्चात् अद्वयु के समीप होमार्थ से जाना चाहिए। [शत० ब्रा० १२।४।२।६]

[सूक् स्थित अग्निहोत्र [दूध] में अमेघ्य पड़ जाने पर करणीय कर्म तथा प्रायशिक्ति विषयक मतभेद]

कुछ आचार्य अमेघ्य पड़ जाने पर भी अग्निहोत्र हवन का विधान करते हैं। अन्य आचार्यों के मतानुसार अमेघ्य निकालने के लिए सूक् पात्र को दूध से पूर्ण कर देना चाहिए। याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं कि उस स्थिति में किसी अभिज्ञ द्वारा वह कथन करने पर कि 'निःसन्देह इस ब्राह्मण [ऋत्विज] ने अग्निहोत्र का अधःपात्र कर दिया।' यजमात का भी स्वर्ग से अधःपतन होगा। याज्ञवल्क्य के मतानुसार आहवनीय में समिदाधानानन्तर उससे उष्ण अगारो को निकाल कर अंगारो पर दूध डालने के अनन्तर जल छोड़ना चाहिए। अन्य दूध की प्राप्ति होने पर उससे हवन करना चाहिए। [शत० ब्रा० १२।४।२।६]

(गाहृपत्याग्नि के बुझ जाने पर करणीय कर्म तथा प्रायशिक्ति विषयक मतभेद)

इस स्थिति में कुछ आचार्य उल्मुक (अगारों) से अग्नि निर्मित करते हैं। याज्ञवल्क्य उपर्युक्त रीति का निषेध कर अधीलिखित मत का प्रतिषादन करते हैं—

उल्मुक से एक कोयला लेकर दो अरणियों पर मन्त्रन करना चाहिए। इस प्रकार वह उल्मुक की अग्नि तथा अरणियों से मध्यी गयी अग्नि के कामों को प्राप्त करता है। (शत० ब्रा० १२।४।३।३)

(आहवनीय के शेष रहने पर तथा गाहृपत्य से बुझ जाने पर करणीय कर्म तथा प्रायशिक्ति विषयक मतभेद)

इस स्थिति में कुछ आचार्य आहवनीयाग्नि से नवाग्नि ग्रहण कर उसे पूर्व की ओर ले जाते हैं। याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं कि किसी अभिज्ञ के इस कथन पर 'इस अद्वयु ने यजमान के सामने के प्राप्तों को अवसर्द कर दिया।' यजमान की मृत्यु हो जायगी। (शत० ब्रा० १२।४।३।६)

(आतिथ्येष्टि मे इविग्रहण विधि निष्पत्र मतभेद)

सोमक्रियणात्मक आतिथ्येष्टि का विवार है। इस समय विष्णु को नवकपालपुरोडाश प्रदान किया जाता है। पुणोऽग्नार्थं हविर्ग्रहण में मतभेद है। तीतिरीय आचार्यों के मतानुसार अष्टवर्ष्य को सोम के समक्ष स्थित होकर हविर्ग्रहण करना चाहिए क्योंकि पूज्य व्यक्ति के आगमन पर उसकी पूजा होती है अन्यथा वह क्रुद्ध हो जाता है। (शत० ब्रा० ३।४।१।३) तदनन्तर जिस शक्ट पर सोम है, उसमें जूते हुए वृषभों में से एक को शुग से अलग कर देना चाहिए क्योंकि एक दृष्टम् मुक्त करने से सोम राजा का आगमन तथा दूसरे के जूते रहने से सोम का सम्मान हड्डा। (शत० ब्रा० ३।४।१।४) लोक में भी विना यान से उतरे विसी का आगमन अविश्वित ही होता है।

इस मत के विपरीत याज्ञवल्क्य का मत है कि दोनों वृषभों के युग से विभोचन तथा सोम को शालान्तर्गत करने पर ही हविर्ग्रहण होना चाहिए क्योंकि मनुष्यों के आचरण देवाचरण सदृश ही होते हैं। व्यवहार में भी जब तक कोई अधिविध अपना यान छोड़ कर नहीं आता तब तक न तो उसके स्वागतार्थ जल प्रदान थोर न उसका सम्मान ही होता है। यान में अवरोहण करने पर जलनयन कर संकार किया जाता है। (शत० ब्रा० ३।४।१।५) अष्टवर्ष्य को हविर्ग्रहण शीघ्रतापूर्वक करना चाहिए। इससे सोम की पूजा होती है। हविर्ग्रहण के समय यजमान पत्नी को अष्टवर्ष्य का स्पर्श करना चाहिए तथा सोम द्वारा परिक्रमा के समय वहाँ यजमान को भी स्थित रहना चाहिए। इस प्रकार पति-पत्नी सोम की सेवा में रहते हैं। लोक में भी जब कोई अहंत व्यक्ति आता है तो समूर्ज परिवार उसकी सेवा-सुश्रूषा में रहता है। (शत० ब्रा० ३।४।१।६)

(अन्यायान्तर्गत सम्बरण विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के मत से पृथ्वी पर ही सब सम्भारों की प्राप्ति के कारण पृथ्वी पर ही आधान करना उचित होगा। इस प्रकार सम्भरण की आवश्यकता ही न रहेगी।

याज्ञवल्क्य के मत से सम्भार-सम्भरण करना ही चाहिए क्योंकि सम्भारों से जो निष्पत्र होता है वह आधान है। सम्भार-रहित होने पर आधान ही न होगा तो पृथ्वी क्षम्बन्ध से सम्भरण प्राप्ति कैसे होगी? (शत० ब्रा० २।१।१।१४)

(आधान विषयक मतभेद)

यजमान ऋतिवर्षों द्वारा ऋत (उपवस्थ दिन का दूध) ग्रहण कर उसमें

समिधा दूबो कर आधान करता है। कुछ आचार्यों के मतानुसार समिधा को उम्र वत् (दूध) में नहीं दूबना चाहिए। वत् में दूबने से यजमान आहृति हक्कन करता है जो एक दीक्षित के लिए उचित नहीं है। (भग॰ शा॰ ६।६।४५)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध कर समिधा को वत् में दूबने का मत प्रस्तुत करते हैं क्योंकि आहृतीयादि यजमान का देवी शरीर तथा भौतिक शरीर मात्रुष है। वत् में समिधा न दूबने पर वह अपने देवी शरीर को तुरा नहीं करता। समित् होने के कारण यह आहृति तब्दी है तथा वत् में दूबने से व्रत के अन्त होने के कारण यह भी अन्त है। (भग॰ शा॰ ६।६।४५)

(जल के साक्षात्-समर्जन के विषय में भत्तमेद)

अष्टवर्ष्य चात्वारि पर वस्तीवरी जल और मैत्रावद्यवस्थामस का स्पर्श करता है।

याज्ञवल्क्य के मतानुसार अष्टवर्ष्य को 'समागोऽद्विरग्यमत् सप्तोषस्त्रीभिर्वैष्ठीः'। (शु॰ य॰ सं॰ ६।२८) मन्त्र से स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार अष्टवर्ष्य स्पर्श वाल से ही कल तथा आज आहृतण किये गये यज-४४ का मिथ्यण करता है। अन्य आचार्य वस्तीवरी जल को मैत्रावद्यवस्था वस्त्रमें और मैत्रावद्यवस्था से कुछ अहण कर वस्तीवरी में मिथ्यित करने का विचान करते हैं। उनका गहरा है कि पूर्व दिन तथा यज्ञ के दिन आहृतण किये गये इस मिथ्यित होते हैं। याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मत का निषेध करते हैं। उनके मतानुसार अष्टवर्ष्य जल जल वा आधवनीय में छालता है तब दोनों प्रकार के रूप मिथ्यित होते हैं। (भग॰ शा॰ ३।६।३०)

(सीम पर जल-नियन्त्रण विषयक भत्तमेद)

आचीन वश के समक्ष आसन्दी पर स्थापित सीम का आसन्दी के साथ ही आचीन वश में प्रवेश होता है। दीक्षित-मन्त्र (गमनाशमन मार्ग) से चक्रकर आहृतीय के दक्षिण सीमस्थापन दिया जाता है। कुछ आचार्यों के मतानुसार इस अवसर पर वस्त्र से पूर्ण पाल का नियन्त्रण करना चाहिए क्योंकि सीम क्षम्भ है। तथा क्षम्भ ही राखा होता है। जैसे जब किसी अवसर के बहु राजा का आवधन होता है वह उसे आसन देने के पश्चात् जल देता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं कि इस अवसर पर जल-नियन्त्रण यज्ञ में आनुष कार्य करने के सहृद है जो यज्ञ की अपूर्णता का परिचायक है। अतः अपूर्णतासूचक कार्यनिष्ठान की आवश्यकता ही वया है? (भग॰ शा॰ ३।६।४।३१)

(वाज्ञाधारण में अहौदन श्रण विषयक मतभेद)

कुछ याज्ञिकाचार्य चारों ब्राह्मणों (होता, अष्टवर्यु, अपनीत् एवं ब्रह्मा) के द्विए ओदन-एकाने का मत अस्तुत करते हैं। उनके विचार से ब्राह्मणों द्वारा ओदनाशन छन्द तुष्टि के लिए है। भोजन के रहने पर ऋत्विज उचित रूप सम्बन्धाच्चरण कर सकेंगे। यह कार्य याक्ष से पूर्व ब्राह्मन-तृष्णि के सदृश होगा।

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त भत का निषेध करते हैं। उनके विचार से अहौदन-एकाने की अपवश्यकता नहीं है क्योंकि यजमान के गृह में यज्ञ-सम्पादक तथा असम्पादक दोनों प्रकार के ब्राह्मण हैं। उचक निषाममात्र से ही ओदनाशन कराने से प्राप्त होने वाली कठमदा पूर्ण हो जाने हैं। (शत० ब्रा० २।५।४४)

(ब्यूढ द्वादशाहस्राग में अहों के व्यहन (स्थान विपर्ण्य में मतभेद)

यजमान ब्यूढ छन्दो के मात्र द्वादशाह करना है। उस समेप अष्टवर्यु ग्रह-ब्यूढ तथा उद्गाता और होता छन्द-ब्यूहन करते हैं। ब्यूढ शूतीय दिन (शत० ब्रा० शाश्वात), चतुर्थ दिन (शत० ब्रा० ४।५।३।२), षष्ठ दिन (शत० ब्रा० ४।५।३।४), सप्तम दिन (शत० ब्रा० ४।५।३।६), तेषां नवम दिन (शत० ब्रा० ४।५।३।८) होता है। तूर्णिव दिन ऐन्द्रवायष ग्रह-ग्रहण से, चतुर्थ दिन आग्रयण ग्रह से, षष्ठ दिन शुक्र ग्रह-ग्रहण से, सप्तम दिन श्वी शुक्र ग्रह-ग्रहण से और नवम दिन आग्रयण ग्रह-ग्रहण से प्रारम्भ करता है।

मुख्य आचार्यों के मतानुसार ग्रह-ब्यूहन (स्थान व्यस्त्वा) न होना चाहिए क्योंकि ग्रह प्राण सदृश है। अष्टवर्यु को प्राण-विभोहन न करना चाहिए। ग्रह-ब्यूहन से वह प्राण-विभोहन ही करता है। अतः उच अहों का स्थानान्तरण सर्वथा अनुचित है। (शत० ब्रा० ४।५।३।१०)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त भत का निषेध करते हैं। उनके मतानुसार ग्रह-ब्यूहन करना ही चाहिए क्योंकि ग्रह द्वादशाह शारीर के अग हैं। जैसे सौता हुआ व्यक्ति अपने अंगों को इच्छानुसार एक और से दूसरी ओर घुमाता है उसी प्रकार द्वादशाह के अग रूप अहों का ब्यूहन भी अंगों को घुमाना ही है। अतः अष्टवर्यु को ग्रह-ब्यूहन अवश्य करना चाहिए। (शत० ब्रा० ४।५।३।११)

पूर्वाचार्यों का पुनः कथन है कि ग्रह-ब्यूहन नहीं करना चाहिए क्योंकि ग्रह प्राण हैं। ब्यूहन करने पर अष्टवर्यु प्राणों को भी स्थानान्तरित कर देगा। (शत० ब्रा० ४।५।३।१२) याज्ञवल्क्य का कथन है कि उद्गाता और होता द्वारा छन्द ब्यूहन होने पर अष्टवर्यु क्या करे? अतः (यज्ञ सौष्ठुव रक्षाचे) उसे

(ह) व्यूहन करें चाहिए। प्रातः सवन में आद्वयव ग्रन्थ का अध्ययन दिन सवन में गुरु ग्रन्थ का तथा सोक सवन या तृतीय सवन में जाइयए ग्रन्थ ग्रहण सम्पन्न किया जाता है। (शत ० छा० ४१३।१३)

(ग) ज्ञानसूच वज्र में यजमानाभिर्षक शालिक उर्णवावग्रहन विषयक मनभेद)

अष्टवर्षीयज्ञमान को वस्त्र धारण करना है; उष्णीष को निखोल रूप में काठ में ढाल कर नामि प्रदेश पर उभके समझ उष्णीष के अन्त में नोंदी के स्थान पर 'धन्त्रस्य नाभिरसि' मन्त्र में घन्ति दी जाती है। इस प्रकार अष्टवर्षीयज्ञमान को धन्त्र की नामि में स्थापित करता है। (शत ० छा० ५१३।५१२३) अन्य याज्ञिकाचार्य उष्णीष को लब ओह में नामि देश में परिवेष्टनतार्थं मत प्रसन्न करते हैं। उनका तर्क है कि धन्त्रिय की उष्णीष रूपा नामि भी परिवेष्टित होती है। अतः 'धन्त्रस्य नाभिरमि' इस मन्त्र से उष्णीष के नामित्व बाहर से उष्णके साम्य के लिए जारी और से डेस्टन उचित ही है।

योग्यवल्क्य के मतानुसार नामि प्रदेश के पूर्व आग में प्रतिष्ठ दे देनी चाहिए वयोंकि नामि यदुग्र यह ग्रन्थि भी सामने ही होनी है। अष्टवर्षीयज्ञमान को वस्त्र धारण करने के कारण कहु यजमान पुनः उत्पन्न होता है क्योंकि य वस्त्र इर्द, जग्यु और योनिरूप हैं। प्रहवर्षीय सत्पन्न यजमान का अधिगक राख्येत् यह विवार करते हुए यजमान की वस्त्र धारण करता है। (शत ० छा० ११३।१२४)

(अवित्तवयन में आहवनीय तथा गाहृपत्य-मार्जन विषयक मनभेदः)

अष्टवर्षीयूर्वे स्थितों के अपनयनार्थं तथा अप्तुने को स्थित करने के लिए (शु०य०स० १२।१५) अन्त से गाहृपत्य स्थान का मार्जन करता है। अन्य वार्जिकों के मत से अष्टवर्षीयूर्वे परमाणु-मार्जन से गाहृपत्य के समान आहवनीयामार्जन वा गी मीर्जन करता चाहिए क्योंकि दोनों वर्जनों पर कहु एक-एक देवी का क्षेत्र करता है।

योग्यवल्क्य के मतानुसार यजमान गाहृपत्य वयन कर अवस्थित होता है तथा आहवनीय देवी से वह कहर्वे गमन करता है। यह उचित ही है कि यिस स्थान पर निवास किया जाय उसकी शुद्धि के लिए मार्जन कर निषा जाय। आहवनीय से आरोहण किया जाता है। अतः उसके मार्जन की जावज्ञानता नहीं है। (शत ० छा० ७।३।१।७)

(हिरण्यपुरुष के बाहुकरण विषयक मनभेद)

कुछ आचार्य स्वयं पुरुष की दो बूँद कर याहूओं के लक्ष्मीस्तम्भ रहने पर अन्य

ता वाहुओं के निमाण का विश्वाव करत हैं। उनके विचार में सुक के अनिरिक्त व हुनिमणि से अग्रिम्य होगा जो अनुचित है। इस मत के विरोध में याजवल्क्य का कथन है कि हिरण्यपुरुष की दोनों वाहुओं का निर्माण होना चाहिए वयोंकि स्वर्ण-पुरुष सम्बन्धिनों दोनों वाहुओं को लक्ष्य कर दोनों सुक पाले वासादित होते हैं। ये दोनों वाहुए चित्याभिन के दो पश्चास्तानीय हैं। (शत ० ब्रा० ७।८।१४५)

(अभिमर्पण और उच्छ्रवाप के विषय में मतभेद)

कुछ अवकाश चयन की गदी वेदी में सम्बन्ध (पक्षमंकोच) तथा प्रसारण अवित उत्पन्न करने के लिए अधोनिखित अभिमर्पण मन्त्र में चतुर्दिक् स्पर्श करते का विधान वर्तते हैं—

'संबद्धमरोडिष परिवत्यरोडिसि ॥ इदावत्सरोडमीद्वत्सरोडमि डवत्सरोडसि । उपसस्ते कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्ताभर्धमासस्ते ॥ व ल्पन्तां मासास्ते कल्पन्तामनवस्ते कल्पन्तामवत्सरस्ते कल्पताम् । प्रत्या गत्ये स चांच 'प्र च सारय । नुपर्णीचिदसि तथा देवतयाऽर्ड्गरस्वद्घ्रुवः सौद ।' (शु०य०३० २७।४५, शत ० ब्रा० ८।८।४५)

उनका मत है कि अग्नि एक पशु है। जब 'प्रकु अप्ने अपों का हंकोच एवं प्रसारण करता है तब वह पराक्रम लया शक्ति का विकास करता है। वणुक्ष्य अग्नि का भी सम्बन्ध तथा प्रसारण उचित ही है। इस भव की पुष्टि के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं—

शाश्यायन आचार्य ने एक बार कहा था कि एक अयनित द्वारा अभिमर्पण मन्त्र से चित्याभिन का स्पर्श विद्ये जाने पर पक्षी इष्य चित्याभिन के पक्षों का अकुर्कार मुना नया । अतः अभिमर्पण मन्त्र से स्पर्श उचित ही है ॥ (शत ० ब्रा० ८।१।४५)

अन्य आचार्य उदाहरण प्रस्तुत कर उच्छ्रवास खाहते हैं। नैनजित् के पुत्र कवित अवहा गान्धार नैनजित्, गान्धार राजह ने कहा कि सम्बन्ध और प्रसारण प्राप्त हैं। जिस बैंग में प्राप्त होता है, उसका हंसोच तथा प्रसारण होता है। पूर्णहृषि ने वेदी के चक्रन हो जाने पर वाह्य देश से धोकर इस पर उच्छ्रवमन करना चाहिए। इससे सम्बन्धनात्मक तथा प्रसारणोत्मक प्राण स्थापित होता है। वह वेदी सम्बन्ध तथा प्रसारण करने में भर्त्य होती है। अन्य उपर्युक्त अभिमर्पण मन्त्र से स्पर्श असुचित है। (शत ० ब्रा० ८।१।४५)

बाल्कवल्क्य द्विनीय मत प्रतिपादक आचार्यों द्वे अभिमन्त हैं। उनके विचार में 'सत्यत्सरोड्सि' आदि अभिमषण मन्त्र से ही स्पर्श करना चाहिए। वे नम्नलिखि विजित के कथन का उपहार करते हुए कहते हैं कि—'स्वविन ने प्रथम शाश्वत पद्मूर्ण मत का प्रतिपादन किया वर्षोंकि बाह्य देश से अभिमन्त कर किसी वस्तु पर यत या महसूल बाहर आर्यों और से उच्छ्रवसन करने पर कार उभयों प्राप्त-प्रतिष्ठा हो सकेगी ? अतः उच्छ्रवसन से ब्राह्मस्थापन करना असंगत है। विचारानि के पश्य देहान्तर्गत स्थित ब्राह्म पञ्चपुष्ट्यादि में भी होता है। (सत् ० शा० ८११४।१०)

(दशपैययाम में अमस्यानार्थ दसपितामहों के मामप्रसाद में वस्त्रेन)

विषय को स्पष्ट करने के लिए आध्यात्मिक प्रमुख की जा रही है—धरण का अभिषेक हो जाने पर उनसे तेज अस्थ हो जाय, विष्णु (ज्ञा) अत्य ते न वे, सम्भवतः यजमानाभिषेकार्थे एकल रस में देवता का हृतम कर हिता । (सत् ० शा० ५१४।५।१) वरण में उम (संसूप) देवताओं के साथ उस में वा का अनुपरण किया। उन देवताओं में सविताप्रसक्तिः, सरवतीवाहृ त्वर्ता, पूर्णा, इन्द्र, दृहस्पति, वरुण, अग्नि, सोमराजा तथा विष्णु थे। विष्णु (दसवें) देवता की सहायता से वरण उस तेज (भर्त) को प्रस्त कर सके। वरण द्वारा उन देवताओं के साथ तेज का अनुग्रहण करने के पाइए उन देवताओं का नाम 'संसूप' और दसवें दिन यजमानाभिषेक होने के कारण इस कर्म का नाम 'दशपैय' पड़ा। प्रत्येक दस मनुष्यों द्वारा (जिनमें चूर्दित एवं अन्य कार्यान सम्मिलित होते हैं) साध-साध प्रत्येक नमस्यानार्थ अनुग्रहण करने के कारण भी इस कर्म की 'दशपैय' सज्जा है। इस विषय में कुछ आचार्यों का मत है कि अमस्यान करने वाले दसों व्यक्तियों को यजमान के दस सोमप्रसाद करने वाले पितामहों का नाम (उसके पितामह के पितामह इस प्रकार क्रमानुसार दस विष्णुओं की संख्या कर) प्रहण कर अनुसर्यण करना चाहिए, इस प्रकार अमस्यान अपने लिए इस दशपैय सोमपीठ को प्राप्त करता है। (सत् ० शा० ४।३।४।५)

याज्ञवल्क्य उपर्युक्त आचार्यों के मत से अमस्यान है। उनके विचार से यह भारस्वक होता वर्षोंकि यदि किसी मनुष्य से उसके पितामहों को पूछा जाय तो वह कही कठिनाई से सोमपान करने वाले हों या तीन पितामहों का नाम ही जाना सकता है। अतः उनमें से प्रत्येक को संसूप देवताओं को हृत्या का परिवर्णन कर प्रसरण करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इन्हीं देवताओं के साथ वरण ने अभिषेक के समय दशपैय सोमपीय वास्तु विद्या। अतः उन्हीं देवताओं की गणना कर प्रसरण करना चाहिए होगा। (सत् ० शा० ४।३।४।५)

(अधिचयन में अश्ववण निर्वारण विषयक मतभेद)

अधिचयन के पूर्व इष्टकाओं का आनयन होता है। उसका नियम यह है कि श्वेताश्व मामने से ले जाया जाय। श्वेत अश्व प्रजापति का रूप है। इसी रूप परे प्रजापति ने अग्नि का अन्वेषण किया। इसी प्रकार यजमान भी करता है। इस प्रकार अग्नि प्राप्ति के अनन्तर अग्निचयन प्रारम्भ होता है। नियमानुसार अश्व विन वर्ण का होना चाहिए क्योंकि वह सूर्य के रूप का है। याज्ञवल्क्य नियम को शिथिल बनाकर मत्स प्रस्तुत करते हैं कि श्वेताश्व की प्राप्ति न होने पर एक वृषभ से ही कार्य सम्पन्न करना चाहिए क्योंकि वृषभ अग्नि के स्वभाव का है और अग्नि सब पापों के नाशक हैं। (शत० ब्रा० ६।१२।१६)

(चयनयाग में शतरुद्रियहोमानन्तर इष्टकाधेनुकरणार्थ दशा विषयक मतभेद)

चयनयाग में शतरुद्रिय होम के प्रसंग में इष्ट प्रक्षेपणानन्तर ऋत्तिज और यजमान वांपस आते हैं। यजमान इष्टकाओं को अपनी धेनु बनाता है क्योंकि देवताओं ने भी अग्निमद्र को शतरुद्रिय एवं जल से धान्त कर उनके दुःख और पाप के अपनयनान्तर वेदी के समीप आगमन कर इष्टकाओं को दूध देन वाली गायें बनाया। इसी प्रकार यजमान भी मन्त्रजप पूर्वक इष्टकाओं का धेनु रूप में अनुसन्धान करता है (शत० ब्रा० ६।१।२।१३) इष्टकाधेनुकरणार्थ अधोलिखित मन्त्र विहित है—

‘इमा मे अग्न इष्टका धेनवः सन्त्वेका च दशा च दशा च शतं च शत च राहस्यं च सहस्रायुतं चायुतं च नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च न्यर्वृदं च समुद्रश्च मध्य चान्तश्च परार्थश्चैता मे अग्न इष्टका धेनवः सन्त्वमुद्रामुच्चिमल्लोके। (पू० य० सं० ब्रा० १७।२)

इष्टकाधेनुकरण सम्पन्न करने की दशा में मतभेद है। कुछ आचार्यों के मानुसार यजमान आगीन होकर इष्टकाओं को अपनी धेनु बनाता है क्योंकि काँई भी व्यक्ति आसीन होकर ही गोदोहन करता है।

याज्ञवल्क्य इस मत का निशादर करते हैं। उनके विचार से स्थित रहकर धनुकरण करना चाहिए क्योंकि अग्निवेदी लोक है, लोक स्थित है जो स्थित है वह यत्क्षत्तर होता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।१४) अद्वर्यु को वेदी की दक्षिण श्रणी के समीप उत्तरपूर्वाभिमुख होकर धेनुकरण सम्पन्न करना चाहिए। यजमान के समक्ष वह गाय पश्चिमाभिमुख स्थित होती है क्योंकि दक्षिण ओर से ही गाय के समीप गमन किया जाता है। (शत० ब्रा० ६।१।२।१५)

* * *

(हिरण्यकश को प्रजापति के नप होने से मरमेत)

इस विषय में शापिदत्य तथा उनके शिष्य में मरमेत है। प्रदय, द्वितीय तृतीय-इस प्रकार छः इटका विति तथा छः पुनीर्विति विवरण में बारह चितियाँ हुईं। (जो मवत्सर के बायबर हुईं पर्याप्ति) सवत्सर में हारक भाग होते हैं। (शत० बा० १०।१।४१) विकर्णी नाम कर्ता इटका तथा सवत्सर तृष्णा (जिसमें स्वर्ण छिद्र हो) का उपयोग तथा हिरण्यकशकर्णी से वित्तार्थन प्रोक्षण कर आहुकनीयात्मि का स्थान किया जाता है। स्फुरं लक्ष्मि विवीणे पर उनपर अन्यासादन होता है। उस समय प्रजापति ने इष्टकार्य-निधान द्वारा अन्त में अपना रूप स्वर्णमय किया था। इसीलिए अश्रुकावी रहते हैं कि उन्होंने यह रूप के कारण ही प्रजापति हिरण्यमय है। उभी अकाह यह यजमान मध्य वित्तियों के अन्त में हिरण्यकश प्रोक्षणाभन्तर आहुकनीय-निधान द्वारा उपना भी हिरण्यमय रूप करता है। अतएव विद्वान् तदा अनसिद्ध तोते ब्रह्म के लोग अविकाद रूप से कहते हैं कि अभिवित् उम (स्फुरं) नाम से स्वर्णमय रूप वाया होता है। (शत० बा० १०।१।४१।१) तरंपर्य यह कि हिरण्यकश का आहुकनीय-निधान प्रजापति का स्वर्णमय रूप है। इस विश्व में युद्ध और विश्व भर्तका नहीं है। शापिदत्य ने कहा कि इस प्रजापति का यह इष्टकार्य कष्ट है। शार्णविद्य ने शिष्य द्वापरयज्ञवाहुनि के मत से यह नहीं यह उनकी लोक है। (शत० बा० १०।१।४१।१०) इस विवाद में शापिदत्य ने रूप ही लिख किया। उन्हें प्रियार में रूप सम्पुक्त तथा अयुक्त भी होता है। अब, गहू हिरण्यमयका प्रजापति का रूप है।

यज्ञवल्क्य भी शापिदत्य के ही “थ का अनुसारक करते हैं—

‘जिसा शापिदत्य ने कहा देता ही होगा।’ (शत० बा० १०।१।४१।११)

(माहेन्द्र होम के समय यजमान के शारथ काराये जाते वहाँ वहाँ के विषय में मरमेद)

कुछ वास्तवियों के मत से यजमान (अधिष्ठेत के यज्ञ वस्त्रों की धारण किये हो) उन वस्त्रों को रखकर दीपां के समय विश्वायित वस्त्रों को ही शारथ करता आहुए। यज्ञवल्क्य इस भल का विश्वायित है। उनको अनानुसार वर्ण यजमान के शारथ उत्पन्न होने से उक्ते अन है कि इस प्रकार यज्ञाय, इत्यादि द्वा गर्भावस्था में साथ निष्काश होने से अनुरक का उपचार कर दिया जाता है उक्ते प्रकार जब यजमान उत्पन्न हुआ तद्दर्शित इस उक्ते जरायु, उत्थादि है। अनः यजमान को साप्तर्षि से रक्षित कर अर्थे रक्षित किया जाता है। लीका में धारण किए माद् वस्त्र बुद्ध देवता से अनुप्ति उत्पन्न है। कठर्णु इस अधिष्ठेत

कानूनिक तात्पर में से ताएँ (प्रथम धारण विद्या जाने वाला) वस्त्र को ही धारण करता है। इस प्रकार ऋत्विज यजमान को चर्म सहित कर उसे शारीरिक रूप में रखता है। दीक्षाकालिक वस्त्र वरण सम्बन्धित होने के कारण यजमान को दीक्षाकालिक वरण-परिधान से मुक्त करता है। (शत० ब्रा० ५।३।३।२५)

(वाजपेययाग-सम्पादन विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों के, मतानुसार वाजपेयाग का सम्पादन न करना चाहिए क्योंकि वाजपेयाजी सब कुछ जीत लेता है। वह प्रजापति को भी जीत लेता है। यहाँ कुछ भी अवगिष्ट नहीं रहता। अतः उस यजमान की प्रजा अतिशय दारिद्र्यवती होती है। अतः वाजपेयसम्पादन अनुचित है। (शत० ब्रा० ५।१।१।६)

इसके विषयीत याजदल्क्य का मत है कि वाजपेययाग-सम्पादन होना चाहिए किन्तु इतना अवश्य है कि यह सब के द्वारा सम्पाद्य नहीं है। यजमान और ऋत्विज दोनों का जहाँ, यजूष्, तथा साम सम्बन्धी जात पूर्णसूर्येण होना चाहिए। इससे यज्ञ पूर्ण होता है। क्रियाकुशल ऋत्विजों द्वारा याग-सम्पादन ही यज्ञ की समृद्धि है क्योंकि अंगवैकल्य तो होगा नहीं। (शत० ब्रा० ५।१।१।१०) यृहस्पति द्वारा सम्पादित होने के कारण यह यज्ञ ब्राह्मण का है। यृहस्पति भी ब्रह्म तथा ब्राह्मण भी ब्रह्म है। इन्द्र द्वारा सम्पादित होने से इसके सम्पादन में राजन्य का भी अधिकार है। इन्द्र क्षत्र है, राजन्य भी क्षत्र है। इस प्रकार मनुष्यों में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को वाजपेययाग-सम्पादन का अधिकार प्राप्त है। (शत० ब्रा० ५।१।१।११)

(प्रायणीयेष्ठि और उदयनीयेष्ठि में साम्य विषयक मतभेद)

आतिथ्येष्ठि यज्ञ का सिर, प्रायणीयेष्ठि तथा उदयनीयेष्ठि इसकी दो ब्राह्मण हैं। सिर के दोनों ओर ब्राह्मण होती हैं। अतः आतिथ्येष्ठि के पूर्व और पश्चात् ब्रह्मणः प्रायणीय इविष्य् एव उदयनीय इविष्य् कृष्ण विद्यान हैं। (शत० ब्रा० ३।२।३।२०)

कुछ आचार्यों (जो प्रायणीयेष्ठि और उदयनीयेष्ठि में साम्य मानते हैं) के मतानुसार दोनों के कर्म समान हैं। जो कार्य प्रायणीयेष्ठि में किया जाता है वही उदयनीयेष्ठि में भी। दोनों का बहिः एक है। बहिः बैदी पर से ग्रहण कर पाश्वर में रखे जाते हैं। प्रायणीयेष्ठि के ब्रह्मस्थाली चरुलेप के साथ तथा मेक्षण भास्त्र प्रोक्षण कर चक्षुपान्तर स्थाली के साथ रखी जाती है प्रायणीयेष्ठि तथा

* * *

उदयनीयिट में शृंखिये भी समाप्त होते हैं। इस प्रकार नाम्य हीने के द्वा दोनों को बाहु छहा मरा है।

प्राचीवल्क्य इन प्रकार के नाम्य एवं आश्रित ग्रहण हैं क्यों? प्रायणीयिट का सम्पादन कर वह स्वेच्छानुभाव प्रहर के बाहु अग्नि में वर्त्ति और मेलग का प्रबोधण कर सकता है। अबर्दु जाति को प्रायणीयिट प्रायव मरण सकता है इतना अथवा है कि यदि प्रायणीयिट के शृंखित उदयनीयिट में ही प्राप्त हो जाय तो सर्वोत्तम है यिन्हु यदि वे अद्यता जीते या हैं तो उनके ल्यान पर अन्य शृंखिय कार्य नाम्यादन कर सकते हैं। अतः अमानता ग्रह रही तो समानता दो बातों में है पहली बात तो यह है कि यदि देवताओं का यज्ञ प्रायणीयिट में विद्या जाता है उसी वा अस्ति उदयनीयिट में भी होता है तो ही है दूसरी बात यह है कि जो हृषिर् देवताओं को प्रायणीयिट ये विद्या जरने हैं तोहों उदयनीयिट में भी प्रदान किये जाने हैं। इस प्रकार उन दोनों बाहुओं के ग्रहण एवं एककृपता है। (शत० बा० २१२।३२१)

(आप्रयणीयिट-प्रायणीयिट विवरण नक्षेत्र)

कोषीतकि (कुपीतक पुल) कहोड़ का भूत है, जिसकी वजाहत दौरधि रूप रस है। यह रस चूलोंका और पूँछी से सम्भवित है क्योंकि नाम्यादन सुराह होती है (जिससे ब्रीहि और यव की उत्पत्ति एवं युक्ति सम्भव होती है)। उस पर भूमि पर उत्पन्न होते हैं। इस रस को देवताओं हृषिन के प्रशार् हृषिवैष्णव का भक्तण होता है। नवान्म भविण के अनिरिक्त परिशिष्टादाता की विद्वि कलिण आप्रयणीयिट करना अथवा अप्त्यक है। (शत० बा० २१४।३।१)

प्राचीवल्क्य आप्रयणीयिट द्वारा प्रायणीयिट का प्रयोगन कराती है—

एक बार ग्रजापति की सम्हात देवों और भगुओं में समर्पि हुआ; भगुरी भद्रों पर विजय प्राप्त करने की अप्राप्ति से मनुष्यों के साथ दीद्वि और यज एवं तथा परमुद्रों के साथ वास पर एक और जाहु करते हुए दूसरी और विवरित कर दिया। कलततः न तो मनुष्य भोजन करते थे और न पर्यु तृष्ण भरते थे। अतः सम्पूर्ण प्रका असमर्थ हो गयी। देवताओं को जब यह जाति हुआ, वरदोंम आपत में उच्छे मुक्त करने के लिए विचार-विभर्ण किया। मनुष्य और कुछ यात्रों ने, यज-अमाध्यन से देवताओं ने पूर्ण कर दिया। इसी प्रकार शृंखियों ने भी किया। (शत० बा० २१४।३।१) लक्ष्मनन्दन देवताओं ने जापत में विचार किया कि देवता के अनशन को पूर्ण करने वाला हृषिय विशका हो। लक्ष्मन्दन एवं एक एक हाथ 'हमारा है! हमारा है!!' इस प्रकार की विवरिति विवरित होने पर उद्धोरण

अत इस प्राचार से यह हवा ही सी का नहीं होगा नहीं ये एवं तौर जगाय अम्म में जो दूसरों पापनाशित वर देगा उभा क यह हविष हगा अन्होने एक दोष लगायी। डम दीड़ कल वरिणाम थहर हुआ कि अग्नि और इन्द्र विजयी रहे। अनग्नि इन्द्र और अग्नि के लिए द्वादशकामोन्युक्तोहाम प्राप्ति किया जाता है क्योंकि इन्द्र और अग्नि ने इस आग को जीता था। सर्वप्रथम इन्द्र नवाश्वात् अग्नि तदनन्तर विश्वदेव पहुंचे। भत्ता मेन्द्रामन्याम पहले होता है। (शत० ब्रा० २।४।३।५)

(प्रजापति द्वारा मृष्टि-उत्पादन विषयक मतभेद)

कुछ आचाराचार्यों के विचार से प्रजापति ने वीर्यसंचनानन्तर मव को सृष्टि की। प्रजापति ने अग्नि को उत्पन्न कर दमुओं को उत्पन्न किया तथा उन्हें इस पृथकी पर धारण किया। वायु के पश्चात् रुद्रों की उत्पन्न कर उन्हें अन्तरिक्ष में स्थापित कर दिया। सूर्य के अनन्तर आदित्यों की उत्पत्ति कर प्रजापति ने उन्हें आवाश (दिवि) में स्थापित कर दिया। अद्विमा के पश्चात् विश्वदेवों की सृष्टि कर उन्हें दिक्षाओं में स्थापित कर दिया। (शत० ब्रा० ६।१।२।१०)

अद्विवादियों के मतानुसार प्रजापति ही इन लोकों को मृष्टि कर पृथकी पर स्थित रहे। उनके लिये ओषधियां अम रूप में पक गयीं। उनवे अक्षग्रन्थनन्तर प्रजापति ने गर्भ धारण निया। उद्दर्भ पाणी से देवताओं का नवा अधः प्राणों से मर्य प्रजा का सृजन किया।

याज्ञवल्क्य का मत है आहे जिस तरह से मृष्टि की मृष्टि सो को ही किन्तु पथार्थतः यह प्रजापति ही है जिन्होने समस्त कस्तुओं की रक्षा की। (शत० ब्रा० ६।१।२।११)

(फल-प्रकार विषयक मतभेद)

कुछ आचार्यों का मत है कि यजमान विचार करता है—‘यह अग्नि (वेदी) उभी का रूप धारण कर मूल अग्निचित् को स्वर्यलोक से वायर्यै। अहं अग्निचयन सम्पन्न किया जाता है।’ (शत० ब्रा० ६।१।२।३६)

याज्ञवल्क्य के मतानुसार यजमान को ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए क्योंकि पक्षी का ही रूप छारा कर सातशाश्वि उत्पन्न होते हैं। इसी तौर पर प्रजापति ने देवों को उत्पन्न करा। यथा इनी काद में देवतां अभृत हो गये। जिन पक्षों का रूप धारण कर प्रा॒ रा॑ उत्पन्न होने वाले जिन काद में उत्पादित होते हैं की मृष्टि की, उसी रूप की उत्पत्ति के लिए लाभम् प्रजापति की उत्पत्ति है। (शत० ब्रा० ६।१।२।३६)

याज्ञवल्क्य की वैज्ञानिक दृष्टि

इस अध्याय में याज्ञिकाचारों द्वारा प्रमुख मतभिन्नों का पर्यालोकन हो, स्वभूत पुष्टि के लिए याज्ञवल्क्य द्वारा प्रमुख कारणों की भी माना चो गयी है।

(१) यज्ञ की सर्वांगीण समृद्धि पर वल

याज्ञवल्क्य एक कुशल याज्ञिकाचार्य है। वे यज्ञ की शुरू रूप में देखना चाहते हैं। उसकी सर्वांगीण समृद्धि का उन्हें सदैव व्याप रहता है। वे समृद्धि के रक्षार्थ अनेक स्थलों पर आवायों से भगवंदम्य प्रकट करते हैं। इस प्रगति में विविध कारण हो सकते हैं—

(२) सर्वांगीणी चेतना की भावना

याज्ञवल्क्य एक पुरुष के रूप में यज्ञ का दर्शन करते हैं। प्राकृत गुणों की भाँति उसके लिए भी गरीब के आच्छादनार्थ वस्त्र एवं दूर्घातमसार्थ भी जग चाहिए। वे कण-कण में जीवन-प्रदायिनी शक्ति देखते हैं। यज्ञ सम्बन्धी प्रत्येक वस्तु संजोत है। यहों को द्वादशाहु मक्क के भ्रंग मालकर उनके अङ्ग (स्थानात्मरण) का विधान करते हैं। (शत० ओ० ४।५।६।७।) गह-सूई भरोर के अवयवों को स्वेच्छायूर्बंक एक और से दूसरी और चूमनी के गमन है। (शत० ओ० ४।५।७।८) अग्नि की यज्ञ की बाहु मालकर बाहु के द्वादश परिमाण का विधान किया गया है। (शत० ओ० ५।६।७।८।) प्रत्यर्थ को उत्तरवेदी का भिर कल्पित कर प्रवर्यात्सादनार्थ उत्तर वेदी मिलिष्ट है। (शत० ओ० ५।६।७।८।९।१०) यज्ञ-भिर की यज्ञ से व्रतमें से यज्ञ की समृद्धि ही होगी।

(४) अंगर्वेकत्य को अनभीप्तितता

यज्ञ हो या यज्ञाग हों उनमें वैकल्य उत्पन्न करना सर्वया अनुचित है क्योंकि अग्रवेकत्य से यज्ञ में समृद्धि नहीं आ सकती। याज्ञवल्क्य उत्थापादी को गाय भानते हैं। वे उसमें बाधी जाने वाली रज्जु में चार स्तन बनाने का विद्यान करते हैं। कुछ आचार्य दो स्तन तथा कुछ आचार्य आठ स्तन बनाने के लिए भी मत प्रस्तुत करते हैं किन्तु याज्ञवल्क्य दोनों मतों को दोषपूर्ण बताते हैं क्योंकि उत्था का आठ स्तनों से युक्त होकर कुकुरी का एवं दो स्तनों से युक्त होकर भेड़ या घोड़ी का रूप हो जायगा। अतः अंगर्वेकत्य के निवारणार्थ उत्था में चार स्तनों का ही निर्माण किया जाना चाहिए। यह उचित भी है क्योंकि गाय के चार ही स्तन होते हैं। (शत० द्वा० ६।४।२।१३,) अग्निवेदी में इष्टकारओं द्वारा अलग से सिर निर्माण का निषेध करते हैं। इस प्रकार क अनुष्ठान से अनिरिक्त सिर का निर्माण होगा जो सर्वया अनावश्यक है। (शत० द्वा० १०।५।४।१०)

(५) अपौरुषेय कर्म में पौरुषेय कर्म-सम्पादन का निषेध

याज्ञवल्क्य यज्ञविधि को अपौरुषेय मानते हैं। सम्प्रदाय के विश्वद्वे कर्म दरना ही मानुप कर्म है। यज्ञ समृद्धि के लिए पौरुषेय कर्मों का वर्जन अत्यावश्यक है। पुरोहाश का बृहदाकार सम्पादन यज्ञ में अपूर्णता न ले आने के लिए पुरोहाश का आंकार बहा नहीं करना चाहिए। (शत० द्वा० १।२।२।३,) सामिधेनी ऋचाओं में एड़ी जाने वाली आठवीं ऋचा—

‘अपिमं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् ।

अस्य यज्ञस्य सृक्तुम् ॥ (ऋग्वेद १।१२।१)

में ‘होतारं विश्ववेदसम्’ के स्थान पर कुछ आचार्ये होता यो विश्वविदसः वाठ का निर्देश करते हैं। याज्ञवल्क्य उपर्युक्त आचार्यों से असहमत हैं। उनके विचार से ‘होता यो विश्ववेदसः’ पाठ मानुषिक होगा, जो मानुषिक है वह अपूर्ण है। इस कारण यज्ञ में अपूर्णता न लाने के लिए ‘होतारं विश्ववेदसम्’ पट का ही अनुबचन करना उचित है। सोमक्रियणोपरान्त ब्राचीन बंश शाला में व्यापित करने पर कुछ अग्रवेकत्य उसके समीप जल से पूर्ण पात्र लाकर रखते हैं। उनके विचार से राजा के आशमनोपरान्त जल देकर असन दिया जाता है। याज्ञवल्क्य इस कार्य को मानुष बनाते हैं। मानुष होने से कार्य समृद्ध नहीं होगा। अतः यज्ञ में व्यूद्धि के निवारणार्थ जल पान का आनन्द अनावश्यक है। (शत० द्वा० ३।३।४।३१)

(४) सभी अस्तित्वजों को कार्य-क्षमता

यश समृद्धि के लिए प्रत्येक यज्ञ-भव्यादक पुनर्जन को नदीन कार्यरम रहना चाहिए। अद्य द्वादशाह याग के प्रस्तुति में इन अवधारणे में यह व्युत्पन का निषेध हरते हैं। याज्ञवल्यद यह-व्युत्पन कर्म पर नहीं देते हैं। वृद्धावानेदयो द्वारा पुनर्जह-व्युत्पन का निषेध करते पर उनका अवधारण में कि अब उद्यगाता और हाता सुन्दरों का व्युत्पन करते हैं, उस समय अठवर्ष बढ़ा करे ? अर्थात् उन समय अठवर्ष के पास कोई चार्य नहीं रहता, वह उन्हें समय तक निषेधर्थ रहता। कला, यह यज्ञ-समृद्धि में कमी पड़ जायगी। क्षमा : उप शिक्ति विषय के अवधारणे यह-व्युत्पन करे। (शत. ३० वा. ४१५८८।६५)

(५) कठिन निषेधों से अ-प्रभावन

याज्ञवल्य यश समृद्धि के लिए इनकारण अनुचित हो उपेक्षा करते हैं विन्तु कहीं-कहीं कठिन से कठिन त्रियमी का विद्यान भी करते हैं। उदाहरण स्वरूप अवधमेष्य यज्ञ में वृहिष्ठवस्त्रान्तर्वर्त उद्यगीयमान का विद्यान है। उद्यगीय-ग्रामक के विषय में मतभेद होते पर कुछ जानांडे उद्यगीयमान के लिए उद्यगाता का निर्देश करते हैं। याज्ञवल्य इस में का विषेध एवं उद्यगीयमानात्मक स्वर्णों को जानते नहीं वर्णन का विद्यान करते हैं। अपेक्ष उद्यगाता का कार्य कैसे कर सकता है ? इस विकार के समाधानात्मक इनका करना है कि अश्व द्वारा किया यथा 'हि' साम में समृद्धि हिलार है। इस हिलार में समृद्धि स्तोत्र है। वही वधी हुई (व्वाहियो) या शब्द करना उद्यगाता के सहाय द्वारा शब्द करना है। (शत. ३० वा. १३८८।३५.) अवधमेष्य यज्ञ में उन्हें अवध न कुछ कार्य देने में यथा समृद्ध होग और इसी में अविष्य की रक्खा है।

(६) यज्ञ के प्रत्येक कर्म का महत्व

प्रत्येक विविध कर्मों को महत्व देकर ही यज्ञ में समृद्धि की प्रतिष्ठाना भवत्य है। अग्न्याधान के अन्तर्गत कुछ आचार्यों के भतानुयारे युक्ति पर सभ सम्भारों की उपलब्धि होने के कारण उनका सम्भरण अव्यावश्यक है। याज्ञवल्य इन आचार्यों से सहमत नहीं है। उनके भतानुयारे सम्भारों से तो प्राप्त होता है, उसे आधान कहते हैं। सम्भारों से रक्षित होने पर आधान ही न होता वो पद्धों के सम्बन्ध में सम्भरण की प्राप्ति कैसे हीयी ? क्षमा : कर्म की पूर्णता के लिए, यज्ञ-समृद्धि के लिए अस्य कर्मों की भाँति सम्भरण भी आवश्यक है। (शत. ३० वा. १३११।३४)

कुछ आचार्य अग्न्याध्यय में पूर्णहृति का भव्यादन कर लभ्यरहितियों का भव्यादन नहीं करते। उनके विद्यार से पूर्णहृति से ही सब कार्यों की आवित है

जाती है। अब आवश्यकता हुतराहुतिया के असम्पादन से प्रायः धर्म को अपूण मानते हैं। यानवल्क्य भी इसी से नहमत हैं क्योंकि उत्तराहुतियों के सम्पादन से वज्रमान की परोक्ष कामना प्रत्यक्ष होती है। (शत० ब्रा० २।२।१।६)

(२) औचित्य का व्याख्या

भत्तभेदों के पर्यालोचन के पश्चात् यह जात होता है कि याज्ञवल्क्य ने औचित्य को महस्त्वपूर्ण स्थान दिया है। कालगत, देशगत, पादगत, वस्तुयन तथा कामगत आदि औचित्यों पर भी उनकी दृष्टि थी।

(१) कालगत औचित्य

याज्ञवल्क्य पूर्णमासी के पहले (मुक्त चतुर्दशी) को ही उपवास का विधान करते हैं। कुछ आचार्य पूर्णमासी के दिन ही उपवास तिथि का निर्धारण करते हैं। उन आचार्यों के विचार से इस प्रकार शत्रु को पीछे से आहत किया जाता है और वह उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाता। याज्ञवल्क्य इसका विरोध करते हैं क्योंकि इस प्रकार अन्य व्यक्ति द्वारा मृत किये गये अन्ति का हनन दिया जाता है; अर्थे मत की पुष्टि में वे एक आख्यायिका प्रस्तुत करते हैं—

‘सवत्सरात्मक प्रजापति की सब सन्धियां खुल गईं थीं। देवों ने पौर्णमास हृविष् द्वारा उनका इलाज किया। (शत० ब्रा० १।६।३।३६) प्रजापति स्वस्य हो गये और वे भोजनार्थं स्वयं उठ खड़े हुए। यह जानते हुए जो पूर्व पूर्णमासी को उपवास करता है वह प्रजापति की गाढ़-सन्धियों को यथा समय झोड़ता है और प्रजापति उस पर अनुग्रह करते हैं। पूर्व पूर्णमासी को उपवास करने वाला यजमान प्रजापति के सदृश अन्नोपभोक्ता होता है। अनः पूर्णमासी के पूर्व उपवास करने में औचित्य है। (शत० ब्रा० १।६।३।३७) दर्शनार्थी की उपवास-तिथि के विषय में मतभेद उपस्थित होने पर कुछ आचार्य चतुर्दशी युक्त अमावस्या को उपवास करने का विधान करते हैं। उनका विचार है कि चन्द्र दर्शन रहित दिन में उपवास नहीं करना चाहिए क्योंकि चन्द्रमा देवों का अक्षीण अन्त है, उसके अंतां होने से पूर्व ही देवों को अन्न भेजा जाता है। याज्ञवल्क्य इन आचार्यों से असहमत हैं। वे अमावस्या तिथि को ही उपवास के लिए विधान करते हैं। (शत० ब्रा० १।६।४।१४) उनके मत से सोम राजा अमावस्या को पूर्वी पर आपसन करते हैं इसीलिए वे दृष्टिगत नहीं होते। पशु-प्राप्त दूध ही साम राजा है। एक आख्यायिका से यह स्पष्ट करते हैं कि सोम अमावस्या की रात्रि में गृही लोक पर आकर आंषियों से प्रविष्ट हो जाते हैं और बाद में दृष्टिगत होते हैं। (शत० ब्रा० १।६।४।१५) उनके मत से देवों का अन्न अक्षीण

नहीं होता, इस प्रकार जो वज्रमान आवासियी इटिंग के लिए अमावस्या तो उपचार करता है तब जो इष्ट व्रात को जानता है, उन दोनों का कल्पाक होता है। (शत० वा० १६।४।१६)

कुछ आचार्य आग्न्याधानार्थ सूर्योदय में पूर्व अभिमपथन करते हैं प्राज्ञवल्क्य सूर्योदय के पश्चात् उसका विद्यान करते हैं। उपर्युक्त मन का दोषपूर्ण बलते हुए ज्ञानकार करने हैं कि सूर्योदय से पूर्व अभिमपथन करने से होनीं अभियों का आवान सूर्योदय में ही हो जाता है, सूर्योदय के पश्चात् किधा जाने वाला अभिम-भन्धन अधिक पत्ते प्रदान करता है। (शत० वा० २।१।१५) मोमगायीं दीक्षा सम्बन्धित वार्तिकसंग्रह के लिए अस्य आचार्यों द्वारा पथम नक्षत्र के दृष्टिगत होने पर वार्तिकसंग्रह का विद्यान करने वाले यत के विशेष में याज्ञवल्क्य बहुते हैं कि भेदान्तरम् होने पर, नक्षत्र दशान् न होने से वास्त्र जैव भी न हो सकते। यत् सूर्योदय के समय ही वार्तिकसंग्रह करना उचित है। (शत० वा० ३।१।२।५,) मोमगायीं से एकादश द्युपों के प्रतिष्ठापनार्थ कुछ याजिक उच्च द्युपों को सुखा के पूर्व दिन ही प्रतिष्ठापित करने का निर्देश करते हैं। यहले दिन अन्य अच्छ द्युपों के प्रतिष्ठापित होने पर एक (जिसे अध्वर्यु शशा किये रखता है) के अतिरिक्त अन्य गुरु रात्रि भर नमावस्था में ही रहते हैं जो मौखिक अनुचित है। (शत० वा० ३।३।२।५,) इस प्रकार अनेक द्युपों पर द्यौधित्य के परिवालनार्थ विद्याद पक्षुन् किये जाते हैं। वाज्येयघणा में अभिस्त्रिवटकृद्याग, इष्टोपालावान, माहिन्द्र प्रद्युम्ण अन्यमन् होने पर स्तोत्र-सस्त्र का पाठ होना चाहिए। वज्रमान जो मोमाभियवया दर्शने हुए आसन्दी से अवरोहण कर स्तोत्र-सस्त्र के लिए अनुमानन करता चाहिए। (शत० वा० ४।२।३।१५) अन्य आचार्यों के अनुमानार मोमाभिय वार्तिक-भन्धन पाठ के अन्तर्वर वज्रमान को आसन्दी पाठ से अवरोहण करना चाहिए। वाज्ञवल्क्य के विचार से यह दोषपूर्ण है। इस प्रकार के अनुष्टान से अद्वर्यु अवश्य का विनाश करता है, पज्जमान वक्त गति के गमन करता है और यज्ञमार्य से हस्तिका होता है। अतः अवभान के अवरोहणामन्तर ही स्तोत्र-सस्त्र का पाठ होड़ चाहिए। (शत० वा० ५।२।३।२०)

याज्ञवल्क्य अमावस्या की अवश्याकाल का विद्यान करते हैं, अग्नवरया। इस इतर अनावृत रहता है जबकि यज्ञ से प्रयोग प्रकृत अर्थ ओक वहेष्य जानता है। (शत० वा० १।१।१।१२) तैतिरीय शास्त्र के आचार्य इतिकादि भागों में अग्न्याधान करते हैं। वाज्ञवल्क्य इह यत को अभीभित्यपूर्ण समझते हैं वर्णोऽग्नः इसके अनुमान अनुष्टान करने पर द्वारवित्त प्रदेश के अनुमान में प्रकृत करते हैं।

कसफल चेष्टा की जाती है। (शत० ब्रा० ११।१।१३) याजवल्क्य वैशाख मास की अमावस्या को अन्यधान का विधान करते हैं। वह वैशाखी अमावस्या रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है। रोहिणी का अर्द्ध आत्मा, प्रजा एवं पशु होता है अतः रोहिणी में आधान करने से यजमान आत्मा, प्रजा तथा पशु में प्रतिष्ठित होता है। (शत० ब्रा० ११।१।१४)

(ख) वैशाख औचित्य

याजवल्क्य विशिष्ट कार्य के सम्पादनार्थ देशमत औचित्य का भी ध्यान रखते हैं। वे वैदी के अन्तर्गत आज्यासादन का विधान करते हैं। कृष्णयजुवैदीय विचार में वैदी के अन्तर्गत आज्यासादन का निषेष करते हैं। उन आचार्यों के विचार में वैदी के समीप देवता रहते हैं। पत्नी-संवाज के समय आज्य में होने पर यजमान-पत्नी पुंश्चली हो जायगी। याजवल्क्य इस भत के विरोध में कहते हैं कि यजमान पत्नी पुंश्चली हो जाय या जो कुछ भी हो इसमें क्या प्रथोजन? इस बात को कौन महत्व देगा? वैदी यज्ञ है, आज्य यज्ञ है, वैदी के अन्तर्गत आज्यासादन से वैदी रूप यज्ञ से आज्य रूपी यज्ञ का निर्मण होता है। अतः वैदी के अन्तर्गत ही आज्यासादन करना उचित है। (शत० ब्रा० १।३।१।२१) याजवल्क्य देशमत औचित्य को देखते हैं। वे यजमान-पत्नी के परःपुंमा होने के बहाने को महत्व नहीं देते क्योंकि यह कौन जानता है कि बाद में यजमान पत्नी परःपुंसा होगी या नहीं, हो सकता है कि वैदी के अन्तर्गत आज्यासादन न करने पर भी वह परःपुंसा (पुंश्चली) हो जाय। हविःश्रपण (पाक) स्थान के विषय में विरोध होने पर आहवनीय में हविष्प्रदान से देवों द्वारा स्वर्ग श्राप्ति के कारण कुछ आचार्य आहवनीयागार में ही हविष्-श्रपण और हवन कर्म सम्पन्न करते के लिए भत प्रस्तुत करते हैं। (शत० ब्रा० १।३।३।२६) अन्य आचार्य गाहूंपत्यागार में हविःश्रपण का विधान करते हैं। उनके विचार से आहवनीयाग्रन्ति में प्रत्येक हविष् का हवन होना चाहिए अपक्व हविष् का पाक कर्म नहीं। याजवल्क्य दोनों आगारों में से किसी भी एक आगार में हविष् पकाने का विधान करते हैं। (शत० ब्रा० १।३।३।२७) यद्यपि याजवल्क्य ने दोनों अन्यागारों में विकल्प प्रस्तुत किया है तथापि द्वितीय भत अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है क्योंकि लोक-अवहार में भी अन्न का पाक कर्म अन्यत्र होता है और अशन कर्म अन्यत्र। किसी अपणार्थ है तथा आहवनीयागार हविष् हवनार्थ अष्टत् गाहूंपत्यागार तथा आहवनीयागार क्रमाः रसोईधर एवं भोजन करने के स्थान कहे जा सकते हैं।

अतः रसोई कर में भोजन करना अनौचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। बुद्ध गाचार्य नुकु सम्माजनानन्तर आहवनीयासार में वेदाश्रों, कुण्डाश्रों का प्रश्नोपेण करने के लिए भवत प्रस्तुत करते हैं। याज्ञवल्क्य इस भवत का लिखेष करते हैं कि हविष-प्रदान में पूर्व अपिन में कुण्डाश्र-प्रश्नोपेण भोजन के लिए वेटे हुए अद्वित वें भोजन देने से पूर्व पात्र-प्रकालनाथं प्रयुक्त जन्म को पिण्डामे के स्थान त्रोया, याज्ञवल्क्य के भवत से कुण्डाश्रों का प्रश्नोपेण उत्कर भे हुई करना चाहिए। (शत० छा० ११३।११२)

चयनयाग में अद्वर्यु हिरण्य पुरुष के सामने दो देवादि शीघ्रतर बाहुकरण के लिए दो चुकाव रखता है। (गत० छा० ४५४।१४३) कुछ आवार्य दोनों नुकु पात्रों को दक्षिण तथा उत्तर भग्न भाग कर रखते हैं। निर्देश करते हैं। इन प्रकार दक्षिण तथा उत्तर बाहुभीं को रखते हैं। (गत० छा० ४५४।१४४) याज्ञवल्क्य दोनों नुकु पात्रों को पूर्व की ओर भग्नभाग कर आमादित भवते का भवत प्रस्तुत करते हैं क्योंकि अपिनवेदी का सिर पूर्व की ओर होता है और उम्मे पाश्व में रखी गयी बाहुएं शब्दितशालिनी होती हैं। (गत० छा० ४५४।१४५) अनिन्दियन में ही बाजप्रसवीद होम के अनन्तर वैष्णी की उत्तर दिशा में पञ्चपात्राभिषेक सम्पन्न होना चाहिए। (शत० छा० ४३।१०) अभिषेक के लिए दक्षिण दिशा का विधान भवते वाले भवत के दिशोदय में याज्ञवल्क्य बहुत है कि दक्षिण दिशा पितृों दे सम्बन्धित होने के कारण प्रत्यमान भी उमी दिशा को प्राप्त होता है। (गत० छा० ४३।११) अन्य आवार्यों द्वारा आहुवनीष के समीप अधिषेक के लिए प्रस्तुत लिये गये भवत के लकड़ीय से याज्ञवल्क्य भवत कथत है कि आहुवनीष यज्ञमान का देवी श्रीनिर है तथा उसका यज्ञ ज्ञातीर भानुष है। आहुवनीष के समीपअधिषेक होने से यज्ञमान के देवी श्रीनिर भी भानुष ज्ञातीर से संयुक्त किया जाता है जो उचित नहीं है। (गत० छा० ४३।१२) उनक अनानुसार पत्तुष्यों से सम्बन्धित होने के कारण उत्तर-पूर्व दिशा में ही पञ्चपात्र-भिषेक-सम्पादन उचित है। उत्तर दिशा में अभिषेक होने से श्रीपत्नी भी दिशा में स्थित हुए अद्वित का अभिषेक होना है ताथ ही अपने आयतन (स्थान) प्रसिद्धित हुए श्रा अद्वित विनष्ट नहीं होता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य न इष्टमन और्जित्य की रक्षा के लिए युक्त यज्ञ स्तुत्य यज्ञास किया है।

(८) वस्तुगत अवैचित्रण

याज्ञवल्क्य लिखी भी कर्त में प्रयुक्त वस्तु के प्रयोग का अवैचित्रण देखते हैं। अद्वर्य याग में जमं (प्रवर्णने) ही शार्य मुत्तिका-विवित महार्थीर याक न के प्रयोग होना है जब कि प्रायः देवताश्रों की आद्विति के लिए काल्पितिभित वाले ही प्रयुक्त

है। हे लैनिनीय शास्त्री न तात्पुरा को करने के याज्ञवल्क्य इस कम के विरा मत्तिता निर्मित महावीर पात्र का औचित्य बताकर उमठा समाधान करते हैं। वर्षोंका नाम करने पर काष्ठ निर्मित महावीर पात्र जल जायगा, स्वर्ण निर्मित महावीर पात्र तिनीन हो आयगा, कैमि आदि से बना हुआ महावीर पात्र गज जायगा, पाथाश निर्मित महावीर पात्र दोनों संदर्भों (जिनमें महावीर को पकड़ते हैं) को अलग देगा किन्तु पृथिक्कानिर्मित महावीर पात्र पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब: घर्म हविर् हवनार्थ मृत्तिता निर्मित यज्ञावीर ही प्रयुक्त होता है। (अत० ब्रा० १४।२।२१५४) दस्ते पूर्णमास के प्रसंग में कुछ आश्रये हात्मकाष्ठों से ही परिधि के लिए तीन काष्ठ श्रहण करते हैं। उनके चिनार से परिधि के लिए अक्षर से काष्ठाहरण की आवश्यकता नहीं है। याज्ञवल्क्य इस भत का निषेध करते हैं कि अग्निमित्यतार्थ (जलाने के लिए) नाये गये इच्छकाष्ठ परिधि द्वारा सम्पादित होने वाले कार्य में अपूर्णता उत्पन्न करेंगे क्योंकि जो वस्तु जिस कार्य के लिए उपयुक्त है वह उसी को पूर्ण बना सकती है। इच्छकाष्ठ अग्नि-प्रज्वलनार्थ है, उनमें से लिये गये काष्ठ प्रश्नतार्थ ही होंगे, परिधितार्थ नहीं। (अत० ब्रा० १३।३।१८) समित्यनार्थ आहरण किरे गये काष्ठों से परिधियों के लिए काष्ठ श्रहण करता सर्वथा अनुचित है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य को इन सब बातों का गहन जनुभव था। एक-एक कम में तद्भव करने में विशिष्ट वस्तु का प्रयोग अपना विशिष्ट स्थान रखता है।

(घ) क्रमण औचित्य

याज्ञवल्क्य द्वारा यज्ञिकाचार्य होने के कारण यज्ञ-विविधों के क्रमण औचित्य कर भी ड्यान रखते हैं जिसका महत्वपूर्ण स्थान है। वस्तुतः यज्ञ-विधि में क्रमोदर्धन करना अचौचित्य प्रदर्शन साक्ष है। इसीलिए विशिष्ट कर्म के प्रश्नात् ही विशिष्ट कर्म के सम्पादनार्थ भत प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रश्नवर्षे कर्म में अहो अन्य आश्रये आप्यायन, अवान्नशदीशा तथा तानूपक्ष का कर्म रखने हैं (अत० ब्रा० ३।४।३।१९) याज्ञवल्क्य औचित्य का ड्यान रखते हुए तानूपक्ष को प्रायोनिकता देकर तानूपक्ष, अवान्नशदीशा और अप्यायन का क्रम प्रस्तुत करते हैं। (अत० ब्रा० ३।४।३।१२) तानूपक्ष को प्रायोनिकता देने का कारण यह है कि पहले देवताओं में कलह हुआ था। सर्वप्रथम उन्होंने कलह का आभन किया। यज्ञ सम्पादन तक कलह न करने की प्रतिज्ञा दी। अब: तानूपक्ष कर्म यहले किया जाता है। इस प्रकार पहलति ही चल पड़ी है। यज्ञ कूटिवज्ञ अन्नत्र-निवारण के लिए सर्वप्रथम तानूपक्ष कर्म समाप्त करने

है। निर्वाचि कर्म समाप्ति के लिए कनक बोधक है अतः उसके प्रतिका इद इस कर्म को प्राप्तिकरण देने में अोचित्य है। पाठ्यदिन सबै में शहो का प्रहृष्ट-क्रम इस भाँति होना चाहिए :—शुक्, पञ्ची, पञ्चवतीय एवं वृथय (शत० छा० ४।३।३।२) अन्य आचार्य शूक्, पञ्ची, उपर्युक्त महावतीय इस क्रम से ग्रह-ग्रहण करते हैं। (शत० छा० ४।३।३।३) पाठ्यवल्क्य सदैव पोकिप्प का ध्यान रखते हैं अतः सबके मत से पाठ्यनिदित सबै में पञ्चवतीय ग्रह-होम के पश्चात् उक्थय होम होने के कारण होमानुसार ग्रहण भी फरला उचित होता, अर्थात् जिस क्रम से ग्रहों का हृष्ण भाष्मन होता है उसी क्रम से उनका ग्रहण भी उचित है। (शत० छा० ४।३।३।४)

(३) अनौचित्य का नियन्त्रण

पाठ्यवल्क्य ने औचित्य के माथ ही माथ अनौचित्य का भी उत्तान रखा है। यज्ञनिधि में विविध अनौचित्यों पर प्रकाश दाता है औ इस प्रकार है :—

(क) नियमोलांचन का अनौचित्य

एक बार जिसका विधान हो ज्या उत्तरा उत्तिष्ठन अनुचित है। अतः पाठ्यवल्क्य ने अनौचित्य को दूर करने के लिए सबसे प्रयास किया है। पितृ यज्ञ के प्रकरण में कुछ आचार्य इस यज्ञ में दो ही अनुयाय होने से उपभूत दो दो ही बार आज्ञ ग्रहण करते हैं। पाठ्यवल्क्य का कथन है कि आठ बार आज्ञ ग्रहण का विधान वर्षपूर्णशास प्रकरण (शत० छा० १।३।२।१८) में ही जाने पर दो बार आज्ञ ग्रहण से नियमोलांचन कर यज्ञ-विधि से भलग आये किया जाता है। (शत० छा० २।६।१।१३)

(ख) यज्ञ मार्य से च्यून करने कर्मों का नियन्त्रण

यज्ञमान जिन कर्मों के गम्याद्वय से च्यूत हो जाता है, प्राप्तवृत्त उन कर्मों का विद्युत करते हैं। वही—संवादार्थ अष्टवर्षीय एवं आहुकर्तीय में रात्रेव को आगमन करते सुमय किया गया का अनुसरण करना चाहिए इस विषय न मतभेद है। पाठ्यवल्क्य सब मर्ती को अनौचित्यपूर्व विद्युत करते हैं। आहुकर्तीय के पूर्व से होकर अगमन करने से अष्टवर्षी अपने को गम्य-शहित करता है। (शत० छा० १।६।२।२) यज्ञमान-पत्नी के दीखे (परिक्षम) से आगमन करने पर अष्टवर्षी यज्ञ का दूर्धार्घ नया यज्ञमान पत्नी जग्नाहो होने से अष्टवर्षी अपने भिर को भस्ते (नितम्ब भाय) पर रखता है। (शत० छा० १।६।२।३) पाठ्यपूर्व भी ए पत्नी के दीख से आगमन करने पर यज्ञमान-पत्नी जो यज्ञ-विभूति किया जाया

है। इस प्रकार सभी मतों को दीखकर याज्ञवल्क्य अठयर्युं को आहूदनीय और गाहृपद्य के मध्य संबंध करने का विश्वान करते हैं। (शत० ब्रा० १४३२४)

(ग) विपरीत कर्मों का निरादर

याज्ञवल्क्य यज्ञ के विपरीत किसी भी कार्य को भ्रह्मच नहीं देते। कुछ याज्ञिकाचार्य स्विष्टकृमिनगद मस्त (शु० य० सं० ११२४) में आये हुए 'अयाद्' शब्द के 'अयाद्गिनरव्वेः प्रियाद्वामाति, अयाद् सोमस्य प्रियाद्वामाति' जैस का उल्लंघन करते हैं और 'अयाद्' शब्द से पूर्व देवता नाम रख कर यह क्रम बनाते हैं—

'अपत्तेरथाहू, सोमस्यायाद्'। याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं क्योंकि इस प्रकार के असुष्ठाता यज्ञ के विपरीत कार्य करते हैं। (शत० ब्रा० ११७।३।१२) यज्ञ के विपरीत कार्य करना सर्वथा अनुचित है। अतः याज्ञवल्क्य औचित्य के परिमालनार्थ पाठक्रम में उलटफेर न कर देवता नाम से पूर्व 'अयाद्' शब्द रखने का निर्देश करते हैं। (पिंडपितृयज्ञ में जहाँ अन्य आचार्य 'अयाद्' के स्थान पर अठवर्ष्य द्वारा 'ओं स्वधा' एवं अनीत् द्वारा 'अस्तु स्वधा' तथा वषट् के स्थान पर 'स्वधा नमः' कहने का निर्देश करते हैं। (शत० ब्रा० २।६।१।२४), याज्ञवल्क्य आचार्य असुरि का मत प्रस्तुत करते हुए यज्ञ-विधि के अनुसार कार्य सम्पादनार्थ यत प्रस्तुत करते हैं। (बन० ब्रा० २।६।१।२५) अर्थात् औषट् अस्तु स्वधा एवं स्विष्टकृ यज्ञ के निए हवन करते हुम युरोनुवाक्या और याज्ञपा छह चासम्बन्धी उन्नों के विषय में मतभेद प्रस्तुत किये जाने पर कुछ आचार्यों द्वारा दोनों छह चारों की अनुष्टुट् छन्द में (शत० ब्रा० १५७।३।१८) करने का विश्वान होने पर याज्ञवल्क्य इन दोनों मतों में से एक को स्वीकार करने का निर्देश करते हैं। उनके विचार से विलोम करना अनीचित्यपूर्ण है। भास्तुवेष ने पुरोनुवाक्या अनुष्टुट् छन्द में तथा याज्ञा विष्टपृ छन्द में किया जिसका परिणाम यह हुआ कि वे भ्रमण करते समय रथ से गिर पड़े और उनकी बाहु टूट गई। बाद में उन्होंने वर्जन से यह निश्चय किया कि अविहित करने के कारण ही यह दमा हुई।

(घ) अतिरिक्त कर्मों का निरादर

अधिनवयस में अन्य आचार्य तीन उच्चा का किन्तु याज्ञवल्क्य एक ही उच्चा का विश्वान करते हैं एवं उच्चा-संक्षय-वृद्धि को अतिरिक्त कार्य मानते हैं। उनके विचार से अतिरिक्त किया जाने वाला भाव यज्ञमान के शाश्वतों पर हवनता है। अतः अतिरिक्त कार्य करना सर्वथा अनुचित है। (शत० ब्रा० १।४।३।२२)

अभिनवेदी की प्रथम चित्ति में पचास प्राणभूत् इष्टकाओं का उपधान किया जा रहा है जिनमें पूर्व भाग में उपहित की जाने वाली इष्टकाएँ प्राणभूत्, परिवर्म में उपहित होने वाली इष्टकाएँ चक्रभूत् या अपानभूत्, दक्षिण की ओर उपहित की जाने वाली इष्टकाएँ मनोभूत् या व्यानभूत्, उत्तर की ओर उपहित की जाने वाली इष्टकाएँ शीघ्रभूत् या उदानभूत् एवं मध्य में उपहित होने वाली इष्टकाएँ बायभूत् या समानभूत् हैं। (शत० शा० दा० ८१।३।६) इसके बिपरीत चरक आज्ञाय अपानभूत्, अपानभूत्, उदानभूत्, समानभूत्, चक्रभूत्, शीघ्रभूत् तथा बायभूत् - इस क्रम से इष्टकाओं का उपधान करते हैं। याज्ञवल्य के विचार से इस अनुदान द्वारा अंतिरिक्ष कायं किया जाता है जो अनौचित्यपूर्ण है। प्रथम प्रथम के अनुदान उपधान करने से अभिनवेदी में सब रूप उपहित हो जाते हैं। (शत० शा० दा० ८१।३।५)

चतुर्थ चित्ति में चतुर्दश इष्टकाओं (ईटी) की उपधान-दिक्षा में वर्णित होने पर कुछ आचार्य विद्वान् स्त्रीम से पुकार दी इष्टकाओं के अनन्दरूपी चतुर्दश इष्टकाओं का उपधान काहते हैं क्योंकि वे दी इष्टकाएँ विद्वा तथा हनु मया हैं। चतुर्दश इष्टकाएँ हमू हैं, उनके परिवर्म उपहित की जाने वाली एँ इष्टकाएँ जिह्वा हैं। याज्ञवल्य कहते हैं यह उसी प्रकार हीमा जैसे पूर्व वर्णमान हनु मया जिह्वा पर अन्य हनु एवं जिह्वा रखे जाते। (शत० शा० दा० ८१।४।४।९.) वरनुक हनु पर हनु एवं जिह्वा पर जिह्वा रख कर रूप के औषित्य की रक्षा नहीं की जाती। याज्ञवल्य के यतानुमार कहतव्य इष्टकाएँ संयानी (सोनाइन) हैं क्योंकि इनकी सहायता से देवी ने लोकों पर आरोग्य कर बहुत से प्रश्नानुपाय निरूपित। (शत० शा० दा० ८१।१।१०) चरक आचार्य संयानी के लिए अन्य इष्टकाओं ने रा उपधान करते हैं। याज्ञवल्य यज्ञ-क्रम में अंतिरिक्षता का धोय मझी लोग देख राहते। इसीलिए वे संयानी के लिए शक्ता से इष्टकाओं का उपधान करने का विकान नहीं करते। (शत० शा० दा० ८१।१।१४) यम-दिवि में अंतिरिक्षता का दोष सर्वथा अनौचित्यपूर्ण है।

(४) बौद्धि का अवधारणन

याज्ञवल्य का बौद्धिक पक्ष उच्चकोटि का है। यह बौद्धि उनकी प्रतिष्ठा की उन्नेक्षी है। उनके बौद्धिक पक्ष का दर्शन विविध रूपों में किया जा सकता है—

(क) एति के ध्यानितत्व में उपहितहर्ता

स्त्रोष्टि में तंत्रितीय लाक्षण के आकारे इनकी 'स्त्रोष्टि वान्नायगम्' बहुत सारनाय्य प्रवान करते हैं। उनके विचार से ज्ञान व्यवहार का योग इन्होंने

किन्तु वृत्र हनन के प्रबन्धर वे महेन्द्र हो गये। आज भी विजय करने के पश्चात् एक राजा को 'महाराज' शब्द से सम्मीलित किया जाता है। याज्ञवल्क्य के मनानुसार 'इन्द्र' को ही सम्मीलित कर मानायूध देना चाहिए क्योंकि वृद्धहनन के पूर्व भी इन्द्र है और वृद्धहनन के पश्चात् भी इन्द्र ही हैं। (शत० ब्रा० १४।४।२१) महस्वपूर्ण कार्य कर लेने पर बड़ा नाम हो जाय यह याज्ञवल्क्य नहीं मानते।

(ख) शब्द-प्रयोग के प्रति सज्जनता

याज्ञवल्क्य प्रत्येक शब्द-प्रयोग के प्रति सज्जन रहते हैं। एक शब्द के स्थान पर अन्य शब्द रखने से या उसमें कुछ और संयुक्त कर देने से अर्थ में भी परिवर्तन या जाता है। उदाहरणस्वरूप दर्शेटि में अष्टवर्षु छछडों का स्थान करते समय 'वायवःस्थ' भवति का उच्चारण भी करता है। हेत्तिरीय शास्त्र में (त० स० ११।१।१) 'वायवःस्थ' के स्थान पर 'उपायवःस्थ' पाठ मिलता है। याज्ञवल्क्य उपर्यूप भवति का निपेद्ध करते हैं। उनके अनुमार उप का अर्थ द्वितीय और द्वितीय का अर्थ शब्द होता है। (शत० ब्रा० १।७।१।३) अन्य आचार्य 'वायवःस्थ' और 'उपायवःस्थ' को भले ही एक समझे किन्तु याज्ञवल्क्य तो प्रत्येक शब्द का महत्व समझते हैं। इसीलिए बौद्धिक ग्रन्थ का अवलम्बन कर उन्होंने पाठभेदादि का विरोध किया है। उन्होंने उपायवःस्थ पदरचना पर ध्यान देते थे, अन्य आचार्य इसके प्रति उदासीन थे। उन्होंने 'उपायवःस्थ' के स्थान पर 'वायवःस्थ' का उच्चारण कर पाठ में सुधार किया है।

(ग) पञ्च विज्ञान में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का महत्व

यज्ञ-विज्ञान में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द अपना महत्व रखता है। समिवेशी शृंखलों के पाठ से पूर्व अष्टवर्षु द्वारा होता के प्रति 'अस्त्वये समिद्यमानायानुदूहि' (शत० ब्रा० १।३।५।२) प्रेष मन्त्र का विज्ञान है। अन्य आचार्य इसके स्थान पर 'अस्त्वये समिद्यमानाय होतरनुदूहि' प्रेष मन्त्र का प्रयोग करते हैं। इस भवति के विपरीत याज्ञवल्क्य का कथन है कि विना वरण कर्म सम्पन्न हुए होता कैसे हो सकता है, 'तदु तथान बूयादहोता वा एष तुरा शब्दि यदेवेनं प्रवृणीतेऽथ होता तस्मादु बूयादग्नये समिद्यमानायानुदूहीतयेऽथ'। (शत० ब्रा० १।३।५।३) यह बृहिग्राह्य है क्योंकि आज भी निर्वाचन के बिना किसी व्यक्ति विशेष को पद नहीं दिया जाता। शब्द-चयन में याज्ञवल्क्य की बुद्धि का विकास दर्शनीय है। अष्टवर्षु द्वारा प्रस्तीता के प्रति प्रयुक्त 'साम बूहि' का विज्ञान करते

है। याज्ञवल्क्य का तक है कि ताम द्वारा प्राप्त तथा शून्या द्वारा अनुचरण होना है। गीत्यात्मक होने के कारण ताम का प्राप्त ही होना है अतः 'सामग्राम' प्रेष अन्वय कहना सर्वथा तर्कसंगत है। (शत० ब्रा० १४।३।११)

(ब) ज्ञान का महत्व

याज्ञवल्क्य ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। उनके अन्तर आदियों के प्रति आस्था है। कुछ आचार्यों द्वारा 'देवयज्ञ द्वारे भी और न बढ़ाना चाहिए' प्रतिपादित मन्त्र के विरोध में याज्ञवल्क्य कहते हैं कि इस पृष्ठी पर किसी भी स्थान पर यज्ञ सम्पन्न हो सकते हैं क्योंकि अृतिवज्ञ ही देवयज्ञ का अनुत्तम करते हैं, वे ही गज-सम्पादन में महायज्ञ होते हैं। अहीं वेद-ग्रन्थ में पारम्, सांगप्रवचन के अध्येता विद्वान् अृतिवज्ञ यज्ञ सम्पादन करते हैं, वहाँ कोई दोष नहीं उपस्थित होता, वह देवयज्ञ देवताओं के अधिक समीप होता है। (शत० ब्रा० ३।१।१५) इस प्रकार ज्ञान को महत्वादेकर याज्ञवल्क्य ने अन्य आचार्यों द्वारा प्रतिपादित मन का खण्डन किया है।

(५) व्यावहारिकता

याज्ञवल्क्य एक व्यवहारकुल व्याजिकाचार्य है। वे व्यावहारिक ज्ञान की समुचित स्थान देते हैं। इस विषय में कई ज्ञोतों से प्रश्नाएँ पड़ता हैं।

(क) लोक-व्यवहार के प्रति लम्बादर की वृत्ति

याजिक विधियों में तकी को पूष्ट करने के लिये लोक-व्यवहार को भी आधार बनाया गया है। उदाहरण स्वरूप आहिष्येऽठि के प्रसंग में अन्त से दोनों वृषभों को अलम कर, लकड़ पर से सौम की उत्तापत्ते है। सौम को लाला में ले जाने के बाद हृषिग्रंहण सम्पन्न होता है क्योंकि लोक-व्यवहार में भी उन तक कोई अतिथि अपना यान लौटाकर नहीं आता तब तक न तो उसे स्वागतार्थ जल प्रदान किया जाता है और न उभका कोई छमान ही होता है। यान लौटन पर ही उसका सम्मान होता है। इस प्रकार सौम राजा के आदानपान होने पर हृषिग्रंहण करना इक्षित होता। (शत० ब्रा० ३।१।१५) इस प्रकार एक वृद्ध को घूम से अलग कर दूसरे को घूम में लेकर उसे देने वाले लकड़ का उपचान हो जाता है क्योंकि उस समय लकड़ तो अतिथि जा आगमन ही नहीं हुआ, लकड़ की बात तो हुर रही। लोक में भी देखा जाता है कि किसी अहंकार (प्रुण अभिना) के आगमन पर खम्भूण वरिवार उसकी सेवा-मुश्कूरा में भग्न उहता है। (शत० ब्रा० ३।१।१६)

व्यूह-द्वादशाहस्राग में अन्य आचार्यों द्वारा चह-ब्यूहन का निषेध करने पर याज्ञवल्क्य ग्रहों को द्वादशाह पञ्च का अंग मानते हैं। उनके विचार से ग्रहों का ब्यूहन (स्थानान्तरण) सोये हुए व्यक्तिद्वारा इच्छानुभाव अग्रों को घुमाते के समान है। (शत० ब्रा० ४।५।३।११) इस भाँति याज्ञवल्क्य लौकिक व्यवहार का सामरण कर अन्य आचार्यों द्वारा प्रतिपादित भत का निशाकरण करते हैं। अग्निचयन में आहुति-प्रशान के समां अष्टवर्षु अग्निवेदी पर किस दिनांक से आरोहण करे 'इस विषय में अन्य आचार्य पूर्व (मासमें) से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर आरोहण करने का भत प्रस्तुत करते हैं। याज्ञवल्क्य अग्निवेदी की पशु के रूप में कलिपत करते हैं। उनके विचार से पूर्व से आरोहण करने पर वह पशु सींग से एवं पश्चिम दिशा से आरोहण करने पर वह पिछले पैरों से आहृत करेता। लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर याज्ञवल्क्य अग्निवेदी पर उत्तर दिशा (मध्य भूमि) से आरोहण करने का भत प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि लोक-व्यवहार में अश्वादि पशुओं पर वासपाशव से ही आरोहण किया जाता है। (शत० ब्रा० ३।३।२।१३) व्यवहारिकता के प्रस्तुत में एह मनोरंजन उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है—कुछ आचार्यों के विचार में अधि एक और तेज होती चाहिए क्योंकि जिहवा भी एक ही ओर तेज होती है। इसके विपरीत याज्ञवल्क्य बहते हैं कि अधि दोनों ओर तेज होती चाहिए क्योंकि जिहवा भी दोनों ओर तेज होती है। वह देवभाषा तथा भनुष्य की भाषा बोलती है, वह सत्य के साथ असत्य-माध्यण भी करती है।

(ख) प्राकृतिक व्यवहार के प्रति भास्या

याज्ञवल्क्य सूलिट में प्रकृति द्वारा किये जाने वाले व्यवहारों के प्रति समादर की दृष्टि रखते हैं और अपने भत को सबल बनाने के लिए यज्ञ-तत्त्व उनका सदुपयोग भी बरतते हैं। उदाहरण स्वरूप वेदी को स्त्री भान कर उसका पश्चिमांश (पिछला भाग) पृथु छीड़ा करने का निर्देश करते हैं क्योंकि स्त्री का पिछला भाग (नित्य भाग) अधिक होता है। (शत० ब्रा० ३।५।१।१) दधि-यह से दधि-प्रहण करने की दिशा में मतभेद उत्पन्न होने पर तीक्ष्णीय शाखा के आचार्य (तै० स० ६।४।३।४) यह के मध्य से दधि-प्रहण का निर्देश करते हैं। याज्ञवल्क्य पश्चिम (पिछले) भाग से इधि जिकानने का आदेश देते हैं। इसका कारण यह है कि पशुओं में पिछले भाग में ही दूष होता है। (शत० ब्रा० ३।३।५।१३) वास्तविकता तो यही है कि पशु के पिछले भाग में ही दूष होता है। अतः पश्चिम से दधि का प्रहण करने में व्यवहार की रक्षा है।

* * *

(ग) यज्ञ देवता और मन्त्र में सम्बन्ध की स्थापना

सम्बन्ध का भी प्रकार एक स्थान है। याज्ञवल्क्य द्वारा प्रस्तुत किये गए खंडों के आश्रामभूत कारणों की सीमांच्छा करते पर प्रस्तुत कारणों में सम्बन्ध-वृद्धि की भावना का भी ध्येय दर्जन होता है। याज्ञवल्क्य यज्ञ-देवता का, देवता-देवता का तथा मन्त्र-देवता का सम्बन्ध वहने रहने के पक्ष में प्रतीत होते हैं। देवता-सम्बन्ध ही नहीं, राजा-प्रजा का भी सम्बन्ध बना रहना चाहिए। उन्हीं दृष्टि में सम्बन्ध-वृद्धि दोनों पक्षों के लिए हितकर है। उदाहरण किसी अश्वमेध यज्ञ में प्रयुक्त प्रजापति के सम्बन्धित अश्व के आप्तीकरणार्थ कुछ आचार्य वाहंदुक्ष मन्त्र मन्त्रह (शु० य० स० २११-११) में आप्तीकरण करते हैं। भृत प्रस्तुत करते हैं। याज्ञवल्क्य उपर्युक्त मन्त्र में सम्बन्ध का अभाव देख पर इकादश जामदग्नि (जपदग्नि ने सम्बन्धित) मन्त्र मनूष (शु० य० स० २६२,२५३-३६) से आप्तीकरण करते का भृत प्रस्तुत करते हैं क्योंकि जपदग्नि प्रजापति है और प्रजापति ही अश्वमेध है। अतः उसी के देवता द्वारा अश्वमेध की समूचे किया जाता है। (शत० वा० १३।२।२।१४)

इष्टकाचयनयाग में इष्टकाश्रयों के उपचानार्थ प्रयोग किये जाने थाले यन्त्रों के विषय में कुछ आचार्य 'लोकपाण, छिद्रं पूर्ण' (शु० य० स० १५।४२) मन्त्र में इष्टकोपचान करते हैं। (शत० वा० ६।१।२।२४) याज्ञवल्क्य सम्बन्ध को दृष्टि में रखकर 'चिदिति तथा देवतया ऽद्विष्टवृद्ध ध्रुवासीदि । परिचिदिति तथा देवतया ऽद्विष्टवृद्ध ध्रुवासीदि ।' (शु० य० स० १२।४३) मन्त्र के साथ इष्टकोपचान का भृत प्रस्तुत करते हैं। उनके विचार से इस प्रकार वाणी और श्वास से बंदी का निर्माण होता है क्योंकि अग्नि वाणी और इष्ट इवान है। इन्होंने और आग्नि देवताओं से सम्बन्धित है। अग्नि की महत्ता के अनुसार ही अस्तित्वदी का निर्माण होता है। (शत० वा० ६।१।२।२५) अग्नि अग्नि यज्ञ में आहवनीय के प्रति अग्नि प्रणयनार्थ प्रयुक्त प्रथम मन्त्र के विषय में भृत आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये—

'पुरीष्यासी अरवदः प्रावणोऽमः सर्वीष्यसः ।

शुभम्भूतो यज्ञमनुहो नभीवा इष्टो भृतीः॥ (शु० य० स० १३।४०) मन्त्र का निर्देश करे याज्ञवल्क्य—

'अ ते वत्सो मनो यमत्परमाचिचक्षमध्यतात् ।

अन्ते त्वाकामयागिरा। (शु० य० स० १२।१।५), मन्त्र का विधान करते हैं क्योंकि अग्नि-प्रणयन के समय अग्नि सम्बन्धित कामवकी गतिहीन ध्रुवाश्रयों का अपोग नहीं नहीं है।

६४ सक्षयाक्षय विचार

अय वातों को महसूल देन के साथ याजवल्क्य शान्त्याक्षय पर भी समुचित विचार करते हैं। कोई भी ग्रामी अपने सामर्थ्यानुसार ही कार्य कर सकता है। सामर्थ्य की एक सीमा होती है जिससे याजवल्क्य पूर्ण परिवित है। सामर्थ्य से अधिक कार्यभार हो जाने पर कर्त्ता को भी कष्ट होगा और कार्य भी दबित छप से पूर्ण न हो सकेगा। उदाहरण स्वरूप प्रबन्धे यज में यजमान के लिए अनेक कठिन नियम बनाये गये हैं जैसे प्रबन्ध कर्म में वर्तमान शरीर का आचारन, सुर्य के प्रकाशित रहने पर तिथीवन सूर्य के तपते रहने पर सूर्यग्रस्तनादि कर्म ज करना आहिए तथा काठादि से अपने प्रजवलित कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। याजवल्क्य यात्र-सामर्थ्य की सीमा में अवगत हैं। वे इस प्रकार के अक्षय नियमों के परिपालन पर बल महीं देते। इन नियमों के स्थान पर कर्त्त्यभाषण का विद्यान करते हैं। (प्रत० ब्रा० १४।११।३३) सत्य-पापण में ही यजमान अन्य कठिन नियम-पालन का फल प्राप्त कर लेता है। इसी नियम द्वारा अन्यकारी चमस्पान करने वाले दसों व्यक्तियों को चमस्पानार्थे यजमान के दस सोमपान करने वाले पितामहों का नाम-परियाप्त कर प्रसरण के लिए मत प्रस्तुत करते हैं। (प्रत० ब्रा० ४।४।४) याजवल्क्य उपर्युक्त मत का निर्णय करते हैं क्योंकि वह उन दसों व्यक्तियों पर भारस्वरूप होगा। उनका कथम है कि यदि किसी मनुष्य से उसके पितामहों को पूछा जाय तो वह अड़ी कठिनाई में सोमयान करने वाले दो या तीन पितामहों के नाम हो जाना सकता है। अतः किसी से सामर्थ्य से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। याजवल्क्य यहां नियम नियिन कर देते हैं और तेसु देवताओं की स्वया का परिपालन कर अनुसरण वा विद्यान करते हैं। (प्रत० ब्रा० ४।४।५।५)

दाक्षधृत्य यात्र-सामर्थ्य का ही नहीं अफिनु छन्द-सामर्थ्य का भी स्थान रखता है। उदाहरणस्वरूप कुछ वाचाये 'पूर्व पात्रा (क० स० ३।२।३।५)' न वद्याद्यो यत्कृच 'अपिन दूष दर्पायहे' (क० स० १।२।५।६) दो घाया व्यवाहीरों को अट्टमी गायिदेही शूचा 'अपिन दूष दर्पायहे' (क० स० १।२।३।१) के पूर्व रखते हैं। याजवल्क्य अट्टमी शूच के सामर्थ्य का स्थान में रखते हए उपर्युक्त मत का निवेद करते हैं और दोनों शूचाहीरों को अट्टमी शूच के पश्चात् नवी तथा दसवीं के दीन पढ़ने का निर्देश करते हैं। जाठकी के पूर्व दोनों घाया शूचाहीरों के पाठ ये अन्यमी शूच में साथकी कर सामर्थ्य नहीं रहेगा क्योंकि वह दसवीं ही जायगी। (प्रत० ब्रा० १।३।४।३६) किसी का सामर्थ्य यथोचित स्थान पर ही अयोनित रूप में रहता है।

* * *

(८०) उपर्योगी और अनुपर्योगी का विचार

याज्ञवल्क्य को प्रत्येक वस्तु की उपर्योगिता का भी उपान रहता है। उपर्योगिता न रहने पर तो वह वस्तु व्यर्थ ही होगी। उदाहरणात्मक रूप याज्ञिकाचार्य अभिन्नहोत्र के लिए प्रयुक्त हृषि को बुद्धिमत्ते उठने के समय तक पकाने का निर्देश करते हैं। (शत आ० २१३।११४) याज्ञवल्क्य हृषि को अभिन्न का वीर्य बताते हैं। वीर्य रूप हृषि को पकाने से उसे जलाकर अनुपर्योगी भी बनाया जाता है। वीर्य के सर्वेक उच्छ रहने के कारण हृषि को कुछ समय के लिए अभिन्न पर रख कर हृषि करना चाहिए। (शत आ० २१३।१११५)

(च) भेद-द्विष्ट का अभाव

व्यावहारिकता की रक्षा में भेद-द्विष्ट के अभाव का एक विग्रहित हाल है। याज्ञिक समाज में याज्ञवल्क्य यज्ञ-सम्पादकी को समाज दृष्टि से देखती है। सब वर्णों के प्रति समाज रखते हैं। यज्ञ-सम्पादन में सहायक सब पशुओं को एक समाज दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि में बोई छोटा-बड़ा नहीं है। अस्पादक के प्रसंग में कुछ आचार्य होता, अचर्य, अग्नीत, नथा नहुः का लिए ओदन (अग्निरुद्रा व ब्राह्मणों के लिए पकाया जाने वाला ओदन) पकाने का यत्न प्रस्तुत करते हैं। याज्ञवल्क्य ब्रह्मीदन-पाक का नियंत्र करते हैं क्योंकि यज्ञ के दिन यज्ञमान के घर में ब्राह्मणों (यज्ञ-सम्पादक नथा अस्पादक) के विशाल भाव से ही ओदन अन कराने से प्राप्त होने वाली कामना पूर्ण हो जाती है। (शत आ० २१३।१४।४) ब्रह्मीदन-पाक के नियंत्र करने का कारण यह हो सकता है कि याज्ञवल्क्य ने यह विचार किया हैगा कि चार ब्राह्मणों के लिए ओदन पकाने पर अन्य अस्पादक ब्राह्मण भी ओदनार्थ लालापिल होते। फलतः चार ब्राह्मण भोजन करे और अन्य द्युपा ओदन के रहे यह उचित नहीं है। ब्रह्मीदन पकाने से सम्पादक नथा अस्पादक ब्राह्मणों में भेदकाल व्यवहार की रक्षा नहीं की जाती। उनके हृष्ट्य में सब वर्णों के प्रति भेद-द्विष्ट नहीं है। इस पुष्टि के लिए एक उदाहरण यमर्थ होगा—पितॄसंघर्षम् भै समाधि-परिधान के विषय में बतायैगम्य है। एक याज्ञिकाचार्य अविद्य के लिए लक्ष्य करहु तक, ब्राह्मण के लिए मुकु तक, स्तूप के लिए भूत्वे के लक्ष्य तक, वैश्य के लिए उह (ब्राह्मण) तक, धूप के लिए धूटने तक और उन्हीं समाधि बनाने का निर्देश करते हैं। (शत आ० १११।१११।१११) याज्ञवल्क्य समय को इतान में रख कर सब के लिए बुटने के नींवे तक और उन्हीं समाधि का विधान करते हैं। (शत आ० १११।१११।१११)

(इ) यज्ञ-विद्यि से सौम्यवर्य

याज्ञवल्क्य एक कुशल याज्ञिक भार्ग है। यज्ञ-सम्पादक के समय विद्यि

काठनार्या उपर्युक्त होते हैं उ होते उनके निशारणाथ तथा निविद्
अथ सम्पन्न के लिए स्थान स्थान पर सुरक्षा प्रयास किया है।

(क) अनावश्यक बन्धन की उद्देश्य

याज्ञवल्क्य यज्ञ-विधि में सौहर्य के लिए अनेक 'स्थलों' पर अनावश्यक
बन्धनों की उपेक्षा कर देते हैं जैसे पुरोडाश परिमाण के विषय में तैतिरीय
आचार के आचार्यों द्वारा अश्व शर्क के बराबर पुरोडाश-निर्माण का विधान करने
वाले भल के विषरीत याज्ञवल्क्य ने वह चिचार किया हांगा कि यदि अष्टवर्ष
अश्व-शकाकार पुरोडाश का उत्तम कर पुरोडाश का निर्माण करेगा तो विनम्र
होगा। साथ ही पुरोडाश का आकार भी विहित परिमाण से बड़ा या छोटा हो
सकता है। उम विनम्र के विहितार्थ के अष्टवर्ष को जितना भल से बड़ा न
असीन हो उतने बड़े पुरोडाश के निर्माण के लिए निर्देश दिये हैं। (सत० बा०
११२२.१०)

दृष्टि पौर्णमास की वेदी के गाम्भीर्य को कोई निश्चित माप नहीं निर्धारित
करते। अन्य आचार्यों द्वारा तीन औंगुल या चार औंगुल गाम्भीर्य के विधान का
विनियोग कर वस्त्रनियों के मूल तक खोदने का आदेश देते हैं। (सत० बा०
११२४.१०) चातुर्मास्य याम में पूर्ण-दद्युत्तिय कर्त्ता के प्रसाग में यह नियम है कि
अष्टवर्ष-बज्जभान को वृद्धभ से छवनि करने का आदेश दे, वृद्धभ-छवनि के
अन्तर छवन करने का विधान है। याज्ञवल्क्य यज्ञ में किसी भी प्रकार का
अध्यवधान नहीं चाहते अतः उनके मतानुसार वृद्धभ द्वारा छवनि त करने पर
दक्षिण दिशा में स्थित ब्रह्मा 'ज्युषि' कहकर हवन करने के लिए अष्टवर्ष को आदेश
दे। 'ज्युषि' इन्द्र की वाणी है। (सत० बा० ११२५.२.१८) उनके चिचार से
वृद्धभ-छवनि के विना यज्ञ-सम्पादन में चिराम होना अनुचित है। उत्तरवेदी से
तीन प्रकार (कदम) पश्चिम हविर्धान-स्थापन के भल का नियोग कर याज्ञवल्क्य
किसी निश्चित माप से रहित यत्का प्रतिपादन करते हुए उत्तरवेदी से न
अधिक दूर और न अधिक सबीकृत स्थान में हविर्धान-स्थापन का निर्देश करते
हैं। (सत० बा० ११२५.३.१६) अपिनवेदी के चयनाद्यं इष्टकाद्यों के आहरण
करने से पूर्व एवेतकर्त्ता के अश्व को ले आने का विधान है। याज्ञवल्क्य के भल
में अश्व किसी भी वर्ण का होना चाहिए। अश्व की प्रार्थना होने पर यज्ञ-कर्म में
ज्यायधान न बड़े, अतः अश्व के स्थान पर वृद्धभ का विधान करते हैं क्योंकि अद्वित
वृद्धभ स्वभाव वाले हैं तथा वे पापनाशक हैं। (सत० बा० ११३१.१६)
अनावश्यक बन्धन विवृन्मूलक ही होते हैं। अतः यज्ञ-विधि में सौकर्य की दृष्टि
से यह की उपेक्षा आवश्यक है।

यश्विधि में सौकाय य समुचित वाय विभानन अस्याद्यापक है। याज्ञवल्क्य ने स्थान-स्थान पर इसका ध्यान रखा है। उदाहरण स्वरूप आह्वानीयामार म आज्य-निरीक्षण के लिए यज्ञमान का विष्णान होने पर याज्ञवल्क्य उस मन के विरोध में उपर्युक्त कर्म के लिए अष्टबर्यु का निर्देश करते हैं (शत. छा० १३।१।२६) उनके विचार स सब को अपना-अपना कार्य सम्पन्न करना चाहिए। निविष्णव यज्ञ-सम्पादन के लिए ही कार्य-विभाजन किया जाता है। आज्यावेद-आदि कर्म शृङ्खिलजों से सम्बन्ध रखते हैं। गार्हपत्यामार में यज्ञमान-गवर्णी द्वारा आज्यावेदण कराने का कारण यह है कि कुछ कार्य न होने से आज्यावेदण कर यज्ञमान-पत्नी यज्ञ-कर्म में सहकर्मिणी बनती है।

(ग) विषय का स्पष्ट प्रतिपादन

यज्ञ-विधि में सौकाय के लिए विषय का स्पष्ट प्रतिपादन यह है— पूर्ण स्थान रखता है। विषय को स्पष्ट करने के लिए सरसम्बन्धी शब्द-वयन भी आवश्यक है जिससे बौद्धिक शब्द के बिना भी शीघ्रानिशीघ्र विषय का स्पष्ट जान हो जाय। वैसर्जन होम सम्बन्धी अविन-प्रणयन के विषय में कुछ आवाय अष्टबर्यु द्वारा होता के प्रति 'अनन्ये प्रह्लिदमाणाधानुबूहि' अथवा 'सोमाय पणीय-माणायानुबूहि' ऐसे मन्त्र का विष्णान करते हैं। याक्षयवक्य 'अनन्ये प्रह्लिदमाण-यानुबूहि' को प्रेषणमें कहने का आदेश देते हैं (शत. छा० ३।६।३।५) 'अनन्य' आदि कथन से होता शीघ्र ही वह समझ जायगा कि प्रहरणार्थं अनुबन्धन करना है, 'सोमाय……' आदि से उसे अप हो सकता है। पीर्णेपात्र याग के प्रकारण में अविन एवं सौम को प्रदान किये जाने वाले दो आज्य भागों को यज्ञ के दो नेत्र मान कर समिद्धतम अविन के समक्ष छोड़ने का विष्णान करते हैं। अन्य आवार्दी द्वारा दोनों आज्य भागों को क्रमशः उत्तरयूबाद्वारे और दक्षिणयूबाद्वारे में प्रवाप विद्धावक् मन को याज्ञवल्क्य अविज्ञानपूर्वे बढ़ाते हैं और प्रधान दृष्टिके मनका उत्तर-पूर्वाद्वारे एवं दक्षिणपूर्वाद्वारे की प्रेक्षा न करते हुए समिद्धतम अविन प्रदेश इन हवम करने का विष्णान करते हैं। (शत. छा० १।६।३।३-३६)

(७) सर्व-सम्बन्ध की दृष्टि

याज्ञवल्क्य तब का भौमस चाहते हैं। वे धृति निकारणार्थ सर्वेव प्रदृष्टनश्ची न रहते हैं। उनकी इस धावना पर विभिन्न रूपों में प्रकाश रहता है।

(क) शास्त्र-स्वायंस्वी

याज्ञवल्क्य यज्ञल्पी आदर्श समाज में शशान्ति 'मही दैखना चाहते'। यह

उचित नहीं कि कलहादि से श्रेष्ठतम् कर्मयज्ञ की मर्यादा का उल्लंघन किया जाय। आप्रयणेष्टि-सम्पादन विना अग्निहोत्र में व्याजन हृषिप् प्रयोग आप्रयणेष्टि एवं अग्निहोत्र के देवताओं में परस्पर कलह का कारण होगा। (शत बा० २१४।३।१५)

(क) दुःख-धारण को दृष्टि

याज्ञवल्क्य उन विधि-विशानों की व्यवहेसना करते हैं जिनसे किसी प्रकार भी दुःख की सम्भावना की जा सकती है। माहेन्द्र होम के समय कुछ आचार्य इष्टवर्य द्वारा यजमान को दीक्षा के समय पहने गये वस्त्रों को ही धारण कराने का विधान करते हैं। याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं। उनके मतानुसार अभियेक के समय धारण किये गये वस्त्रों में से तार्प्य (प्रथम धारण किये जाने वाले) वस्त्र को ही धारण कराना चाहिए क्योंकि दीक्षाकालिक वस्त्र बरुण देवता से सम्बन्धित होते हैं। अभियेक के समय धारण किये गये वस्त्रों को धारण कराने से यजमान को बदल के परिवार से भूक्त किया जाता है। (शत० बा० ५।३।४२५) अग्निध्यन में अस्थिरूप स्वयमातृणा (जिनमें स्वयं प्रिद्वाहों) इष्टकाओं पर भी मांसरूप पुरीष छालना चाहिए। अन्य आचार्यों के मत से मध्य में स्थापित होने के कारण स्वयमातृणा इष्टकाएं प्राण हैं अतः उन पर पुरीष छालकर प्राणों को ही आकृत किया जाता है। याज्ञवल्क्य इस मत का निषेध करते हैं और पुरीषावपन के लिए यत प्रस्तुत करते हैं क्योंकि प्राण अन्य द्वारा विष्टव्य होते हैं। जो व्यक्ति अनाशन करता है उसके प्राण-कोश विकसित होकर अवश्य ही आते हैं। स्वयमातृणा इष्टकाओं पर पुरीष न ढाल कर यजमान उस लोक में युक्त स्वाणु के समान रहता है। (शत० बा० ८।७।३।३) याज्ञवल्क्य यजमान को उस लोक में भी स्वस्थ रखने के लिए पुरीष-निवापन यथा को दृढ़ करते हैं।

(ल) सुरक्षा का ध्यान

याज्ञवल्क्य सुरक्षा का सर्वव ध्यान रखते हैं। होम के लिए अग्निवेदी पर याद निषेधार्थ पूर्व की ओर पश्चिम दिशा का निषेध कर दाय भाग(उत्तर दिशा) में आरोहण करने का विधान करते हैं क्योंकि अग्निवेदी पश्चु है। लोक-ध्यवहार में भी वाज्ञादि पश्चुप्रीये पर वामभाग से ही आरोहण किया जाता है। आगे या पीछे से आरोहण करने पर वह पश्चु आरोहण करने वाले को आधात पश्चुवा संकहा है। (शत० बा० ७।३।२।१७) इसी प्रकार दुष्क-दोहन के समय अग्निहोत्री

(याय) के बैठ जाने पर उसे दण्ड से उठाने का विधान करते हैं। (भानु वा.
१२।४।१।१०)

विविध बदली के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये उद्घरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य के अन्दर यथास्थी भावना का प्राचीन था इनमें सम्बोध उम्होनि अनेक स्थलों पर दिया है।



याज्ञवल्क्यः व्यक्तित्व की समग्रता

याज्ञवल्क्य का परिचय, उनके मतभेद के स्थलों का पर्याप्तीचत तथा उनकी कारण-मीमांसा करने के पश्चात् यह जिज्ञासा होता स्वाभाविक है कि किन रूपों में उनका महत्व है, उनका क्या प्रोगदान है तथा किन-किन रूपों में उनका मूलर्णात्मकता किया जा सकता है। विस्तृत अध्ययन के पश्चात् याज्ञवल्क्य विविध रूपों में दृष्टिगत होते हैं।

(१) सफल याज्ञिक

अध्ययनान्तर विषार करने पर याज्ञवल्क्य का सबैधर्ममें एक सफल याज्ञिकाचार्य के रूप में इश्वर होता है। याज्ञवल्क्य का समय यज्ञों का समय था। यज्ञ विज्ञान अपनी वरमालीमा पर पहुंच रहा था। उस समय यज्ञ-विज्ञान के उत्कर्ष में अनेक विभूतियाँ सहायक हुईं जिनमें याज्ञवल्क्य विभूति अद्वितीय सिद्ध हुई। उन्होंने अपना एक सम्प्रदाय ही बनाया। याज्ञिकाचार्य के रूप में उन्होंने जो ऊर्ध्वि प्राप्त की छातका उल्लेख स्थान-स्थान पर मिलता है। याज्ञवल्क्य एक उच्चकौटि के विदान थे। यज्ञों के आध्यात्मिक, आधिदीविक एवं आधिमीतिक अर्थों से वे पूर्ण परिचित थे। यज्ञों के विषय में कठाचित् ही उनके समकालिक आचार्यों को इतना ज्ञान रहा हीना। जिन याज्ञवल्क्य ने एक शुष्क व्याधुणु को हृदा-परा कर उसमें फूल-फल उत्पन्न कर दिया उनको उस समय का समाज कर्त्त्व न प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता रहा होगा? जनकन्यायाज्ञवल्क्य-नंवाद से उनका यज्ञ-विषयक ज्ञान स्पष्ट हो जाता है:-

एक कार छिद्रे है के राजा जनक ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया-'याज्ञवल्क्य! अथा आप अग्निहोत्र जानते हैं?' याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया-'जानता हूं अग्नाद्।' (कात० चा० ११३।१।१) जनक ने दूला-'अग्निहोत्र क्या है?' याज्ञवल्क्य ने दूल को ही अग्निहोत्र बताया। (कात० चा० ११३।१।२) तात्पर्य यह कि दूल को भी औपचारिक रूप से अग्निहोत्र कहा। जनक ने पूनः प्रश्न किया-'पूर्व के

मसे यज्ञ करते ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया— श्रीहि और यज्ञ से । याज्ञवल्क्य न श्रीहि और यज्ञ के अभाव में शोषणियों को, उनके अमाक धान्यादि की, इनके अभाव में फल की, फल एवं अन्य आरथियाँ भाव में जल को (शत० ब्रा० ११।३।१३), जल के भी अभाव में (सम्पादन होना ही चाहिए)। अतः सत्य (बदन रूप धर्म) का धदा हवन करना चाहिए। 'सहोवाच । न वा इह तद्विज्ञवनासोऽसत्य धदायामिति' । यज्ञ के विग्रह में इन्हें उच्चकोटि के भाव से रसन्नाट् जनक ने याज्ञवल्क्य को सी गाये पारितोषिक रूप में (ब्रा० ११।३।१४) इस ब्रकार याज्ञवल्क्य ने भौतिक स्तर से क स्तर में उपसंहार किया। आध्यात्मिक अक्रिया द्वारा अभिन्नोद्धरण का निखार कर विद्वानी के समक्ष रखने का अनुप्रभ प्रसाद किया

रहक्षम ने यज्ञ को नैतिक स्तर पर लाने के लिए सदाचार की अधिक है। प्रवर्णयत्र यज्ञ में यज्ञमान के लिए प्रवर्णं कर्म में वर्तमान भगीर का सूर्य के तपते रहने पर मूलविसर्वन का निषेध, कार्यादि से अविन कर रात्रि में भोजन करता ये चार कठिन नियम विद्वित हैं। भावार्थ शासुरि के मत का प्रतिपादन करते हुए सत्य बदन कर यत छरने के लिए निर्देश करते हैं। (शत० ब्रा० १४।११।३३) कठिन से मों के स्थान पर सत्य-बदन ही पर्याप्त है।

हीकाचासुरि एक ही देवा ज्वतं चरन्ति यस्तत्यं तस्मादृ प्रददेव
शत० ब्रा० १४।११।३३)

विलक्षण ने सत्य को ही तीनों विद्वान् बताया है। (शत० ब्रा० १४) सत्य धर्म है—

वी धर्मः सत्यं वै तत्त्वस्मासत्यं बदन्त्याहुधर्मं बदतीति धर्मं वा बदन्ति ति । (शत० ब्रा० १४।४।२।२६)

इत्यां असत्य को लगाने के लम्भः क्या जल होते हि इसका निर्देश त उद्दरण में बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है—

यः सत्यस्वदति यथा ३ लिं समिद्धं तं षुडेना ३ विविक्षेदेव हैनं स तस्य शूयो भूय एव लेखी भवति यदः स्वः श्रेयाभ्यसत्यव यो ३ मूर्त्य बदति विद्धं तमुदकेनाभिविक्षेदेव हैनं स जासयति वस्य कलीयः कलीय एवं

नज़ा भवति इव इव, परमो ग्राम्यवासि मममातृ अस्यमेव वदेत् ।' (शता. ब्रा० २२.२१.२६) यज्ञवल्क्य सत्य को बत्ता पाने हैं। (शता. ब्रा० ४५३.५१) इस प्रकार उन्होंने यज्ञ की कर्म-कार्य नक ता सैमित न रखकर उसे बाध्यात्मिक अराम से पर प्रतिष्ठित करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है।

यज्ञ-प्रयत्न होने के कारण अनेक स्थलों पर याज्ञवल्क्य का अस्य आनायों से मन्त्रेष्य भी नहीं है। उनका प्रत्येक मत वैशिष्ट्य एवं नवीनता को लिए हुए होता है, याज्ञिक प्रक्रिया तथा उससे सम्बन्धित किसी द्रष्ट्य, देवता, मन्त्र और विधि के विषय में किसी भी प्रकार की शंका न रह जाय, निदिष्ट मतानुसार अपुक कर्म करने का क्षय कारण है, इन मध्य का विधिवत् विवेचन याज्ञवल्क्य ने अष्टपदवाहृष्ट में प्रस्तुत किया है। द्रष्ट्य, देवता, मन्त्र और विधि की पूर्णता में ही यज्ञ की पूर्णता रिहित है। यही कारण है कि याज्ञवल्क्य ने उन चार प्रमुख आश्रामों पर विस्तृत प्रकाश ढाला है।

एक कृत्यल याज्ञिकाचार्य जो जन-जन में वज्ञ करने की आवश्यकता का उद्दोधन कराना चाहता है उसके लिए जिन-जिन गुणों की आवश्यकता पड़ती है, वे सब गुण याज्ञवल्क्य में हैं, यह अस्युक्त नहीं। एक याज्ञिकाचार्य का कर्तव्य होता है कि वह यज्ञ की स्वर्णीय समृद्धि के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। याज्ञवल्क्य ने इस विषय में सफल प्रयत्न किया है। उन्होंने यज्ञ-समृद्धि के लिए सर्वत्र चेतन का दर्जन किया है। वे यज्ञ को एक पुरुष के रूप में देखते हैं। विषय के प्रतिपादन में इसनी स्वाधारिकता उत्पन्न कर देना याज्ञवल्क्य को ही प्रतिभा का कार्य था। वह यज्ञ-पूर्वव नष्ट नहीं रहता चाहता। नम्न रहने वे उसे खड़ा का अनुपय होता है। नगला को दूर करने के लिए वह स्वयं कहता है। याज्ञिक मनुष्य के समान वह यज्ञ-प्रयत्न से भी व्याकुन ही उठता है। अप्रोत्यक्षित उद्दरण में इसका प्रतिपादन सुख्य रूप से हुआ है—

'स है यज्ञ उमाच । नगनामाचा वै विभेमीति का ते नगनतेस्यभिति एव मा परिस्तुपीयुरिति तस्मादेहदरित्यभिति; परिस्तुणभिति तृष्णायाच विभेमीति का ते तृष्णिरिति इत्यात्मयेव तृष्णिमनुत्पेयभिति तक्षमात्म लियते यज्ञे ब्राह्मण सूर्योपितवे ब्रूयाद्यज्ञमेवेतत्पर्यंति ॥' (शता. ब्रा० ११३.२६) इस प्रकार बहिरुत्तरण से यज्ञ-पुरुष की सगता तथा ब्राह्मण तृष्णि से उसकी सूर्योपि त्याको दूर किया जाता है। याज्ञवल्क्य ने यज्ञ-पुरुष के पूर्ण रूप की संरचना में अनेक स्थलों पर पालों को यज्ञाय रखा है। उन्होंने यज्ञ की स्वर्णीय समृद्धि के लिए अगवेकर्म का, अपौरुषेय कर्म में मानुष कर्म सम्पादन का निषेध किया है।

यज्ञ-सम्पादन के समय प्रत्येक यज्ञ सम्पादक को किसी मनुष्यों का यज्ञ में यज्ञमन देना चाहते हैं। इन्हि नियमों के असम्पादन से यज्ञ-सम्पादक में कभी पड़ सकती है अतः इन्हि नियम-वालन पर उन्होंने यज्ञोचित वास दिया है, जिनकी दृष्टि में बड़े-छोटे प्रत्येक यज्ञीय कर्म का समान महत्व है।

एक याजिकाचार्य को यज्ञ-सम्पादन में सदैव औचित्य का ध्यान रखना चाहिए। याज्ञवल्क्य इह दृष्टि से भी खरे उत्तरते हैं। वे कानूनत औचित्य को दृष्टि में रखकर यज्ञ तथा यज्ञांग सम्पादन के उचित समय का विद्यान करते हैं। देशगत औचित्य को ध्यान में रखकर द्रव्य-स्थापन, द्रव्य-पाक, वस्तु-प्रश्नेपण, अभिषेक के लिए उचित देश (स्थान) का विदेश करते हैं। पात्रगत औचित्य की दृष्टि से याज्ञवल्क्य विहित देवता के लिए ही विशिष्ट द्रव्य-प्रदान का औचित्य बताते हैं। उन्होंने वस्तुगत औचित्य को भी ध्यान में रखा है। वे किसी भा कर्म में प्रयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोग का औचित्य देखते हैं। याज्ञवल्क्य प्रत्येक कर्म के लिए उपयुक्त वस्तु के व्यवन में कृपाल है। अन्य वालों क साथ ही साथ याज्ञवल्क्य यज्ञों और यज्ञांगों के सम्पादनकर्म को भी महत्व देते हैं। किस कर्म के पश्चात् किस कर्म-सम्पादन का औचित्य है, याज्ञवल्क्य की इसका पूर्ण ज्ञान था।

याज्ञवल्क्य ने अनौचित्य का भी ध्यान रखा है। यज्ञ-सम्पादन में किसी भी प्रकार को अनौचित्य-प्रदानेन नहीं होना चाहिए। एक याजिकाचार्य का परम कृतव्य होता है कि वह अनौचित्यों को दूर करने का यथावल्क्य प्रयास करे और यज्ञ-विधि के औचित्य की रक्षा करे। याज्ञवल्क्य स्थान-स्थान पर नियमोंसंबंधन से उत्पन्न होने वाले अनौचित्य को दूर करते हैं। वे यज्ञ-भाग्य संबुद्ध करने वाले कर्मों का निरादर करते हैं अन्यथा अनौचित्य प्रदानेन होता है जिसका कार्य महत्व महीन है। वे यज्ञ के विपरीत किये जाने वाले तथा यज्ञ के अतिरिक्त किये जाने वाले कर्मों का अनादर करते हैं।

याज्ञवल्क्य स्वयम्भ पुस्ति के लिए कार्यों की असुल करने में दृढ़ि पक्ष का अवसरमन लेते हैं। इसी के बल पर ही सों ये महत्वपूर्ण कार्य करे जैने पर भी कर्त्ता के व्यवहितस्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। वे यज्ञ-विज्ञान में अड्डों के प्रयोग से पूर्व अत्येक अच्छ एवं प्रयोग-औचित्य दैर्घ्यी सम्बन्ध विवेदर करते हैं। यज्ञ विधि के लिए याज्ञवल्क्य यज्ञ-विज्ञान में अनुकूल प्रत्येक अंकद का महत्व समझते हैं। वे अव्याख्यन में अनुकूल हैं। उन्हें विशिष्ट अर्द्धे के द्वितीयार्द्ध विशिष्ट अच्छ एवं पूर्ण ज्ञान है। याज्ञवल्क्य ज्ञान को महिक्क महत्व देते हैं। ज्ञान से अनेक विकाशों का अनावश्यक हो जाता है। अतः यज्ञ-विधियों में यज्ञ-स्थ

उसका समुचित उपयोग हुआ है याज्ञिक भ्रमाज में जुशुष्टा का कोई स्थान नहीं है उसके प्रति जुशुष्टा करने से यज्ञ में मम्पन्ता नहीं आ पाती। यज्ञ-सम्पादन में विलम्ब के बारणार्थ वे लाघव को महत्व देते हैं। प्रयत्न-लाघव के साथ स्थान लाघव को भी समुचित स्थान प्राप्त हुआ है। किसी भ्रम के प्रतिपादन से पूर्व याज्ञवल्क्य अन्य आचार्यों द्वारा प्रतिपादित भ्रमों का मूल्यांकन करते हैं। इससे यह पूर्णरूपेण सिद्ध हो जाता है कि उनका बुद्धिक पथ कितना विकसित था।

याज्ञवल्क्य द्वारा प्रतिपादित भ्रमभेदों में व्यावहारिकता को भी उचित स्थान मिला है। याज्ञवल्क्य होक-व्यवहार तथा प्राकृतिक व्यवहारों के प्रति सम्पादन की दृष्टि रखते हैं। वे यज्ञ-देवता और मन्त्र में अक्षीण सम्बन्ध बने रहने के लिए सतत प्रयत्नशील दीख पड़ते हैं। वे व्यावहारिकता के रक्षार्थ ही धन्यवाचक्य का विचार करते हैं। किसी वस्तु की उपयोगिता और अनुपयोगिता का पूर्ण ध्यान रखते हैं। वे व्यर्थ में ही बुद्धिव्यायाम को महत्व नहीं देते। याज्ञवल्क्य व्यावहारिकता की रक्षा के लिए भेद-दृष्टि का तिरस्कार करते हैं। यज्ञ-विधि में सौकर्य उत्पन्न करने के लिए याज्ञवल्क्य अन्य आचार्यों द्वारा विहित विधि-सम्पादन में अबशीघ्रक नियम रूप बननों को उपेक्षा करते हैं। उनका यह विचार है कि नियम-विधान यज्ञ-विधि के सौकर्य में बाधक न बनकर साधक बनना चाहिए। सौकर्य के लिए ही वे समुचित कार्य-विभाजन करते हैं। वे प्रत्येक यज्ञ-सम्पादक के लिए सुविधानुसार कार्य ने निर्धारण करते हैं। याज्ञवल्क्य के यज्ञ-विधियों में सौकर्य के लिए विवर के स्पष्ट प्रतिपादन का भी ध्यान रखा है।

उपर्युक्त विशेषताओं के साथ-साथ याज्ञिकाचार्य में सर्व-मंगल की दृष्टि भी नीचा हिंगे ओ याज्ञवल्क्य वे समुचित रूप से बताया है। याज्ञवल्क्य सबका कल्पाण चाहते हैं। वे मंगल के लिए जाग्रित की स्थापना करते हैं। वे यजमान के लिए उन्हीं कर्मों के सम्पादन का विधान करते हैं जिनसे यजमान की अधिकाधिक फल-प्राप्ति हो सके। याज्ञवल्क्य यज्ञ-सम्पादकों पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं आने देना चाहते। जिन कर्मों के सम्पादन से कोई दुःख या आपत्ति आ सकती है उसको यज्ञ-विधि में स्थान ही नहीं प्रदान करते। वे यज्ञ-सम्पादन के मध्य सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। जिन कर्मों के सम्पादन से यज्ञ-सम्पादक को भाङ्गात पहुंच सकता है, उन कर्मों के वर्णनार्थ वे सतत प्रयत्नशील रहते हैं।

याज्ञवल्क्य विधय को रोचक तथा विलम्ब विधय को स्पष्ट करने के लिए असम्पादनों का उपयोग बालं देते हैं। वे आस्थान भरेक दृष्टियों में महत्वपूर्ण हैं।

है। वे यज्ञ को अनेक देवों के रूप में देखते हैं। इसीलिए प्रस्तु को यज्ञ बताते हैं। (शत० ब्रा० ४१३।२।४) उनके विचार से प्रजापति प्रस्त्यक्ष यज्ञ ही है। (शत० ब्रा० ४१३।४।३) वे यज्ञ को ही विष्णु और आदित्य के रूप में देखते हैं। (शत० ब्रा० १४।१७-१।६) वे यज्ञ को वायु (शत० ब्रा० १।३।२।२८) एवं अग्नि के (शत० ब्रा० २।१।४।१६) रूप में देखते हैं। याज्ञवल्क्य यज्ञ पुरुष की कल्पना करते हैं। वे दंवताओं के अंगों द्वारा निर्मित यज्ञ के पूर्ण रूप का दर्शन करते हैं। उदारहणस्वरूप इन्द्र यज्ञ की आत्मा (शत० ब्रा० ९।५।१।२३) तथा मैत्राबहण मन है (शत० ब्रा० १२।८।२।२३) वे यज्ञ-सम्पादकों को यज्ञांग मानते हैं। यज्ञमान यज्ञ की आत्मा (शराव) एवं कृतिवज्र उसके अग्न है। (शत० ब्रा० १।५।२।१६) एक स्थल पर तो अध्वर्यु को यज्ञ का पूर्वांकित तथा यज्ञमान पत्नी को जघनांक बताते हैं। (शत० ब्रा० ४।४।२।१) अन्यत्र यज्ञमान को ही यज्ञ बताते हैं। (शत० ब्रा० १३।२।२।१) यज्ञ पश्चु है। (शत० ब्रा० ३।१।४।६) वे पक्षी (शत० ब्रा० ४।१।२।२५) के रूप में भी यज्ञ का दर्शन करते हैं जिसमें उपांशु और अन्तर्यामि उसके पक्ष एवं उपांशु मन्त्र उसकी आत्मा (मुख्य भारी) है। वे यज्ञ-पात्रों को यज्ञ-पुरुष के अंग रूप में कल्पना करते हैं। हविषानि (शत० ब्रा० ३।४।३।२) तथा उखा (शत० ब्रा० ६।५।३।८) को यज्ञ-सिर मानते हैं। अंशु-ग्रह यज्ञ का नेत्र और अदाक्षय ग्रह यज्ञ का शोक है। पुनः इन्हीं को क्षमशः यज्ञ का शरीर एवं यज्ञ की वाणी कहा गया है। (शत० ब्रा० १।१।६।१।२) उपांशु ग्रह यज्ञ-पुरुष का मुख है। (शत० ब्रा० ४।२।४।१७) यज्ञ-पुरुष की जिह्वा तथा दृष्टि एवं उपल उसके हनू (जबड़) हैं। (शत० ब्रा० १।२।६।१७) याज्ञवल्क्य यज्ञ-पुरुष की शिखा का भी ध्यान रखते हैं। इसीलिए श्रीत्रिय लोगों की शिखा की भाँति यज्ञ-पुरुषकी भी लम्बी और मोटी शिखा की कल्पना करते हैं। वे धूप को ही यज्ञ-पुरुष की शिखा मानते हैं। (शत० ब्रा० २।५।३।४) धूवार को यज्ञ का मुख्य शरीर (शत० ब्रा० १।४।५।५), उपयमनी को यज्ञ का उदर (शत० ब्रा० ३।५।३।४) धूवा को यज्ञ का मुख्य शरीर (शत० ब्रा० १।४।५।५), उपयमनी को यज्ञ का उदर (शत० ब्रा० १।५।२।१।७) एवं दो लूक के यज्ञ के दो बाहु (शत० ब्रा० ७।४।१।३६) बताते हैं। उलूखल और मुसल यज्ञ के प्रजननावयव हैं (शत० ब्रा० ७।५।१।३८)

याज्ञवल्क्य यज्ञ में प्रयुक्त द्रव्यों को भी यज्ञ मानते हैं। यज्ञ-हविषू यज्ञ है (शत० ब्रा० १।६।३।३८), जल यज्ञ है (शत० ब्रा० ३।६।४।१), घृत यज्ञ है (शत० ब्रा० १।२।८।२।१५)। याज्ञवल्क्य छन्द की भी यज्ञ मानते हैं। (शत० ब्रा० ३।०।८।४।३।२) वे याज्ञिय वृक्षों को भी यज्ञ के ही रूप में देखते हैं। उदाहरण स्वरूप-विकक्त यज्ञ है (शत० ब्रा० १।४।१।२।२५) इस प्रकार द्रव्य, देवता और

म वै मव कूँ यज्ञ ही के विभिन्न स्वरूप हैं यह अद्वितीय कम है । शतां
ज० १११४ शृङ् यजुष् हथा सामर्थ्य लघी विद्या यश है । (शतां ज्ञा०
११४३ उपर्यक्त विविध उद्घरणों के आधार पर यह विभिन्नता ज्ञान ही ज्ञान
है कि याज्ञवल्क्य यज्ञ के विराट् रूप का दर्शन कर सकते ।

(३) ब्रह्मवेत्सा

याज्ञवल्क्य याज्ञिकाचार्य होने के साथ-साथ ब्रह्मवेत्सा भी थे । यह बात
भाक्त्य के संबंध से ही स्पष्ट हो जाती है । भाक्त्य को प्रतिष्ठित करने की
तथा शतपथ ब्राह्मण (१११६।१।११) में तथा और बड़ाकर चृहवारण्य कोपनिषद्
(बू २।१।१।२५) में दी गयी है—

'विदेह के राजा इनक ने एक यज्ञ किया ; उसमें उन्मुखि अद्वितीय हों ने
निपूँ दक्षिणा का भी विधान किया । सर्वं अर्थेऽठ ब्राह्मण (धर्म आनन्दि ब्राह्मण)
को एक हजार यार्ये देना निश्चित किया । माज्ञवल्क्य ने आगे एक शिष्य को
गायों की घर से जनने के लिए आवेदन किया । इस आगे से कृष्ण हुए अन्य
ब्राह्मणों ने कहा—'हे याज्ञवल्क्य ! हम आपसी में स्था तूम्ही अद्वितीय हो ?' याज्ञवल्क्य
में उत्तर दिया—'आप आपसी में जो अद्वितीय हो उसे नमस्कार है, हमें तो केवल
वार्ये चाहिए ।' याज्ञवल्क्य द्वारा उपहास किये जाने पर उन ब्राह्मणों ने परम्पर
अन्यथा की किन्तु उन्हें याज्ञवल्क्य की समझा का कोई कानी नहीं दिखाई
पड़ा । अन्त में याज्ञवल्क्य ब्रह्मवेत्सा करने के लिए तैयार हुए । भावह्य देवताओं
के विषय में प्रश्न किया—'अभिन्नोऽन्न आदि कर्मों में हृषिक्ष-भोक्ता के क्षम के
कितनी संख्या में देवता होते हैं ?' याज्ञवल्क्य में देवताओं की संख्या 'तीन सौ
तीन 'ओह' तीन हजार तीन' अबति 'तीन इकार सीन सौ तीन' देवता । पुनः
पुछने पर देवताओं की संख्या ऐसीस बताया । पुनः 'उनकी संख्या इमसः 'तीन,
'दो', 'चौक' भी है अन्त में 'एक' कहा । वह एक देव है आप । याज्ञवल्क्य ने निर्देश
दिया कि 'तीन सौ तीन' और 'तीन हजार तीन' यह तीन केवल की यद्दिमा है ।
वास्तव में देवता 'तीनीस' है—जिसमें आठ बहु, यारहु चौ, छारहु आदिय, इन्द्र
एवं प्रजापति समितित हैं । आठ बहुओं में अभि, चौकी, चारु, चतुर्भिः,
चारित्य, देव, चन्द्रमा और नमूद्र हैं । चतुर्भु घोकों की बसाने के कारण इनका
माय 'असु' पड़ा । यारहु छटों में दस आप और एक आत्मा है । इन्हें छह लक्ष्मि
का कारण यह है कि मेरे घर्ये जारीर से निकल कर बन्धु-जात्याचीं को दर्शाते हैं ।
जातियों के विषय में याज्ञवल्क्य द्वारा प्रश्न करने पर याज्ञवल्क्य ने बताया कि
नव के बारह मास ही आदित्य है । इन्हें आदित्य बहुने का कारण यह है कि
वैसम्माने ज्ञानाद्यत्वक् बहुन का इससे हुए विलग है । उन्होंने गरजते हुए कहा—

को इन्द्र एवं पूरुषमाला तथा दसयशो को 'प्रजापति' बताया, गरुड़ने को वच्च तथा पशु की 'यज्ञ' बताया तीन देवों में तीन लोकों को, दो देवों में अपान और आण को एवं डेह देवों में 'वायु' को तथा एक देव में 'प्राण' बताया। शाकल्य न जब प्रश्न पूछना बन्द कर दिया तब याज्ञवल्क्य ने देवताओं के विषय में जानत हुए भी अतिक्रमण कर प्रश्न पूछने के कारण शाकल्य को आगामिनी नियि सं पूर्व ही मृत्यु-प्राप्ति का आप दिया तथा यह भी कहा—तुम्हारी अस्थियाँ भी तुम्हारे घर न पहुंच सकेंगी।' तत्पश्चात् जनक ने ब्रह्मिष्ठ को गुह बनाने के उद्देश्य से एक सभा का आयोजन किया जिसमें अनेक [ब्राह्मणों के साथ याज्ञवल्क्य का विवाद हुआ। याज्ञवल्क्य ने सब प्रश्नों का उत्तर दिया। पुनः याज्ञवल्क्य ने शाकल्य से प्रश्न किया किन्तु वे उत्तर देने में असमर्थ रहे। परिणामस्वरूप शाकल्य का सिर विच्छिन्न होकर भूमि पर पिर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गयी। पूर्व आप के कारण शिष्यों द्वारा अस्थियों को उनके घर से जाते समय खोरों ने घर समझ कर उनकी अस्थियों को चुरा लिया। इस प्रकार उनकी अस्थियाँ भी उनके घर न पहुंच सकीं।

याज्ञवल्क्य-गार्गी वाचकनवी के संवाद से उनकी ब्रह्मिष्ठता का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है। विदेह जनक ने वह दक्षिणा सम्बन्धी यज्ञ किया। उसमें कुरु और पञ्चाल देशों के परम प्रसिद्ध विद्वान् ब्राह्मण एकत्र हुए। तब राजा जनक को यह जानने की शीघ्र इच्छा हुई कि इन उपस्थित मान्य ब्राह्मणों में कौन सा अति ब्रह्मवेत्ता है? ऐसा विचार कर उन्होंने, जिनके प्रत्येक सीम में दस-इस पाद स्वर्ण बंधा हुआ था ऐसी एक हजार गौओं को गोशाला में एकत्र करवाया। (बृ. उ० ३० ३११) जनक ने ब्रह्मिष्ठ को गायों को घर ले जाने का आदेश दिया। अन्य ब्राह्मणों के न कहने पर याज्ञवल्क्य ने अपने श्रिय शिष्य सामधवा से कहा है शिष्य तू इन गायों को मेरे घर से जा।' शादेश पाकर सामधवा सब गौओं को लेकर याज्ञवल्क्य के प्राधम की ओर चला। ब्राह्मणों द्वारा इस बात से सहमत न होने पर ब्रह्मवाद प्रारम्भ हुआ। सर्वप्रथम जनक के होता अष्टवल ने प्रश्न किया, पुनः जारत्कारब आत्मभाग, भुज्युलहिं यायनि तथा उषस्त चाक्रायण आदि ब्राह्मणों ने प्रश्न पूछा। इनके पश्चात् गार्गी के साथ याज्ञवल्क्य का संवाद महत्वपूर्ण है जिसका मिर्देश अधोलिखित पंक्तियों में किया जा रहा है—गार्गी ने प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य जा ये थूः आदि सज्ज लोक या पटार्थ जल में ओतप्रोत हैं, वह जल किसमें ओतप्रोत है? यह मेरा प्रश्न है।

याज्ञवल्क्य—हे गार्गि, यह सब जल अपने कारण बायु में ओत-प्रोत है।

गार्गी—वह बायु किसमें ओत-प्रोत है?

याज्ञवल्क्य—है याग प्रतारद लोक में ।

मार्गी—वे अतिरिक्त लोक किसमें औत-प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—है गाँगि गन्धर्व भाक में ।

मार्गी—के गन्धर्व लोक किसमें औत-प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—है गाँगि, आदित्य लोक में ।

मार्गी—वे आदित्य लोक किसमें औत-प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—है गाँगि, चन्द्र लोक में ।

मार्गी—वे चन्द्र-लोक किसमें औत-प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—है गाँगि, नक्षत्र लोक में ।

मार्गी—वे नक्षत्र लोक किसमें औत-प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—है गाँगि, देव-लोक में ।

मार्गी—वे देव-लोक किसमें औत-प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—है गाँगि, इन्द्र-लोक में ।

मार्गी—वे इन्द्र लोक किसमें औत-प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—है गाँगि, प्रजापति लोक में ।

मार्गी—वे प्रजापति लोक किसमें औत-प्रोत हैं ?

याज्ञवल्क्य—है गाँगि ब्रह्म लोक में ।

मार्गी—वे ब्रह्म लोक किसमें औत-प्रोत हैं ।

इस प्रश्न का उत्तर न देकर याज्ञवल्क्य बोले कि है गाँगि, इस प्रकार प्रश्न
प्रश्नों की न पूछ, इस प्रकार प्रश्न करने पर तेरा मनस गिर दहेया । तुम
मन्त्र लोक-नोकान्तरों का एकमात्र अधिकार ब्रह्म किसी के आक्षिक नहीं है, प्रथम
उभी में सब पदार्थ औत-प्रोत है । अतः है गाँगि, मैं फिर बहसना हूँ कि तू किम्बन
शाश्वत से ज्ञानमें योग्य व्रक्षकों तर्क छारा ज्ञानमें की इच्छा भरत कर । यह तुम्हार
मार्गी चू हो मर्हो । (बृ० उ० ३१५१७) इसके पश्चात उद्घाटक आठविं नं प्रश्न
निकला ।

मार्गी वायकनवी ने ब्राह्मणों से कहा—‘है मात्रनीय गूप्त विद्युगमन
वन्न में याज्ञवल्क्य से दो प्रश्न पूछनी, यदि याज्ञवल्क्य मेरे उम्म दो प्रश्नों का
उत्तर संकोष्क्षण के लिये तो जाप लोकों में से कोई भी विद्यान् विद्युगमन में उत्तर
बोत न सकेगा । इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणों से अनुमति देते तुम् कहा ।’ वे
गाँगि, पूछ (बृ० उ० ३१५१८)

मात्रनवल्क्य से भी आशय सेकर वार्गी ने प्रश्न पूछा

हे याज्ञवल्क्य ! जो द्युनाक के ऊपर है जो भूलोक के नीचे है तथा जो अनेक और भूलाक के मध्य में है और स्वयं भी जो ये द्युलोक तथा पृथ्वी है और जिन्हें मूरत, वर्तमान तथा भविष्य ऐसा कहते हैं, वे किसमें ओत-प्रोत हैं ? (बृ० उ० शा० ३)

याज्ञवल्क्य ने कहा—हे गार्गि, जो द्युलोक के ऊपर, पृथ्वी लोक के नीचे और जो द्युलोक एवं पृथ्वी के बीच में है तथा स्वयं भी जो ये द्युलोक एवं पृथ्वी है और जिन्हें मूरत, वर्तमान एवं भविष्य ऐसा कहते हैं, सब आकाश से ओत-प्रोत हैं। (बृ० उ० शा० ४)

गार्गि ने कहा—‘हे याज्ञवल्क्य ! आपको नमस्कार है कि आपने इस प्रश्न का उन्नर दिया।’ अब आप दूसरे प्रश्न के लिए अपने को तैयार करें।

याज्ञवल्क्य ने कहा—हे गार्गि, पूछ ! (बृ० उ० शा० ५)

गार्गि ने पूछा—‘हे याज्ञवल्क्य ! आकाश किसमें ओत-प्रोत है ?’

याज्ञवल्क्य ने उत्तर में कहा—‘हे गार्गि’ वह भविनाशी है जिसमें कि आकाश ओत-प्रोत है, वह न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न द्रव है, न छाया है, न तम है, न बायु है, न आकाश है, न संय है, न रम है, न गध है, न नेत्र है, न शोत्र है, न वाणी है, न धन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न परिमाण है, उनमें न अन्तर है, न बाहर है, न वह कुछ खाता है और न कोई पदार्थ उत्तरको खाता है। हे गार्गि, इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। (बृ० उ० शा० ६)

हे गार्गि, इसी अक्षर की आज्ञा में सूर्यं सथा चन्द्रमा नियमित होकर स्थित है, इसी अक्षर की आज्ञा में स्वर्गं और पृथ्वीं, निमेष, मुहूर्त, चिन-रात, अर्धमास अर्थु और सबन्सरादि नियमित हुए स्थित हैं। हे गार्गि, इसी अक्षर की आज्ञा में कुछ भवित्वा वर्कीलि पहाड़ों से निकल कर दूरं दिशा को तथा अन्य नदिया एवं नदिनम दिशा को बहन्ती है अर्थात् जो-जो नदिया जिस दिशा को जाती है उस उस दिशा को नहीं छोड़ती है। हे गार्गि, निःसन्देह इसी अक्षर की आज्ञा में पशुपथ यान देने वानों की प्रशंसा करते हैं और देवगण यजमान के अनुगामी होते हैं तथा यित्युपर्य दर्विहीन के अश्वीन होते हैं। (बृ० उ० शा० ८) हे गार्गि ! यही यह अक्षर अद्यष्ट होते हुए भी द्रष्टा है, अभ्युत होते हुए भी श्रोता है, अभन्ता होते ही मना है और स्वयं अविज्ञान होते हुए भी सत्ता का विजाता है। उसमें पृथक् और कोई दूसरा द्रष्टा नहीं है, इसमें भिन्न और कोई श्रोता नहीं है, इसमें पृथक्

और कोई दूसरा विज्ञाना नहीं है। ह गाय नि सन्दह इस प्रकार म भाकाश
बोत प्रोत है (व० च० ३।८।११)

गार्गी ने कहा—‘पूज्य ब्राह्मणो ! आप लोग इसी को अधिक समझें कि इन
याज्ञवल्क्य को नमस्कार कर आप लोग छुटकारा पा जायें निःसन्देह आप लोगों
में से कोई भी कभी इन ब्रह्मावादी याज्ञवल्क्य को जीत न सकेगा। इस तरह बढ़
कर पुनः बच्चनु कन्या गार्गी चुप हो गयी। (व० च० ३।८।१२) इन उपाख्यानों
से यह स्पष्ट ही जाता है कि याज्ञिकाचार्य होने के साथ ही साथ याज्ञवल्क्य एक
चच्चकोटि के ऋग्वेता एक तस्वजानी थे।

(४) समाजवैद्यता

याज्ञवल्क्य समाज की गति-विधि से पूर्ण परिचित थे। समाज के बे किसने
निकट थे यह तो इसी से जाना वा सकता है कि उन्होंने अनेक यज्ञों में अहवय
का कार्य किया। विद्वत्समाज में उनकी प्रतिभा का योग्य सम्मान था। समाज
से सम्बन्धित विचारों, रहन-सहन, अनेक रुद्धियों का उन्हें पूर्ण-रूपेण आन था
जिनका निर्देश भत्तेद के स्थलों में स्थान-स्थान पर किया गया है। वे यज्ञ-
विज्ञान को भी एक समाज ही मानते हैं। यज्ञ-विज्ञान को समाज के सचिं में
द्वाभने के लिए याज्ञवल्क्य ने कोई भी श्रम उठा नहीं रखा। यह अस्युक्ति न
होमी कि यज्ञ-विज्ञान के विस्तृत लेख के ब्रह्मसोकनार्थ याज्ञवल्क्य ने समाज
रूपी दूरदर्शीन धन्व का प्रयोग किया है। यज्ञ-विज्ञान के भरप्र भर्मेज याज्ञवल्क्य
उसके प्रत्येक धन्व से परिचित है। उन धन्वों से परिचित ही नहीं, अपितु यदि
कहीं वे धन्व टूट गये, खराब हो गये तो उन धन्वों को बताने के सिए वे पक
कूशल वांछिक भी हैं। वे याज्ञिक समाज में भी लोकिक समाज जैसा अवश्यार
आहते हैं। पत्नी-संवाज के प्रसंग में जब गाहु-पत्यायार में होम होता है, उस
समय वेदी के पवित्रम अथवा वेदी और गाहुपत्य के लीच अन्तर्घानिकट रखना
आहिए धन्वोंकि लोक-अवश्यार में भी स्विया पुरुषों से पर्दा कर धोजन कहती है,
उनके सामने नहीं। यज्ञों को तात्कालिक समाज के सचिं में द्वाभने के अद्वितीय
प्रयाप्ति ने याज्ञवल्क्य को अपर बना दिया है। वेदी को स्त्री अनभाक उन्होंने
यज्ञ में सज्जीवता ना दी है।

‘योवा वे व्वेदिव्वं धारिनः परिगृह्य वे योवा अवृद्याणं ग्रने-

‘मिथुनमेवं तदप्रभन्म त्रियके तस्मादभितीऽभ्यं सा उन्नयति ।

(पत्न० च० १।२।५।१५)

‘वेदी को स्त्री के आकार काढ़ी बदलता है।

मा वे पश्चाद्बोधसौ स्यात् । पश्ये स ह्वारिता पुनः
पुरस्तादुव्येवमिव हि शोषां प्रसंसन्ति पृथुश्रोणित्वमृष्टान्तरा-
ता भद्रे संभाद्येति जुष्टामेवंनामेतद्वेष्यः करोति ।

(शत० द्वा० ११२१५१६)

लाल्पर्य यह कि वेदी के दोनों अंस उन्नत होने चाहिए, भद्र में पतली होनी चाहिए । उमका पिछला भाग अधिक होना चाहिए । कालिदास ने भी इसी प्रकार मञ्जित्कारिनिमित्त और भेषदूत में स्त्री के लिए इसी प्रकार के लकड़ बताये हैं ।

“.....बाहू नदावेशयोऽ-

सद्वर्णं पाणिमितो वित्तमिव अघर्तं पादा व रालडगुली ।

(मालविकारिनिमित्तम् २१३)

मध्यदूत में—

‘पश्ये शाया’ (उत्तरमेघ २२)

कहुन्तर कालिदास में स्त्री के कटि प्रदेश को वेदी के कटि प्रदेश के समान ही शीर्ष बताया है ।

यह को समाज के समीप से आना याज्ञवल्क्य की ही प्रतिभा का कार्य था । याज्ञवल्क्य लौकिक समाज के साथ ही साथ याज्ञिक समाज को भी आदर्श रूप से बनाना करते थे ।

(५) अदितीय विज्ञाप्ति

याज्ञवल्क्य आनी तथा स्वाभिभानी थे । अपने ज्ञान पर उन्हें अनुचित नहीं था किमके विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं उसे जानने के लिए उनके अन्दर प्रबल विभासा थी जो एक सक्ते आनी के लिए महत्यावृष्ट्यक है क्योंकि—‘न सर्वः सर्वं जामाति ।’ इन विषय में भी एक उदाहरण पर्याप्त होगा—

‘एक वार विदेश के राजा अनक अपर करते हुए तीन आद्यायों से मिले त्रिमैत्र अहम के पुत्र एवेनकेतु, सूर्यवश के पुत्र सोमसुष्म, तथा याज्ञवल्क्य थे । अनक ने उनसे प्रश्न किया—‘आप सोग अग्निहोत्र इत्य स्वयम्भूत करते हैं ? उत्त विधिवत् बताइए ।’ (शत० द्वा० ११।१२।१)

विनकेतु, जाह्योद जे कहा—‘मैं अग्नि और आदित्य का परम्पर हृवन करता हूँ । उम्हीं अग्नि और आदित्य को धर्म और धर्म से अग्निहोत्र का सम्पादन

होना चाहिया। अमृतग करने का कल्प पहुँचना ही इसका सम्बन्धित प्रयत्न है। अमृतीकार तथा अभिनवाम् होता है और वहाँ वहाँ हीने पर वह इस देवा (सूर्य एवं अग्नि, के सामुद्रम तथा मालीकला की) प्राप्त करता है। (अठ० शा० १११६१२१)

इसके अमन्तर खोमशुद्ध भास्त्रयज्ञि में वहा—

‘मैं हेतु में तेज का दूधन कर अग्निहोत्र का आप्यादन करता हूँ । आगि और अग्नि तेज हैं । उन्हें तायंकाल आदित्य को अग्निं में तथा ब्रह्म काल अग्निं को आदित्य में दूधन करने का निर्देश किया । इसके कल के विषय में तत्काल कथन है कि इस प्रकार दूधन करने वाला यजमान तेजस्वी तथा यज्ञस्वी होता है, वह लक्ष्मीवान् होता है तथा वह दोनों देवों (अग्नि, आदित्य) के सामुद्रम तथा मालीकला की प्राप्त करता है । (अठ० शा० १११६१२३)

याज्ञवल्य ने अपने उत्तर में कहा—‘जनक ! जब मैं आहूवनीय अग्नि का गाहूँपत्य से मे आता हूँ, उसी तमय सांगोपांग अग्निहोत्र की भी प्रहृष्ट करता हूँ । सब देव अस्त होते हुए आग्नित्य का अमृतगमन करते हैं । वे (देवता) मेरी अग्नि को उद्गृह देखकर ‘निरवय हो मह अग्निहोत्र-दूधन करेया’ इस अग्निशम्य से पूर्ण वापस आते हैं । तदनन्तर मैं मुहूँ, चूब आदि पात्रों का मार्जन कर देती पर रखता हूँ । अग्निहोत्र यात्र को बुहकर जन देवताओं की साढ़ी करता है तथा प्रत्यक्ष रूप से वर्ष्णे प्रमन करता हूँ ।’

इस प्रकार याज्ञवल्य द्वारा अग्निहोत्र वा स्वरूप वक्तव्याने वर जनक ने कहा—‘याज्ञवल्य ! आपने अतिसयं रूप से अग्निहोत्र के स्वरूप पर विचार किया है । आप जैसे विद्वान् के लिए मैं सी मायो का पारितोषिक देता हूँ ।’ (अठ० शा० १११६१२४)

जनक ने याज्ञवल्य से कहा—‘आप अग्निहोत्र की हीनी आहुतियों (साक्षेकरणिक एवं प्राप्तकर्त्तिक) के उपकरण, अग्निशम्य और प्रत्युत्थायी लोक को नहीं जानते हैं । इसापि वहाँ के बाहर । यथाद्वेष कर जनक ने अपनी नगरी ‘ही-लोक अस्ताने’ दिया । (अठ० शा० १११६१२५)

इहाँ काल्पण्यवद (अठ० शा० १११६१२६, २५, ३० तथा याज्ञवल्य) ने परम्पर विचार-विद्यां चिह्ना—‘इस आग्नेय भव विषयम् द्वी पश्च के विषय में हम जांगो री वड वर शान्त-ज्ञेयम् दिया । अपि दसे अग्निविद्याद वाद के विषय चूनीती दी जाय जिसमें नह अग्निविद्या हीना ।’

याज्ञवल्क्य ने कहा—‘यदि इसको ब्रह्मवाद म पराजित कर दगे हों तो उसे किसे कहेंगे कि पराजित किया है कदाचित् यह हम लोगों को पराजित कर सो लोग कहेंगे कि एक अत्रिय ने ब्राह्मणों को पराजित कर दिया। अतः उसे ब्रह्मवाद के लिए बुलाना उचित नहीं।’ याज्ञवल्क्य अग्निहोत्र को पूर्णरूपे जानना चाहते थे। उन्होने जनक के मतानुसार अग्निहोत्रको सम्यक् रूप से जान के लिए सम्भव उपाय सौचना प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् महर्षि याज्ञवल्क्य रथारुढ़ होकर शीघ्र ही जनक के पीछे पीछे हो लिये।

जनक ने याज्ञवल्क्य को आया हुआ देखकर कहा—‘याज्ञवल्क्य! आप अग्निहोत्र जानने के लिए आये हैं?’

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया—‘हाँ समाट, अग्निहोत्र ही जानने के लिए आया हूँ।’ (शत० ब्रा० ११।६।२।५)

जनक ने याज्ञवल्क्य को अग्निहोत्र बताना प्रारम्भ किया—

‘दोनों (सायं और प्रातः कालिक) आहुतियों का हवन होने पर वे ऊपर जाती हैं, अन्तरिक्ष में प्रविष्ट होकर उसे अपनी आहवनीय अग्नि बनाती हैं। वायु को समिधा तथा सूर्य की रश्मियों को अपनी निर्मल आहुति बनाती हैं। इस प्रकार की दोनों आहुतियां अन्तरिक्ष-लोक को तृप्त करती हैं। (शत० ब्रा० ११।६।२।६) अन्तरिक्ष से दोनों आहुतियां ऊर्ध्वगमनी होकर स्वर्ग में प्रविष्ट होती हैं और उसे अपनी आहवनीय अग्नि, सूर्य को समिधा एवं चन्द्रमा को निर्मलाहुति बनाती हैं। वे स्वर्ग को तृप्त कर वहाँ से वापस आती हैं। (शत० ब्रा० ११।६।२।७) वे प्रत्यावर्तित होकर पृथ्वी में प्रवेश करती हैं तथा उसे अपनी आहवनीय अग्नि, अग्नि को समिधा एवं ओषधियों को निर्मल आहुति बनाती हैं। (शत० ब्रा० ११।६।२।८) इस प्रकार वे आहुतियां इस पृथ्वी को तृप्त करती हुई पुनः पृथ्वी से ऊर्ध्व-गमन करती हैं। ऊर्ध्व-गमन कर पुरुष में प्रवेश करती हैं, उसके मुख को आहवनीयाग्नि उसकी जिह्वा की समिधा तथा अन्न को आहुति बनाती हैं। वे पुरुष की तृप्त करती हैं। यह जानते हुए जो व्यक्ति अनन्त-भक्षण करता है वह अग्निहोत्र ही सम्पन्न करता है। (शत० ब्रा० ११।६।२।९) दोनों आहुतियां वहाँ से ऊपर जाकर स्वी में प्रविष्ट होती हैं। स्वी की गोद को अपनी आहवनीयाग्नि, यांति को समिधा तथा वीर्य को निर्मलाहुति बनाती हैं। वे स्वी को तृप्त करती हैं। इसे जानते हुए मैथुन-कर्म करने वाला निश्चय ही अग्निहोत्र का सम्पादन करता है। (शत० ब्रा० ११।६।२।१०) इसके अनन्तर पुत्रोत्पत्ति अत्युत्थानशील लोक है। यह अग्निहोत्र है याज्ञवल्क्य। इतना बता देने के

रश्चात् अन्य कुछ विशेष नहीं है।' (शत० ब्रा० १११६।२।१०) इस प्रकार जनक द्वारा अपिनहोल का विशेष स्वरूप सुनकर सन्तुष्ट हुए महापि याज्ञवल्क्य ने उन्हें वर दिया।

सम्राट् जनक ने कहा—‘याज्ञवल्क्य ! आप युझे यह आदेश दें कि मैं स्वेच्छापूर्वक आपसे प्रश्न पूछ सकूँ।’ उस समय से जनक बहुवेत्ता हो गये। (शत० ब्रा० ११।६।२।१०) इस उद्घरण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य ज्ञानामृत के पिषासु थे।

(५) भाषा-विज्ञानवेत्ता

याज्ञवल्क्य सकल यज्ञिकाचार्य, यज्ञ के विराट् रूप के द्रष्टा, बहुवेत्ता, सामाजिक तथा जिज्ञासु होने के साथ ही साथ एक भवाधिद् के रूप में भी प्रतीत होते हैं। वे उपर्युक्त कठद-चयन करते हैं। यज्ञ कर्म के समय वात्पूर्ण हविष्कृत् का आव्याज करने के लिए ‘एहि,’ वेश्य हविष्कृत् के लिए ‘आगहि,’ राजन्य हविष्कृत् के लिए ‘आइव’ तथा शूद्र हविष्कृत् के लिए ‘आद्वाव’ शब्दों को प्रयुक्त करते का विवाह करते हैं।

याज्ञवल्क्य को प्रत्येक शब्द की व्युत्पत्ति का पूर्ण ज्ञान है। विवरणीयाद्वय के समय किसी महत्वपूर्ण शब्द के आ जाने पर उस शब्द की व्युत्पत्ति करने के अनन्तर ही आगे बढ़ते हैं। यज्ञ शब्द वौ व्युत्पत्ति अधीलिखित प्रकार से करते हैं—

‘अथ यस्माद्यजो नाम । वृत्तिं वा एवमैत्यदिव्यिष्युव्यवित्ति
तद्यदेनं तन्वते तदेनं जनयन्त स ज्ञायमानो ज्ञायते स यद्यज्ञायते
तस्माद्यजो यज्ञो नामैत्यद्यज्ञो इति ॥ (शत० ब्रा० १।२।५।१०)

अधीलिखित पंक्तियों में इथ्य, देवता, छन्द से सम्बन्धित कुछ उदाहरण ब्रह्मणः प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें पूर्णरूपेण ज्ञायात् हो जायगा कि याज्ञवल्क्य भाषा में प्रयुक्त शब्दों के मर्यादा थे। पुरोडाश की व्युत्पत्ति अधीलिखित रूप से करते हैं—

‘त च एभ्यस्तत्पुरो ऽदायत् । य एध्यो यज्ञं प्रारोदयतस्मा—
त्पुरोदाशः पुरोदाशो द्युवै नामैत्यद्यपुरोऽदायत्तिः ।’ (शत० ब्रा० १।६।३।५)
वर्मी और प्रवर्गय शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार करते हैं
‘तथाधृद्दिव्यपत्तस्तस्माद्यमो इव वस्त्रावृज्यत सद्भावप्रदर्शय ॥’

(शत० ब्रा० १४।१।१।१।०)

मन अमर का निर्वचन अधोलिखित रूप से नरत है-

'जहाँ देवा असृष्टदत् । न एतैः सर्वैः सप्ततात्मामोक्षीरयुवत् ।
वदधूयन् तस्माद्यावा नाम ।' (शत० ब्रा० ३१६।१।६)

सोम ८३ की विश्वित अधोलिखित है-

'सदा वै ममृतेणि तस्मात्मोदो नाम ।' (शत० ब्रा० ३।३।४।२२)

'वनु' की अनुरूपि अधोलिखित है-

'एते हीरंसर्वं ध्वासयन्ते ते यदिदसर्वं व्यासयन्ते तस्माद्वस्व इति ।'
(शत० ब्रा० १।६।३।६)

मध्यवनु की अनुरूपि इस प्रकार करते हैं-

'अ ५ ३ ८ एव मद्यः स विष्णुः । तत् इत्त्रो मखवाच्मवान्ह वै तस्मवद्वा-
तिरथा वश्वलं परोऽप्यर्थ रोऽप्यकामा हि देवाः ॥'

(शत० ब्रा० १४।१।१।१३)

बृहस्पति और वश्वलस्त्रियों की अनुरूपि क्रमसा, इस प्रकार की गयी है-

'वाऽर्वं वृहती तस्या एव परिस्तस्मादु वृहस्पतिः ।'

(शत० ब्रा० १४।४।१।२२)

एव (प्रथमः) उ एव वश्वलस्त्रिः । वार्वं वृह्य तस्या एव परिस्तस्मादु ह
वृहस्पतिः ।' (शत० ब्रा० १४।४।१।२२)

उमर की अनुरूपि अधोलिखित है-

'श्रावस्मै भृष्टहर्यंस्तानि यदस्मा अष्टुदयंतस्माच्छदासि ।'
(शत० ब्रा० ३।४।२।१)

गायत्री का विवरण अधोलिखित है-

सा हृषा यग्नीस्त्रते । प्राणा वै गयास्तस्त्राणास्तत्वे

लक्ष्मदूषणांस्त्रते । तस्माद् गायत्री नाम ।' (शत० ब्रा० १४।८।१।५।७)

गायत्री की अनुरूपि इस प्रकार करते हैं-

'विद्युदं हृषे ग्रन्थस्थां हीरं सर्वं जगत् ।' (शत० ब्रा० ३।२।१।२६)

जनेक उद्घरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि याज्ञवल्क्य का प्रतिभा बहुमुखी थी। याज्ञवल्क्य ने यज्ञों द्वारा समाज को संवित्त करने का स्तुत्य प्रयास किया है जिसमें उन्हें आशातीत सफलता मिली है। याज्ञिक-जैनी द्वारा विषय को स्पष्ट बनाकर ज्ञान-पिपासुओं के समक्ष उद्घन्ता उनकी विद्वत्ता का परिचायक है। याज्ञवल्क्य ने याज्ञिक समाज को आदर्श समाज का रूप देने में सफल प्रयास किया है। विद्वत्समाज इनका सदा विटम्बृणी रहेगा।

- ईर्वत शुभम ।

संक्षिप्तीकरण-तालिका

ऋ० स०	ऋग्वेद संहिता
शु० य० स०	शुक्ल यजुर्वेद संहिता
मै० स०	मैत्रायणी संहिता
तै० स०	तैत्तिरीय संहिता
शत० वा०	शतपथ ब्राह्मण
ऐ० वा०	ऐनरिथ ब्राह्मण
तै० वा०	तैत्तिरीय ब्राह्मण
वृ० उ०	वृहदारण्यकापनिषद्
का० श्रौ०स०	कात्यायन श्रीतसूत्र
म० भा०	महाभारत
या० पु०	याण्डुपुराण
ब्रह्मा० पु०	ब्रह्माण्ड पुराण
म० पु०	मत्स्य पुराण
स्क० पु०	स्कन्द पुराण
भा०	श्रीमद्भागवत
S. B. E.	Sacred Books of the East
V. I.	Vedic Index for names and Subjects.
H. I. L.	History of Indian Literature
H. S. L.	History of Sanskrit Literature
H. A. S. L.	History of Ancient Sanskrit Literature
A. I. H. T.	Ancient Indian Historical Traditions